लाक अदालत

सगठन एव काय-पद्धति का अध्ययन

डा० अवध प्रसाद
योजना निदेशक

कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य सस्थान, जयपुर

स्टर्लिग पब्लिशर्ज प्रा० लि०
ए बी/9 सफदरजग इनक्लेव, नइ दिल्ली 110016

यह पुस्तक भारतीय सामाजिक विज्ञान श्रनुसधान परिषद (श्राई० सी० एस० एस० श्रार०), नई दिल्ली के श्रार्थिक सहयोग से प्रकाशित की गयी है। इसमे दिये गये तथ्य, विचार एव निष्कर्ष के लिए पूर्णतया लेखक जिम्मेदार है न कि भारतीय सामाजिक विज्ञान श्रनुसधान परिषद।

कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य सस्थान
बी-190 यूनिवर्सिटी मार्ग, बापू नगर
जयपुर-302004

प्रशासनिक निदेशक	जवाहिरलाल जैन
योजना निदेशक	डा० श्रवध प्रसाद
सहयोगी	गोपीनाथ गुप्त। पी०के० सवानी
श्रामुख	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी
भूमिका	डा० उपेन्द्र बक्सी

सुरिन्दर कुमार धई, मनजिंग डायरेक्टर स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा लि० नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एव स्टर्लिंग प्रिन्टर्स एल 11 ग्रीन पार्क एक्सटेन्शन नई दिल्ली मे मुद्रित।

Lok Adalat Sangathan Awam Karyapadhati Ka Addhyayan

मूल्य 50 रुपये

आमुख

डा० अवध प्रसाद और उनके दो सहयोगियों ने अपनी शोध के लिए एक ऐसा रोचक, जीवन्त और विचारोत्तेजक विषय चुना है कि जिसका अंतरंग सम्बन्ध भारतीय लोकजीवन के मर्म और यथार्थ से है।

मूलत जनतांत्रिक राज्य प्रणाली स्थानीय स्वायत्तशासन का ही एक विराट राष्ट्रीय स्वरूप और संस्करण है। इस दृष्टि से हमारी राष्ट्रीय संसद को राष्ट्रीय पचायत कहा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर संसदीय पचायत प्रणाली की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि हम गाव के स्तर पर तहसील या तालुके के स्तर पर, जिला कस्बा और शहर के स्तर पर स्वायत्तशासन की संस्थाओं में प्राण प्रतिष्ठा करें स्वावलम्बी जनतांत्रिक परम्पराओं का निर्माण करें, लोकशक्ति में लोकनिष्ठा को सुदृढ और सगठित करें। अन्यथा आशका यह है कि हमारा संसदीय परिवेश केवल बाहरी दिखावा और आडम्बर ही रह जायगा। कहना न होगा कि सिर्फ ऊपरी सतह का अभिजात लोकतंत्र कभी स्थायी नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ जनजीवन की जीवनदायिनी जडें जुड नहीं सकती। मेरा यह विनीत मत है कि इस आधारभूत प्रस्थापना की उपेक्षा करना हमारे देश में जनतंत्र के भविष्य के साथ खिलवाड करना होगा।

मुझे इसमें कोई सदेह नहीं कि हमारे संविधान का प्रारूप बनाते समय संविधान सभा एव प्रारूप समिति ने स्वायत्तशासन की इस मूल प्रस्थापना के महत्व को पूर्णत नहीं समझा। इस भूल चूक के कारण अनेक थे। काग्रेस सगठन और देश की राजनीति का अधिक प्रभावशाली मध्यवित्त नेतृत्व गाधीजी की नैतिक आध्यात्मिक तेजस्विता और लोकछवि के समक्ष विनत नतमस्तक अवश्य था किन्तु उसने गाधीवादी दर्शन विचारधारा

और मूल्यों का हृदयगम नही किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा भीमराव अम्बेडकर भारतीय पचायत प्रणाली व परपरागत सामाजिक अ याय की आशकाओं के कारण नकारात्मक दृष्टिकोण के व्याख्याता बन गए थे। सविधान सभा के प्रमुख साविधानिक सलाहकार श्री बनीगल नरसिंह राऊ की निजी पष्ठ भूमि मे कानून और प्रशासन ही मुख्य थे जनजीवन और राजनीति से उनका सम्पर्क नही था। प्रारूप समिति के सदस्यो की भी स्थिति यही थी कि उनम से कई अपने विषय के विशेषतया कानून के, उदभट विद्वान अवश्य थे कि तु ग्राम्य जीवन की परम्पराओ और सभावनाओ का साक्षात्कार उ ह नही था। सविधान सभा स्वयम् वयस्क मताधिकार के आधार पर नही चुनी गई थी यद्यपि उसमे व्यापक राष्ट्रीय सहमति का समावेश अवश्य था।

सविधान निर्माण म पचायत सस्थाना की उपक्षा का सबस मूल भूत कारण यह था कि उस समय हमारे दश म पाश्चात्य कानूनी और साविधानिक परम्पराओ के विषय मे, ब्रिटेन की ससदीय प्रणाली और सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान के विषय म और ब्रिटेन की देख रेख म बनाए गए भारतीय और दूसरे डोमिनियन देशो के सविधानो और शासन प्रणालियों के विषय मे अपक्षाकृत कही अधिक चि तन साहित्य और जानकारी उपलब्ध थी। भारतीय राजनीति शास्त्र एव आधुनिक अनुसधान हमार सविधान निर्माण के समय बहुत कुछ अविकसित थे और आज भी अधविकसित ही है। पचायत व्यवस्था की सभावनाए अनचीन्ही और अज्ञात थी। पचायतो को लेकर एक ओर किसी सुदूर पुरातन स्वण युग की सुरम्य कल्पनाओ को आहूत किया जाता था तो दूसरी ओर हमारे दीन दलित, निरक्षर, सुसुप्त ग्राम्य जीवन की लोकतान्त्रिक सामथ्य शकास्पद मानी जाती थी। ऐसी स्थिति म मौलिक साविधानिक चि तन एव पचायती सस्थाओ के यावहारिक अनुभव के अभाव म पचायती सविधान की सकल्पना करना दुवह दुस्तर और दुस्साहसपूर्ण होता।

राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धा तो म सम्मिलित अनुच्छेद 40 की पष्ठभूमि मे सविधान सभा के समक्ष समयाभाव के अतिरिक्त दो विरोधी विचारधाराओ के बीच एक अ तरिम कामचलाऊ समझौत का महत्वपूण कथ्य है। सविधान बनात समय अनुच्छेद 40 म पचायती व्यवस्था के विकास का आश्वासन देकर हमारी सविधान सभा ने पचायती सस्थाओ की साविधानिक सावजनिक भूमिका पर राष्टीय बहस का केवल कुछ समय के लिए स्थगित किया था। आज उस बहस के मूल प्रश्नो को फिर उठाया

जाना आवश्यक है उन प्रश्नों पर गहराई से विचार करना अपेक्षित है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 के द्वारा पंचायती राज के उत्तरोत्तर विकास का जो संयत और विनम्र आश्वासन दिया और दुहराया गया था उसे पूरा करने के लिए समुचित सक्रिय प्रयत्न नही हो पाया। जो प्रयत्न बडी धूमधाम से प्रारम्भ हुए उनमे राष्ट्रीय राजनैतिक सकल्प सदाशयता और साधना का अभाव रहा। फलत पंचायत व्यवस्था की उज्ज्वल सभावनाएं अधिकांशत अप्रकट और अपूर्ण रही और अपने शैशव में ही वह व्यवस्था विविध व्याधियो से रुग्ण और दुर्बल हो गई। पंचायत व्यवस्था की दुर्बलता के कारण जानना और उसकी व्याधियो का उपचार करना एक आधारभूत राष्ट्रीय महत्व का विषय है। जब तक हम अपने राष्ट्रीय स्वभाव को नही पहचान पाएंगे राष्ट्र का स्वास्थ्य नवित स्फूर्ति तथा नये रक्त सचार से वंचित रहेगा। पंचायती व्यवस्था की सम्यक् दिन-चर्या देश की आधि-व्याधि विकृतियो के लिए सक्षम और उपयोगी प्राकृतिक चिकित्सा सिद्ध हो सकती है, ऐसा मेरा मतव्य और विश्वास है। किन्तु यह भी सम्भव है कि जब हम नारनिष्ठा और राष्ट्रीय सकल्प के साथ, दूरदर्शी तन्ष्टि और विनम्र विवेक के साथ सामाजिक न्याय और सवदन की सजीवनी प्रेरणा लेकर सकीर्ण दलगत स्वार्थों के ऊपर उठकर राष्ट्रीय सहमति के व्यापक आधार पर पंचायत व्यवस्था को संविधान और सार्वजनिक जीवन की प्रक्रिया मे सुप्रतिष्ठित करें और उसे केवल शब्दो का प्रश्रय ही न दे बल्कि उसे सार्थक बनाने मे प्राणपण से जुट जाए। यह लक्ष्य और कार्यक्रम सुगम नही है, राष्ट्रीय स्तर पर श्रम, सकल्प दृष्टि, साधन और सहमति के समवेत समन्वय के बिना इस लक्ष्य और कार्यक्रम का सफल होना सम्भव नही है। मेरी यह मान्यता है कि जिस दिन यह लक्ष्य और कार्यक्रम हमारे देश मे सही मायने मे मूर्तरूप लेने लगेगा, उस दिन हम एक नये विश्वास के साथ कह सकेंगे कि अब भारत मे लोकतत्र और स्वतन्त्रता सुरक्षित है कि भारत मे अब स्वातन्त्र्य और लोकतत्र लोकजीवन की धरती की तह मे अपनी जड़ें जमा चुका है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 मे पंचायत व्यवस्था का कोई सुनिश्चित स्वरूप निर्धारित नही किया गया है। मुख्यतया और मूलत उस प्रावधान मे दर्शन और दिशा का सकेत है, किसी सुस्पष्ट और ब्यौरेवार योजना का आदेश नही है। अनुच्छेद 40 का आधार और आग्रह 'स्वायत्त शासन' के निमित्त है और उस लक्ष्य के लिए अनुच्छेद 40 केवल ग्राम पंचायतो को सस्थानात्मक आयुध और उपकरण के रूप मे अभिहित और मनोनीत करता

है। न्याय पचायत या लोकग्रदालत का कोई दाण्डिक उल्लेख सविधान म नही मिलता। इस दृष्टि म यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि हमारे सविधान द्वारा ग्राम्प्टि राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धान्ता म न्याय पचायतो की स्थापना भी सम्मिलित है या नही ?

सविधान म ग्राम पचायत की कल्पना स्वायत्त शासन की इकाई क रूप म की गई है किन्तु इसका यह अनिवार्य अर्थ नही है कि ग्राम पचायत या स्वायत्तशासन का कोई न्यायिक पक्ष और पहलू नही हो सकता, न यह कहा जा सकता है कि ग्राम पचायत और स्वायत्तशासन का सगठन केवल निर्वाचन की राजनीति का या ससदीय पद्धति का अग मात्र हो सकता है। मूलभूत सैद्धान्तिक प्रश्न यह है कि क्या गाव, तहसील और जिला के स्तर पर न्याय प्रशासन का कोई काय ग्राम पचायत को सौपा जा सकता है या नहीं और यदि ऐसा किया जाता है तो परिणामत क्या विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार आपस म उलझ नहीं जाते ? उत्तर म यह कहा जा सकता है कि हमारी सावधानिक प्रणाली सयुक्त राज्य अमरीका की तरह राज्य शक्ति के सम्पूर्ण विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित नही है और वस्तुत सयुक्त राज्य अमरीका म भी राज्य शक्ति के विभाजन का सिद्धान्त क्रियान्वित नही होता। किन्तु यह उत्तर सतोषजनक नही है। ब्रिटेन की ससदीय पद्धति म विधायिका और कार्यपालिका के बीच सीमारेखा अवश्य है किन्तु विभाजन नही है क्योकि मन्त्रिपरिषद एक तरह से ससद की समिति है और सावधानिक सिद्धान्त की दृष्टि से ससद के प्रति उत्तरदायी है सयुक्त राज्य अमरीका म काग्रेस (विधायिका) और राष्ट्रपति (कार्यपालिका) अलग अलग ह और राष्ट्रपति या उसकी काबिना के सदस्यो का अपने पदो पर रहना काग्रेस के सक्रिय समर्थन पर निर्भर नहीं करता। किन्तु ब्रिटेन एव सयुक्त राज्य अमरीका दोनो म न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका अलग और स्वतन्त्र है। जिस प्रकार की शक्ति और क्षेत्राधिकार न्यायपालिका म निहित होते हैं उनके लिए न्यायपालिका का विधायिका और कार्यपालिका स अलग और स्वतन्त्र होना अनिवार्य भी है। तब प्रश्न यह उठता है कि ग्राम पचायत मे राज्य शक्ति का यह विभाजन किस प्रकार सयोजित हो किस प्रकार न्याय-पचायत या लोकग्रदालत पचायत व्यवस्था की विधायिका और कार्यपालिका से सवथा पृथक स्वतन्त्र और सुरक्षित रखी जाय ?

यह उल्लेखनीय है कि पुरातन समाज म न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बीच की सीमारेखाए स्पष्ट नही थी और शायद इसीलिए

पचायत व्यवस्था म इन तीना पक्षो का एक विलक्षण सम्मिश्रण सम्पन्न हुआ । उस सम्मिश्रण के बावजूद भी पचायत व्यवस्था के न्यायिक पक्ष की विशिष्ट अपेक्षाओं को विस्मत या उपेक्षित नही किया जाता था । न्याय की प्रक्रिया म पच परमेश्वर' की दुहाई दी जाती रही है । इसकी तह म मूल प्रस्थापना यह है कि न्याय निष्पक्ष निश्छल, निर्भीक, निष्कलुष हो, कि न्याय सतुलित, सहृदय और सकरुण हो, कि न्याय युक्तियुक्त, तर्कसगत और स्थापित मानको पर आधारित हो, कि न्याय समाजोन्मुख हो और समाज के प्रति दायित्वपूर्ण हो । क्या न्याय पचायत की व्यवस्था आज इन आदर्शों को मूर्त्त रूप दे सकती है ?

समकालीन समाज के सन्दर्भ म न्याय पचायत को लेकर कई ज्वलत प्रश्न उठत है—क्या बहुमत के मुखापेक्षी निर्वाचित पच स्थानीय सामूहिक विवाद को निष्पक्ष नजर स देख सकत है ? क्या वे समय के—वातावरण के—वग आवेग म बह नही जायेंगे ? क्या मुखर या प्रबल भीड का भय उनकी अन्तरात्मा को आच्छादित नही करगा ? क्या प्रभावशाली समुदाय न्याय पचायत के मचन को अपने स्थापित स्वार्थो का शस्त्र और माध्यम नही बना लेंगे ? इन प्रश्नो का कोई सीधा सपाट उत्तर सभव नही है । स्पष्ट है कि इन प्रश्नो को नकारने से या उनसे पलायन करने की प्रवत्ति से काम नही चल सकता । हम सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनो स्तर पर विचार करना होगा और उपयुक्त कदम उठाने होगे ।

विवादो के निर्णय और समाधान मे परम्परा से सभी देशो मे रीति रिवाज लोकमत और सामान्य समाज की न्यूनाधिक भागीदारी रही है । एक हद तक, सामान्य नागरिक दीवानी विवाद का निर्णायक या दण्डनायक हो सकता है । दीवानी तथा फौजदारी मामलो मे जूरी की प्रथा इसी भागीदारी का एक स्वरूप है । हमारे अपने देश मे पचायतो का न्यायिक पक्ष सदैव मुख्य रहा है । इस दष्टि से न्याय-पचायत या लोकअदालत इस देश के लिए कोई अनबूझ अनजाना एव अपरिचित विचार नही है । किन्तु आधुनिक समकालीन सदभ मे यह विचार कितना खप सकता है, कितना कारगर हो सकता है यह प्रश्न अवश्य उठता है । यह प्रश्न भी उभरता है कि शायद स्थानीय पचायती न्याय सब प्रकार के विवादग्रस्त मामलो के लिए समुचित उपयुक्त और पर्याप्त नही कहा जा सकता । उलझे हुए आधुनिक कानूनी विवादो के लिए विशेषज्ञो के न्यायालय शायद अधिक सक्षम और स्वीकार्य हो इस तथ्य स भी इकार नही किया जा सकता । जहा निजी वैयक्तिक मूलभूत अधिकारो का प्रश्न है वहा भी पचायती न्याय का नियमन आवश्यक

होगा, यह भी मेरी राय म निर्विवाद है। ये प्रश्न न्याय पचायत की मर्यादाओं के प्रश्न ह जिसे कानून के सतुलित और दूरदर्शी प्रारूप से सुलझाया जा सकता है। जहा तक न्याय पचायतो की निष्पक्षता का प्रश्न है, उस लक्ष्य के लिए हम न्याय पचायतो की एक सस्कृति का निर्माण करना होगा, विश्वसनीय निष्पक्षता के मूल्यो को लोकशिक्षण एव प्रशिक्षण द्वारा जनता और जनता के पचो तक पहुचाना होगा। यह काय व्ययसाध्य है श्रमसाध्य है, निष्ठासाध्य है अत्यत कठिन है किन्तु असभव नहीं है। यदि हम न्याय-पचायत की निष्पक्षता और सामाजिक सवेदन की उत्तरदायी न्याय प्रक्रिया की नीव डालना चाहत ह तो लोक शिक्षण लोकमत, विधि और परिपाटी के सम वय से न्याय की एक नई लोक सस्कृति का निर्माण करना चाहिए। हमारे ग्राम्य अचलो म न्याय पचायत का सस्थान उस नई न्याय प्रणाली एव न्याय सस्कृति का द्योतक, पोषक और सवाहक बन सकता है, स्थानीय स्तर पर लोकअदालत के रूप मे होते हुए भी उसे हमारी न्यायपालिका से जोडा जा सकता है और एक व्यापक परिप्रेक्ष्य म हमारी न्याय पचायतें हमारे प्रतिदिन के लोक जीवन मे न्याय की आदतो को सजीव, सुघड और सुदढ बनाने म योगदान द सकती हैं।

स्वर्गीय श्री मोतीलाल सीतलवाड की अध्यक्षता म प्रथम विधि आयोग न अपनी चौदहवी रपट म पचायती अदालतो की उपयोगी सभावनाओ पर बल दिया था। तदन तर केन्द्रीय सरकार न विधि आयोग के सदस्य श्री जी आर राजगोपाल की अध्यक्षता म एक अध्ययन दल गठित किया था। उस अध्ययन दल की रपट पचायती अदालतो के विषय म एक प्रामाणिक, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक दस्तावेज है। राजगोपाल अध्ययन-दल की सिफारिशो और उनके सुझाव क्रियान्वित करने की दिशा म कोई सकल्पशील प्रयत्न नही हुआ। उस रपट के अतिरिक्त न्यायमूर्ति श्री प्रफुल्ल भगवती की अध्यक्षता मे गुजरात कानूनी सहायता समिति न और न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता म केन्द्रीय सरकार की विशेषज्ञ समिति ने भी पचायती अदालतो को पूरी सहानुभूति के साथ स्वीकार करने के लिए बहुत जोर दिया। केन्द्रीय सरकार की कानूनी सहायता विशेषज्ञ समिति (जिसका मैं सदस्य रहा) ने अपनी 1973 की रपट (जनता को प्रक्रियात्मक न्याय') म पचायती न्याय और कानूनी सहायता पर एक पूरा अध्याय लिखा है और न्याय पचायतो को दरिद्र व बहुसख्यक निधन जन के लिए कानूनी सहायता की एक सार्थक विधा और प्रकार माना है। हमारी 1973 की रपट म यह मन्तव्य असदिग्ध शब्दो म

प्रकट हुआ है कि आधुनिक न्याय के दुःसह व्यय, दुर्निवार विलम्ब, दुःसाध्य उलझी हुई प्रक्रियाएं और उनसे उत्पन्न अविश्वास और अलगाव की पीडा-दायक प्रतीतियां एक सीधा सरल उपाय और एक सुलझा हुआ समाधान मांगती है। न्याय-पंचायत वह समाधान हो सकता है। न्याय पंचायतें हमारी अधिकांश आबादी के लिए दिन प्रतिदिन की सामान्य विवाद समस्याओं को सुलझाने में, मध्यस्थता करने में, मेल और समझौता कराने में और सर्वमान्य निर्णय देने में एक विराट और व्यापक योगदान दे सकती है। न केवल ग्रामीण अंचलों में बल्कि शहरी विवादों में भी इस प्रकार की न्याय-पंचायतों की उपयोगी भूमिका हो सकती है। किन्तु इन संभावनाओं को सकारात्मक और मूर्त रूप देने के लिए गहराई तक स्वस्थ लोकमत बनाना होगा, मर्यादाएं और सामाजिक परिपाटियां स्थिर करनी होंगी, कानूनी सुरक्षाओं के विधि विधान निर्मित करने होंगे, मिल कर विचार-विनिमय से विवेक के आधार पर 'सपच्छध्व मजानीध्व' के आदर्श पर चलने की सांस्कृतिक आदत डालनी होगी, दलगत और निजी स्वार्थों से ऊपर उठ कर सामाजिक न्याय लेने और देने की क्षमता का निर्माण और विकास करना होगा, हर समस्या के परस्पर विरोधी पहलुओं को समझने और उनमें संतुलन-समन्वय स्थापित करने का स्वभाव बनाना होगा, न्यायपंचों और जनता को पंचायत न्याय के दर्शन और शैली में शिक्षा दीक्षा देनी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आदर्श बहुत दुर्गम और दुस्तर है, अत्यंत महत्वाकांक्षी है, यह भी स्पष्ट है कि यह आदर्श राष्ट्रीय सहमति, निष्ठा साधन और श्रम का मुखापेक्षी है। किन्तु इस आदर्श के अतिरिक्त भारतीय जीवन के संदर्भ में और कोई समर्थ विकल्प भी नहीं है। इस संबंध में अब तक चलती आ रही उपेक्षा, उदासीनता और पलायनवादी अकर्मण्यता कोई विकल्प या समाधान नहीं है बल्कि दृष्टिरहित संवेदनहीनता का और क्लीव विवशता के परिचायक मात्र है। हमें नया समाज बनाने और नया दौर लाने के लिए इस संवेदनहीनता और उदासीनता को तिलांजलि देनी होगी, श्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए नये परीक्षणों और प्रयोगों के प्रति आशावान और निष्ठा-वान होना होगा, अनागत, अज्ञात भविष्य का सामना करने के लिए अतीत की उपलब्धियों और वर्तमान की अपेक्षाओं को जोड़ कर नई सामर्थ्य और नये संकल्पों का संचय समन्वय और संयोजन करना होगा। यह स्वप्न का आवाहन भी है और यथार्थ का आदेश भी।

प्रस्तुत पुस्तक को एक स्वप्निल यथार्थ की तीर्थयात्रा कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पुस्तक में डा. अवध प्रसाद एवं उनके दो सहयोगियों ने

रगपुर म श्री हरिवल्लभ भाई पारीख द्वारा स्थापित लोकप्रदालत का अध्ययन किया है। मैं रगपुर आश्रम को एक अनोखा परीक्षण मानता हू। मैंने स्वय इस मस्थान का साक्षात्कार किया हैं। कुछ वष पूव मै स्वय जिज्ञासा कुतूहल और आकषण स सप्रेरित हाकर बडौदा जिला के उस दुगम वनप्रा तर म गया था और अपन साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि सकाय क प्रमुख डा उपेद्र वक्सी को ले गया था ताकि हम दानो इस परीक्षण पर कुछ सामग्री सकलित करें उसका विश्लपण और मूल्याकन कर। सब मिलाकर रगपुर की मरी यात्रा बहुत साथक और सफल रही। रगपुर परीक्षण की अपनी कुछेक कमिया और कमजोरिया है किन्तु उसकी अपनी अद्वितीय और उल्लेखनीय उपलब्धिया भी है। व उपलब्धिया और वे कमिया और कमजोरिया समाज-वैज्ञानिकों के लिए बहुत मूल्यवान है। प्रस्तुत पुस्तक इस दष्टि म विशेष महत्त्व रखती है। जिस अनुसधान काय और मूल्याकन की कल्पना मैंने और श्री उपेन्द्र वक्सी ने की थी और जिसका श्रीगणेश हमने रगपुर जाकर किया था यह पुस्तक उस काय की एक सजीव कडी है। मैं डा अवधप्रसाद श्री गोपीनाथ गुप्ता एव श्री पी के सवानी को बधाई दता हू और कुमारप्पा ग्राम स्वराज मस्थान एव उसक सुयोग्य मदस्य सचिव श्री जवाहिरलाल जन का साधुवाद दता हू कि उन्हाने रगपुर की लोकअदालत का एक समाज वैज्ञानिक नखचित्र प्रस्तुत किया है, किताबी अनुसधान की लीक स हट कर हमारे राष्ट्रीय जीवन क यथाथ और मम को व्यवहार के धरातल पर देखन समझने और आकन का एक रचनात्मक और अध्ययनशील प्रयत्न किया है।

मुझे आशा है कि यह पुस्तक पचायती न्याय के कठिन और पेचीदा सवालों और समस्याओं पर राष्ट्रीय चि तन क लिए तथ्य और विवरण ही नही बल्कि विश्लपण दष्टि और अनुमति भी जुटाएगी एव विवाद समाधान के क्षत्र म राष्ट्रीय नीति निर्माण का माग प्रशस्त और आलोकित करेगी।

—डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी,
वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय,
मानद कार्याध्यक्ष सांविधानिक एव ससदीय अध्ययन सस्थान

30, लाधी एस्टेट
नई दिल्ली
1 मई, 1978

भूमिका

समाज मे विवादो का निपटारा करने वाली संस्थाओं का अध्ययन विधि की समाजशास्त्रीय सूची का एक मुख्य विषय रहा था एवं है। राजकीय विधि प्रणालियो मे ही अत्यधिक उलझे रहने के कारण न्याय (विवादो का निपटारा) से जिनका गहरा सम्बन्ध रहा है उनमे सामान्यत यह धारणा बन गयी है कि सरकारी न्यायालयो के अतिरिक्त विवादो का निपटारा करने वाली अन्य संस्थायें समाज मे विधि के अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त कम महत्त्व की अथवा रास्ते के इधर उधर की स्मारक चिन्ह मात्र है। वास्तव मे सामान्य प्रवृत्ति यह रही है कि विवादो का निपटारा करने मे प्रवृत्त गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन 'सांस्कृतिक या विधि नृतत्त्वविज्ञान के अन्तर्गत आने वाला अध्ययन मान लिया जाय जो कुछ इने गिने विशेषज्ञो तक सीमित मूल विषय से परे का क्षेत्र है और व्यस्त न्यायाधीश, वकील या विधायक की दृष्टि से इसका कोई तात्कालिक तथा प्रासंगिक महत्त्व नही है।

भारत मे 'विधि' नृतत्त्वविज्ञान का भी संपूर्ण शास्त्रीय अनुशासन के रूप मे अभी तक मान्यता प्राप्त नही हुई है। नवशास्त्रीय विवरणो मे भी विवादो का निपटारा करने वाली संस्थाओं और उनके द्वारा प्रक्रियाओं के यदा कदा प्रासंगिक उल्लेख ही है लेकिन जहा तक उनके सामाजिक स्थायित्व एवं परिवर्तन के दिशा-निर्देशन के मूल्यांकन का प्रश्न है, वह कभी कभी ही अंगीकार किया गया है। आदिवासी नवशशास्त्र मे भी विवादो का निपटारा करने वाली संस्थाओं और उनके द्वारा व्यवहृत प्रक्रियाओं के महत्त्व की आम तौर पर अवहेलना की गयी है। (अवलोकन करें—भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्—1972, 31-133, 258 61 वीणादास 1973) जहा कहीं विवादो का निपटारा करने वाली इन संस्थाओं की उपादेयता दृष्टिगोचर हो भी रही है, वहा भी व्यवस्थित अनुसंधान के अवसरो का परित्याग कर दिया गया लगता है (बक्सी—1973)। आदिवासी जातीय समुदायो मे सामाजिक नियंत्रण और न्याय परम्पराओं से संबधित महत्त्वपूर्ण अध्ययन क्रिस्टोफ वान फ्यूरर हैमरडोफ के 'मोरल्स एण्ड मेरिटम (1967) और प्रोफेसर नायक द्वारा किये गये अध्ययनो (भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद 1973 258) तक ही सीमित है।

'विधि' नृतत्वविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से भी प्राग्मसन होबेल (1954), मक्स ग्लूकमैन (1967, 1965), पालबोह नन (1957) ए एल एप्सटीन (1964) जग उच्च कोटि के अध्ययन भारत म नहीं किये गय है। तथ्य तो यह है कि भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय विधि के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये सर हेनरी मेन की पुरानी पुस्तकों पर आश्रित है और यह केवल इस बात का ही परिचायक नहीं है कि हमारे विधि पाठय क्रम अप्रचलित और असगत है बल्कि इस क्षेत्र मे इस ज्ञान की जो दयनीय स्थिति है उस पर दुखद टिप्पणी भी है।

लम्बे समय स एकत्र होती जान वाली इस कमी को सुधारन की आवश्यकता बहुत तीव्र है। इस स दभ म रगपुर स्थित लोकग्रदालत क बार म किया गया वतमान अध्ययन इस क्षत्र म उपलब्ध अत्य त सीमित साहित्य म एक ठोस अभिवृद्धि माना जायेगा। प्रमुख सर्वोदय नेता श्री हरिवल्लभ परीख, (जि ह लोग स्नेह पूवक भाई क प्रिय नाम से सबोधित करत हैं) के द्वारा प्रारम्भ की गयी यह लोकग्रदालत अब चोथाई सदी से अधिक पुराना सस्था हो गयी है। इस सस्था न (1946 71) की पच्चीस वर्षीय अवधि म कुल 17,254 विवादो का निपटारा किया है जिनम 10615 पारिवारिक एव विवाह सम्ब धी, अशाति तथा कलह के 3215 भूमि सम्ब धी विवाद 2225, मारपीट एव हिंसा के 816 एव कुछ हत्या एव हत्या के प्रयासो स सम्ब धित रहे है। इस दीर्घ अवधि म इस सस्था ने, जो प्रथमत विवादों का निपटारा करने वाली सस्था के रूप म प्रारम्भ हुई थी, इस क्षेत्र म विविध प्रकार की सामाजिक एव आर्थिक परिवतनो की प्रक्रिया का सिलसिला जारी कर दिया है। इस क्षेत्र म लगभग 402 ग्रामदानी गाव है जिनम एक लाख से अधिक लोग निवास करते है और लगभग 7,500 एकड भूमि है। रगपुर का यह आश्रम, जिसके अब नौ केन्द्र और है, इस सपूण क्षेत्र म आर्थिक सामाजिक परिवतन लाने के कार्यो म सफलतापूर्वक कायरत हैं। उसकी मुख्य उपलब्धिया है—भूमि मुक्ति (खास तौर से साहूकारो के चुगुल से भूमि का छुटकारा) शराब मुक्ति (नशे के व्यसन स मुक्ति) कृषि यत्री करण और सिचाई पशुपालन म उ नत तरीको का प्रयोग जीवनशालाओ (जीवन को स्वावलबी एव सुखमय बनाने का माग दिखान वाली पाठशाला) के माध्यम से प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षण कायक्रम और सहकारी समितिया और बको के माध्यम स ऋण एव एकीकृत वित्तीय आवश्यकताओ की आपूर्ति जो सभवत अल्पकालीन कायक्रमो म सर्वाधिक महत्त्वपूण कायक्रम है। इस प्रकार विवादो का निपटारा करने के सामाजिक

सेवा कार्यों के बिंदु से प्रारंभ कर के रंगपुर आश्रम इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की महत्त्वपूर्ण धुरी बन गया है। वास्तव में आश्रम और उसका नेतृत्व बहुत बड़ी सीमा तक एक प्रकार से इस क्षेत्र की 'सरकार' बन गया है।

ग्रामदान एवं भूदान आंदोलन तथा ऊपर वर्णित अन्य सेवा कार्यों के कारण लोकअदालत के एक प्रकार के 'संघीय' संगठन के स्वरूप का धीरे-धीरे विकास होता जा रहा है। कम से कम ग्रामदानी गांवों में तो ग्राम सभाओं ने स्थानीय जनता की अदालतों का रूप ग्रहण कर लिया है। वे अपने क्षेत्र के अनेक विवादों का अपने स्तर पर निपटारा कर देती हैं। स्थानीय स्तर पर निर्णित न होनेवाले विवाद यदाकदा निर्णयार्थ रंगपुर स्थित लोकअदालत के समक्ष ले जाये जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकअदालत प्रणाली में विवादों का निपटारा करनेवाली संस्थाओं का एक समूह आश्रम के तत्वावधान में संगठित हो गया है। यह सही है कि कुछ हद तक इसे प्रणाली कहने की बात की पूर्णतः संपुष्टि नहीं की जा सकती। बस लोकअदालत प्रणाली में भाई की जो भूमिका है, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। लोकअदालत भाई की कृति है। उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में इसका जन्म एवं विकास हुआ है, इसलिये जब हम लोकअदालत के संगठन की विवेचना करें तो उसका सही विवेचन करने का एक मात्र तरीका यह है कि हम मात्र लोकअदालत के बजाय 'लोकअदालत में भाई' इस मुहावरे का प्रयोग करें (बक्सी 1975)।

जो कुछ हो तथ्य यह है कि लोकअदालत ने अपना स्थानीय प्रतिरूप खड़ा कर दिया है और लोकअदालत का कोई भी अध्ययन उस समय तक पूरा नहीं माना जायेगा जब तक साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर विवादों का निपटारा करने में प्रवृत्त इन संस्थाओं का भी गहरा अध्ययन न किया जाये। इस दृष्टि से वर्तमान अध्ययन भी इसी प्रकार अधूरा है जिस प्रकार हम लोगों द्वारा किया गया पूर्व अध्ययन लेकिन 'केन्द्रीय' लोकअदालत के अध्ययन की दिशा में निश्चय ही यह एक महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक प्रारंभ है। रंगपुर की लोकअदालत एक ऐतिहासिक प्रारंभ बिंदु तथा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के सतत केन्द्र बिंदु तथा सामाजिक दृष्टिकोणों में एक अनूठी संस्था है।

लोकअदालत प्रणाली ने विवादों का निपटारा करनेवाली संस्थाओं की एक ऐसी श्रृंखला विकसित की है जो न तो 'परम्परागत' ही है और न 'आधुनिक' ही। लोकअदालत प्रणाली प्राचीन परम्परा से नहीं निकली है।

वास्तव मे सर्वोदय विचारधारा के सदेशवाहको के सस्कारो म से इसका जन्म हुआ है। दूसरी ओर यह प्रणाली अपने सगठन, काय पद्धति और सस्कृति की दृष्टि से भील पचायता के मूल्यवान लक्षणो पर फलीफूली है।

लोकअदालत प्रणाली दूसरी दृष्टि से भी अनूठी है। यह केवल विवादो का निपटारा करने वाली सस्था ही नही है, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवतन का भी एक साधन है। यह निर्विवाद है (यद्यपि बहुधा इसकी सराहना नही की जाती) कि विवादो का निपटारा करनेवाली सभी सस्थायें, चाहे वे सरकारी अ य प्रणाली से सबधित हो या सामदायिक याय यवस्था से किसी न किसी रूप म सामाजिक परिवतन के हेतु लोक शिक्षण काय सम्पन्न करती है। सरकारी याय प्रणाली, जो यद्यपि विरासत मे मिली 'कामन ला' की सस्कृति से ओतप्रोत है अपनी यायिक सस्थाओ के माध्यम स उच्च शिक्षादायक भूमिका का निर्वाह करती है। (चाहे वह विवाद की सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान हो अथवा अपील के स्तर पर।) हा, यह भूमिका न तो सद्धातिक दृष्टि से मा य हाती है और न मा य की जा सकती है जैसी कि अ य विधि प्रणालियो म, उदाहरणाथ सोवियत विधि प्रणाली मे इस शिक्षात्मक भूमिका पर स्पष्ट तौर पर ही अधिक बल रहता है। हरिवल्लभ पारीख लोकअदालत प्रणाली की हर प्रक्रिया का विवाद प्राप्त होन एव उसकी सुनवाई की प्रक्रिया प्रारभ होने के समय स लेकर अतिम निर्णय की स्थिति तक और यदि आवश्यक दिखाई दे तो निणय की क्रिया वति तक का लोक-शिक्षण के रूप म उपयाग करते है। हम कह सकत है कि याय की इन प्रक्रियाओ एव वास्तविक निणयो के दौरान अनेक विषयो पर जस परिवार नियोजन शराब के अत्यधिक सवन स होने वाल दुष्परिणाम लन दन के मामलो म ईमानदारी, महिलाओ के लिय समानता की स्थिति कृषि म उन्नत तरीको का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वच्छता स्वावलबन और मानव गरिमा का महत्त्व आदि पर व अपनी उपदशात्मक सीधी कायवाही जागरूक ढग स जारी रखत है और अनेक अवसरो पर लोकअदालत की बैठकें प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम का माध्यम ही बन जाती हैं। इनम हरिवल्लभ परीख बैठको म उपस्थित लोगो को अपनी दिल्ली और अहमदाबाद की यात्राओ के अनुभव सुनात है और सुदूर विदेशो म रहन वाल लोगो क रहन सहन और कायकलापो एव समस्याओ के बारे म उनको ज्ञानवद्धन करते है। मेरी दृष्टि स यह लोकअदालत प्रणाली का 'विकास सबधी याय' है। (बक्सी 1975) वतमान अध्ययन के नवें परिच्छेद मे इस पर विशद प्रकाश डाला गया है। इस लोकअदालत प्रणाली के उपदेशात्मक तत्व से उत्प न

तथा सम्बन्धित विशिष्ट सामाजिक आर्थिक परिवर्तनो को स्पष्ट किया गया है।

जहा तक सरकारी विधि प्रणाली एव लोकअदालत प्रणाली के पारस्परिक सम्बन्ध का प्रश्न है, लोकअदालत प्रणाली की अपनी कुछ अनूठी विशेषताए हैं। समय पाकर लोकअदालत न न्यूनाधिक रूप म सरकारी विधि प्रणाली की भूमिका को अधिकाश मामलो म पूणत आत्मसात कर लिया है। न केवल इस क्षेत्र के बहुत से निवासी सरकारी विधि प्रणाली का प्रश्रय नही लेने हैं बल्कि जब सरकारी विधि प्रणाली म प्रवृत्त अधिकारियो को यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उनके सम्मुख प्रस्तुत विवाद की लोकअदालत म सुनवाई चली है या चल रही है तो व अक्सर अपने सम्मुख प्रस्तुत सुनवाई का स्थगित कर देत हैं ताकि वादी प्रतिवादी का लोकअदालत के माध्यम स अपने विवाद का निपटारा करन का अवसर उपलब्ध हो सके। दूसरे शब्दो म, चाहे यह विरोधाभास लगे इस प्रकार सरकारी विधिप्रणाली म प्रवृत्त अधिकारियो की यह कार्यवाही लोकअदालत की वैधता एव युक्तता को समर्थन देती है और इस हद तक लोकअदालत प्रणाली सरकारी विधि प्रणाली के ऊपर छा जाने वाली प्रक्रिया है।

लोकअदालत प्रणाली की यह छा जाने वाली प्रवृत्ति' प्रतिवादियो का सूचना देन की प्रक्रिया म ही स्पष्टत दृष्टिगोचर हो जाती है। सरकारी विधिप्रणाली म प्रयुक्त तौर तरीको के समान ही लोकअदालत द्वारा भी प्रतिवादी का एक वक्त य द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि वह लोकअदालत की कार्यवाहियो म उपस्थित हो अ यथा मुकदमेबाजी प्रारम्भ हो सकती है जिसक सम्ब ध मे उसे आगाही की जाती है कि "वह हम गरीब किसानो क हित म नही है। दूसर शब्दो मे यह कहा जा सकता है कि सरकारी याय-प्रणाली की दुरूहता और महगेपन को ही लोकअदालत की कार्यवाहियो म भाग लेन की आवश्यकता का आधार बना दिया गया है। इस प्रकार सामुदायिक आधार पर विवादो का निपटारा करने वाली सस्था द्वारा सरकारी विधि प्रणाली को अपने कार्य के लिए वैधता के रूप म उपयोग करन का ऐसा अनूठा तरीका अब तक अ यत्र हमारे देखन म नही आया है।

यह सही है कि लोकअदालत प्रणाली और सरकारी विधिप्रणाली क एक दूसरे पर छा जाने वाले अथवा विरोधी झुकाव परस्पर सम्बन्धो का केवल एक पहलू है। दोनो ही प्रणालियो म पारस्परिक पूरकता और पृथकता सम्ब धी तत्व मौजूद हैं। पारस्परिक पूरकता सम्बन्धी स्थिति का तत्व विचारधारा

और काय दोनो ही स्तरा पर मौजूद है। विचारधारा व स्तर पर लोक-अदालत प्रणाली शराब मुक्ति भूमिमुक्ति डायना आदि के अ धविश्वासा के निराकरण स्त्री पुरुष की समानता आदि म सरकारी प्रयासो की अनुपूरक है। काय सम्ब धी पारस्परिक पूरकता क स्तर पर लोकअदालत प्रणाली द्वारा विवादा का निपटारा करने की दिशा म अपनाई गयी भूमिका उस सीमा तक उदाहरण के रूप म प्रस्तुत की जा सकती है जिस सीमा तक इसक निर्णयो से सामाजिक स्थायि व को पोषण मिलता है और भारतीय सविधान के अनुसार वाछित समाज व्यवस्था क हेतु वे सामाजिक परिवर्तन म सहायक होत है। (अध्ययन के परिच्छेद 8 9 और 10 का अवलोकन करें साथ ही देख बक्सी, 1975)। जहा तक रोजमर्रा के पारस्परिक पूरकता सम्बन्धी कार्यों का सवाल है लोकअदालत प्रणाली द्वारा उपलब्ध लोकपाल सम्बन्धी तत्व कानूनी सहायता और सेवा सावजनिक रूप स रखे गय रेकाड और वैवाहिक आदि मामला म सलाह दन के काय उल्लेखनीय रूप स राज्य के विकास तथा आधुनिकीकरण सम्बन्धी प्रयासो म सहायक होत हैं।

जहा तक दोना प्रणालिया म पृथकता के अशो की मौजूदगी का सवाल है, स्थिति कुछ पचीदा है। सामा यत गभीर फौजदारी मामल जस मानव हत्या लोकअदालत सरकारी विधिप्रणाली क लिये छोड देती है। लोक-अदालत के प्रारम्भिक जीवन काल म उसके द्वारा ऐसे कुछ मामलो पर अपन निणय दिय गये जिनके अनुसार एक मामल मे पश्चात्ताप करने वाले अपराधी हत्यार को यह दण्ड दिया गया था कि वह समाज की निगरानी म निश्चित अवधि तक मतक के उत्पीडित परिवार की भूमि जोतकर उस खेत म होने वाली पैदावार मतक की विधवा एव बच्चो का दे और उसक रक्षण का दायित्व वहन करे। सरकारी विधि प्रणाली क अन्तगत जो दण्ड-उन परिस्थितियो म निर्धारित होता उसका अपराधी एव उत्पीडित दोनो ही परिवारा पर प्रतिकूल असर पडता जबकि लोकअदालत की दण्ड प्रक्रिया म उत्पीडित परिवारा के पुनर्वास पर अधिक जोर दिया गया। निश्चय ही पीडित को राहत दिलाने की यह व्यवस्था अधिक उन्नत मानी जानी चाहिए लेकिन लोकअदालत द्वारा निर्णित इस प्रकार क मामले अब अतीत की बाते मात्र रह गयी है। हमारे सर्वेक्षण क दौरान आश्रम क पास नदी म बहती हुई एक लाश का मामला हमारे सामने आया जिसम उस लाश का जाच क लिए तत्काल पुलिस क सुपुर्द कर दिया गया था।

मगर कुछ मामला म लोकअदालत प्रणाली और सरकारी विधिप्रणाली दोनो ने एक रूप होकर एक प्रकार स सहमत कदम उठाय है। जैसे जीजा

भाई रेवती और बेहला भाई के मामले। (विशेष विवरण देखे—परीख 1973) यहा दानो प्रणालियो म पारम्परिक प्रतियोगिता की स्थिति रही। इस सन्दभ मे सरकारी विधि प्रणाली की कायवाही के प्रति आदरभाव का दर्शन होता ह। उदाहरण के लिय जब बेहलाभाई सम्ब धा विवाद के मामले मे श्री हरिवल्लभ परीख को गिरफ्तार किया गया और बाद म जमानत पर छोडा गया तो उ होने तमाम दबावा के बावजूद लोकअदालत म उस विवाद की सुनवाई उस समय तक नही होने दी जब तक सरकारी विधिप्रणाली के अ तगत उस विवाद की सुनवाई की कायवाही पूरी नही हो गयी। रेवती के जटिल मामले म जिस कुशलता के साथ समझौता प्रचार सीधी कायवाई एव समाचार पत्रो के सम्मिलित माध्यमो का उपयोग किया गया वह लोकअदालत प्रणाली की 'छा जाने वाली भावना का सजक है। यही प्रवृत्ति, जैसा कि पहले कहा गया है प्रतिवादी को लोकअदालत के समक्ष बुलाने के लिय प्रयुक्त तौर तरीके म भी परिलक्षित होती है, जिसम लोकअदालत की कायवाही म प्रतिवादी को भागीदार बनान हतु सरकारी विधि प्रणाली के तत्र का एक प्रकार की अनुज्ञा के रूप म उपयोग किया जाता है।

लोकअदालत प्रणाली को किन कारणा से यह सफलता प्राप्त हुई, इसका विश्लेषण करें तो एक कारण तो हमे यह दृष्टिगोचर हुआ है कि इस क्षेत्र मे सरकारी विधि प्रणाली की उपस्थिति अत्य त अल्प है। सरकारी विधि प्रणाली के अन्तगत कायरत प्रशासनिक व्यवस्थाए भी इस क्षत्र स बहुत दूरी पर स्थित ह। यातायात एव सचार के पयाप्त साधना का अभाव इस क्षेत्र के लोगो को इस प्रणाली से पथक रखे हुए है। (देखें अध्याय 4)। तीसरा कारण यह है कि लोकअदालत द्वारा किये गये विवादो के निणयो से प्रभावित होकर क्षेत्र के अधिकाश निवासी यह महसूस करने लगे ह कि लोकअदालत प्रणाली द्वारा निष्पादित याय गुणात्मक दृष्टि से सरकारी विधि प्रणाली के अ तगत उपलब्ध न्याय से कही अधिक 'सतोषयुक्त' है। आसान पहुच तत्परता और कम खर्चों के अलावा इन कारणा का भी अपना महत्त्व है—लोकअदालत प्रणाली की सफलता का एक आधारभूत कारण यह प्रतीत होता है कि विवाद का निपटारा करने के लिय प्रयुक्त इसकी काय पद्धति अत्य त जनतान्त्रिक है। (देखें अध्याय 10 और 11) लोकअदालत द्वारा विवादा के निपटारा के लिये महत्त्वपूण आधारभूत मूल्य के रूप मे समुदाय को भागीदार बनाने की जा नीति अपनाई जाती है और उस प्रक्रिया एव काय विधि का जिस ढग से गठन किया गया है, उनमे सामुदायिक भागीदारी के मूल्य की अधिकतम उपलब्धि हुई है। जनसमुदाय की इस ढग की श्रेष्ठ

भागीदारी ने इस सस्था एव इसकी कायप्रणाली को सामाजिक दृष्टि से अधिक स्पष्ट और उत्तरदायी बना दिया है। इसी क प्रतीक स्वरूप यह भागीदारी लोकग्रदालत तथा इसक नेता की वैधता का निरतर नवीनीकरण करती रहती है और इसक निणयो को सामुदायिक इच्छा या समाज स जनमत की अनुज्ञा का स्वरूप प्रदान करती रहती है।

यह जानी मानी शिकायत है कि जनतान्त्रिक दिखाई देन वाल तरीके या कायविधिया भी प्राय निर्णायक शक्ति क केद्रीकरण का मुखौटा लगाय रहती है। प्राय जनसाधारण की सहमति स किय जाने वाल निणय थाडे स लोगो द्वारा कमरा म लिये गय निणयो क औपचारिक समथन मात्र होते है। किन्तु प्रस्तुत अध्ययन यह विश्वास करने का व्यावहारिक आधार प्रदान करता है कि विवादो का निपटारा करन के लिय प्रयुक्त लाकग्रदालत की काय प्रणाली म जनसाधारण की भागीदारी केवल दिखावटी अथवा प्रतीकात्मक चेष्टा नही है। (हमने अपने प्रारभिक अध्ययन म भी इस तथ्य को व्यावहारिक रूप म स्वीकार किया था) इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकग्रदालत प्रणाली की सफलता का एक महत्त्वपूण कारण इसक द्वारा प्रयुक्त कायविधि एव प्रक्रियाओ का उच्च जनतान्त्रिक स्वरूप है।

तथापि लोकग्रदालत प्रणाली के अतगत प्राप्त न्याय की गुणात्मकता सम्ब धी प्रश्न तो रह ही जात है। इस अध्ययन म ये प्रश्न स्पष्ट भाषा म मुखरित होकर सीधे सामने नही आये हैं बल्कि लोकग्रदालत के भविष्य के प्रति सदेहात्मकता क रूप म प्रस्तुत किये गये है। लेखकगण महसूस करत है कि लाकग्रदालत प्रणाली का भविष्य सदेहात्मक अथवा समस्यामूलक हो सकता है क्योकि यह प्रणाली एक व्यक्ति पर आधारित हो गयी है। श्री हरिवल्लभ भाई के समर्पित जीवन, जादू भरे आकषक व्यक्तित्व और अविश्रात काय के कारण लोकग्रदालत को इसके मौजूदा स्वरूप की प्राप्ति हुई है। नेता एव न्यायकर्त्ता दोनो रूपो म उनकी शक्ति एव प्रतिष्ठा अद्वितीय है लकिन एक व्यक्ति के नेतृत्व पर अत्यधिक आश्रित रखने की इस परिस्थिति म अधिनायकवाद की प्रबल प्रवत्ति अनिवार्यत उत्पन्न हो जाती है। यह प्रवत्ति न्याय उपलब्धि मे किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुई है यह एक विचारणीय विषय है। निस्सदेह लोकग्रदालत काय प्रणाली बहुत जनतान्त्रिक है और इसक निणय तुरत काय रूप म परिणित कराये जाते है। (हम इस पूर्ति को मनोवैज्ञानिकता कहेंगे) लकिन जब सम्पूण कायविधि एक व्यक्ति के इद गिद घूमती रहती है तो उसम न केवल निरतरता के लक्षण खतरे म पड जाते हैं बल्कि समकालीन एव भावी नेतृत्व क विकास

की सभावनाए भी सीमित हो जाती है। साथ ही ऐसी अपेक्षा भी वास्तव म नही रखी जा सकती कि जनसमुदाय प्रत्येक निणय का उसके वास्तविक न्यायपरकता के गुणा के कारण आदर करता है। हम वभिझक यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ निर्णय न्यायकर्त्ता की विवेक बुद्धि पर आधारित, मनमान (इस अर्थ म कि दो समान परिस्थितिया म विभिन्न निणय हो जाते है) और कभी कभी तुलनात्मक रूप स पक्षपात युक्त भी हो सकत है (पक्षपात युक्त इस अथ म कि वे सिद्धात या नियम पर आधारित होने के बजाय अवसर या परिस्थिति पर आधारित हो जात है या वे अय सामाजिक तथा विधि के क्षेत्र के बाहर क विवादा म न्यायकर्त्ताओ तक वादी प्रतिवादी की अपेक्षाकृत न्यूनाधिक पहुच के कारण प्रभावित हो जात है) इस प्रकार की परिस्थितिया रगपुर स्थित लोकअदालत एव ग्रामदानी गावा की ग्रामसभाओ के सघात्मक सम्बधा मे विशेष रूप स अभिव्यक्त हो सकती है, क्योकि ग्रामदानी गावो की ग्रामसभाओ के कायकर्त्ता विचारधारा और व्यवहार दोनो दृष्टियो से श्री हरिवल्लभ भाई के प्रति समर्पित है।

इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि चाहे सवधानिक दृष्टि इस स्वच्छदता पक्षपात, अवसरवादिता, अयाय और अधिनायकता के विपरीत हो, पर सरकारी विधिप्रणाली और प्रशासनिक श्रेणियो के प्रतिनिधि भी न्यूनाधिक रूप म अपने निणया म इ ही बुराइया की अभिव्यक्ति करत रहत है लेकिन लोकअदालत प्रणाली इस अथ मे उक्त प्रणाली से भिन्न है कि काय प्रणाली की रूढता एव अफसरशाही की अवश्यभावी पवत्ति के बावजूद अतिम अधिकार एक व्यक्ति मे केद्रित है। इसके विपरीत औपचारिक राज्य पद्धति, मार दुगुणो के बावजूद, ऊपर से नीचे तक क्रमिक उत्तरदायित्व भावना से ओतप्रोत है, चाहे फिर इस प्रकार की जवाबदेही म सव सामा य की पहुच की कितनी ही सीमायें क्या न हो। श्री हरिवल्लभ परीख के अलावा क्रमिक नियत्रण की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। नियत्रण की अनौपचारिक यत्र रचना शक्तिधारको और उस शक्ति को मा यता देकर शक्तिधारको के आदेशो निर्देशो को मानन वाले शक्तिदाताओ की पारम्परिक सम्बध स्थिति—अवश्य मौजूद है और हर प्रकार के शक्ति ढाचे मे यह स्थिति अवश्यम्भावी है। अतिम तौर पर विश्लेषण प्रस्तुत करें, तो यह सब शक्ति सम्बधो मे समता और विशिष्टता का ही प्रतीक है।

इस का यह तात्पय नही है कि अधिनायकवाद की ओर उ मुख यह प्रवत्ति सभी सदर्भो म आवश्यक तौर पर हितकर हो लकिन लम्बी अवधि मे यह प्रवत्ति ऐसी सिद्ध हो सकती है क्योकि इससे लोकअदालत प्रणाली का एक

विशिष्ट प्रकार की सीमा मर्यादा प्राप्त हो सकती है जो समय की परिधि मे वास्तव म सभी सामाजिक प्रणालियो का एक सामान्य लक्षण रहा है।

वस्तुत लोकग्रदालत प्रणाली सामुदायिक विवाद निर्णय प्रणाली का एक ऐसा ग्रादश प्रस्तुत करती है जो कुछ बातो म राज्य की विधि प्रणाली से श्रेष्ठ है। लेकिन इस प्रणाली म निहित गुणो की सराहना करने का यह अवश्यभावी अर्थ भी नही कि सरकारी विधिप्रणाली सपूर्णत दोषयुक्त ही है। इस ग्रध्ययन म मुख्यतया इसके अतिम ग्रध्यायो म, पाठको को एसा महसूस हो सकता है कि इस का लगभग सगठित झुकाव सरकारी विधिप्रणाली के विरुद्ध है। यह झुकाव वास्तव म दृढता से ग्रहित मान्यताग्रो की ग्रभिव्यक्ति हो सकता है जो लेखको की ग्राम सदभो म बौद्धिक और सामाजिक मूल निष्ठा से उत्पन्न है। झुकाव तथा मान्यता के बीच सीमा रेखा कही भी हो यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत ग्रध्ययन के लेखको की सरकारी विधिप्रणाली म बहुत कम ग्रास्था है। उनका कथन है की सरकारी विधिप्रणाली के अन्तगत कायरत न्यायालयो का लक्ष्य सामाजिक परिवतन लाना है ही नही। न्याय प्रदान करने म जनसाधारण की उन तक पहुच नही है ग्रौर न उनम गति शीलता है, न उनम खच की सीमा है ग्रौर न उनम जनतान्त्रिकता का तत्व है। उक्त दोनो कथनो मे सत्य का अश तो है पर पूरी सच्चाई नही है। कुछ न्यायाधीश इस अथ मे सक्रियावादी होते हैं कि उनका झुकाव सविधान मे अन्तर्निहित या कानून द्वारा अपेक्षित सामाजिक परिवर्तनो का समथन देने के उद्देश्य से विधि के सारे उपकरणो के उपयोग की ग्रोर होता है। इतिहास ने बार बार इस तथ्य को प्रकट किया है कि परिवर्तनो की ग्रोर उन्मुख न्यायाधीश प्रभावपूण ढग से कानून का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह भी सही है कि ऐसे न्यायाधीशो की सख्या या उनके काम के प्रभाव का दिग्दर्शन कराने वाले कोई ग्रध्ययन उपलब्ध नही हैं (यद्यपि ऐसे ग्रध्ययनो की ग्रत्यत ग्रावश्यकता है) लेकिन यहा मौजूदा सन्दभ म इस पहलू पर इतना जोर दे देना ही पर्याप्त होगा।

सरकारी विधि प्रणाली की न्याय सम्बन्धी गुणात्मकता के प्रति दोपारोपण का निराकरण करना थोडा कठिन है। एक तो यह कि सरकारी विधिप्रणाली के अन्तगत किये जाने वाले न्याय के जो सकेतक माने गये हैं ग्रर्थात त्वरा व्यय ग्रौर पहुच— इनके सम्बन्ध म कोई विश्वसनीय ग्राकडे है ही नही। हा विवादो के निपटारा मे होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध मे स्थूल ग्राकडे ग्रवश्य प्राप्त है, पर उनसे कुछ ग्रथ नही निकलता।

विधि का जिस ढग का भारीभरकम ढाचा बना हुग्रा है उसके कारण

स्पष्टत ही न्याय प्रक्रिया म 'विलम्ब' (प्रति महत्त्वपूर्ण विवादों म होने वाले कुछ अतीव विलम्ब के मामलों के अलावा) कानून क अन्तगत गठित सामान्य स्थिति की एक व्यवस्था ही बन जाता है। निर्णय की शीघ्रता अपने आपमें कोई मूल्य नहीं है और न यह होना ही चाहिए। लोकअदालत में भी यह कोई बड़ा मूल्य नहीं है। इसके अतिरिक्त सामान्यतया म विलम्ब सम्बन्धी निर्णय अधिकांश मामलों म मूल्य सम्बन्धी निर्णय है। दूसरे शब्दों म यह भी स्पष्ट नहीं है कि विलम्ब के सम्बन्ध म निर्णय देते समय हमारे दिमाग म कोई ऐसा मापदण्ड मौजूद है जो, किस मामले म कितना समय लगना उचित है, यह बतला सके। यह प्रश्न न भी उठाया जाये तो जब हम सरकारी विधिप्रणाली के अन्तगत उपलब्ध निर्णयों म होने वाले विलम्ब का जिक्र करें तो उसकी पुष्टि के लिए हमारे पास अनुभवी एव जानकार विधिवेत्ताओं द्वारा एकत्रित प्रमाणित तथ्यों का संग्रह होना चाहिए। सरकारी विधि प्रक्रिया के सामान्य स्वरूप के कारण विवादों के प्रस्तुतीकरण म समय लगेगा ही। यह भी कहना कठिन है कि किस समय बिन्दु के आगे और किस प्रकार के मामले म कब विलम्ब या समय लगने की मर्यादा का उल्लंघन प्रारम्भ हो जाता है। जानकार और सदाशयी लोग, जब वे कानून के विलम्बों की चर्चा करते हैं तो वे इस प्रश्न को उठाते भी नहीं, उत्तर देने की बात तो अलग ही है।

उक्त संदर्भ म विधि प्रक्रिया के बारे मे अन्तर्ज्ञान से दिये गये निर्णय का अपना स्थान है और वे सही हो सकते हैं लेकिन वही स्थिति वैज्ञानिक आधार पर दिये जाने वाले निर्णयों के बारे म भी है। पूर्ववर्ती प्रकार के निर्णयों का बाहुल्य है, तो परवर्ती प्रकार के निर्णय कम हैं।

सरकारी विधि प्रणाली के बारे म यह दोष दर्शन कि वह खर्चीली अथवा जनसाधारण की पहुंच से परे है बहुत सामान्य बात हो गयी है और इसमे सामान्यतया सच्चाई भी है। सबको समान ढंग से न्याय उपलब्ध कराने की समस्याओं का समाधान कानूनी सहायता तथा सेवा उपलब्धि के कार्यक्रमों और कानून के सुधार से कुछ हद तक हो सकता है। लेकिन अन्ततोगत्वा (जैसा अन्यत्र के अनुभव से सिद्ध है) ऐसे कार्यक्रम केवल अल्पकालीन राहत दे सकते हैं वे समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। यह बात कानून सुधार कार्यक्रमों की तुलना मे कानूनी सहायता एव सेवा कार्यक्रमों के बारे म अधिक सही हो सकती है। लेकिन कानूनी सुधारों को भी विधि प्रणाली के मूलभूत ढाचे का समादर करना ही पड़ता है। लोकअदालत जैसी संस्थाओं का अध्ययन वर्तमान विधि प्रणाली के विकल्पों के बारे म (इस सम्बन्ध म इस देश म बहुत कम

रचनात्मक चिंतन हुआ है) आधारभूत प्रश्न खड़ा करता है। निश्चय ही किसी भी देश की विधि प्रणाली उस देश की राजनैतिक प्रणाली के अंग के रूप में कार्य करती है लेकिन प्रायः उस विधि प्रणाली की अपनी निजी स्वायत्तता होती है। जैसा कि राबर्ट अंगर ने हाल ही में दुहराया है कि 'इस स्वायत्तता के चार पहलू है—(1) पृथक सत्ता सम्बन्धी (2) संस्थागत, (3) न्याय विधि सम्बन्धी और (4) व्यवसायात्मक' (अंगर 1976 52-54)। इसलिये इस बात की पर्याप्त गुंजाइश है कि स्वायत्तता की इन सीमाओं के भीतर विधि एवं न्याय विधि के वैकल्पिक नमूने प्रस्तुत करने की कोशिश एक हद तक की जा सकती है।

अंत में यह तो मानना ही होगा कि मौजूदा राजकीय न्यायालय प्रणाली जनसाधारण की भागीदारी को एक मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं करती। जूरी प्रणाली इसका एक उदाहरण था। कुछ और भी ऐसे पर कम महत्त्वपूर्ण उदाहरण रहे हैं (देखें—जैन, 1976 134) लेकिन अब वह वस्तुतः समाप्त प्राय है। न्याय और उसमें जनसाधारण की व्यापक भागीदारी का पारस्परिक सम्बन्ध—हमेशा ही कार्य-कारण रूप नहीं ठहराया जा सकता। कुछ स्थितियों में ऐसा संभव है (जैसे कि संभवतः लोक अदालत में)। लेकिन अन्य मामलों में इससे भिन्न स्थिति भी हो सकती है—उदाहरण के लिये क्रूर न्याय (Lynch Justice)। उन्मादग्रस्त भीड़ द्वारा लिये गये निर्णयों में जन साधारण की व्यापक भागीदारी तो होती है लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उसका निर्णय आवश्यक रूप से न्यायपूर्ण ही हो। यहां तक कि जूरी प्रणाली में जूरीगण भी अपनी कानून विरोधी हरकतों के लिये कुख्यात हैं (उदाहरणार्थ कडीश एम आर और कडीश एस एच एच 1971 199)। यहां इस विषय में चर्चा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी यह कहना पर्याप्त होगा कि विवादों का निपटारा करने वाली संस्थाओं में निर्णय देने की प्रक्रिया में जन भागीदारी का सम्बन्ध एक खुला प्रश्न ही रहना चाहिये।

इस प्रकार के अध्ययनों की शायद यह दुर्लभ उपलब्धि है कि वे बहुत से मूलभूत प्रकार के जटिल प्रश्न खड़े कर देते हैं। वर्तमान अध्ययन भी अपनी दोनों प्रकार की सीमाओं—सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक—में बिलकुल इस प्रकार के चिंतन का आवाहन करता है। यह इसका बहुमूल्य योगदान है। लोकअदालत स्वतः ही समाज निर्माताओं को वर्तमान भारत में एक उपयुक्त विधि प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिये नये सिरे से चिंतन करने की सतत प्रेरणा प्रदान करता है।

उपेन्द्र बक्सी (सकायाध्यक्ष)
विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रारम्भिक

गुजरात के बडौदा जिले म आन द निकेतन आश्रम क माध्यम से आस पास के ग्रामीण क्षेत्र म महात्मा गाधी की प्रेरणा के अनुरूप सघन रचनात्मक कायक्रम गत पच्चीस वर्ष से चल रहा है, जिसका सचालन प्रारम्भ स ही आश्रम के सस्थापक-अध्यक्ष श्री हरिवल्लभ परीख द्वारा किया जा रहा है। वे लोकअदालत के नाम से जन न्यायालय का एक अभिनव सामाजिक प्रयोग कर रहे है, जिसके द्वारा अब तक लगभग बीस हजार मामलो का फैसला और समाधान हो चुका है। इस प्रयोग का कुछ परिचय श्री हरिवल्लभ परीख न 'क्रा ति का अरुणोदय' नामक पुस्तिका मे दिया और इसका सक्षिप्त अध्ययन डा लक्ष्मीमल सिंघवी और डा उपे द्र बक्सी न किया। कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य सस्थान ने इस सामाजिक प्रयोग का थोडा विस्तार और गहराई से अध्ययन करने का निश्चय किया और तदनुसार इसकी एक योजना भारतीय सामाजिक विनान अनुसधान परिषद्, नई दिल्ली को प्रेषित की। सतोष की बात है कि परिषद् न इस योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की और इसको आवश्यक आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया।

इस अध्ययन का प्रारम्भ 1 अप्रैल 1975 से किया गया। योजना की सलाहकार समिति का इस कार्य म पूरा सहयोग मिला। समिति की बैठकें आन द निकेतन आश्रम, रगपुर तथा जयपुर मे बुलाई गइ। हरिवल्लभ परीख और उनके साथी कायकर्त्ताओ ने इस अध्ययन मे बहुत रुचि ली और सारी जानकारी जो लिखित और मौखिक उनके पास थी, सबसे हमे अवगत किया। लोकअदालत के अधिवेशनो मे हम स्वय शामिल हुए आसपास के गावो मे घूमे, लोगों से प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त किया और बातचीत की। डा विजयशकर व्यास, डा उपद्र बक्सी का पूरा सहयोग और मागदशन इस अध्ययन को प्राप्त हुआ। डा एस पी वर्मा ने भी अध्ययन मे बहुत रुचि दिखाई और समय समय पर आवश्यक सुझाव दिये।

योजना निर्देशक डा अवधप्रसाद ने इस योजना का सचालन किया। उनके सहायक श्री गोपीनाथ गुप्त और श्री पी के सवानी ने उस सारे काय को पूरा करने म बहुत परिश्रम किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय, ज

म समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डा नरेन्द्र सिंघी का प्रारम्भ से ही इस अध्ययन म पूरा सहयोग एव मार्गदर्शन मिला। उन्होंने परिश्रमपूर्वक अध्ययन को अंतिम रूप देने मे मन्द की।

सस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसधान परिषद् के सदस्य सचिव श्री जे पी नायक, निर्देशक डा नरूला तथा अन्य उच्चाधिकारियो का विशेष आभारी है जिनके प्रोत्साहन के बिना इस योजना का प्रारम्भ और पूर्ति नही हो सकती थी। योजना 30 नवम्बर तक पूरी हो जानी थी पर कुछ कारणो से दो माह की अवधि और बढानी पडी। जनवरी के अन्त मे यह अध्ययन परिषद को प्रेषित कर दिया गया था।

परिषद् ने इस अध्ययन को अपनी मान्यता प्रदान की और इस के प्रकाशन के लिए भी कुछ आर्थिक सहायता स्वीकृत की। इसे प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व स्टर्लिंग पब्लिशर्स दिल्ली ने स्वीकार किया। सस्थान इन दोनों का बहुत आभारी है।

इस प्रकार के अन्य प्रयोग भी इस देश के विभिन्न भागो मे चले हैं और कुछ अब भी चल रहे हैं। इनका अध्ययन किया जाना भी हमारे विचार से उपयोगी होगा।

कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य सस्थान,
जयपुर।
2-4 77

जवाहिरलाल जैन
मत्री निदेशक

विषय-सूची

1

अध्ययन की पृष्ठभूमि

मानव समाज के विकास के साथ उसके सामाजिक जीवन को सगठित एव नियत्रित करने वाली अनेक सस्थाओ एव व्यवस्थाओ का भी क्रमिक विकास हुआ। इन सस्थाओ मे मुख्य है—विवाह परिवार, धम, राज्य आदि। ये सस्थायें सार्वभौमिक रही है चाहे देश, काल एव श्रम के अनुसार उनके स्वरूप मे न्यूनाधिक भिन्नतायें दृष्टिगोचर होती रही हो। सामुदायिक जीवन मे आने वाले व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धो एव आचरणो को नियमबद्ध करने वाली व्यवस्थाओ म न्यायिक सस्था का मुख्य स्थान रहा है और उसकी सार्वभौमिकता भी सर्वविदित है। न्याय व्यवस्था के सचालन के लिए आदिकाल से ही मानव समाज ने न्याय के कुछ नियमो का सहारा लिया है। विभिन्न देशो की भौगोलिक परिस्थितियो एव उनके फलस्वरूप विकसित सामाजिक तथा सास्कृतिक जीवन की भिन्नताओ के कारण नियमो मे अन्तर भले ही हो रहा हो लेकिन आधारभूत नियमो मे सभी जगह सादृश्य देखा जा सकता है। इन आधारभूत नियमो मे मुख्य ये माने जा सकते हैं जसे, (क) अपराधी को दड मिले, (ख) ऐसे व्यक्ति को दड न मिले जो निर्दोष हो (ग) न्यायालय के सम्मुख सब समान हैं, आदि। कानून एव न्याय सामाजिक जीवन के अभिन्न अग हैं। समाज में कानून का निर्माण नतिकता के पोषण के लिए होता है और इस प्रकार दोनो का निकट सम्बन्ध है। जिस समाज म जितनी अधिक नैतिकता होगी वहा कानून का पालन उतना ही अधिक होगा। यह दखने मे आया है कि सामान्यतया परम्परागत नियम नैतिकता की भिति पर आधारित रहे है।

किसी देश की न्यायिक सस्था के विकास का सामाजिक एव सास्कृतिक परिप्रेक्ष्य म देखा जाना चाहिए क्योकि उसका विकास इसी परिप्रेक्ष्य मे होता है। न्यायिक सस्था की सरचना, न्याय प्रक्रिया, न्यायिक मूल्य एव दड आदि

मे सामाजिक एव सास्कृतिक भिन्नता के कारण अन्तर पाया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से न्यायव्यवस्था पर विचार करें तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि प्राय सभी देशो मे न्याय का अन्तिम अधिकार राज्य म निहित रहा है। राजतन्त्रीय शासनपद्धति मे यह व्यवस्था स्वभावत राजा के हाथो मे केन्द्रित होती है। भारतीय इतिहास से इस बात की भी पुष्टि होती है कि यहा न्यायव्यवस्था मुख्यत दो भागो म विभक्त थी (1) न्याय का काय राज्य के हाथो मे था और उसका निणय अतिम होता था, यद्यपि वह अपनी सहायता के लिये इस कार्य मे अन्य लोगो को लगाने का अधिकार रखता था। (2) स्थानीय स्तर पर पचायती व्यवस्था थी। यहा प्राचीन काल से ही ग्रामस्तर पर पचायती न्याय प्रणाली की ठोस परम्परा रही। इस व्यवस्था मे गाव के पचा द्वारा जिनकी सख्या आमतौर पर पाँच होती है विवादो को सुलझाया जाता रहा। आदिवासी समाज मे यह परम्परा आज भी देखी जा सकती है।[1]

भारत मे ब्रिटिश शासनपद्धति के जरिये पाश्चात्य ढग की न्यायप्रणाली का विकास हुआ। आज जो कानूनसम्मत न्यायव्यवस्था भारत मे प्रचलित है उसका आधार पाश्चात्य न्यायव्यवस्था है। कानून भारतीय समस्याओ को दृष्टिगत रखकर भल ही बनाये गये हो, परन्तु विवादो को सुलझाने के लिये जो पद्धति जारी की गई है, वह ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। ब्रिटिश साम्राज्य ने विभिन्न स्तर के न्यायालयो की स्थापना की और अपनी आवश्यकतानुसार क्रमश उन्हें मजबूत करता रहा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने भी उसी न्यायव्यवस्था को स्वीकार कर लिया। यहा यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि हमारे देश का सविधान भी पाश्चात्य देशो के सविधानो को ध्यान मे रखकर ही बनाया गया एव इस व्यवस्था के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका एव न्यायपालिका के बीच समन्वयात्मक सम्बन्ध रखते हुए सबका कायक्षत्र एव अधिकार क्षेत्र अलग अलग निर्धारित किया गया। सविधान की मूल भावना यह रही कि सबको निष्पक्ष न्याय मिले।

भारतीय सविधान मे पचायतीराज की व्यवस्था को लागू करने का भी प्रावधान है। भारत म लोकतान्त्रिक समाज की जडें मजबूत करन के लिये पचायतीराज को आवश्यक माना गया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् 1959 म देश म पचायतीराज को प्रारम्भ किया गया और आज पूरा देश पचायतीराज की परिधि म आ गया है। पचायतीराज की व्यवस्था म न्याय पचायतो का मुख्य स्थान है। न्यायपचायतो की स्थापना के पीछे यह भावना थी कि जन साधारण को स्थानीय स्तर पर सहज-सरल न्याय प्राप्त हो

और सामान्य मामलो के लिये दूर के न्यायालयो मे जाने की परेशानी एव खर्च से बचा जा सके। इसके साथ साथ विकेन्द्रित समाज रचना की दृष्टि से न्याय कार्य को विकेन्द्रित करने की दिशा मे इसे एक कदम माना गया।[2] न्यायपचायतें किस सीमा तक इस उद्देश्य मे सफलता प्राप्त कर सकी है यह अलग प्रश्न है और यहा इस प्रश्न पर विचार करना सभव भी नही। फिर भी यह एक तथ्य है कि न्यायपचायतो के माध्यम से विकेन्द्रित आधार पर न्याय कार्य की व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

यह व्यवस्था एक सीमा तक गाधीजी द्वारा प्रतिपादित पचायतीराज की कल्पना का एक हल्का-सा रूप है। गाधीजी ने न्याय कार्य को ग्रामस्वराज्य का एक अग माना था लेकिन उनकी कल्पना का ग्रामस्वराज्य अभी मूर्त रूप नहीं ले पाया है।[3] आज की न्यायपचायतें स्थानीय स्तर पर एक सीमा तक ही न्याय की सुविधा प्रदान करती हैं जबकि गाधीजी ग्राम सम्बन्धी सभी विवाद ग्रामपचायतो द्वारा सुलझाये जाने की आकाक्षा रखते थे।

वर्तमान न्यायव्यवस्था मे न्याय सर्व सुलभ नहीं हो पाता है और दूर गाव मे रहने वाला सामान्य नागरिक अपने को इस स्थिति मे नही पाता कि गाव से दूर जा कर न्याय प्राप्त कर सके। सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर एव अशिक्षित व्यक्ति न्यायालय मे अपने को असहाय महसूस करता है। वह इस आर्थिक स्थिति मे भी नही होता कि न्यायालय तक जा सके और न्याय प्राप्त कर सके। पचायतीराज की न्यायपचायतें इस कमी को एक सीमा तक तो पूरी करती हैं लेकिन उनका कार्यक्षेत्र काफी सीमित है। सरकारी न्यायालय मे जाने मे गाव के सामान्य लोगो को अनेक प्रकार की कठिनाइया होती हैं जैसे

(1) समय ज्यादा लगना,
(2) अधिक खर्च
(3) कानूनी उलझनें जिनके कारण वकील की मदद लेना आवश्यक होता है,
(4) जटिल पद्धति।

गाव के लोगो के लिये न्यायालय की दौड परेशानी मे डालने वाली भी होती है। वहा के कानूनी दावपेंच, गवाही, पेशी खर्च का बोझ, आदि के कारण जो परिस्थिति बनती है, उसमे उसके लिए न्याय पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है। न्यायव्यवस्था की इन परेशानियो से देहात मे रहने वाले जन-साधारण को मुक्ति प्रदान करने के लिये ही गाधीजी ने पचायतीराज की

कल्पना प्रस्तुत की थी ग्रौर कहा था—'जब पचायतीराज बनेगा तब लोकमत सब कुछ करवा लेगा।" गाव का शासन चलाने के लिये हर साल गाव के पाच ग्रादमियो की एक पचायत चुनी जाएगी। इसके लिये नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गाव के बालिग स्त्री पुरुषो को ग्रधिकार होगा कि वे ग्रपने पच चुन लें। इन पचायतो को सब प्रकार की ग्रावश्यक सत्ता ग्रौर ग्रधिकार रहेंगे।[4]

पचायत की इस व्यवस्था के पीछे भारतीय ग्राम्य समाज की प्रकृति के ग्रनुरूप न्यायप्रणाली विकसित करने का लक्ष्य रहा है। गाव के लोगों को ग्राम स्तर पर ही शीघ्र, सस्ता एव सरल न्याय मिले, यह गाधीजी का मूल उद्देश्य था।

गाधीजी ने परम्परागत न्यायालय के स्थान पर जिस प्रकार के पचायती न्याय की बात कही, उसकी मुख्य विशेषताग्रो को हम इस रूप मे गिना सकते है —

(1) इसका कार्यक्षेत्र ग्राम स्तर पर होता है।
(2) इसमे पच गाव के लोग ही होते है जिन्हें गाव की एव विवाद की पूरी जानकारी होती है।
(3) न्याय-कार्य खेल रूप म होता है।
(4) इसमे स्वशासन की भावना होती है।
(5) इसमे दबाव का स्थान नही होता है।

लोकग्रदालत-स्थापना की परिस्थिति

गाधीजी ने ग्रामसेवक को निस्वार्थ होकर ग्रामसेवा कार्य करने की बात कही थी। इस प्रकार की निस्वार्थ सेवा से ही ग्राम स्वराज्य की स्थापना होगी ग्रौर सच्चा स्वराज्य प्राप्त हो सकेगा यह उनकी दृढ धारणा थी। वे कहते थे कि ग्रामसेवक गाव के ऊपर बोझ बनने के बजाय मेहनत की कमाई खायेगा ग्रौर स्वय को ग्रादर्श के रूप मे प्रस्तुत करेगा। उसका प्रभाव ग्राम समाज पर पडेगा। गाव के लोग उसकी क्रियाग्रो से प्रेरणा लेंगे। इस प्रकार सच्चा ग्रामसेवक गाव को ग्रादर्श बनने के लिये प्रेरणा देगा।[5]

भारत मे ग्रनेक लोगो ने गाधीजी द्वारा बताये गये रास्ते पर ग्राम पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया था। इसी प्रकार का एक कार्यक्रम 1949 मे रगपुर (बडोदा) मे चालू हुग्रा। उस समय इस क्षेत्र का सामाजिक, ग्रार्थिक एव राजनीतिक जीवन ग्रत्यत पिछडा हुग्रा था।[6] ग्रादिवासी क्षेत्र होने के

कारण आर्थिक पिछड़ेपन के साथ-साथ सामाजिक असमानता की जड़ें भी काफी गहरी थी। जीवन के सभी क्षेत्रों में शोषण विद्यमान था। इस परिस्थिति में मुक्ति का प्रयास भी इस आश्रम के सूत्रधार एवं प्रणेता श्री हरिवल्लभ परीख ने प्रारम्भ किया और शोषण मुक्ति को अपने कार्य का प्रमुख अंग बनाया। महाजन, जंगल के कर्मचारी, पुलिस एवं बड़े किसानों द्वारा शोषण की परिस्थितियों ने इस क्षेत्र के आदिवासियों को सरकारी न्यायालय में जाने को मजबूर कर रखा था एवं आदिवासी समाज के पारिवारिक एवं विवाह संबंधी विवाद भी न्यायालय में जाने लग गये थे। न्यायालय की ओट ने न्याय जीवन को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त विषम एवं कष्टमय बना दिया था और इस स्थिति से मुक्ति के लिए आवश्यक था कि सभी प्रकार के विवादों के स्थानीय स्तर पर निपटारे का कोई न कोई सस्ता और सरल रास्ता निकाला जाय और क्षेत्र के लोगों को गैर आदिवासी शोषक वर्ग से मुक्ति दिलाई जाए। इस क्षेत्र में यह आम धारणा थी कि आवागमन की सुविधा एवं बाहरी तड़क भड़क से दूर इस क्षेत्र में बाहर का हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ साधन के लिए आता है यथा, महाजन व्यापार के लिए, ठेकेदार जंगल उजाड़ने के लिए, सवर्ण किसान जमीन लेने के लिए, सरकारी कर्मचारी पैसा कमाने के लिए और पुलिस विवादों को बढ़ाने के लिए। इस स्थिति को सुधारने में श्री परीख को काफी परिश्रम करना पड़ा।

आनन्द निकेतन आश्रम, रंगपुर एक सार्वजनिक सेवा संस्था है जो इस क्षेत्र में सेवा-कार्य में संलग्न है। बड़ौदा से 120 कि०मी० दूर और आवागमन की सुविधा की कमी के कारण यह क्षेत्र एक समय अत्यन्त पिछड़ा हुआ था। यहां की परिस्थिति को देखते हुए आश्रम ने नीचे लिखे कार्यों को प्राथमिकता दी —

(1) लोकअदालत—इसके माध्यम से विवादों को सुलझाने, गलत मान्यताओं को समाप्त करने एवं ग्रामस्वराज्य की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का प्रयास किया जाता है।

(2) कृषि विकास—इसमें सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के साथ-साथ कृषि की नयी पद्धति का शिक्षण भी दिया जाता है।

(3) सहकारी समितियां—इसके द्वारा कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाता है।

(4) प्रौढ़ शिक्षा।

(5) शोषणमुक्ति—बहुसंख्यक गरीब जनसमुदाय को महाजन, बड़े किसान एवं अधिकारियों के शोषण से मुक्त कराने का प्रयास किया जाता है।

(6) समग्र शिक्षा—आनन्द निकेतन आश्रम में जीवन-शाला के नाम से एक प्रवृत्ति चलती है जिसमें इस प्रकार की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सके। यहा मुख्यतः कृषि, कृषि तकनीक, ग्रामीण मशीन आदि का प्रशिक्षण सामान्य शिक्षा के साथ साथ दिया जाता है।

उपरोक्त कार्यक्रमों में लोकअदालत इन सबका केन्द्र बिन्दु रही है। यह एक प्रकार की धुरी है जिसके चारों ओर अन्य कार्यक्रम चलते हैं। लोक अदालत के माध्यम से ही ग्रामों के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम हुआ और साथ ही अन्य कार्यों का भी विकास हुआ।[7] प्रारम्भ (1949) से ही लोकअदालत यहा का प्रमुख कार्यक्रम रहा है और पिछले 27 वर्षों में लोकअदालत में अनेक प्रकार के हजारों विवाद निपटाये गये हैं।

लोकअदालत उद्देश्य एवं परिभाषा

लोकअदालत सरकारी न्यायालय एवं न्याय पंचायत दानों से भिन्न न्यायिक संगठन है। यह भिन्नता ही इसकी विशेषता है।[8] जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसका विकास समस्याओं के समाधान की खोज के प्रयास के क्रम में स्वतः हुआ है। प्रारम्भ में इसकी व्यवस्था, कार्य पद्धति आदि के कोई बने बनाये नियम नहीं थे। आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे व्यवस्था का विकास स्वतः होता गया। यही कारण है कि यहा के नियम अत्यन्त सरल है एवं कागजी कार्यवाही नाममात्र की है। लोकअदालत का स्वाभाविक विकास होने के कारण इसे बंधे बंधाए नियमों की परिभाषा में परिभाषित करना कठिन है। हमारी दृष्टि में लोकअदालत के निम्नलिखित उद्देश्य है

1 गाव के लोगों में स्वशासन की भावना का विकास एवं उसका अभ्यास।

2 समाज के सभी वर्गों के लिये ऐसी न्याय व्यवस्था का निर्माण करना जिससे उन्हें सस्ता तथा जल्दी न्याय मिल सके।

अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये लोकअदालत ने जो स्वरूप विकसित किया है, उसके आधार पर इसकी विशेषताओं की खोज करने का प्रयास किया

गया है। सामान्य तौर पर लोकअदालत की निम्न लिखी विशेषतायें मानी जा सकती हैं

1 इसकी सभी कार्यवाही खुले रूप में होती है। इसीलिए इसे खुली अदालत (open court) भी कहा गया है

2 विकेन्द्रित स्वरूप—यह ग्राम स्तर तक फैला हुआ है। यद्यपि वर्तमान व्यवस्था में अधिकांश विवादों का निपटारा केन्द्रीय लोकअदालत में जो रंगपुर आश्रम में स्थित है किया जाता है फिर भी ग्रामस्तर पर निपटाए जाने वाले विवादों की संख्या नगण्य नहीं है

3 न्याय प्रक्रिया में लोकतान्त्रिकता—सबको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार,

4 निर्णय को स्वेच्छा से स्वीकार करना

5 कानूनी (राज्य का) बन्धन का न होना,

6 शारीरिक दण्ड का न होना,

7 शीघ्र एवं सस्ता न्याय,

8 न्याय प्रक्रिया की सरलता

9 स्वशासन का अभ्यास (विवाद निपटान की प्रक्रिया में पक्षों का समावेश एवं नेतृत्व के विकास का प्रयास),

10 तथ्यों के आधार पर न्याय देने का प्रयास,

11 नये मूल्यों की स्थापना का प्रयास जिसमें सामुदायिकता, नैतिकता, मानवीयता आदि मुख्य हैं।

उपरोक्त बातें कमोबेश लोकअदालत में पायी जाती हैं। लोकअदालत में वकील जैसे मध्यस्थ एजेन्ट की आवश्यकता नहीं होती। वादी प्रतिवादी उपस्थित समुदाय के सामने निर्भीक होकर अपनी अपनी बात कहते हैं और अध्यक्ष एवं अन्य पक्षों के सवालों का जवाब देते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण गाँव के लोग इसे पसन्द करते हैं। इस समय लोकअदालत दो रूपों में चलती है

(क) एक निश्चित स्थान पर (आनन्द निकेतन आश्रम में खुले चबूतरे पर) लोक अदालत की बैठकें होती हैं,

(ख) ग्राम स्तर की लोक अदालत का विस्तार हो, इस दृष्टि से ग्राम स्तर पर उसकी बैठकें होती हैं जिसमें गाव के बालिग लोग उपस्थित रहते है।

प्रस्तुत अध्ययन की उपयोगिता

प्रस्तुत अध्ययन मे लोकअदालत के सगठन एव कार्य-पद्धति का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। लोकअदालत ने परम्परागत न्याय पद्धति को नये परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आमतौर पर न्याय की जो व्यवस्था है, उससे भिन्न यहा की लोकअदालत न्याय के क्षेत्र मे नयी दिशा प्रस्तुत करती है। इसके विविध पक्षो पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। लोकअदालत का यह अध्ययन न्यायव्यवस्था की विविध समस्याओ का समाधान खोजन मे सहायक हो सकता है। इस अध्ययन की उपयोगिता को स्वीकार करत हुए कुछ बातें इस रूप मे कही जा सकती हैं

(क) ग्रामीण भारत की जिस प्रकार की सामाजिक एव आर्थिक परिस्थिति है, उसमे इस प्रकार के प्रयास का अपना महत्त्व है। मुख्य बात यह है कि न्याय शीघ्र उपलब्ध किया जाय एव न्याय प्राप्ति में खच कम हो। प्राय यह दखा जाता है कि न्याय प्राप्ति में वर्षों लग जाते है और विलम्ब के कारण न्याय का महत्त्व एव उपादेयता निरथक हो जाती है। लोकअदालत तात्कालिक एव सस्ते न्याय का माग बताती है। यदि इसकी व्यवस्था एव कार्य-पद्धति के बारे म विस्तृत एव प्रामाणिक जानकारा मिले, तो इसे न्याय क्षेत्र म स्वीकार किया जा सकता है। इसका सबसे अधिक लाभ समाज के उस कमजोर वग को होगा जो आर्थिक परेशानियो एव अज्ञान के कारण न्याय प्राप्त करने मे अपने आपको सदैव विफल एव असहाय महसूस करता है।

न्याय-काय म देरी आज की न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है और न्यायविद् इस खोज मे है कि शीघ्र न्याय के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाये। यह अध्ययन इस खोज मे मददगार हो सकता है।

(ख) न्याय सत्य पर आधारित होता है। सत्य की खोज के उद्देश्य से मौजूदा न्याय व्यवस्था मे अनेक कानून कायदे बने हुए हैं। लेकिन यह पद्धति इतनी पचीदा हो गई है कि इस काम मे वकीलो की मदद

अनिवार्यत आवश्यक हो गयी है। तथ्यो को प्रस्तुत करने एव सत्य की खोज के प्रयास म वकीलो का धन्धा जिस रूप मे फैला है, वह सामान्यजन की पकड के बाहर है। व्यवहार म विवाद के प्रस्तुतीकरण और उस विवाद के सम्बन्ध मे प्रतिवादी का पक्ष प्रस्तुत करने मे वकील ही प्रमुख होता है। न्याय व्यवस्था पेचीदा होने के साथ साथ उसम बन्धाव (closed system) भी है खुलापन नही है। इसके विपरीत लोकअदालत पूर्णत खुली हुई है, 'खुलापन" (openness) इसकी विशेषता है। इसकी खुली न्यायपद्धति (open justice) का विश्लेषण न्याय पद्धति के सम्यक विकास मे योग दे सकता है और उससे सामान्य जन को भी न्याय कार्य म भागीदार बनने का अवसर उपलब्ध हो सकता है। इसके साथ साथ वकील जैसे मध्यस्थ की आवश्यकता भी कम हो सकती है।

(ग) न्याय के विकेन्द्रीकरण के प्रयास में यह अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा। ग्राम या ग्रामसमूह स्तर पर स्वन्याय' (self justice) की व्यवस्था की सफलता मे यह अध्ययन महत्त्व रखता है। न्याय पचायत के सरकारी प्रयास को गति प्रदान करने मे भी लोकअदालत के अनुभव का उपयोग किया जा सकता है।

(घ) अधिकाश गावो मे आज भी पुरानी रूढिया एव अन्धविश्वासो का बोलबाला है और परम्परागत जाति पचायतें इनका पोषण करती है।[9] आवश्यकता इस बात की है कि न्याय प्रक्रिया मे बाधक एसी रूढियो एव अन्धविश्वासो से ग्राम्य समाज को मुक्त कराया जाये। लोक-अदालत अपने काय के माध्यम से लोकशिक्षण का कार्य भी करती है, न्यायकाय के साथ लोकशिक्षण एव समाज परिवर्तन की प्रक्रियाओ को किस प्रकार जोडा जा सकता है, अध्ययन का यह पक्ष प्रगतिशील ग्रामीण व्यवस्था के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

(ङ) प्रस्तुत अध्ययन का एक महत्त्व यह भी है कि लोकअदालत ने न्याय एव दड के सिद्धात एव व्यवहार पक्ष को नई दिशा दी है। शारीरिक दड देकर अपराधी को धृष्ट एव अभ्यस्त अपराधी बनाने के स्थान पर उसके अन्तमन म प्रायश्चित की भावना जागृत करके उसकी अपराध वृत्ति का शमन करना इस न्यायप्रक्रिया का एक प्रमुख अग है। साथ ही लोकअदालत की न्यायप्रक्रिया का दूसरा महत्त्वपूर्ण अग यह भी है कि विवादग्रस्त पक्षो के आपसी तनाव को हमेशा के लिए

समाप्त किये जाने पर विशेष जोर देता है, ताकि पीढी दर पीढी कायम रहने वाला वैमनस्य समाप्त हो और आज के विवादी या दुश्मन आने वाले कल के मित्र एव अच्छे पडौसी बन जायें।

अध्ययन का विषय

प्रस्तुत अध्ययन मे निम्नलिखित विषयो को शामिल किया गया है

1 भौगोलिक परिस्थिति और लोकअदालत पर उसका प्रभाव,
2 सामाजिक सरचना और लोकअदालत के विकास एव सगठन मे उसका याग,
3 लोकअदालत का सगठन और न्याय पद्धति
4 निर्णय की क्रियान्विति,
5 निणय की प्रतिक्रिया
6 लोकअदालत द्वारा किये गये निर्णयों का अध्ययन,
7 कानूनी न्यायव्यवस्था के साथ लोकअदालत का सम्बन्ध और लोकअदालत पर उसका प्रभाव।

इसके अतिरिक्त इस अध्ययन मे लोकअदालत सम्बन्धी अन्य पहलुओ पर भी विचार किया गया है। अध्ययन मे शामिल प्रश्न इस प्रकार हैं

1 लोकअदालत मे और सरकारी न्यायालयों मे जाने वाले विवादो के प्रकार म क्या भिन्नता है ?

2 तुलनात्मक दृष्टि से लोकअदालत और सरकारी न्यायालयो की निणय प्रक्रिया मे किस प्रकार की भिन्नता है ?

3 एसे कौन से तत्व हैं जो लोकअदालत के सफल सचालन मे प्रभावी हैं और इन तत्वो की तुलना सरकारी न्यायालय न्यायपचायत और ग्राम सभा के कार्य म प्रभावी तत्वा से किस सीमा तक की जा सकती है ?

4 इस क्षेत्र के लोगो का लोकअदालत के साथ किस प्रकार का व्यवहार है और वे लोकअदालत की सफलता मे किस सीमा तक मददगार हैं ?

5 लोकअदालत एव सरकारी न्यायालयो के सम्बन्ध किस रूप म विद्यमान हैं ?

6 लोकअदालत मे विवाह और जमीन सम्बन्धी विवादो के अधिक सख्या मे आने का क्या कारण है ? क्या यह स्थिति समाज मे स्त्रियो के स्थान या भूमि व्यवस्था मे कमजोरी के कारण है ?

अध्ययन मे नीचे लिखी प्राक्कल्पनाओ को जाचने का भी प्रयास किया गया है

1 इस क्षेत्र के लोगो की सामाजिक परिस्थितिया, सास्कृतिक वातावरण, आर्थिक विषमता एव प्रचलित पेचीदा तथा महगी न्यायव्यवस्था लोक-अदालत की स्थापना का कारण है ।

2 लोकअदालत की सफलता का कारण नि स्वार्थ और सतत कार्यशील नेतृत्व एव क्षेत्र मे विद्यमान सामाजिक और सास्कृतिक परिस्थितिया रही हैं ।

3 इस क्षेत्र मे भूमि एव विवाह सम्बन्धी विवाद पारस्परिक तनाव के मुख्य कारण रहे है ।

4 सहज, सरल एव सीधी कानूनी प्रक्रिया विवादग्रस्त पक्षो को अधिक प्रभावी ढग से सतोष प्रदान करती हैं ।

5 समझौता भावना लोकअदालत मे प्रस्तुत विवादो के निपटारे का मुख्य अग रही है ।

6 लोकअदालत विवादग्रस्त पक्षो की सामाजिक एव आर्थिक परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए समाधान करती हैं ।

क्षेत्र एव पद्धति

आनन्द निकेतन आश्रम का सघन कार्य क्षेत्र करीब 100 गावो का माना जाता है । इस अध्ययन मे 10 गावो (कुल का दस प्रतिशत) को शामिल किया गया है । इन गावो के अतिरिक्त पाँच ऐसे गावो से भी तथ्या का सग्रह किया गया है जहा के लोग अपने विवादो को सरकारी न्यायालयो मे ले गये हैं । इस प्रकार के पाँच गावो को इस लिये चुना गया है कि लोक-अदालत एव सरकारी न्यायालयो मे जाने वाले मामलो के बीच तुलना की जाय । लोकअदालत से प्रभावित दस गावो से व्यापक रूप म तथ्यो का सग्रह किया गया है जब कि अन्य पाँच गावा से केवल सरकारी न्यायालयो में जाने वाले विवादो की जानकारी ही एकत्र की गयी है ।

इन 10 गावो मे 15 प्रतिशत मतदाताओ से साक्षात्कार किया गया है । इस साक्षात्कार मे ऐसे लोग शामिल है जिनके विवाद लोकअदालत मे

गये है । साक्षात्कारियो मे से 80 साक्षात्कार एसे हैं जिनके विवाद लोकग्रदालत मे गये है । शेप साक्षात्कारिया म निम्न प्रकार के लोग शामिल है—(1) गाव के मुखिया (2) लोक अदालत म जूरी के रूप मे भाग लेने वाले (3) गवाह के रूप मे या पक्ष विपक्ष मे भाग लने वाले और (4) सामान्य जन ।

इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अन्य लोगो से भी साक्षात्कार किया गया है जिनमें मुख्य है गैर आदिवासी नागरिक, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी एव वकील ।

गाव का चुनाव एव उत्तरदाताओ की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति

जिन दस गावो म सर्वेक्षण काय किया गया है और जिन लोगो से साक्षात्कार किया गया है, उनके बारे में सामान्य जानकारी इस प्रकार है

तालिका सख्या–1

सर्वेक्षित ग्राम की प्रकृति

क्रमाक	गाव का नाम	मतदाता सख्या	मतदाता सख्या का 15 प्र श जिनका साक्षात्कार किया गया है ।	गाव की प्रकृति
1	रगपुर	287	43	आदिवासी
2	मोटावाटा	381	57	,,
3	खेरवा	436	65	,
4	जाम्बा	271	40	,
5	गजनावाट	82	12	,
6	कपराईली (रतनपुर)	159	23	मिश्रित
7	गोयावाट	396	59	,
8	मकोडी	637	95	आदिवासी
9	मेखडिया	205	30	,
10	बिजली	137	20	

उपरोक्त गावा के अतिरिक्त क्षत्र के जिन पाच गावा से सरकारी न्यायालय में जाने वाले विवादो के बारे में सक्षिप्त जानकारी प्राप्त की गयी है उनके नाम हैं—(1) खाटियावाट (2) भराई (3) मूडामोर (4) चिपाण और

(5) नलवाट। इनकी आश्रम से दूरी क्रमश 3 2, 4, 2, 5 कि० मी० है। क्षेत्र में किये गय साक्षात्कार को नीचे लिखे वर्गों मे विभाजित किया गया है—

1 सामान्य साक्षात्कार (क) उपरोक्त दस गावा के 15 प्रतिशत मत दाताओं से साक्षात्कार किया गया जिसकी कुल सख्या 435 है।[10]

(ख) उक्त सख्या म से 80 साक्षात्कार ऐसे है जो वादी या प्रतिवादी के रूप मे लोकग्रदालत म गये हैं।

(ग) साक्षात्कारियो मे से 9 से सम्बधित विवाद ऐसे है जो लोक ग्रदालत के निणय के पहले सरकारी न्यायालय मे भी जा चुके थे।

2 अध्ययन क्षेत्र के कुछ विशेष लोगा से भी साक्षात्कार किया गया है जिसे विशेष साक्षात्कार कहा गया है। क्षेत्रीय बाजार (कवाट), कस्बा (छोटा उदयपुर) एव जिला मुख्यालय (बड़ोदा) के महाजन शिक्षक वकील तथा अन्य बुद्धिजीवियो को इस साक्षात्कार मे शामिल किया गया है। रेंडम सेंपल के अनुसार इस साक्षात्कार मे कुल 31 व्यक्तियो को शामिल किया गया है।

3 सरकारी न्यायालय मे जाने वाला से साक्षात्कार—सामान्य साक्षात्कार के अतिरिक्त इसी क्षेत्र के पाच अन्य गावो (ऊपर लिखे) के एसे विवादो से सम्बद्ध लोगो से भी साक्षात्कार किया गया जो सीधे सरकारी न्यायालय म गय थे। इनकी सख्या 23 है। सीधे सरकारी न्यायालय मे जाने वाला से साक्षात्कार से भी कुछ तुलनात्मक तथ्य प्राप्त हुए हैं।

सामान्य (न० 1) और विशेष (न० 2) साक्षात्कारिया की सामाजिक स्थिति इस प्रकार की पायी गयी

8966

तालिका सख्या—2

उत्तरदाताओ का जातिवार विभाजन

क्र०	नाम जाति	सामान्य साक्षात्कार		विशेष साक्षात्कार	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	राठवा	378	86—89	00	00
2	भील	39	8—97	1	3—23
3	नायका	11	2—53	00	00—00
4	हरिजन	3	0—69	00	00—00
5	सवण हिन्दू	4	0—92	27	87—09
6	मुसलमान	00	00—00	1	3—23
7	जाति न बताने वाले	00	00—00	2	6—45
	योग	435	100—00	31	100—00

उम्र की दृष्टि से उपरोक्त उत्तरदाताओ का वर्गीकरण इस प्रकार है

तालिका सख्या—3

उत्तरदाताओ का उम्र के अनुसार वर्गीकरण

क्र०	उम्र समूह (वर्ष मे)	सामान्य साक्षात्कार		विशेष साक्षात्कार	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	20 से 35	152	34 94	4	12—90
2	36 से 50	169	38 85	3	9—68
3	51 स 65	87	20 00	0	00—00
4	66 से 80	9	2 07	0	00—00
5	80 से अधिक	18	4 14	0	00—00
6	उम्र न बताने वाले	00	00 00	24	77—42

उत्तरदाताओ के धन्धे की स्थिति निम्न प्रकार है । इससे इनकी आर्थिक स्थिति का पता लगता है

तालिका सख्या–4

उत्तरदाताओं का धन्धा

क्र०	धन्धा	सामान्य सख्या	साक्षात्कार प्रतिशत	विशेष सख्या	साक्षात्कार प्रतिशत
1	कृषि	389	89—42	1	3—22
2	मजदूरी	31	7—13	0	0—00
3	नौकरी	14	3—22	16	51—62
4	व्यवसाय	00	0—00	10	32—26
5	अन्य	1	0—23	2	6—45
6	उत्तर नहीं देने वाले	00	0—00	2	6—45
	योग	435	100—00	31	100—00

ऊपर की तालिकाओ के अनुसार सामान्य उत्तरदाताओ एव विशेष उत्तर दाताओ के बारे मे कह सकते हैं कि सामान्य उत्तरदाताओ मे आदिवासी मुख्य हैं और उनका मुख्य धन्धा कृषि है। विशेष उत्तरदाताओ मे सवर्ण हिन्दुओ की सख्या अधिक है और उनका मुख्य धन्धा नौकरी एव व्यवसाय है।

जिन 80 वादियो एव प्रतिवादियो से उनके विवादो के बारे मे जानकारी प्राप्त की गयी है, उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार है

तालिका सख्या–5

विवाद से सम्बद्ध उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति

सख्या 80

क्र०	धन्धा	वादी प्रतिवादी	वार्षिक पारिवारिक 100 500	501-1000	आय स्तर (रुपये मे) 1001 1500	1501 माग 2000	
1	खेती	वादी	22	15	00	2	39
		प्रतिवादी	20	11	1	2	34
2	मजदूरी	वादी	5	00	00	0	5
		प्रतिवादी	1	00	00	0	1
3	अन्य	वादी	00	00	00	0	00
		प्रतिवादी	1	00	00	0	1

अध्ययन मे द्वितीयक सामग्री का पर्याप्त उपयोग किया गया है। लोक अदालत कार्यालय मे प्राप्त फाइलो एव अन्य प्रकार के विवरणा का अध्ययन करके विवादा के बारे मे तो व्यापक जानकारी प्राप्त की ही गयी है, साथ ही परम्परागत आदिवासी समाज मे प्रचलित न्यायव्यवस्था सम्बन्धी साहित्य का भी उपयोग किया गया है और इस अध्ययन से सम्बन्धित विषयो के बारे मे प्रकाशित अन्य सामग्री को भी देखा गया है।

लोकअदालत की कार्यपद्धति के बारे म तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से लोकअदालत की बैठको का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया है। अध्ययनदल लोकअदालत की छ बैठका मे उपस्थित रहा है।

अध्ययन की सीमाए एव समस्यायें

प्रस्तुत अध्ययन की कुछ सीमाए है। लोकअदालत जिस क्षेत्र मे चल रही है वह आदिवासी क्षेत्र है। सर्वेक्षण मे प्राप्त तथ्या से इस बात की पुष्टि होती है कि लोकअदालत म आये विवादो मे लगभग सभी आदिवासिया के विवाद हैं। गैर आदिवासी समाज के विवादो की सख्या बहुत कम है। इस प्रकार लोकअदालत का प्रभाव क्षेत्र आदिवासी समाज तक ही सीमित मान सकते है। प्रभाव क्षेत्र की यह सीमा प्रस्तुत अध्ययन की सीमा को भी दर्शाती है। आदिवासी समाज मे जातिगत न्याय की जो परम्परा रही है उसके कारण लोकअदालत को अनुकूल वातावरण मिला है। इसमे जातिगत न्याय की परम्परा एव स्वय के अनुभवा के आधार पर विकसित न्याय-पद्धति दोनो का समन्वय पाया जाता है। अत लोकअदालत के अध्ययन मे परम्परागत न्याय व्यवस्था के सदर्भ मे लोकअदालत द्वारा प्रयुक्त न्यायप्रणाली अन्य क्षेत्रो मे लागू करने की दृष्टि से सीमारेखा की समस्या भी आती है। दोनो के पारस्परिक समन्वयात्मक स्वरूप को देखते हुए इसे अन्य क्षेत्रो मे लागू करने की दृष्टि से प्रयोग की कमी खटकती है। यह हमारे अध्ययन की भी एक सीमा हो जाती है कि हम लोकअदालत के विस्तार के बारे मे इस दृष्टि से प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत नही कर पा रहे हैं। लोकअदालत राज्य द्वारा बने कानून की सीमा म नही आती है। इसके निणय प्रचलित कानून के अन्तगत नही दिये जाते। अत कानूनसम्मत न्याय एव उसके निणय के साथ इसकी तुलना की समस्या भी आती है। लोकअदालत द्वारा दिये गये निणय दोनो पक्षो और ग्रामीण जनसमुदाय द्वारा तो मान्य होते हैं, परन्तु राज्य के कानून के साथ उनका सम्बन्ध न होने के कारण सरकारी न्यायालयो म लोकअदालत के निणयो का महत्त्व नहीं होता।

लोकअदालत जिस क्षेत्र में चलती है, वह सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछडा हुआ है। यहा शिक्षा का प्रसार नाममात्र का है। इस प्रकार की समाजव्यवस्था मे साक्षात्कार अत्यन्त कठिन कार्य हो जाता है। सभी प्रश्नो को समझाने एव उत्तर प्राप्त करने मे कठिनाई तो होती ही है इसके साथ साथ सही उत्तर प्राप्त करना भी एक समस्या है।

लोकअदालत मे आये कई वर्ष पुराने विवादो की जानकारी प्राप्त करने मे भी कठिनाई हुई। लोकअदालत के कार्यालय में लिखित रूप में विवादो के बारे मे अत्यन्त सीमित जानकारी प्राप्त हो सकी है। प्रारम्भ मे तो विवादो का विवरण रखा ही नहीं जाता था। बाद मे 1960 से विवादो का न्यूनाधिक विवरण रखा जाने लगा है। फिर भी जो विवरण प्राप्त हुए हैं, उन्हें पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इसकी पूर्ति हमने एक सीमा तक साक्षात्कार से करने का प्रयास किया है।

सदभ

1 देखें अध्याय तीन।

2 देखें श्री नागेश्वर प्रसाद 'डा सेन्ट्रालाइजशन इन यूगोस्लाविया एण्ड इण्डिया।

3 दखें गाधीजी हरिजन सेवक 1 6 1947।

4 गाधीजी 'हरिजन सेवक 28 7 1946।

5 दखें गाधीजी हमारे गावा का पुनर्निमाण नवजीवन प्रकाशन मदिर अहमदाबाद।

6 देखें अध्याय दो एव तीन।

7 देखें 'स्वप्न हुए साकार सोसाइटी फार डेवलपिंग ग्रामदान नई दिल्ली।

8 तुलना के लिये देखें अध्याय दस।

9 देखें अध्याय तीन।

10 15 प्रतिशत के अनुसार यह सख्या 444 होनी है। कतिपय कारणा स 9 फार्मों को अस्वीकार करना पडा है।

2

भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति

भौगोलिक पर्यावरण

बडोदा गुजरात का ऐसा जिला है जिसमे विविध जाति एव धर्म के लोग रहते है। यहा की भौगोलिक, सामाजिक एव आर्थिक परिस्थिति म भी विविधता है। एक ओर बडोदा शहर है जिसके आस पास औद्योगिक प्रतिष्ठानो का बाहुल्य है तो दूसरी ओर ऐसे क्षत्र भी हैं जहा विकास की किरणें अभी तक बिल्कुल नही पहुच सकी है। भौगोलिक एव भूमि सरचना की दष्टि से देखें तो एक ओर समतल और उपजाऊ जमीन है तो दूसरी ओर घनघोर जगल एव ऐसी पथरीली जमीन है जहा कठिन परिश्रम के बाद भी नाम मात्र का ही उत्पादन हो पाता है। सामाजिक सरचना की दृष्टि से देखे तो यहा हिन्दू, मुसलमान तथा अ य धर्मावलम्बियो के साथ साथ आदिवासियो की सख्या भी पर्याप्त है। छोटा उदयपुर एव नसवाडी आदि ऐसे क्षेत्र भी है जहा पचास प्रतिशत से अधिक सख्या आदिवासियो की ही है। जिले की पूर्वी सीमा मध्यप्रदेश से जुडी हुई है। उत्तरी सीमा पचमहाल जिल से लगी हुई है। उत्तर पश्चिम मे खेडा जिला है। जिल की दक्षिणी सीमा भडौच जिले से मिलती है। माही नदी बडौदा जिले को खेडा से अलग करती है, तो नर्मदा भडौच से। औद्योगिक दष्टि से यह गुजरात राज्य मे सबमे विक सित जिलो म से है। भौगोलिक एव भूमि सरचना की दष्टि से इस जिले को मुख्यत दो भागो मे विभाजित कर सकते है—(1) समतल मदानी क्षत्र, जहा शहरीकरण एव औद्योगिक प्रतिष्ठानों का पूरा विकास हुआ है। यह क्षत्र बडोदा शहर के आस पास और खेडा से मिलने वाला सीमा पर है। (2) ऐसा क्षत्र जहा आदिवासियो का बाहुल्य है और जहा कुछ दशक पूव घनघोर जगल था। यह क्षेत्र मध्यप्रदेश पचमहाल एव भडौच जिल की सीमा से मिलता है।

बड़ौदा जिले की मिट्टी की मुख्य दो किस्में है। कुछ क्षेत्रों में बलुई दोमट मिट्टी है तो कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी। पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र में काली मिट्टी का बाहुल्य है। छोटा उदयपुर एवं नसवाड़ी में काली एवं बलुई दोमट दोनों प्रकार की मिट्टी है। इस क्षेत्र में प्राय सभी किस्म की फसलें उगायी जाती है। काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास प्रमुख व्यापारिक फसल (cash crop) है। यहा वर्षा अच्छी होती है। परन्तु अब धीरे धीरे जगल कटने के कारण वर्षा की कमी महसूस की जाने लगी है। जिले की कुल जनसंख्या का 23 89 प्रतिशत भाग आदिवासियों का है। आदिवासियों का घनत्व जिले के छोटा उदयपुर एवं नसवाडी क्षेत्र में अधिक है।[1]

बड़ौदा जिले के विभिन्न ताल्लुकों में आदिवासी आबादी की संख्या एवं कुल आबादी का प्रतिशत इस प्रकार है

सारणी संख्या — 6

बड़ौदा जिले के विभिन्न ताल्लुकों में आदिवासी

क्र०	ताल्लुका	आदिवासी आबादी संख्या	कुल आबादी में प्रतिशत
1	छोटा उदयपुर	83,247	57 35
2	जबुगाव	46 543	41 07
3	नसवाडी	38 992	68 46
4	सखेडा	36 642	31 71
5	डभोई	26 975	47 34

ऊपर की सारणी में केवल पांच ताल्लुकों में निवास करने वाले आदिवासियों की संख्या ही दी गई है क्योंकि उपरोक्त ताल्लुकों में ही आदिवासियों की संख्या अधिक है। वस जिले के अन्य क्षेत्रों में भी कमोवेश आदिवासी आबादी है। एक समय था जबकि यह क्षेत्र आवागमन एवं अन्य सुविधाओं की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था लेकिन जगल कटने एवं अन्य सुविधाओं के बढ़ने के साथ साथ यहा के लोगों का जीवन भी बदला है। आदिवासी-प्रधान इस क्षेत्र में आदिवासियों की कुल 18 जातियां है। बडौदा जिले की इन आदिवासी जातियों की ग्रामीण एवं शहरी आबादी की जानकारी सारणी 7 में मिलेगी—

सारणी संख्या—7

बडौदा जिले की आदिवासी जातिया एव उनकी आबादी[3]

क्र०	जाति	ग्रामीण आबादी	शहरी आबादी	कुल
1	भील	1 13,890	4,946	1,18 836
2	बरडा	4	—	4
3	बावचा	26	857	883
4	चौधरी	3	28	31
5	धानका	59 657	4 601	64 258
6	धोडिया	79	89	168
7	दुबला	20 144	717	20 861
8	गामीत	1	46	47
9	गाड	—	12	12
10	कावण	3	35	38
11	ढोर कोली	64	81	145
12	नायका	10 466	245	10 711
13	पारधी	—	1	1
14	पटेलिया	25	16	41
15	पोमला	8	39	47
16	राठवा	1,06,289	13	1 06 302
17	विटोलिया	40	2	42
18	अन्य	5 565	—	5,565
	कुल योग	3 16 264	11 728	3 27 992

उपरोक्त सारणी के अनुसार कुछ आदिवासी जातियो की आबादी नाम मात्र की है। सख्या की दृष्टि से भील, धानका, दुबला नायका राठवा आदिवासियो की सख्या अधिक है।

आदिवासी परिभाषा एव प्रजाति

देश की कुल आबादी का करीब 7 प्रतिशत भाग आदिवासियो का है। सामान्य बोल चाल की भाषा मे सुदूर जगल मे रहने वाली जातियो को आदिवासी कहा जाता है। लेकिन यह आवश्यक नही कि जगलो म रहने

वाली सभी जातिया को आदिवासी कह । शाब्दिक दृष्टि देखें तो आदिकाल से रहने वाली जातियों को आदिवासी कह सकते हैं। आदिवासी किसे कहा जाय या आदिवासिया की क्या परिभाषा की जाय, इस पर विद्वानो मे मतैक्य नही है। श्री एल एम श्रीका त के अनुसार आदिवासी समाज को समय समय पर विविध नामो से सम्बोधित किया जाता रहा है। जसे—अरण्यक, वनवासी, व य जाति रानीपरज, आदिवासी आदि। इ ह किसी सर्वमा य परिभाषा मे बाधना कठिन है। फिर भी श्री ह टर की परिभाषा के अनुसार आदिवासी वग एक सुसगठित सामाजिक सरचना मे समुदाय के रूप मे ऐसा समुदाय है जो एक खास प्रकार के भौगोलिक पर्यावरण मे रहता है।[4] समाज शास्त्री श्री गिलिन ने अपनी रचना 'कल्चरल ए थ्रोपोलाजी' मे जन जाति की परिभाषा इस रूप म की है—'स्थानीय जनजातीय समूहो का ऐसा समवाय जनजाति कहा जाता है जो एक सामा य क्षेत्र म निवास करता है, एक सामा य भाषा का प्रयोग करता है तथा जिसकी एक सामा य सस्कृति है।" इस प्रकार विभि न विद्वानो ने अलग अलग परिभाषायें दी हैं। परिभाषाओ की विविधता को देखते हुए आदिवासी समुदाय के प्रमुख लक्षणो से इनकी विशेषता को आकना अधिक उपयोगी होगा। प्रो ए आर देसाई ने कुछ ऐसे लक्षण गिनाये हैं जो प्राय सभी आदिवासियो मे पाये जाते रहे है। ये सामा य लक्षण इस प्रकार हैं।[5]

(1) वे सभ्य जगत से दूर पवतो तथा जगलो म दुर्गम स्थानो म निवास करते हैं।

(2) वे निग्रिटोज, आस्ट्रोलाइड अथवा मगोलाइड मे एक प्रजातीय समूह से सम्ब धित हैं।

(3) वे जनजातीय भाषा का प्रयोग करते है।

(4) वे आदिम धर्म को मानते है जो कि सर्वजीववाद के सिद्धा त का प्रतिपादन करता है और जिसमे भूतो तथा आत्माओ की पूजा का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

(5) वे जनजातीय व्यवस्था का अपनाते है, जैसे उपयोगी प्राकृतिक वस्तुओ का सग्रह शिकार, वन मे उत्प न वस्तुओ का सग्रह करना आदि।

(6) वे अधिकाशतया मासाहारी हैं।

(7) उनकी खानाबदोशी आदतें हैं तथा मदिरा एव नत्य के प्रति उनकी विशेष रुचि है।

(8) आदिवासी महिलायें विवाह, तलाक आदि मामलो मे अधिक सुदृढ स्थिति मे है ।

प्रो देसाई के अनुसार जनजातीय जनसख्या के केवल 1/5 भाग में ही अब उपरोक्त लक्षण पाये जाते है । इससे स्पष्ट है कि अब आदिवासी समाज धीरे-धीरे अपनी मूल सस्कृति को छोडता या कम करता जा रहा है और दूसरी सस्कृति के रीति रिवाज, परम्परायें एव जीवन पद्धति को स्वीकार करता जा रहा है।

भारत के मध्य भाग के आदिवासियो म आस्ट्रोलाइड जाति तत्व हैं। काफी गाढे रग की शरीर की चमडी छोटा कद, लम्बा सिर और काफी चिपटी नाक—ये उनके विशिष्ट लक्षण है । उनके चेहरे और शरीर पर बहुत बाल नही होते हैं । गुजरात के आदिवासी मध्य भारतीय भाग के आदिवासियो मे आते हैं और उनमे विशेषतया आस्ट्रोलाइड जाति तत्व हैं । लेकिन धीरे धीरे आदिवासी जातिया भी शेष जातियो के साथ थोडे बहुत सम्पर्क मे आ रही है इसलिये यह जाति तत्व भी मूल स्वरूप म अब देखने को मिलें, यह सम्भव नही है ।

गुजरात की आदिवासी जातिया पहले कहा से आयी, इसकी खोज करने स ऐसा मालूम होता है कि वे उत्तर से, पूर्व से और दक्षिण से आयी है । उनकी भाषा नाम और रीति रिवाजो के अध्ययन मे ज्ञात हुआ है कि ये जातिया अलग अलग समय पर अलग अलग कारणो से गुजरात म आकर बस गयी । बाद मे उत्तर से आये हुए गुजर, राजपूत, ब्राह्मण कोली आदि ने उन्ह मैदानो से पूर्व सीमा पर स्थित जगलो और पहाडी प्रदेशो म भगा दिया था । इस तरह अपने मूल स्थान को छोडकर उन्हे जगल और पहाडो म घुस जाना पडा और बाहर की दुनिया स उनका सम्पर्क प्राय समाप्त हो गया । सभ्य ससार से अलग पड जाने के कारण ही उनका जो स्वाभाविक विकास होना चाहिये था, वह नही हुआ । परिणामस्वरूप वे गरीबी और अज्ञानता के चगुल में फस गये । इनकी बोलिया गुजराती भाषा मे अलग हैं फिर भी जहा जहा वे गुजराती भाषा भाषियो के सम्पर्क म आये, वहा उन पर वहा की भाषा का असर साफ नजर आता है ।

गुजरात की आदिवासी जातियो को भौगोलिक दृष्टि से मुख्यतया तीन भागो मे बांटा जा सकता है

1 उत्तर गुजरात के भील तथा उनकी उपजातिया, जिनका राजस्थान के भीलो के साथ निकट का सम्पर्क है ।

2 पचमहाल, बडोदा और भरोंच जिले के भील—राठवा धानका, पटेलिया

तथा नायका जिनका मध्यप्रदेश की आदिवासी जातियो के साथ निकट का सम्पर्क है।

3 दक्षिण गुजरात के आदिवासी जिनमे मुख्यतया धोडिया पोधरी, ग्रामीत, कोकणा दुबला, भील नायका, वारली, कोटवालिया, ढोर, कोली वगरह आते है और उनका महाराष्ट्र की आदिवासी जातियो के साथ निकट का सम्पर्क है।[6]

गुजरात म बसन वाली विविध आदिवासी जातियो के सामाजिक, आर्थिक एव राजनीतिक सगठन म विभिन्नता देखी जा सकती है। यह भिन्नता काफी सूक्ष्म स्तर की है। ऊपरी दृष्टि से देखने पर विभिन्न आदिवासी जातियो की सामाजिक आर्थिक एव राजनीतिक व्यवस्था, रीति रिवाज तथा परम्परा मे काफी हद तक साम्य देखा जा सकता है। यहा के आदिवासियो मे समान तत्व का खोज करन पर अनक विशेषतायें देखने मे आती हैं जो कि कमावेश प्राय सभी आदिवासी जातिया म पायी जाती हैं। य समान तत्व इस प्रकार है

1 एक ही स्थान पर गोट बस्ती निश्चित करके बसने के वजाय वे खेतो मे अलग अलग घर बनाकर रहन है। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो बिलकुल अलग बसने के वजाय दस पन्द्रह घरो का टोला बनाकर एक साथ रहते हैं। लेकिन इन टोलो म भी इतनी दूरी होती है कि जिससे उनके गाव का विस्तार काफी बडा हो जाता है। आदिवासी गाव प्राय तीन चार मील के विस्तार म फैला हुआ होता है।

2 वे घर स्वय ही अथवा बहुत हुआ तो कुटुम्बियो की सहायता लेकर स्थानिक साधना से बना लेते है और इस तरह के घर बाधते हैं कि उसके बनान म एक दो दिन से अधिक समय नही लगता। मृत्यु के कारण अथवा अ य वहमा के कारण पुरान घर को तोडकर नया बनाने मे देर नही लगती। एस घर बनाये जात हैं, जिन पर उन्हे कुछ नकद खर्च या तो करना ही नही पडता अथवा करना पडता है ता बहुत कम।

3 आहार मे मात्र अनाज पर निर्भर नही करते बल्कि शिकार से प्राप्त पक्षी या जगली जानवर, जगल से इकटठा किया हुआ आहार, नदी या तालाब से पकडी मछलिया घर के आगन मे पाले हुए मुर्गे बत्तख आदि का उपयोग करते है। मासाहार का निषेध नहीं है। खेती काम होने के कारण मात्र खेती पर आश्रित रहना उनके लिये संभव भी नही। खेती

Scheme of ... to voluntary ...

साथ साथ जगल पर उनकी निभरता अभी बनी हुई हैं।

4 वस्त्र जहा तक हो, कम उपयोग मे लेते हैं। स्त्री-पुरुष दानो सिफ गुप्ताग ढकने की दृष्टि से ही आवश्यक पोशाक पहनते हैं।

5 व्यसनो को दृष्टि से जरूरी शराब व शराबबदी से पहले, अपने आप महुए से बना लेते थे। वे तम्बाकू बाडे मे उगा लेते हैं। इसलिये उस पर भी नकद खच कम होता है। जरूरी सब्जी भी वे बाडे मे पैदा कर लेते हैं। इनके अलावा उनकी दूसरी जरूरतें बहुत कम हैं। दवा का उपयोग वे बहुत कम करते हैं इस सम्बध मे वे ओझा, भगत पर विशेष झुकाव रखते है, इसलिये इसम उन्हे कम खच होता है।

इस तरह उनका जीवन बहुत कम जरूरतों पर और इनम से अधिकतर स्वय स्थानीय आधार पर पूरी कर लेने के नियम पर अवलम्बित है।

6 सामाजिक व्यवहार मे काफी लोचनीयता देखने को मिलती है, फिर भी जो व्यवहार तय है, उनका चुस्ती से पालन होता है। वर को खुद पसन्द करने की छूट, तलाक, पुर्नविवाह की छूट, सामथ्य न हो तब मात्र सगाई करके ही विधिपूवक शादी किये बिना गृहस्थी आरम्भ करने की छूट अथवा घर-जवाई रहने की छूट इत्यादि के कारण उनके सामाजिक जीवन में बहुत कम घुटन मालूम होती है तथा स्त्री और पुरुप में समानता की भूमिका पर सम्बघ बनते हैं।

सामाजिक सम्बधो के कारण स्त्री को पुरुप के दबाव मे नही रहना पडता, ऐसा होते हुए भी उसम स्वच्छदता के लिये स्थान नही है। जाति के कानूनो को जो भी भग करता है उसे जाति पच के समक्ष हाजिर होना पडता है और उसका फैसला मानना पडता है। पटेल, कारभारी और पच मिलकर बने हुए जाति पच तथा एक स अधिक गावो के लिए चोरा पच सब जातियो म देखन को मिलते हैं। ये पच उनके सब सामाजिक व्यवहारो का चुस्ती से नियमन करत हैं।

7 सब सामाजिक प्रसग अत्यन्त सादगी से मनाय जाते हैं और इन्ह मनाने म नृत्य को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है।

8 व किसी भी रूढ धम का पालन न करके अगम्य शक्तियो म आस्था रखते है और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। इसमे भी सरलता और सादगी दिखाई देती है। वे खास करके अपने पूवजो की आत्मा को सन्तुष्ट रखने की सबस अधिक चिन्ता रखत है।

9 अगम्य शक्तियों म विश्वास के कारण और जीवन सम्बधी कोई बोधगम्य दशन नही अपनाया जाने के कारण उनका जीवन वहम और अधश्रद्धाओ से

भरा होता है। इसलिए ओझा और सयाने का सब जातियो मे आदर होता है।

10 वे माल की खरीद बिक्री के लिये हाट प्रथा पर आधारित रहते है।

11 बालक का नामकरण पशु पक्षी वृक्ष या दिन के आधार पर करते हैं।

12 उनकी स्वतन्त्र बोली है परन्तु लिपि नही है।

13 अलग अलग धन्धो का विकास नही हो सका। शिक्षा का भी पर्याप्त विकास नही हुआ। खेती, जगल और मजदूरी इन तीन पर उनका आर्थिक जीवन निभर रहता है। जगल का काम कम हुआ है और जगल सम्बन्धी कानूनो के कडे बनने से उस काम म पहले जैसी सुविधा अब नही रही। खेती के लिए पर्याप्त जमीन नही मिलती इसलिए अधिकाश को मजदूरी पर निभर रहना पडता है।

गुजरात की सब आदिवासी जातिया मे उक्त तत्व विद्यमान है। सम्पक की वजह से एक जाति दूसरी जाति की अपेक्षा किसी बात मे आगे बढ गयी हो, ऐसा सभव है। बाह्य सम्पक के कारण इनमे परिवतन आ रहा है। फिर भी उपयुक्त तत्व समावेश सभी जातियो मे पाये जात हैं।'

आदिवासी—आर्थिक परिस्थिति

आदिवासी समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि गैर-आदिवासी समाज द्वारा उनका भरपूर शोषण किया जाता है तथा अज्ञान, अशिक्षा, रूढिग्रस्तता, अन्धविश्वास आदि ऐसे कारण हैं जिनसे उनका जीवन कष्टमय बना हुआ है। एक समय था जबकि वे जगलो मे स्वच्छन्द रूप म रहते थे और उनका जगलो पर एक प्रकार से एकाधिकार था। इससे उनका आर्थिक जीवन सहज रूप मे चलता रहता था। बाद मे जगलो के कटने, नय कानून बनने महाजन एव सरकारी कमचारियो क प्रवेश और ठकेदारो के हस्तक्षेप आदि के कारण उनकी आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर दयनीय होती गयी। आज की परिस्थिति मे सामान्य आदिवासी का आर्थिक जीवन काफी कष्टमय हो गया है। आदिवासी समाज का एक हिस्सा अवश्य समृद्ध हुआ है लेकिन वह दूसरे आदिवासियो का शोषक भी बन गया है। ऐसे आदिवासियो की जो शिक्षित हो गये हैं और जिनका सम्पक बाहरी समाज से हो गया है एव जिन्होने परम्परागत धन्धा के साथ साथ या तो नये धन्धे अपना लिये है या आय के अन्य स्रोत खोज लिये हैं आर्थिक स्थिति सुधर गयी है। सामाजिक क्षेत्र मे भी रूढि एव अन्धविश्वासो के कारण उनका जीवन दुखदायी हो जाता है। राजनीतिक चेतना के नाम पर उनके

मतो का स्वार्थपूण उपयोग करने की परम्परा बन गयी है ।

परम्परागत आर्थिक परिस्थिति के अनुसार आदिवासी समाज को कई श्रेणियो म विभाजित किया गया है। डा हट्टन ने भारतीय जनजातियो को तीन समूहो मे विभाजित किया है (1) वे जनजातिया जो वनो से खाद्य सामग्री एकत्रित करती है (2) वे जनजातिया जो चारागाही व्यवस्था म हैं (3) वे जनजातिया जो कृषि काय शिकार मछली मारना तथा उद्योगा पर जीवन यापन करती है।[8]

गुजरात का आदिवासी समुदाय मुख्यत कृषि और मजदूरी पर निभर रहता है। य लोग प्राय एक स्थान पर रह कर खेती करते हैं। आज की परिस्थिति म स्थानान्तरित खेती सभव भी नही है। एक समय था जब जगली चीजो से इनको अच्छी आय होती थी और जगलो की जमीन पर उनका अधिकार था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के दिनो मे लगान वद्धि के कारण आदिवासियो की जमीन सीमित होने लगी और उनक स्थान पर गर-आदिवासियो न जगल की जमीन खरीदनी प्रारभ करदी। जगल के क्षेत्र म गर आदिवासिया का प्रवेश हुआ तो इसका प्रभाव आदिवासिया के जीवन पर भी पडा। एक तरफ आदिवासियो की जमीन छिनने लगी और दूसरी तरफ गर-आदिवासियो के द्वारा शोषण के विविध तरीके सामने आने लगे। जिन क्षेत्रो म आदिवासियो की जमीन की सुरक्षा कानून द्वारा नही की गयी थी वहा क आदिवासियो के हाथ स जमीन निकलती गयी। आदिवासी किसान के स्थान पर भूमिहीन श्रमिक की श्रेणी मे आने लगे। जगली फल लकडी और पशु आदिवासियो की जीविका के आधार थे लेकिन राज्य की आर से जगलो को सुरक्षित करन के कानूना के लागू होन के बाद वे इनसे भी वचित होने लगे। आजादी के बाद भी आदिवासिया द्वारा जगल का उपयोग किय जाने का अधिकार काफी सीमित किया गया है और अब वे जगलो स वे लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो पहले प्राप्त करते थे।[9] जगलो की सुरक्षा के साथ-साथ जगल के कर्मचारियो की सख्या म भी वद्धि हुई। इस प्रकार हम दखते हैं कि गैर आदिवासिया का जगलो में आकर बसना, जगल की सुरक्षा के कानून सरकारी कमचारी महाजन एव ठेकेदारा का उनक आर्थिक जीवन में हस्तक्षप आदि ऐसे कारण हैं जिनसे उनका आर्थिक जीवन पहले स अधिक कष्टप्रद हो गया।

यह आम धारणा है और यह सही भी है कि आदिवासी समाज अपने अस्तित्व को बनाय रखन के लिये कज लता है। यह बात इस क्षत्र के आदिवासियों पर भी लागू होती है। य पीढी दर पीढी कज के शिकार रहते

है। कठिन आर्थिक परिस्थितियों में कर्ज ही इनका एक मात्र सहारा रहता है। यद्यपि इनकी आवश्यकतायें अत्यन्त सीमित हैं और उनमें से अधिकांश को ये स्वयं के श्रम से ही पूरा करते हैं फिर भी ये कर्ज में डूबे रहते हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि इनका आर्थिक स्तर काफी गिरा हुआ है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से आदिवासियों के कर्ज के बारे में जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें कहा गया है कि गुजरात में 66.7 प्रतिशत आदिवासी परिवार परम्परागत ढंग से कर्ज में डूबे हुए हैं। औसत प्रति परिवार कर्ज का भार 355) रुपये पाया गया। ये लोग कर्ज का बड़ा भाग महाजनों से बहुत ऊंची ब्याज की दर पर प्राप्त करते हैं। सहकारी समितियों एवं अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कर्ज की सुविधा प्रदान करने के बावजूद 63 प्रतिशत कर्ज महाजनों से लिया जाता पाया गया।[10] आमतौर पर फसल बोने के समय और उसके पहले इन्हें कर्ज की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक संस्कार के अवसर पर भी बड़ी मात्रा में कर्ज लिया जाता है। फसल खराब होने पर कर्ज का भार बढ़ जाता है। ये लोग जो कुछ पैदा करते हैं या जंगल से प्राप्त करते हैं उसे सस्ती कीमत पर बेचना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर वे ही वस्तुयें अधिक कीमत पर खरीदनी होती है। यह भी देखा गया है कि कर्ज की स्थिति में आदिवासी की पूरी की पूरी फसल कर्ज के भुगतान में चली जाती है। आदिवासियों की जमीन की खरीद-बिक्री पर प्रतिबन्ध लगने के बाद कर्ज में जमीन छूटना कम हुआ है, परन्तु अन्य रास्ते निकले हैं। आदिवासियों में कर्ज की जो स्थिति है उसमें शोषण के अनेक रूप छिपे हैं जिनका उल्लेख करना यहां सम्भव नहीं है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों में कर्जदारी इनके जीवन का अनिवार्य अंग बन गयी है। फलतः महाजन, दुकानदार और बड़े किसानों से अमानुषिक शर्तों पर ये लोग कर्ज प्राप्त करते हैं और शोषण के शिकार होते हैं। इस परिस्थिति को समाप्त करने के लिये सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। लोकअदालत के माध्यम से भी इस क्षेत्र में कर्ज से सम्बन्धित विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ कर्ज लेन-देन में होने वाले शोषण को अंश कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। यह भी एक तथ्य है कि आदिवासी समाज श्रमिक बंधक (bonded labour) के रूप में काम करता है लेकिन अब श्रमिक बंधक बनने की स्थिति नये कानून के प्रचलन के कारण समाप्त होने की आशा बंधी है। जमीन की बिक्री पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद उसकी जमीन का उपयोग महाजन या किसान करता पाया जाता है।[11]

सर्वेक्षित क्षेत्र छोटा उदयपुर, एव नसवाडी ताल्लुको म आदिवासियो का बाहुल्य है। जैसा कि कहा जा चुका है, कुल आबादी का आधे से अधिक भाग आदिवासियो का है। शेष मे सवण हि दू जातिया, हरिजन, मुसलमान तथा अ य धर्मों के लोग है। आमतौर पर यह देखन मे आया है कि गैर आदिवासी सवर्ण जातिया बाजारो मे ज्यादा है, और कई गाव ऐसे भी हैं जहा सवर्ण हि दू जातियो का बाहुल्य है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि ये लोग प्रारम्भ मे जमीन प्राप्त करने के लोभ मे जगल की ओर बढे, लेकिन बाद मे वही बस गये। आदिवासियो से इ है कई प्रकार का लाभ मिला और वह लाभ आज भी मिल रहा है जैसे सस्ती जमीन, सस्ता श्रम, शोषण की सुविधा आदि। सुरक्षित क्षेत्र होते हुए भी इस क्षेत्र की राजनीति पर गर आदिवासियो का प्रभाव देखा जा सकता है। दूरस्थ गावा मे आदिवासियो के बीच गिने चुने परिवार गैर आदिवासियो के भी मिलेंगे। ये गैर आदिवासी इनके बीच शोषक के रूप मे रहते है। गैर आदिवासियो का बसने का जो ढग है उसे तीन रूपो म देख सकते हैं (1) बाजारनुमा गावा म बसना जैसे क्वाट, कोसि द्रा, नसवाडी, छोटा उदयपुर आदि। (2) गैर आदिवासी प्रधान गाव जिनमे सवण हिन्दू मुसलमान एव हरिजन आदि हैं। इस प्रकार के गाव मे श्रमिक किस्म के आदिवासी भी मिलेंगे। इ है आदिवासी क्षेत्रो मे गैर आदिवासी गाव कह सकते है। (3) तीसरी श्रेणी आदिवासी प्रधान गाव जिनमे गिने चुने गैर आदिवासी परिवार जसे दुकानदार या घरेलू उद्योग करने वाले बसे हुए हैं।

साराश

1 आन द निकेतन आश्रम रगपुर स्थित लोकअदालत ने उपरोक्त भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य मे काम करना आरभ किया और इस क्षेत्र की समस्याओ एव विवादो को सुलझाने की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया जिसस समाज की बुराईया दूर हो और समाजिक सम्बधो को एक नयी दिशा मिले। यह क्षेत्र विविध प्रकार की सामाजिक-आर्थिक समस्याओ से गु थित था। आदिवासी परम्परा एव सस्कृति की दृष्टि से यहा सामाजिक समस्याओ और आपसी विवादो को सुलझाने की एक परम्परा रही है और यह परम्परा आदिवासी न्याय व्यवस्था के अनुसार है। आदिवासी समाज म जातिगत सगठन, सामाजिक सरचना एव न्याय की ठोस व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था के अ तर्गत नातरा की समस्या, जातिगत विवाह एव तलाक के विवाद भूतप्रेत सम्बधी समस्याओं को सुलझाने की जातिगत व्यवस्था देखने

को मिलती है। आदिवासी समाज मे कई प्रकार के अन्धविश्वास हैं। इसलिए परम्परागत न्याय व्यवस्था मे रूढियो एव अन्ध विश्वासो का पूरा स्थान है। आदिवासी समाज के जातिगत सगठन मे जिस प्रकार की न्याय-व्यवस्था प्रचलित है, उसमे पारिवारिक, जातिगत एव अन्य प्रकार की आपसी समस्यायें काफी हद तक सुलझाने का प्रयास रहता है। परन्तु इसकी एक सीमा है और उस सीमा के अन्तगत ही आदिवासियो को न्याय मिलता है। लोक अदालत ने आदिवासी समाज की न्याय व्यवस्था को परिष्कृत करने का प्रयास किया है। आदिवासी समाज म अन्धविश्वास, भूतप्रेत सम्बन्धी धारणा, स्त्रियो के प्रति मा यता, विवाह का अस्थायित्व आदि बुराइया को समाप्त करने का प्रयास भी लोकअदालत ने किया है। अपनी समस्याओ एव आपसी विवादो को पच निर्णय द्वारा खुले रूप मे सुलझाया जाय, इस नीति को लोकअदालत ने स्वीकार किया है और यह नीति किसी न किसी रूप मे आदिवासी समाज की न्याय व्यवस्था मे विद्यमान है।[1]

2 इस क्षेत्र की विविध प्रकार की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियो के कारण आदिवासी समाज मे ही आपसी विवाद नही होते, समाज के अन्य वर्गों से भी आदिवासिया के विवाद चलत रहते है यथा—(1) महाजन के साथ लेन देन (2) कज सम्बन्धी विवाद (3) जमीन के विवाद (4) जगल के कमचारियो के साथ विवाद (5) पुलिस एव अन्य कमचारियो के साथ विवाद और गैर आदिवासी के साथ अन्य विवाद आदि। इन विवादो को आदिवासी यायव्यवस्था के अन्तगत निपटाया जा सकता है, इन्ह सुलझाने के लिये सरकारी यायालय मे भी जाना पडता है, लेकिन लोकअदालत इन विवादो को सुलझाने का प्रयास करती है।

3 इस प्रकार हम देखते है कि लोकअदालत न एक ओर तो आदिवासी समाज की परम्परागत यायव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया है। उस पर आदिवासी न्यायव्यवस्था का यह प्रभाव देखा जा सकता है। तो दूसरी ओर आदिवासी न्यायव्यवस्था की बुराइया को दूर करने का भी प्रयास किया गया है एव अपने कायक्षेत्र को व्यापक भी बनाया है। इस प्रकार इसको गुणात्मक एव विस्तारात्मक दानो दष्टिया से व्यापक बनाया गया है।

सदभ

1 जनगणना रिपोट बडौदा जिला (गुजरात) 1960
2 विमलशाह गुजरात के आदिवासी पष्ठ 10 गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद
3 विमलशाह उपरोक्त पष्ठ 62
4 उद्धत श्री एल० एम० श्रीकान्त ट्राइवल सोविनियर प०—13, भारतीय आदिम जाति सेवक सघ नई दिल्ली
5 ए० आर० देसाई रूरल इडिया इन ट्राजिशन, प० 51
6 विमलशाह पूर्वोक्त प० 32 अहमदाबाद
7 विमलशाह, पूर्वोक्त पष्ठ 39 40
8 हरिश्चन्द्र उप्रती भारतीय जनजातिया, पष्ठ 12 राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर 1970
9 स्टफन फ्युच द एबोरिजनल ट्राइब्स आफ इडिया पष्ठ 137 138 मकमिलन नई दिल्ली 1973
10 बी० एन० श्रीवास्तव एक्सप्लायटशन इन ट्राइबल एरिया पष्ठ 5 भारतीय आदिमजाति सेवक सघ नई दिल्ली—1968,
11 उपरोक्त पष्ठ 17 18
12 आदिवासी न्याय व्यवस्था के लिए अगला अध्याय देख

3

परम्परागत आदिवासी समाज में न्यायव्यवस्था

आदिम समाज मे न्याय और नेतृत्व

परम्परागत समाज व्यवस्था म न्याय की खास पद्धति रही है। आदिकाल से मनुष्य समूह मे रहता रहा है और उसके सामुदायिक जीवन को व्यवस्थित करन के लिये नियमो का निर्माण किया गया है। आदिम समाज मे इन नियमो पर धर्म जादू-टोना अलौकिक शक्तियो आदि मान्यताओ का अधिक प्रभाव था। इन नियमा के अ तगत सामाजिक व्यवस्था को नियन्त्रित करने के लिये परिवार और समूह के नेता या मुखिया को प्रमुख स्थान दिया गया। आदिम समाज का मूल रूप गुजरात के आदिवासियो मे भले ही देखन को न मिने पर तु उसका सूक्ष्म रूप अवश्य देखने को मिलगा।

आदिम समाज म व्यक्ति सवथा समूह झुड (horde) कुल (class) या कबीले (tribe) द्वारा सम्पूण रूप से प्रभावित रहता है। वह अपन समुदाय तथा उसकी परम्पराओ, लोकमत, आज्ञाप्तिया (decrees) के आदेशो का पालन आज्ञाकारिता के साथ करता है।[1] स्पष्ट है कि आदिवासी समाज म समूह तत्व की प्रधानता है और य लोग निणय का पालन निष्ठा पूवक करत है। प्रो हॉबहाउस यह मत व्यक्त करत है कि ऐस समाज मे वस्तुत उनकी अपनी प्रथायें होती हैं जि ह उसके सदस्य असदिग्ध रूप से बधनकारी अनुभव करते है। कुछ विद्वाना की राय म आदिवासी समाज के नियम एव परम्पराए उनके ऊपर जबरन दबाव नही है, ब धन नही है बल्कि यह स्वेच्छापूवक, समाज का व्यवस्थित करन क लिये बनाय गय नियम हैं। इस तक को यहा की आदिवासी समाजव्यवस्था के अनुकूल

मान सकते हैं। आदिवासी समाज मे न्याय और दण्ड उनके द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार्य होते हैं। वे इसे सुव्यवस्थित समाज के लिये उपयोगी मानते हैं। विद्वान डा लोवी (Dr Lowie) ने इसे इस रूप मे व्यक्त किया है सामान्य रूप से रूढिजन्य प्रथा (customary usage) के अलिखित नियम लिखित नियमो की तुलना मे कही अधिक स्वेच्छापूवक मान जाते हैं और उनका पालन स्वयप्रेरित होता है। वस्तुत कोई समाज तब तक कुशलतापूवक कार्य नही कर सकता जब तक उसके नियम स्वेच्छापूर्वक और स्वय प्रेरणा से न माने जाय'।[1]

भारतीय आदिवासी समाज में न्यायव्यवस्था के माध्यम से इसकी सामाजिक सरचना में नियत्रण आता है। विभिन्न आदिवासी जातियो मे न्यायव्यवस्था के भिन्न भिन्न स्वरूप प्रचलित हैं लेकिन सभी आदिवासियो में यह एक रूपता देखने में आयी है कि उनमें ग्राम एव जाति के मुखिया का प्रमुख स्थान होता है।

आदिवासी न्यायव्यवस्था

देश के प्रमुख आदिवासी समाजो जैसे सथाल, भील, दुबला, हो, मु डा आदि में न्याय काय करने वाले प्रमुख को विभिन्न नामो से सम्बोधित किया जाता है। सथाल आदिवासी समाज की प्रमुख जाति है। छोटा नागपुर एव बस्तर क्षेत्र सथाल आदिवासियो में मुखिया को माझी कहा जाता है। वह जाति का प्रमुख होता है। वैसे ग्राम, क्षेत्र एव जिला स्तर पर भी पचायत का सगठन होता है और परगना माझी मुखिया, पटेल आदि इनके जातिगत अधिकारी होते है। परगना माझी क्षेत्रीय पचायत के प्रमुख की भूमिका निभाता है।[1]

माझी नागरिक व्यवस्था का सचालन अपने सहयोगियो की मदद से करता है। गाव में न्याय व्यवस्था के लिये पचायत होती है जिसमें पाच से लेकर ग्यारह सदस्य तक होते हैं। सथालो में दस ग्यारह गाव समूह-स्तर पर भी पचायत की व्यवस्था पायी जाती है जिसे स्थानीय भाषा में परगना कहते है। इसे गाव के लोग चुनते हैं। गाव की व्यवस्था में माझी के सहयोगी के रूप में परमानिक तथा चपरासी के रूप में गोदेत होता है। अनेक गावो के बीच परगनन नामक मुखिया होता है। परगनेत के सहायक के रूप में देश माझी नामक सहयोगी रहता है। सथालो में सघीय परिषद (फेडरल काउंसिल) की भी व्यवस्था है जिसका मुख्य काय न्यायव्यवस्था देखना है।

संघीय परिषद

प्रशासनिक उद्देश्य से कुछ गावों का एक संघ बनाया जाता है। इसे संघ का बंग्लो (Bunglow) कहा जाता है। प्रत्येक बंग्लो में एक काउंसिल होती हैं। अपर काउंसिल पंचायत का उच्चस्थ अधिकारी बंग्लो का परगनैत होता है। गांव के मुखिया उक्त पंचायत के सदस्य होते हैं। यह पंचायत जटिल तथा पेचीदे मामलों पर विचार करती है।

कुली ड्रुप (Kuli Drup)

इसे निचली सभा कहा जाता है जो बंग्ला की दूसरी सभा के रूप में काय करती है। कुलीड्रुप में प्रत्येक परिवार का मुखिया परिवार का प्रतिनिधित्व करता है तथा गांव का मुखिया इस सदन की अध्यक्षता करता है। गांव के अन्य अधिकारी इस सदन के पदेन सदस्य होते हैं। छोटे मोटे झगड़ों का निबटारा यह सदन करता है लेकिन बड़े मामलों पर उच्च सदन (पंचायत) को ही निर्णय करने का अधिकार है।[5]

उरांव जनजाति में न्याय

सुंदरबन की उरांव जनजाति में पहले ग्राम पंचायत तथा परहा पंचायत होना थी। परंतु परहा पंचायत का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है।[6] ग्राम पंचायत छोटे छोटे धार्मिक एवं सामाजिक विवादों को निपटाती थी तथा परहा पंचायत जो कि कई ग्रामों को मिलाकर बनती थी, जो गांवों के बीच विवादों को निपटाती थी। एक समय था जबकि ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र काफी व्यापक था तथा उसके निर्णयों का पालन कठोरता से किया जाता था। परन्तु अब इसका महत्त्व कम होता जा रहा है और कोर्ट में जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

उरांव पंचायत का गठन इस प्रकार होता है

1 राजमोरल- मुखिया (एक)

2 मंत्री—राजमोरल का परामर्शदाता (एक)

3 सदस्यगण (संख्या निश्चित नहीं है)

4 चौकीदार (एक)

पचायत का मुखिया ग्रामतौर पर वशानुगत होता है और उसकी मृत्यु के बाद उसका सबसे बडा लडका राजमोरल बनता है। राजमोरल मत्री की नियुक्ति करता है तथा वह गाव के मुख्य लोगो एव मत्री की सलाह स सदस्यो का चुनाव करता है। चोकीदार का चुनाव पचायत करती है। चुनाव के बाद पचायत का अधिकारी ईश्वर के नाम पर समस्त प्रभावशाली लोगो के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ग्राम पचायत मुख्यतया निम्नलिखित विषयो से सम्बधित झगडो को निपटान का काय करती है

1 मारपीट

2 जमीन के मामले

3 प्रेम से सम्बधित मामले

4 सामाजिक नियमो एव परम्पराम्रो के उल्लघन के मामले।[7]

कोल आदिवासी

मध्य भारत म काल आदिवासी समाज म भी जातीय पचायत की व्यवस्था देखने को मिलती है। इस समाज म ग्रामप्रमुख होता है, परन्तु याय काय अ तत पचायत म निहित होता है। इस समाज म पच को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। इसके निर्णय की अवहेलना सभव नही होती। यहा पच का तात्पय पाच व्यक्ति म न होकर ग्राम समुदाय के सभी योग्य एव प्रभावशाली व्यक्तियो के समूह से है। यह एक प्रकार की ग्राम सभा होती है जिसका प्रधान गाव का परम्परागत मुखिया होता है। निणय सबकी राय से किया जाता है। इस समाज म सामाजिक बहिष्कार दबाव का प्रमुख अस्त्र है।

काल जन जाति पचायत म अनेक प्रकार के विवादो को निपटाया जाता है। कोल पचायत द्वारा निपटाय जाने वाले विवादो को इस रूप म व्यक्त कर सकते है —

1 इतर जाति क साथ भोजन एव शराब पीन की शिकायतो पर विचार करना।

2 कोल जाति द्वारा अमा य यौन सम्ब ध।

3 विवाह सम्बन्धी विवाद जिसम इनस सम्बधित लन देन भी शामिल है।

4 तलाक एव बच्चो के सम्ब ध म।

5 पारिवारिक विवाद।

6 वज्र एव मारपीट।

7 पशु से सम्बन्धित विवाद।

8 कोल जाति म असामाजिक घोषित काय करना।

9 सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद।[8]

इस आदिम जाति मे न्यायव्यवस्था अधिक मजबूत देखने मे आती है। न्याय कायक्षेत्र भी व्यापक है। मात्र सामाजिक क्षेत्र तक सीमित न होकर आर्थिक क्षेत्र को भी इनकी जाति पचायत से प्रभावित करती है।

बिंझवार

मध्य प्रदश म बिंझवार नाम की एक आदिम जाति है। यह आदिम जाति छत्तीसगढ क्षत्र म पायी जाती है। बिंझवार जाति के लाग छत्तीसगढ के इतिहास का ही एक अग है। उनका अनक राजाओ के साथ जो सम्बध था, उसका उल्लख उनकी द त कथाओ मे मिलता है।[9] इस आदिम जाति म परम्परा से किसी प्रकार की न्याय पचायत की व्यवस्था का उल्लेख नही मिलता। डा० टी०बी० नायक के अनुसार सन 1955 तक बिंझवारा म जातीय सगठन के आधार पर कोई विशेष महासगठन या पचायत नाम की चीज नही थी। पर जब यह जाति दूसरी जातियो के द्वारा सतायी जाने लगी एव पुलिस कमचारी इस बिना अपराध परेशान करने लगे तब 1955 मे इस जाति म जागति उत्पन्न हुई एव इस जनजाति ने प्रथम बार पूर्ण जातीय सगठन के रूप म एक महासभा का निर्माण किया। इस महासभा मे सम्पूर्ण बिंझवार जातीय क्षेत्र को दो सौ क्षेत्रो मे बाटा गया। प्रत्यक क्षत्र से तीन मुखिया चुन जाते है जिन्हे गोठिया कहा जाता है तथा प्रत्येक ग्राम या दो ग्राम समूह से दो दो उपमुखिया चुने जाते है जिन्हे 'पच' कहा जाता है।[10] गोठिया सामान्यतया निम्नलिखित कार्यों को पूरा करता है

1 जातीय चन्दा एकत्र करना।

2 जातीय झगडो का निपटारा करना।

3 पारिवारिक बटवारे मे भूमि का बटवारा करना।

4 जाति म व्याभिचार आदि होने से रोकना।

5 महासभा द्वारा मान्य किये गये समाज सुधार सम्बन्धी नियमो की

लोगो को जानकारी कराना।

6 चन्दा तथा दण्ड की रकम का लेखा-जोखा रखना।

न्याय-कार्य गोठिया तथा पंच मिलकर करते हैं। यह संस्था मात्र न्याय कार्य करके जाति कल्याण का कार्य भी सम्पन्न करती है। यदि कोई जटिल जातीय मामला गोठिया और पंच से नहीं सुलझ पाता है तो अन्य गोठिया की मदद से उसे सुलझाने की कोशिश की जाती है। यदि वे सब भी विफल हो जाते हैं तो जनवरी माह में होने वाली महासभा में सभी गोठियों तथा पंचों की राय से फैसला सुनाया जाता है।[11] इस प्रकार बिंझवार जाति में जातिगत पंचायत की व्यवस्था काफी मजबूत है। ग्राम स्तर पर यह पंचायत अपनी समस्याओं एवं विवादों को सुलझाने का भरसक प्रयास करती है।

भील

भील समाज को संगठित करने के लिये जातीय स्तर पर अनेक प्रकार के जातीय नियम हैं जिनसे उनके जीवन का व्यवहार संचालित होता है और जिनसे उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कार्यों में मदद मिलती है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार एवं कर्त्तव्य का सम्यक ढंग से पालन होता है। सामाजिक व्यवहार, विवाह, मृत्यु, त्यौहार आदि के बारे में निश्चित नियम हैं और यदि उन नियमों का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन करने वाले को दण्ड का भागीदार होना पड़ता है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र सन्तुलित रहे, इसके लिये न्याय की समुचित व्यवस्था है। जीवन के व्यवहार को नियमित रखने के जो नियम हैं वे भील के दैनिक कार्यकलापों में देखे जा सकते हैं।[12]

भील जाति में, खासकर भील प्रधान गांव में जातीय संगठन मजबूत होता है। इस जाति में न्याय व्यवस्था में खुलापन एवं पंच निर्णय की पुरानी परम्परा है जिसमें गांव के प्रमुख लोग एकत्र होकर विवाद को सुलझाते हैं। वैसे ग्राम संगठन की दृष्टि से गांव में एक परम्परागत प्रधान होता है जिसे स्थानीय बोलचाल की भाषा में वसवो (Vasawo) कहते हैं। यह गांव का मुखिया होता है तथा गांव में परिवार या ग्राम स्तर पर होने वाले सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अगुआ भी होता है। विवाह, त्यौहार, मृत्यु आदि में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। न्यायकार्य में भी इसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। सामान्यतया ग्राम प्रमुख का पद वंशानुगत होता है।[13]

भील समाज में गांव के मुखिया को पटेल या तडवी कहते हैं। वह हर

गाव का मुखिया होता है और इस प्रकार पचायत की शक्तिया भी उसमें निहित होती हैं। आमतौर पर वह गाव के पचो की राय से न्याय करता है।[11]

इस जनजाति में पचायत की व्यवस्था है जो जाति स्तर पर न्याय का काय करती है। गाव के बुजुर्ग एव प्रमुख लोग इस पचायत के सदस्य होत है। पचायत का कोई लिखित विधान न होकर इसकी अपनी परम्परा एव परम्परागत नियम है। सामान्यतया गाव के बुजुग एव प्रमुख लोग एक स्थान पर एकत्र होते है और विवाद को सुलझाते है। यह पचायत कई प्रकार की समस्याओ एव विवादो को सुलझाती है, जसे—प्रेम सम्बध, विवाह एव तलाक से सम्बधित विवाद पशु को लकर उठन वाले विवाद जबरन बेगार से सम्बधित विवाद आदि। विवाद को सुलझाने के लिय बुलायी गयी पचायत में सभी उपस्थित सदस्य एक स्थान पर बैठते हैं। इस बैठक में अध्यक्ष या प्रमुख की भूमिका गाव का बुजुग, गाव का अधिक समझदार-बुद्धिमान व्यक्ति या जातिगत प्रमुख वसवो (Vasawo) में से कोई एक निभाता है। यह व्यक्ति विवाद को सुलझाने में अगुआई करता है। इस बात का पूरा प्रयास किया जाता है कि निणय सर्वसम्मति से किया जाय। सवसम्मति के प्रयास में विवाद की गहराई मे जान का प्रयास किया जाता है ताकि सत्य की जानकारी हो सके। पचायत द्वारा जो भी निणय लिया जाता है, उसका अच्छी तरह पालन किया जाता है। अत जनमत एव निणय का आदर करने की कठोर परम्परा इस समाज में पायी जाती है। इस बारे में टलर ने कहा है कि इस प्रकार के आदिम समाज में समाज को नियन्त्रित करने की कठोर परम्परा है तथा यहा जनमत की शक्ति काफी मजबूत है[15] अर्थात पचायत एक मजबूत सामाजिक सस्था है।

आदिवासी समाज मे विवाह सम्बधी विवाद आये दिन होत रहते हैं। लोकअदालत मे भी विवाह सम्बधी विवादो की सख्या अधिक है। विवाह की स्वतत्रता एव समाज म स्त्रियो का समान स्थान आदि ऐसे कारण है जिनसे विवाह सम्बधी विवाद अधिक होते हैं। विवाह सम्बधी कई प्रकार के विवादो का पचायत द्वारा सुलझाया जाता है जैसे जब अविवाहित लडकी को कोई व्यक्ति भगा ले जाये अथवा विवाह के पूव कोई लडकी गर्भवती हो जाये अथवा जब कोई विवाहित महिला दूसरे गाव के किसी व्यक्ति के पास चली जाय आदि।[16]

भील सत्य बालने के अभ्यासी हाते हैं। सत्य नैतिकता एव अपनी बात पर दढ रहना उनकी विशेषता है। यही कारण है कि चोरी जसे मामले

काफी कम आते हैं। फिर भी कई मामले ऐसे आते हैं जिनसे लोग बात को छिपाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि लोकअदालत में भी देखने में आया, विवाह तलाक आदि के मामले में महिलायें प्रारम्भ में सही बात स्वीकार नहीं करती या यदि अपनी गलती है तो उसे छिपाने का प्रयास करती हैं। यही बात कमोवेश अन्य प्रकार के विवादों पर भी लागू होती है।

परम्परागत भील पचायत में सत्य को सामने लाने के लिये शपथ दिलायी जाती है। यह शपथ इस प्रकार की पायी जाती है जैसे 'यदि मैं सत्य नहीं बोलू तो मुझे शेर खा जाय मेरा पुत्र मर जाय, मुझे डाकन परेशान करे' आदि। इसी प्रकार वह राजा सूर्य, अग्नि, जल आदि को साक्षी लेकर भी सत्य बोलने की शपथ लेता है।[17] इस प्रकार की शपथ लेने के बाद व्यक्ति सत्य बात कहता है। यह अपेक्षा भी रखी जाती है कि जो व्यक्ति पंच के सामने इस प्रकार की शपथ ग्रहण करेगा, वह सत्य कहेगा ही।

इस प्रकार भील जाति में (1) न्याय का विस्तार जातिगत स्तर पर सामाजिक धार्मिक समस्याओं को सुलझाने तक है। (2) इसके साथ साथ इसकी निर्णय प्रक्रिया में काफी हद तक लोकतान्त्रिकता है। (3) निर्णय सामान्यतया सर्वसम्मति से किया जाता है। (4) निर्णय का पालन निष्ठा-पूर्वक किया जाता है। (5) पचायत में गाव के बुजुर्ग, समझदार एवं बुद्धिमान व्यक्ति भाग लेते हैं। (6) इसके नियम परम्परागत है (7) पचायत का प्रमुख स्थायी न होकर प्रत्येक बैठक में प्राय अलग अलग होता है। यह प्रमुख गाव का प्रतिष्ठित, योग्य व्यक्ति होता है। (8) सत्य पर पहुंचने के लिये (क) शपथ दिलायी जाती है और (ख) मामले पर गहराई से विचार किया जाता है।

दुबला समाज में न्याय

अन्य आदिम जातियों की भांति दुबला समाज में भी जाति स्तर पर न्याय व्यवस्था विद्यमान है। दुबला जाति में तीन[18] स्तर की न्याय व्यवस्था पायी जाती है

(क) राज्य कानून के अन्तर्गत गठित पचायत।

(ख) जाति स्तर पर सगठित ग्राम या गली (फालिया) स्तर की जाति पचायत जो उनके दैनिक विवादों को सुलझाती है।

(ग) सम्पूर्ण जातीय स्तर की जाति पचायत। यह पचायत जिला या उससे भी बड़े क्षेत्र की सगठित जातीय पचायत है। इसमें सभी

प्रकार की जातीय समस्याओं को सुलझाया जाता है।

दुबला पचायत के प्रमुख को पटेल कहा जाता है। पटेल का चुनाव गाव मे रहने वाले बालिगों द्वारा किया जाता है। पटेल के चनाव मे उम्र एव अनुभव के साथ साथ प्रभाव को भी महत्त्व दिया जाता है। इस प्रकार गाव का प्रौढ अनुभवी एव प्रभावशाली व्यक्ति पचायत का पटेल चुना जाता है। पटेल पूरे गाव का मुखिया होता है। वह गाव की समस्याओं एव विवादो को निपटाने म प्रमुख भूमिका निभाता है।

दुबला पचायत का गठन एव काय पद्धति—इस पचायत का जो प्रमुख चुना जाता है वह पूरे गाव मे एक ही होता है लकिन इसके सहयोगी के रूप म गाव के प्रत्येक फलिये (वाड) से एक प्रतिनिधि पचायत म जाता है। यह प्रतिनिधि अपन वाड का प्रतिनिधित्व करता है। पचायत का प्रमुख प्रतिनिधियो म से एक को अमलदार नियुक्त करता है। अमलदार की जिम्मेदारी होती है कि सभा की बैठक की सूचना सबको दे।

दुबला पचायत गाव एव जाति से सम्बधित व्यक्तिगत पारिवारिक ववाहिक तथा अय सामाजिक विवादो को सुलझाती है। पचायत दोषी पाये गये पक्ष के ऊपर आर्थिक दड भी करती है। आमतौर पर विवाद एव उसके फैसले के बारे म किसी प्रकार का लिखित विवरण रखने की परम्परा नही है। इसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है। पिछले कुछ दिनो से इस समाज मे शिक्षा का प्रचार बढा है और कुछ लोगो न लिखना पढना भी सीखा है। शिक्षित गावो मे तलाक सम्बधी विवादो का विवरण रखने का प्रयास किया जाता है। स्थानीय भाषा मे इसे फारगती नामा कहा जाता है।[19] इस प्रकार के फारगती नामे म तलाक का प्रश्न एव निणय लिखा जाता है। इस पर पच एव दोनो पक्षो—वादी एव प्रतिवादी के हस्ताक्षर होते है।

आदिवासी समाज म ग्रामप्रमुख की जो भूमिका है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह गाव का सामाजिक राजनतिक एव नतिक प्रमुख भी होता है। अफ्रीकी समाज के अध्ययन म कहा गया है कि गाव का मखिया गाव के सामाजिक सम्बधो म एकरूपता स्थापित करता है। इस काम म वह यायकाय का भी प्रमुख होता है। वह व्यक्ति पारिवारिक एव अय सामाजिक सम्बधो को सामाय एव शुद्ध बनाता है।[20] अफ्रीकी समाज म ग्रामप्रमुख ग्रामीण विवादो को सुलझाता है। दक्षिण अफ्रीका के 'यो समाज का ग्रामप्रमुख गाव म अच्छे सम्बध के लिये जिम्मेदार होना है साथ ही साथ उनके विवादो को भी सुलझाता है। वह दोनो पक्षो की को सुनकर न्याय देता है। इस प्रकार छोटे-छोटे ग्राम समुदाय म

संरक्षक की भूमिका निभाता है।[1]

सारांश

1 परम्परागत आदिवासी न्यायव्यवस्था के बारे में संक्षेप में विचार किया गया है। हमने देखा है कि विभिन्न आदिवासी जातियों में न्याय की व्यवस्था भिन्न भिन्न है और प्राय सभी आदिवासी जातियों में न्यायव्यवस्था में कई साम्य एवं भेद भी हैं। कुछ बातें सभी आदिवासियों की जातीय-न्यायिक संस्थाओं पर लागू होती हैं तो कुछ बातों में भिन्नता है। यदि समरूपता की खोज करें तो समान बातों को इस रूप में गिना सकते हैं

(क) पंच निर्णय।

(ख) निर्णय में लोकतांत्रिक मूल्य को स्वीकार किया जाना।

(ग) कुछ अपवादों को छोड़कर पंचायत प्रमुख का वंशानुगत रूप से चुना जाना।

(घ) परम्परा का निर्वाह।

(ङ) पंच निर्णय का कठोरता से पालन करना।

(च) अलिखित नियम।

(छ) जादू टोने में विश्वास।

(ज) पंचायत का जाति तक सीमित होना।

(झ) पंचायत का सघन कार्य क्षेत्र विवाह, परिवार, यौन सम्बन्ध सामाजिक (जातिगत) विवादों तक सीमित है।

2 आदिवासी न्यायव्यवस्था का जो स्वरूप है उससे स्पष्ट हो जाता है कि जीवन की कई समस्याएं उसकी सीमा में नहीं आती है। उनमें मुख्य ये हैं

(क) महाजनों के साथ लेन देन का मामला।

(ख) दूसरी जातियों के साथ विवाद।

(ग) जंगल के कर्मचारियों के साथ विवाद।

(घ) पुलिस एवं अन्य कर्मचारियों के साथ विवाद।

(ङ) मारपीट के मामले।

(च) जमीन के झगडे आदि।

उक्त मामले आदिवासी पचायत द्वारा सामान्यतया नही निपटाये जात है। इसके लिये उन्हे सरकारी अदालत मे जाना पडता है। जातिगत पचायत के प्रति उदासीनता के कारण यह भी देखने मे आता है कि जो मामले परम्परागत रूप से जातीय पचायत म जाते रहे हैं, वे भी अब सरकारी अदालत मे जाने लगे हैं। इससे स्पष्ट है कि जातीय पचायत का काय धीरे धीरे कम होता जा रहा है।

3 आदिवासी पचायत मे दड की जो व्यवस्था है वह भी सामान्य स भिन्न है और उसे केवल उसी जाति के लोगो तक सीमित किया जा सकता है। जैसे आदिवासियो मे डायन (witches) एव ओझा भगत की परम्परा है। इसमे शारीरिक कष्ट दिया जाता है। किसी व्यक्ति को खासकर महिला को डायन करार देने पर उसे शारीरिक कष्ट दिया जाता है। कभी कभी तो इस परिस्थिति मे मौत भी हो जाती है। इसी प्रकार भूत प्रेत के विश्वास म ओझा भगत द्वारा कष्ट दूर करने के नाम पर ददनाक शारीरिक कष्ट दिया जाता है। अफ्रीका के आदिवासियो मे डायन के सम्ब ध मे जो अध्ययन हुए हैं, उससे इस बात की पुष्टि होती है कि आदिम समाज मे अ धविश्वासो की जडें काफी गहरी है और प्राय विश्व के सभी भागो म इस समाज म इसे देखा जा सकता है। प्रा० माक्स ग्लूकमैन ने अफ्रीकी समाज में डायन के भय एव मुक्ति का अध्ययन प्रस्तुत किया है। वैसे अफ्रीकी आदिम समाज में इससे मुक्ति (anti-witchcraft movement) के लिय आ दोलन भी चले हु जिसका अच्छा प्रभाव पडा है।[3]

4 अपराधी अपना अपराध स्वीकार करे, या सत्य बात कहे इसके लिये भी कई प्रकार के कठोर कदम उठाये जाते है—जसे(क) पच द्वारा अपराधी को गरम लोहा हाथ म लेने के लिये कहा जाता है। माना यह जाता है कि यदि वह निर्दोष है तो उसका हाथ नही जलेगा और दोषी होने पर जलेगा।

(ख) एक बर्तन मे घी को खूब गरम किया जाता है और उसम दो सिक्के डाल जाते है। अपराधी को उसम हाथ डालकर इन्हे निकालने को कहा जाता है। माना जाता है की यदि वह निर्दोष है तो उसका हाथ नही जलेगा।[4] इस प्रकार की गलत मान्यताओ पर आधारित दण्ड के नियम का आज के समाज द्वारा स्वीकार नही किया जा सकता।

5 आदिवासी समाज म जिस प्रकार के विवादो के निपटारे की परम्परा गत व्यवस्था मौजूद थी, वे तो लोकअदालत द्वारा निपटाय ही जाते हैं

लेकिन लाकग्रदालत ने ग्र य विवादा को भी यथा ग्रादिवासियो एव गर ग्रादिवासिया के ग्रापसी विवाद, भूमि सम्ब धी विवाद, फौजदारी कानून के ग्र तर्गत ग्राने वाले कई प्रकार के विवाद ग्रादि सुलझाने की दिशा मे प्रयास किया है। इस प्रकार उसने परम्परागत न्याय क्षत्र का विस्तार किया है।

ग्रादिवासी समाज की परम्परागत याय व्यवस्थायेँ ग्र धविश्वास, रूढियो एव ग्रवैज्ञानिक गलत धारणाग्रो ग्रौर मा यताग्रा का बोल बाला रहता था जिसके कारण निर्दोष यक्तिया यथा, तथाकथित डायन ग्रादि को ग्रमानुषिक यत्रणायें एव दड भोगने पडत थे। लोकग्रदालत न इस क्षेत्र म महत्त्वपूण योगदान दिया है। उसने न केवल उनकी भ्रा त धारणाग्रो को बदल कर उनके विवेक भाव को जागत करने का प्रयास किया है बल्कि शारीरिक दड-प्रक्रिया को ग्रस्वीकार करके दोषी व्यक्ति के प्रति मानवीय दष्टिकोण ग्रपनाये जाने की भावना सुदढ की है। ग्र धविश्वास या रूढिगत मान्यताग्रो के कारण किसी निर्दोष को दड मिल जाये, यह लोकग्रदालत की कल्पना शक्ति के परे की बात है ग्रौर इसका दशन लोकग्रदालत द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयो से हो सकता है।

सदभ

1 बी० मेलनोवस्की व य समाज मे ग्रपराध ग्रौर पथा (Crimes and Customs in Savage Society) पष्ठ 3 म० प्र हिन्दी ग्र थ ग्रकादमी भोपाल 1971

2 उधत उपरोक्त पष्ठ 9

3 उपरोक्त पृष्ठ 10

4 स्टफन फच (Stephen fuchs) द एबोरिजनल ट्राइ स ग्राफ इडिया पष्ठ 152 मेकमिलन नई दिल्ली 1973

5 पी० सी विश्वास सथाल्स ग्राफ द सथाल परगना पष्ठ 149 ग्रध्याय 6

6 ग्रनिल कुमार दास ट्राइ स ग्राफ सु दर वन पष्ठ 227 1963

7 हरिश्च द्र उप्रेती भारतीय जनजातिया पष्ठ 117 119 राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर—1970

8 वाल्टर जी ग्रीफियास द कोल ट्राइब ग्राफ सेन्टल इडिया पष्ठ 48 द रायल

एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल कलकत्ता 1946

9 डा० टी० बी० नायक बारह भाई बिझवार पष्ठ 1 मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल 1972

10 डा० टी० बी नायक बारह भाई बिझवार प० 58 सन 1972

11 उपरोक्त पष्ठ 68

12 उपरोक्त

13 डा० टी० बी० नायक द भील्स ए स्टडी पष्ठ 223 27 भारतीय आदिम जाति सेवक सघ दिल्ली 1956

14 देख जी० एस० घुरिय द शिडयूल ट्राइब्स पष्ठ 232

15 The controlling forces of society are at work when among those savages only in more rudimentary ways than among ourselves public opinion is already a great power E D Taylor Authropology *Vol (ii) (Thinkers* Library Watts & Co London 1949) page 136

16 डा० टी० बी० नायक उपरोक्त पष्ठ 53

17 उपरोक्त पष्ठ 233

18 पी० जी० शाह द दुबला आफ गुजरात पष्ठ 46 भारतीय आदिम जाति सेवक सघ, दिल्ली 1958

19 पी० जी० शाह उपरोक्त पष्ठ 50

20 देख माक्स ग्लूक मन, 'आडर एण्ड रिबलियन इन टाइबल अफ्रीका पष्ठ 151 52 द फ्री प्रेस आफ ग्लेनको न्यूयार्क—1963

21 देख जे० सी० माइकल आडर एण्ड रिबेलियन इन ट्राइबल अफ्रीका पष्ठ 152

22 देखें टी० बी० नायक, उपरोक्त पष्ठ 234 35

23 देखें माक्स ग्लूक्मन आडर एण्ड रिबेलियन इन टाइबल अफ्रिका पष्ठ 143 द फ्री प्रेस आफ ग्लेनको न्यूयार्क 1963

24 देख टी० बी० नायक उपरोक्त पष्ठ 234 35

4

ग्राम की सामाजिक संरचना

गाव और मुख्यालय

जिन दस गावा का अध्ययन म शामिल किया गया है वे सभी बडौदा जिले की दो तहसीला म स्थित हैं। कुछ गाव छाटा उदयपुर तहसील के हैं तो कुछ नसवाडी तहसील के। विकास की दष्टि से भी य गाव इन्ही दोनो प्रखण्डो से जुडे हुए है। आनन्द निकेतन आश्रम जहा लोकअदालत का केन्द्रीय कार्यालय है लगभग मध्य म है। आश्रम से नसवाडी एव छोटा उदयपुर दोनो स्थानो की दूरी प्राय समान है। सरकारी कार्यालयो एव आवागमन की दष्टि से यह क्षेत्र एक समय अत्यन्त असुविधाजनक स्थिति म था लेकिन आजकल यह क्षत्र सडक माग स जुड गया है। फिर भी अनेक गावा की स्थिति इस दष्टि से आज भी ज्यादा अच्छी नही मानी जा सकती। सरकारी कार्यालयो से सर्वेक्षित गावा की दूरी नीचे लिखी तालिका म देख सकते है।

पचायती राज की स्थापना के बाद ग्रामस्तर पर प्रशासन एव विकास की एजेसी के रूप म ग्राम पचायतो की स्थापना हुई है लेकिन ग्राम पचायत शासन की कोई विशेष अधिकार प्राप्त इकाई नही है। वह प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे निचली इकाई है जिससे ग्राम को कुछ मामूली सी सुविधायें उपलब्ध हो गई हैं और न्याय की दष्टि से भी इसे सीमित अधिकार हैं तथा वह न्याय पचो के माध्यम से गाव मे होन वाले छोटे छोटे विवादो को सुलझाती भी है। पचायत कार्यालय में सभी सर्वेक्षित गावो की दूरी 2 किलोमीटर से कम है। इसलिए इन गावा के लोगो को पचायती राज से सम्बधित सामान्य कार्यों के लिय दूर नही जाना पडता परन्तु इसके ऊपर की

तालिका संख्या—8

गाव से स्थानीय मुख्यालयो की दूरी

कि० मी०

क्र०	गाव का नाम	पुलिस	पचायत	प्रखण्ड कार्यालय	जिला मुख्यालय
(1)	रम्पुर	17	0	30	125
(2)	मन्नाबोरा	16	0	29	124
(3)	गरगा	15	2	24	128
(4)	आमवा	13	2	26	122
(5)	—[illegible?]लवार	17	0	30	119
(6)	करराहमी (रतनपुर)	14	1	28	143
(7)	गाडाघाट	16	0	24	139
(8)	मकोडा	14	0	23	129
(9)	मपाडिया	14	2	27	123
(10)	बिवसा	12	2	25	121

इकाई के बारे मे यह स्थिति नही है। विकास की प्रमुख इकाई प्रखण्ड कार्यालय है जिससे 4 गावा की दूरी 21 से 25 किलोमीटर के बीच है और 6 गावा की दूरी 26 से 30 किलोमीटर। पचायती राज की मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत प्राय प्रत्येक आवश्यक काय के लिये प्रखण्ड कार्यालय तक जाना पडता है। इसलिए दूरी की दृष्टि से प्रखण्ड कार्यालय की स्थिति असुविधाजनक मान सकते है। गाव से इतनी दूर जाकर काम कराना इनके लिए कठिन हो जाता है और आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण यह दूरी उनका आर्थिक बोझ बढाती है। पुलिस चौकी से गाव की दूरी अपेक्षाकृत कम है। 6 गावा से पुलिस चौकी की दूरी 11 से 15 किलोमीटर है जबकि 4 गावो स 16 से 20 किलोमीटर के बीच। पुलिस चौकी काफी पुरानी है जबकि प्रखण्ड कार्यालय नियोजित अर्थव्यवस्था का परिणाम है। क्षेत्र मे घूमने और चर्चा करने से इस बात की पुष्टि हुई कि इस क्षेत्र म आपसी झगडा की जो स्थिति थी, उसमे पुलिस की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। करीब दो दशक पूर्व यहा के आदिवासी छोटे छोटे मामला म भी लडाई झगडा कर बैठते थे और मार पीट आम बात थी। उस समय पुलिस चौकी ही प्रशासन की सबसे निकट की इकाई थी। जिला

काफी दूर है। यद्यपि जिला मुख्यालय तक जाने के लिये बस की सामान्य सुविधा उपलब्ध है फिर भी अधिक दूर होने के कारण सामान्य नागरिक अपनी आवश्यकता स्थानीय स्तर पर ही पूरा करता है और बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही जिला मुख्यालय तक जाता है।

आवागमन की सुविधा

अन्य सामान्य सुविधाओं के लिये गाव के लोगों को कितनी दूर जाना पडता है यह जानना भी उपयोगी रहेगा। इस क्षेत्र का आर्थिक व्यवहार कुछ बाजारों तक ही सीमित है। आश्रम के आस पास के गावों के लिये मुख्य बाजार कवाट है। नसवाडी एव छोटा उदयपुर से भी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। पिछले दो दशकों में सडकों का पर्याप्त विकास हुआ है और स्थानीय सडकें प्राय सभी क्षेत्रों में अवस्थित है। गाव के लोगों की सीमित आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें आवागमन की दूरी कम खलती है। तालिका 9 (पृष्ठ 47) से विभिन्न उपयोगी केन्द्रों के गाव की दूरी की जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

सुविधा की दृष्टि से चिकित्सा तारघर एव बिजली की सुविधा आज भी कई गावों को उपलब्ध नहीं है। रेलवे स्टेशन भी दूर है, यद्यपि सडक से आवागमन की सामान्य सुविधा सुलभ हो जाती है। माल की खरीद बिक्री के लिये प्राय सभी गावों के लोगों को दूरस्थ बाजार में जाना पडता है। लोकअदालत की दूरी कुछ गावों से कम है तो कुछ गावों से ज्यादा। इससे स्पष्ट होता है कि लोकअदालत का कार्य क्षेत्र दूर के गावों तक फैला हुआ है और दूरस्थ गावों के लोग भी विवादों को सुलझाने के लिये यहां आते है।

भूमि और उसका वितरण

सर्वेक्षित गावों मे जमीन एव उसके उपयोग की स्थिति से वहां की आर्थिक स्थिति का अन्दाज लगा सकते हैं। भूमि सम्बन्धी दो प्रकार के आकडे दिये जा रहे हैं जिनसे उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का दर्शन हो सकता है— (1) गाव मे कुल जमीन एव उसका किस्म के अनुसार उपयोग, और (2) भूमि वितरण की स्थिति। जितनी जमीन में सुविधापूर्वक खेती की जा सकती है उस पर खेती होती है और शेष भाग जगलों के नीचे एव बेकार रहता है। जनसंख्या की वृद्धि एव कृषि का ज्ञान बढने के साथ-साथ बंजर भूमि को भी खेती योग्य बनाने का सतत प्रयास किया जाता रहा है। सर्वेक्षित गावों में कुल जमीन की स्थिति तालिका 10 (पृष्ठ 48) के अनुसार है।

तालिका सख्या—10

भूमि का प्रकार एव उपयोग

क०	गाव का नाम	कृषि होती है	मकानो मे प्रयुक्त	बजर	कुल क्षेत्रफल एकड म
(1)	रगपुर	600	15	239	854
(2)	मोटावाटा	753	20	138	911
(3)	धरका	1000	50	92	1142
(4)	जाम्बा	800	10	205	1015
(5)	गजलावाट	195	5	00	200
(6)	कपराइली (रतनपुर)	280	10	65	345
(7)	गोयावाट	300	20	380	700
(8)	मकोडी	1580	20	190	1790
(9)	मेखडिया	652	5	00	657
(10)	विजली	332	5	10	347

अधिकाश गावो मे जितनी जमीन खेती लायक है उस सब पर खेती होती है। बजर भूमि की जो स्थिति है, उसम सामान्यत खेती होना सभव नही। विशेष योजना द्वारा उसे खेती योग्य बनाया जा सकता है। गजलावाट एव मेखडिया मे तो जमीन काफी सीमित है और यहा बजर भूमि भी नही है। कुछ गावो मे मकान काफी कम जमीन पर स्थित हैं।

गाव की आर्थिक स्थिति का अदाज लगाने के लिये भूमि वितरण की स्थिति को भी देखना आवश्यक है। आदिवासी गाव मे मकान के लिये जमीन सभी के पास है। लेकिन खेती की जमीन सब परिवारो के पास नही है। कुछ भूमिहीन परिवार भी हैं। आमतौर पर आदिवासी परिवार क पास कुछ न कुछ खेती की जमीन होती है। पर तु फिर भी कि ही कारणो स कुछ परिवार भूमिहीन हो गये हैं। उनकी भूमिहीनता का कारण जानने के प्रयास म निम्न तथ्य सामने आय —

(क) कर्ज मे फसन के कारण उनकी जमीन हाथ से निकल गयी और व भूमिहीन की स्थिति म आ गय। जैसे विवाह मृत्यु या अन्य कठिन

परिस्थितियो मे कर्ज लेने पर जमीन दूसरे के हाथ मे चली गयी।

(ख) कुछ परिवारो ने अपना मूल गाव छोडकर दूसरे गाव मे जाकर झोपडी बना ली। ऐसी स्थिति मे नये गाव मे वे भूमिहीन हो गये।

(ग) गैर आदिवासी लोग धन्धे की तलाश मे आये और गाव मे झोपडी बना ली। कुम्हार, खाती, नाई या अन्य मजदूर स्तर की जातियो के ऐसे लोग भूमिहीन की श्रेणी मे स्वत आ गये क्योकि बाहर से आने के कारण उनके पास भूमि होना सभव नही था।

पृष्ठ 50 में तालिका 11 से विभिन्न गावो मे भूमि वितरण की स्थिति देखी जा सकती है।

इस क्षेत्र मे भूमि वितरण की स्थिति को देखते हुए कृषि विकास की सभावना उत्साहवर्धक है। हालाकि परम्परागत कृषि-पद्धति पिछडी हुई एव वर्षा पर निर्भर होने के कारण उत्पादन अत्यन्त कम है। फिर भी पिछले एक दशक मे उन्नत कृषि के तरीको के प्रसार के कारण यहा कृषि विकास देखने मे आया है। गाव के लोगो ने इस बात की पुष्टि भी की कि हमने पिछले दस वर्षों मे कृषि की अच्छी पद्धति सीखी है और हमे सिचाई की सुविधा भी मिली है और इन दोनो सुविधाओ के कारण उत्पादन मे दो से लेकर सात-आठ गुणा तक वृद्धि हुई है। पूरे क्षेत्र मे भूमिगत (अण्डर ग्राउण्ड) पाइप लाइन देखने को मिलती है। उन्नत कृषि के प्रशिक्षण एव सिचाई सुविधा के विस्तार से कम जमीन मे अधिक पैदावार करने का अवसर मिला है। कुछ वर्ष पूर्व गावो मे कुओ का अभाव था। लेकिन आज प्राय सभी गावो मे सिचाई के लिये कुए है। गजनावाट, रगपुर, जाम्बा मोटावाटा आदि गावो मे शक्तिशाली पम्पिग सेट से गावो के लोगो को सिचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सिचाई की सामूहिक व्यवस्था का विकास हुआ है।

जाति और ग्रामसभा

सामाजिक व्यवस्था मे जाति सबसे अधिक प्रभावी तत्व है। आदिवासी प्रधान गावो मे अनेक आदिवासी उपजातिया है। इन उपजातियो की अपनी अपनी परम्पराये है। इन परम्पराओ को ध्यान मे रखते हुए ग्राम सभाओ ने अनेक विवादो को सुलझाया है। इन गावो का जातीय ढाचा एव विवाद सुलझाने की स्थिति तालिका-12 पृष्ठ 51 में दर्शाई गयी है।

इन गावो की सामाजिक सरचना को देखते हुए यह कहना उचित होगा कि इन गावो के मूल निवासी आदिवासी है। हरिजन या सवर्ण हिन्दू यहा

तालिका सख्या–11

गाव मे भूमि स्वामित्व की स्थिति एव कृषि साधन

क्र०	गांव का नाम	भूमिहीन	भूमि वितरण (परिवार सख्या)				कृषि साधन	
			5 एकड तक	6 से 10 एकड तक	11 से 20 एकड तक	20 एकड से अधिक	कुआ	पम्पिग सेट
(1)	रणपुर	3	54	17	5	00	12	4
(2)	मोटावांटा	1	59	56	9	00	13	6
(3)	धरका	1	30	115	20	10	30	6
(4)	जाम्बा	1	84	10	5	00	25	7
(5)	गजसावाट	0	1	18	0	1	7	1
(6)	रूपराइली (रतनपुर)	11	15	18	7	0	3	1
(7)	गोयावांट	0	89	40	14	2	11	8
(8)	मशोटी	4	10	83	50	4	30	12
(9)	मेघडिया	1	60	8	6	00	9	2
(10)	बिजनी	1	24	4	00	3	4	00

तालिका संख्या–12

जातीय स्थिति और ग्रामसभा द्वारा न्यायकार्य

क्र०	गांव का नाम	ग्राम सभा द्वारा निर्णित विवाद (सं०)			जाति विभाजन (प०सं०)					
		विवाह सम्बन्धी	जमीन सम्बन्धी	अन्य	अनुसूचित जाति	आदिवासी			अन्य	योग
						राठवा	भील	नायका		
(1)	रंगपुर	5	3	4	2	65	00	10	2	79
(2)	मोटावाटा	00	00	00	4	87	17	27	00	135
(3)	खरका	00	00	00	0	156	20	00	00	176
(4)	जाम्बा	7	3	2	0	88	00	12	00	100
(5)	गजलावाट	5	3	00	0	3	16	1	00	20
(6)	कपराइली (रतनपुर)	3	1	2	1	20	20	2	8	51
(7)	गोयावांट	00	00	00	2	110	28	00	5	145
(8)	मकोडी	13	12	00	1	120	30	00	00	151
(9)	मखडिया	00	00	00	0	60	00	15	00	75
(10)	बिजली	00	00	00	0	3	00	29	00	32

बाद म आये हैं। आदिवासी जातियां म राठवा, भील एव नायका हैं। वस ये सभी आदिवासी कह जात हैं, परन्तु य उपजातियों मे बट हुए है और आपस मे भेदभाव भी बरतते है। राठवा एव भील अपने को उच्च मानत हैं। परन्तु यह भेदभाव उतना कठोर नही है जितना हिन्दू सवण एव हरिजन के बीच है। ग्राम स्तर पर सभी आदिवासी हैं और आदिवासी के नाते एक सूत्र म बधे हुए है। जातीय सगठन का प्रभाव क्षेत्र, परम्परा रीति रिवाज एव सस्कार तक सीमित है। विवाह, मृत्यु आदि सस्कारो म अन्तर है।

ग्रामसभा द्वारा विवादो को सुलझाने की जो स्थिति देखने मे आई है उस पर से यह कहना चाहेंगे कि अभी तक यह बात जड नही पकड सकी या एसी व्यवस्था विकसित नही हो पायी है कि ग्रामस्तर पर लोकअदालत सुचारु रूप से चल सके। जो गाव उत्साही है उनम तो ग्रामस्तर पर लोकअदालत का काम चलता पाया जाता है परन्तु सामान्य स्थिति म लोग आश्रम की लोकअदालत मे ही जाने के अभ्यस्त हैं।

इन गावो म लोगो का शैक्षणिक स्तर काफी गिरा हुआ है। आश्रम स्थापना के पूर्व तो इस क्षेत्र म साक्षर व्यक्ति नही के बराबर थे। शिक्षा का विस्तार एव रुचि जागृत करने का श्रेय आश्रम को दिया जाना चाहिये। आरम्भ म प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम आश्रम की ओर से शुरू किया गया था। बाद मे क्षेत्र मे विद्यालयो की स्थापना हुई। आज विभिन्न सर्वेक्षित गावो म शिक्षित व्यक्तियो की सख्या इस प्रकार है

तालिका सख्या—13

गावो मे शिक्षा का स्तर

क्र०	गाव का नाम	अक्षरज्ञान	प्राथमिक शिक्षा	उ० प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	कालेज शिक्षा	योग
(1)	रगपुर	75	40	11	2	00	128
(2)	मोटावाटा	170	125	9	3	1	308
(3)	खरका	25	150	9	7	1	192
(4)	जाम्बा	38	35	00	0	00	73
(5)	गजलावाट	7	8	00	0	00	15
(6)	कपराइली (रतनपुर)	25	25	00	4	00	54
(7)	गोयावाट	35	125	20	3	00	183
(8)	मकोडी	30	124	26	7	00	187
(9)	मखडिया	7	30	00	3	00	40
(10)	बिजली	10	50	00	0	1	61

शिक्षा के प्रति गाव के लोगो की रुचि ग्रामतौर पर कम है। य बच्चा की पढाई मे रुचि नही दिखाते ग्रौर उनके बच्चे घर के काम काज म लगे रहते है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोगो की सख्या ग्रत्यन्त कम है। ग्राश्रम की ग्रोर से एक विद्यालय चलता है, जहा ग्रास पडोस के गावो के विद्यार्थियो के लिये स्वावलम्बी शिक्षा की व्यवस्था है। इसे जीवनशाला[1] नाम दिया गया है। यहा कम उम्र के बच्चे ग्राते है ग्रौर उन्हे सामान्य शिक्षा के साथ साथ कृषि तकनीकी तथा ग्रन्य जीवनोपयोगी विषयो का शिक्षण दिया जाता है। यहा से निकले हुए विद्यार्थी घर पर जाकर ग्रच्छी खेती करते हैं ग्रौर गाव की तकनीकी ग्रावश्यकता को भी पूर्ति करते है। ग्राश्रम की जीवनशाला शिक्षा के क्षेत्र म एक ग्राकर्षक प्रयोग है जहा स्वावलम्बी शिक्षण की प्रेरणा मिलती है।

लोकग्रदालत ग्रौर ग्राम पचायत

लोकग्रदालत ग्रौर ग्राम पचायत के बीच तनाव देखने मे नही ग्राया। ग्रामदानी गाव ग्रौर न्याय पचायतो के बीच भी तनाव की स्थिति नही है। सैद्धान्तिक दष्टि से ग्रामदान का विचार व्यापक है ग्रौर इसमे स्वशासन की भावना निहित है। इस कारण ग्रामदानी गाव के विवाद न्याय पचायत मे न जाने की स्थिति म किसी प्रकार के तनाव की बात नही होती। इसी प्रकार सामान्य गावो से भी जब विवाद न्यायपचायत मे न जाकर लोकग्रदालत मे जाता है तो तनाव की सभावना नही रहती क्योकि लोकग्रदालत मे विवाद स्वच्छा से लाया जाता है। लोकग्रदालत, ग्रामदानी गाव ग्रौर न्यायपचायत के बीच सद्भाव रखने वाले निम्न तत्व देखने म ग्राये

(1) कुशल नेतृत्व—श्री हरिवल्लभ परीख के नेतृत्व के कारण उक्त सस्थाग्रो मे सद्भाव कायम रहता है।

(2) लक्ष्य की एकता—लोकग्रदालत न्यायपचायत या ग्रामदानी गावो की समस्यायें, इन सबके लक्ष्यो मे विरोधाभास नही हैं। हा, उनमे सैद्धान्तिक एव कार्य पक्ष म कमी हो सकती है।

(3) जैसा ऊपर कहा गया है लोकग्रदालत या ग्रामदानी गावो की ग्राम सभायें ग्रन्य सस्थाग्रो (ग्राम पचायत, न्यायपचायत) के काय म हस्तक्षेप नही करती बल्कि उनके साथ सहयोगात्मक सम्बन्ध रखने का प्रयास करती है।

साराश

(क) लोकप्रदालत गावो म रहने वाले विभिन्न जातियो के लोगो को एक सूत्र मे प्रावद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रही है। प्रादिवासियो एव गर आदिवासियो—सभी को लोकप्रदालत म जाने एव वहा के अनुभवा से एकता की सीख मिलती है। गावो के लोग यह महसूस करने लगे है कि ग्राम एकता कायम करने म लोकप्रदालत का महत्त्वपूण योगदान रहा है।

(ख) विवादो को सुलझाने म जातीय पचायत की परम्परागत बुराइयों को कम करने मे लोकप्रदालत का प्रभाव उल्लेखनीय है। बातचीत के दौरान प्राय सभी गावा के लोगो ने स्वीकार किया कि उन्हे अधविश्वास, भूत प्रेत एव अन्य गलत परम्पराओ को समाप्त करने की प्रेरणा लोकप्रदालत से मिली है और अब भी बराबर मिल रही है।

(ग) जातीय न्याय व्यवस्था का कार्य क्षेत्र सीमित था और कोट म जाने की प्रवत्ति मे वद्धि होने के कारण जातीय पचायत का महत्त्व उत्तरोत्तर कम होता जा रहा था। लोकप्रदालत ने इस विचार को मजबूत किया है कि स्थानीय स्तर पर विवादो को सुलझाना अधिक लाभकर है। यही कारण है कि गावो के लोग जातीय सीमा से हट-कर लोकप्रदालत एव ग्राम सभाओ के माध्यम से विवादो को सुलझाने का प्रयास करने लगे है।

(घ) गजलावाट रगपुर जाम्बा आदि गावो के लोग इस बात का विशेष प्रयास करत पाये गय कि आसपास के गावो के लोग भी अपने विवाद लोकप्रदालत के माध्यम से सुलझायें तो उनके लिए ज्यादा हितकर होगा। ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं जिनमे गजलावाट, रगपुर जाम्बा आदि गाव के लोगो ने पास के गाव के लोगो के विवाद को सुलझाने मे अपनी ओर से हर सभव मदद की[2] और जो विवाद वे नही सुलझा सके उन्हे लोकप्रदालत के सहयोग से सुलझाने का प्रयास किया।

(च) ग्रामवासियो को महाजनो पुलिस या अन्य सरकारी कर्मचारियो एव बडे किसाना आदि के शोषण एव अन्याय का मुकाबला करने की प्रेरणा लोकप्रदालत से मिलती है और उन्हे अपनी सगठन शक्ति का भान करने का अवसर मिला है।[3]

सदभ

1 देखें 'स्वप्न हुए साकार प० स० 7 9, सोसाइटी फार डेवलपिंग ग्रामदान नई दिल्ली—1972 ।

2 देखें श्री हरिबल्लभ परीख क्रान्ति का अरुणोदय, सव सेवा सघ प्रकाशन वाराणसी 1973 ।

3 दखें श्री हरिबल्लभ परीख की उक्त पुस्तक एव प्रस्तुत अध्ययन का परिशिष्ट ।

5

लोकअदालत का संगठन

सगठन

लोकअदालत का विकास क्रमश हुआ है इस कारण इसके सगठनात्मक स्वरूप को बने बनाये ढाचे म बिठाना सम्भव नही है। लोकअदालत के प्रारम्भकर्ता एव उसमे लगे लोगो ने भी उसके सगठनात्मक स्वरूप पर कम ध्यान दिया है। प्रारम्भ म तो यह पूर्णतया विश्वास पर आधारित मौखिक याय व्यवस्था थी और सगठन के नाम पर प्राय कुछ भी नही था। जातीय पचायत से भिन्न होने के कारण इसमे जातीय पचायत जैसी परम्परागत व्यवस्था का भी अभाव था। प्रारम्भ म श्री हरिवल्लभ परीख स्वय ही सारा काम देखत थे एव सगठन उन तक ही सीमित था। अत सगठन के बारे मे विस्तार से कुछ कहना अभी भी सभव नही हो पा रहा है। फिर भी अध्ययन के दौरान जो तथ्य सामने आये ह उन पर हम इस अध्याय मे विचार करना चाहेंगे।

लोकअदालत के सगठन के सम्बन्ध मे कालक्रम के अनुसार विचार करना उपयोगी होगा क्योकि सगठन मे स्पष्टता एव मजबूती भी उसी के अनुसार देखने म आयी है। लोकअदालत के सगठन को इस क्रम मे देख सकते है —

1 चल लोकअदालत (Mobile Lok Adalat)

2 केन्द्रीय लोकअदालत का विकास

3 लोकअदालत का मौजूदा सगठन

जैसा कि ऊपर बताया गया है इसके सगठनात्मक स्वरूप क बारे म निश्चित ढाचा प्रस्तुत करना सभव नही है और इस बारे म जानकारी का भी अभाव रहा है इसलिए इसके सगठनात्मक पक्ष पर विचार करते समय प्रत्येक अग पर उसके तीन मुद्दो को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे

1 मगठन का रूप एव पदाधिकारी

2 कार्य एव ग्रधिकार क्षेत्र

(1) प्रारम्भिक सगठन—चल लोकग्रदालत (Mobile Lok Adalat)

लोकग्रदालत की प्रारम्भिक ग्रवस्था म मगठन का खास स्वरूप नही था। सन 1950 से 55 तक यह कार्य व्यक्तिगत स्तर पर होता रहा। इस मे लोकग्रदालत का कार्य ग्रन्य कार्यो से जुडा हुग्रा था। जसा कि पहले उल्लेख कर चुके ह श्री हरिवल्लभ परीख इस क्षेत्र मे गाधीवादी विचार के ग्रनुसार समाज सेवा के काय मे लगे हुए थे ग्रौर प्रारम्भिक दिना म ही उनके सामने मुख्य सवाल यहा के विवादो को सुलझान का ग्रा गया था। उन दिना गाव गाव मे व्यक्तिगत ग्रौर पारिवारिक विवादो के साथ महाजन, पुलिस एव ग्रन्य कर्मचारियो के सम्बन्धित विवाद भी उनके सामने ग्राते थे। क्षेत्र के लोगो की ग्रार्थिक स्थिति सुधारने एव उनमे पारस्परिक सौहाद पदा करने की दृष्टि से उन विवादो को सुलझाना जरूरी था। उपरोक्त ग्रवधि म व्यक्तिगत एव सामूहिक पदयात्राग्रो का कार्यक्रम व्यापक रूप से चला जिससे सम्पर्क एव कार्य की भूमिका बनी। जहा जो विवाद उनके सामने स्वभावत ग्राये वे उन्ह सुलझाने का प्रयास करने लगे ग्रौर यही प्रयास धीरे-धीरे लोक-ग्रदालत की प्रारम्भिक भूमिका के रूप म मूत्तमान हो गये। इस प्रारम्भिक ग्रवस्था के मगठन का केन्द्रबिन्दु व्यक्ति ही था।

उस समय विवाद सुलझान मे जो प्रक्रिया ग्रपनायी जाती थी उसको दो भागो मे बाट सकते है —

(क) श्री हरिवल्लभ परीख द्वारा विवाद सुलझाने की स्थिति म सगठन।

(ख) ग्राश्रम के ग्रन्य व्यक्तियो द्वारा पदयात्रा के दौरान विवाद सुलझाने मे सगठनात्मक स्वरूप।

जिस गाव मे श्री हरिवल्लभ परीख मौजूद रहते थे, वहा लोकग्रदालत के सगठन के केन्द्रबिन्दु वे स्वय होते थे। इस प्रकार की चल लोकग्रदालत (Mobile Lok Adalat) मे उन्हे एक गाव मे एक स ग्रधिक दिनो तक भी रुकना पडता था। समय विवाद की सख्या एव प्रकृति (number and nature of cases) पर निर्भर करता था। इनकी उपस्थिति मे

(ख) पंच (ग) उपस्थित समुदाय। विवाद प्रस्तुतकर्ता एवं दूसरा पक्ष अपनी बात रखता और अध्यक्ष श्री हरिवल्लभ परीख इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते। पंच की नियुक्ति भी उतनी व्यवस्थित रूप से नहीं होती थी जितनी आज होती है। सामान्यतः गांव के प्रमुख लोग पंच का काम कर देते थे और पंच भी राय पर अध्यक्ष विवाद सुलझा देते थे। उपस्थित जन समुदाय की राय भी ली जाती थी लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह थी कि अध्यक्ष सारा काम स्वयं की जिम्मेदारी पर करके विवादग्रस्त पक्षों में समझौता करा देता था। उस समय विवादों का किसी प्रकार का विवरण नहीं रखा जाता था और न यह संभव ही था। यही कारण है कि उन दिनों के निर्णित किये गये विवादों की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं है।

आश्रम के अन्य व्यक्ति जब गांवों में जाते थे तो वे भी विवादों को सुलझाने का प्रयास करते थे। उनकी नीति भी विवाद सुलझाने में समझौते का मार्ग अपनाने तक ही सीमित रहती थी। संगठनात्मक दृष्टि से थोड़ी भिन्नता यह रहती थी कि यहां मध्यस्थ उतना प्रभावी नहीं होता था जितना पहली स्थिति में होता था। यहां गांव के प्रमुख को इस काम में पहल करने का प्रयास करना पड़ता था और आश्रम के कार्यकर्ता इस काम में मदद करते थे। यहां यह स्वीकार करना चाहिए कि इस स्थिति में सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया अधिक मजबूत थी। ऐसे विवाद जो उस समय नहीं सुलझ पाते थे, उन पर विचार करने के लिए आश्रम में निश्चित तारीख को उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाता था और तब अध्यक्ष की भूमिका पुनः उतनी ही प्रभावी एवं महत्त्वपूर्ण बन जाती थी।

लोकअदालत के प्रारम्भिक संगठनात्मक स्वरूप की प्रमुख बातों के बारे में कह सकते हैं कि (क) इस अवस्था में संगठन व्यक्ति-प्रधान था। (ख) परम्परागत जातीय पंच को खास महत्त्व प्राप्त था। (ग) सामूहिक निर्णय पर जोर दिया जाता था। (घ) विवाद सम्बन्धी लिखित विवरण का अभाव था। (ङ) अनिर्णित विवाद सुलझाने के लिये आश्रम में बैठकें होती थीं।

(2) संगठन का विकास

घूम घूमकर विवादों को सुलझाने का यह क्रम चलता रहा और विवादों की संख्या को देखते हुए यह एक व्यापक कार्य हो गया। प्रारम्भ से ही इस बात पर बल दिया जाता रहा कि ऐसी शक्ति विकसित हो जिसके आधार पर गांव के विवाद गांव में ही सुलझाए जायं। जब आश्रम के कार्य का विस्तार हुआ और काम का ढांचा भी बदला तो विवादों को सुलझाने के लिए

प्राश्रम मे प्राने वालो की सख्या भी बढने लगी। स्वभावत लोकप्रदालत की बैठकें गावो के स्थान पर प्राश्रम मे होने लगीं। इस दौरान सतत पदयात्रा का क्रम भी कम हुआ। इन दिनो लोकप्रदालत सम्बधी व्यवस्था मे एक प्रमुख परिवर्तन और भी हुआ और वह यह कि पडौस के लोग अपने विवाद प्राश्रम मे लाने लगे और विवादो की सख्या बढने के कारण यह आवश्यक हो गया कि लोकप्रदालत के काम को थोडा बहुत व्यवस्थित किया जाय। सन् 1955 से 65 की अवधि म लोकप्रदालत का केन्द्र मजबूत हुआ और सगठनात्मक स्वरूप भी थोडा निखरा। लेकिन फिर भी सगठन को किसी बने बनाये ढाचे म नहीं बाधा गया, बल्कि इसका खुला रूप ही कायम रहा। लोग विवाद लाते और अध्यक्ष द्वारा उन विवादो के बारे में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करके उन्हे लोकप्रदालत की अगली बैठक की तारीख बता दी जाती एव निश्चित तारीख को विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाता। इस स दर्भ वर्ष में सगठनात्मक स्वरूप इस प्रकार से रहा

(क) अध्यक्ष विवादो की प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करके बैठक की तारीख बताता था।

(ख) विवाद सम्बधी सामान्य जानकारी नोट कर ली जाती थी। यह काय आश्रम का कोई कार्यकर्ता या अध्यक्ष स्वय करता था।

(ग) विवाद की सुनवाई के समय प्रमुख भूमिका अध्यक्ष की होती थी। वह स्वय दोनो पक्षो की बात सुनता था और उपस्थित लोगो की राय जानकर निर्णय देता था तथा आमतौर पर उस निणय को स्वीकार कर लिया जाता था।

(घ) विवाद को गाव के लोग स्वय सुलझाये इस दिशा म प्रयास सन् 1960 के आस पास ही आरम्भ किया गया और सक्रिय एव ग्राम दानी गावो म ग्राम सभाओ की स्थापना की गयी। हर ग्राम सभा का एक अध्यक्ष होता था जो ग्रामस्तर पर लोकप्रदालत की बठक बुलाता, विवादो को सुलझाने के लिये पच की नियुक्ति की जाती एव पचो की राय से ग्राम सभा द्वारा विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाता था।

इस अवधि म लोकप्रदालत की स्थिति यह रही—

केन्द्रीय लोकप्रदालत का सगठन मजबूत हुआ—

(क) विवादो की जानकारी गक्षेप म रखे जाने की प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ।

(ख) अध्यक्ष का प्रभाव अधिक मजबूत हुआ।

(ग) ग्रामस्तर पर लोकअदालत का काम फैलना प्रारम्भ हुआ।

(3) मौजूदा सगठन

इस समय लोकअदालत का दो स्तर का मगठनात्मक स्वरूप है

केन्द्रीय लोकअन्नालत और

ग्राम लोकअन्नालन

केन्द्रीय लोकअदालत

केन्द्रीय लोकअदालत म निम्नलिखित अग ह

(क) अध्यक्ष—केन्द्रीय लोकअदालत के स्थायी अध्यक्ष श्री हरिवल्लभ परीख है। प्राय सभी बैठका म वे उपस्थित रहत हैं। लोकअदालत की बैठका म इनके नेतत्व का प्रभाव दखा जा सकता है। अध्यक्ष को व्यापक अधिकार प्राप्त है। उनका यह प्रयास रहता है कि लोकअदालत का काय स्थानीय लाग स्वय करें और यही कारण है कि वे अपने आप को माग दशन तक ही सीमित रखन का प्रयास करत हैं। फिर भी निणय प्रक्रिया मे इनकी भूमिका प्रमुख रहती है।[1] अध्यक्ष को निम्न काय करत दखा गया

(अ) विवादा को स्पष्ट करना।

(आ) सत्य जानकारी प्राप्त करने म सक्रिय रूप मे मदद करना।

(इ) निणय के समय आयी गुत्थिया सुलझाना।

(ई) करार खत तयार करना।

(उ) अ य आवश्यक मागदशन करना।

इसके अतिरिक्त विवाद की प्रारम्भिक कायवाही म भी अध्यक्ष मदद करता है। आमतौर पर विवाद के रजिस्ट्रेशन के समय वह स्वय विवाद की सामा य जानकारी प्राप्त करता है।

(ख) मत्री—लोकअदालत का एक मत्री होता है। यह मत्री आश्रम का स्थायी कायकर्त्ता होता है। अभी तक जो व्यक्ति मत्री के रूप मे कार्य करते रहे हैं वे आश्रम के स्थानीय कायकर्त्ता नही हैं। वे गैर आदिवासी भी हैं। इस प्रकार अध्यक्ष एव मत्री दोनो गैर आदिवासी रहे है परन्तु यहा के

लोगो का इन पर पूरा विश्वास देखा गया है ।

मत्री ग्रामतौर पर निम्नलिखित कार्य करता है —

(अ) विवाद का रजिस्ट्रेशन ।

(ग्रा) विवाद की सामान्य जानकारी प्राप्त कर उसे लिखना ।

(इ) पत्र व्यवहार ।

(ई) लोकग्रदालत के कार्यालय को देखना ।

(उ) बैठक के समय विवाद को प्रस्तुत करना तथा काय मे ग्रध्यक्ष की मदद करना ।

इसके ग्रतिरिक्त मत्री ग्रध्यक्ष की ग्रनुपस्थिति म लोकग्रदालत की ग्रन्य काय वाही भी देखता है । जैसा कि डा० उपेन्द्र बक्षी ने कहा है, 'ग्रध्यक्ष की ग्रनुपस्थिति में वह लोकग्रदालत में ग्राये कुछ विवादो को सुलझाता है" । लेकिन हम यहा यह भी कहना चाहेंगे कि ग्रध्यक्ष की ग्रनुपस्थित में लोकग्रदालत के काम में लोग कठिनाई महसूस करते है ।

मत्री ग्राश्रम का कायकत्ता होने के कारण उसका ग्रार्थिक भार ग्राश्रम पर होता है । कार्यालय सम्बन्धी ग्रन्य खर्च भी ग्राश्रम वहन करता है । लोक-ग्रदालत में किसी प्रकार की फीस नही है । सगठन एव व्यवस्था सम्बन्धी सभी खर्च ग्राश्रम ही उठाता है ।

(ग) **जूरी** —विवाद का सुलझाने में जूरी की भूमिका प्रमुख है । जूरी की व्यवस्था 1966 से प्रारम्भ हुई । इस व्यवस्था के विकास के पीछे मूल भावना यह रही कि स्थानीय लोग स्वय इस काम का करें ताकि इससे काय म स्थायित्व ग्राये । वर्तमान व्यवस्था मे प्रत्यक विवाद के लिये ग्रलग ग्रलग जूरी नियुक्त किये जाते है । दोना पक्षा की ग्रार से जूरी के लिये नाम मागे जाते है ग्रौर सभा की राय से ग्रध्यक्ष द्वारा जूरी की नियुक्ति की जाती है ।

जूरी का मुख्य काय विवाद के विविध पक्षो पर विचार करके निणय देना है । जूरी की सख्या ग्रामतौर पर चार—दोनो पक्षा से दा दा होती है । जूरी सभा से ग्रलग जाकर दोनो पक्षो की बात सुनते हैं ग्रौर पारस्परिक विचार विमर्श करके ग्रपना निणय देत ह । विवाद सुलझाने के बाद करारखत पर जूरी के हस्ताक्षर होते हैं । करारखत पर उनके ग्रतिरिक्त दोनो पक्षा एव ग्रध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होत है । जूरी की नतिक जिम्मेदारी यह भी दखी गयी कि वह इस बात का भी प्रयास करें कि दोना पक्ष केवल निणय को

स्वीकार ही नही करें बल्कि उस पर अमल भी करें।

जूरी को किसी प्रकार का ग्रानरेरियम नही दिया जाता। यह पद पूर्णतया ग्रानरेरी है। जूरी की योग्यता के बारे मे कोई खास नियम नही है पर वह स्वस्थ मन एव मस्तिष्क रखने वाला जिम्मेदार नागरिक हो इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाता है।

कार्यालय म उपलब्ध रजिस्टरो एव फाइलो आदि से जो जानकारी, आकडे एव सामग्री प्राप्त हो सकी, उसके आधार पर यह कहना चाहेंगे कि पहले विवाद सम्बन्धी नाम मात्र की जानकारी रखी जाती थी। यह नहीं कहा जा सकता कि अब भी कार्यालय पूर्णत व्यवस्थित है और सभी विवरण पर्याप्त मात्रा म एव सन्तोषजनक ढग से रखे जाते हैं। कार्यालय पक्ष तो इतना कमजोर देखने म आया कि निर्णित विवादो के पूरे करारखत भी प्राप्त नही हो सके। पिछले चार वर्षों के उपलब्ध करारखतो की स्थिति नीचे की तालिका मे देख सकते हैं

तालिका सख्या—14

विवाद की सुनवाई एव करारखत की स्थिति

वर्ष	लोकअदालत की बैठकों की सख्या	सुनवाई हेतु प्रस्तुत विवाद (सख्या)	प्राप्त करारखत (सख्या)	प्राप्त करारखतो का प्रतिशत
1972	13	577	33	5—72
1973*	15	574	21	3—66
1974	17	340	39	11—47
1975 (नवम्बर तक)	15	324	57	17—59

* करारखतो की पूरी फाइल नही प्राप्त हो सकी।

उपरोक्त तालिका के आधार पर यह तो कह सकते हैं कि पहले से अधिक सख्या मे करारखत रखे जाते हैं और लोकअदालत की बैठको की सख्या के बारे म भी जानकारी मिलती है। लेकिन जो विवाद निर्णयार्थ प्रस्तुत किये गये और जिनके करारखत मौजूद है उनमे काफी फर्क है। इस फर्क के बारे मे निम्न बातें सामने आयी

(क) कार्यालय व्यवस्थित न होने के कारण पूरे करारखत नही रखे जा सके।

कई विवादो के निर्णय लिखित रूप म न किये जाकर मौखिक रूप से ही दे दिय गये। जैम पति-पत्नी के बीच मतभेद के मामला मे दोना पक्ष की सहमति हो जाने पर निणय मे लेने देने सम्ब धी खास बात न होने पर दोना पक्ष गुड वितरण के बाद भागे से प्रेम पूवक रहने की प्रतिज्ञा करके घर चले जात पाये गये। इस प्रकार के सामान्य विवादो के निणय के करारखत नही रखे गय। इसी प्रकार लेन देन सम्ब धी सामा य विवाद भी मौखिक रूप स ही सुलभा दिये गये उनके कोई विवरण उपलब्ध नही हुए।

(ख) यह भी दखन म आया कि विवाद लोकअदालत म पजीकृत कराया गया परन्तु एक पक्ष के नही उपस्थित होने या अ य कारणो स उसका निर्णय लोकअदालत म न होकर ग्राम स्तर पर या आपसी समभौत द्वारा हा गया। इस स्थिति म भी करारखत नही रखा जाता। इन्हीं कारणा स करारखता की सख्या काफी कम है। करारखत की उक्त परिस्थिति के कारण जानकारी-प्राप्ति की यह कठिनाई भी आयी कि इससे यह स्पष्ट नही हो सका कि लोक-अदालत की बैठक म प्रस्तुत विवादा म से वास्तव म कितन विवादा का निणय हुआ। सन् 1971 की फाइल मे यह स्पष्ट जिक्र है कि इस वष कुल 17 बैठकें हुइ जिसमे 98 विवादा का निणय हुआ पर तु उक्त फाइल म भी केवल 35 करारखत मौजूद मिल। शेष निणयो के करारखत नही प्राप्त हो सक।

(ग) उक्त तथ्यो के आधार पर हम यह कहना चाहगे कि लोकअदालत के सगठन पक्ष को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि विवाद एव उनके निणय सम्ब धी पूरी जानकारी उपलब्ध रह सके।

(घ) सभा—लोकअदालत की बैठक के समय उपस्थित जन समुदाय सभा का रूप ग्रहण कर लत हैं। यह खुली सचालन है इस कारण सभा म उपस्थिति के लिय किसी प्रकार का बन्धन नही है। सभा का हर सदस्य निणय म मदद करने का अधिकार रखता है और सभा म उपस्थित सदस्या में स ही जूरी भी नियुक्त होत हैं।

(च) कागजात—लोकअदालत कायालय में नीचे लिखा विवरण रखा जाता है —

(अ) रजिस्ट्रेशन रजिस्टर

(आ) विवाद विवरण फाइल

(इ) करारखत फाइल

(ई) पत्र व्यवहार फाइल

(उ) रजिस्ट्रेशन फाम

(ऊ) प्रतिवादी के लिय निमत्रण पत्र

ग्राम लोकग्रदालत

(क) लोकग्रदालत के काय को स्थायित्व देने की दृष्टि से यह ग्रावश्यक है कि उसे ग्राम स्तर पर विकसित किया जाय ग्रौर हर गाव में 'स्वनिणय' की क्षमता का विकास हो। लोकग्रदालत किसी प्रकार का प्रतिद्वन्द्वी सगठन नही है।

ग्रामस्तर पर लोकग्रदालत के सगठनात्मक स्वरूप का विकास ग्रभी प्रारम्भिक स्थिति में देखने को मिलता है। इस सगठन में भी एक ग्रध्यक्ष होता है जो ग्राम लोकग्रदालत की बैठक की ग्रध्यक्षता करता है। ग्रामतौर पर ग्राम का प्रमुख व्यक्ति जो ग्रामसभा का भी ग्रध्यक्ष होता है, इसका ग्रध्यक्ष होता है ग्रौर वह विवादो को सुलझाने में हर सभव मदद करता है।

(ख) मत्री—ग्रामसभा का मत्री ग्राम लोकग्रदालत का काम देखता है। विवाद से सबधित कागजात रखने की जिम्मेदारी उसकी होती है।

(ग) पच—विवाद को सुलझाने के लिये उसी प्रकार पच नियुक्ति की व्यवस्था होती है जसी कि केन्द्रीय लोकग्रदालत मे है। कई ग्राम सभाग्रो मे स्थायी पचो की भी व्यवस्था है जो विवाद सुलझाने मे मदद करते हैं। पचो का काय विवाद के बारे मे पूरी जानकारी प्राप्त करके निणय देना एव उसकी पूर्ति का प्रयास करना होता है।

(घ) सभा—गाव के सभी बालिग स्त्री पुरुष ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम स्तर की सभा प्राय वे ही काय करती है जो कि केन्द्रीय लोकग्रदालत की सभा करती है।

विवाद का केन्द्रीय लोकग्रदालत मे भेजा जाना

यदि ग्राम लोकग्रदालत मे विवाद नही सुलझ पाता तो (ग्र) ग्राम लोक-ग्रदालत ग्रपनी ग्रोर स विवाद को केन्द्रीय लोकग्रदालत मे भेज देता है या (ग्रा) वादी प्रतिवादी मे से कोई एक या दोनो ही स्वय विवाद को केन्द्रीय लोकग्रदालत म ले जाते है।

साराश

(क) केन्द्रीय लोकअदालत मानन्द निकेतन आश्रम म चलती है ।

(ख) केन्द्रीय लोकअदालत का प्रमुख अध्यक्ष होता है । अध्यक्ष सामान्यतया मार्गदर्शन का काम करता है और विवाद सुलझाने म इसकी प्रमुख भूमिका होती है । सत्य तक पहुचने एव गुत्थिया को सुलझाने मे भी इसकी प्रमुख भूमिका रहती है ।

(ग) एक मत्री होता है जो अध्यक्ष की मदद करता है । मत्री कार्यालय को सभालने के साथ साथ विवाद सम्बन्धी जानकारी भी रखता है ।

(घ) विवादो को सुलझाने के लिय प्रत्येक विवाद के लिय जूरी की नियुक्ति होती है । वादी प्रतिवादी द्वारा दिये गये नामो मे से चार व्यक्तिया को अध्यक्ष सभा की सहमति से जूरी नियुक्त करता है । जूरी दोनो पक्षा की राय से विवाद सुलझाने का प्रयास करता है एव अपना निणय देता है । सभा म उपस्थित कोई भी सतुलित मानस का व्यक्ति जूरी के रूप म काम कर सकता है ।

(च) लोकअदालत म काम करने वाल सभी व्यक्ति आनरेरी रूप मे काम करत है । अध्यक्ष एव मत्री का आर्थिक सबध आश्रम से रहता है ।

(छ) ग्राम लोकअदालत का विकास करके लोकअदालत के काय को स्थायित्व दने एव उसे विकेन्द्रित करन का प्रयास किया जा रहा है । ग्राम लोकअदालत मे अध्यक्ष, मत्री एव पचगण इस काम को सभालते है । कार्यपद्धति केन्द्रीय लोकअदालत से मिलती जुलती है ।

(ज) लोकअदालत के सगठन का कोई बना बनाया ढाचा नही है । इसका विकास क्रमश हुआ है और इस प्रकार इसम परम्परा का प्रमुख स्थान है ।

(झ) लोकअदालत को तभी स्थायित्व प्राप्त हो सकता है जब कि उसका सस्थात्मक ढाचा मजबूत हो । मौजूदा सगठनात्मक ढाचे का देखते हुए यह स्थिति देखन म आयी कि सगठन म एक व्यक्ति के नेतृत्व का प्रभुत्व है । इस बात की पुष्टि साक्षात्कार के दौरान भी हुई । ग्रामस्तर पर सुलझाये जाने वाले विवादो की सख्या को देखने पर भी यह बात प्रगट होती है हालाकि उत्तरदाताओ न यह सभावना व्यक्त की है कि मौजूदा अध्यक्ष की अनुपस्थिति म भी लोकअदालत सफलतापूर्वक चल सकेगी, पर तु यह सभावना ही है—वस्तुस्थिति

नही। इन बातो पर विचार करने पर सगठनात्मक पश पर एक व्यक्ति के नतृत्व के कारण इसके सस्थात्मक स्वरूप के विकास म कमी देखने को मिलती है। यह कमी इसके सगठनात्मक स्थायित्व के बारे म भी शका को जन्म देती है।

सदभ

1 देखें निणय प्रक्रिया का अध्याय।

2 डा० उपेन्द्र बक्शी लोक प्रदालत एट रगपुर ए प्रिलिमिनरी स्टडी —1974।

6

लोक अदालत की कार्य पद्धति

प्राचीन समाज मे विवाद सीमित थे और विवादो का फैसला आमतौर पर ग्रामस्तर पर होता था। लेकिन आज विवादो का दायरा काफी व्यापक हो गया है और उनके समाधान के लिए बने कानूनो की सख्या भी बहुत अधिक हो गई है कानून और विवाद की इस गुत्थी को सुलझाना आम आदमी के बस की बात नही है। इसके लिये वकील व्यवस्था का प्रारम्भ और विस्तार हुआ है और मौजूदा न्याय व्यवस्था मे विवाद को सुलझाने म वकीलो की महत्त्वपूण भूमिका होती है। लोकअदालत मे स्थिति बिलकुल भिन्न है। यहा प्रत्यक्ष विचार-विनिमय और सरल निर्णय-प्रक्रिया होने के कारण मध्यस्थ की भूमिका नगण्य होती है।

सामान्यतया व्यक्ति इस बात का प्रयास करता है कि विवाद न हो। विवाद हो ही नही यह उत्तम स्थिति है, परन्तु यदि वह हो जाय तो श्रेयस्कर यही है कि विवाद इस प्रकार सुलझाया जाय कि विवादग्रस्त पक्षो के पारस्परिक सम्बध मे वह स्थिति बनी रह जाय जैसी विवाद न होने या प्रारम्भ होने की स्थिति मे थी। लोकअदालत विवाद सुलझाने मे ऐसी प्रक्रिया अपनाने का प्रयास करती है जिससे पारस्परिक सम्बधो मे तनाव की स्थिति न रहे और सम्बन्ध सुधर जावें।

वतमान न्यायालय कानूनी दृष्टि से न्याय देता है परन्तु लोकअदालत न्याय का सामाजिक पक्ष भी प्रस्तुत करती है। न्यायालय का कार्य मात्र दोषी व्यक्ति का दोष सिद्ध करना एव उसे दड देना ही नही होना चाहिये बल्कि उसके साथ दो बातें और भी जुडी हैं (क) वह आगे इस प्रकार का कार्य न करे एव उसका सुधार हो और (ख) पारस्परिक सम्बन्धो म सुधार हो क्यो कि विवाद का प्रभाव स्व (self) के साथ साथ समाज (society)

पर भी पडता है और इस प्रकार विवाद से सामाजिक परिवेश भी प्रभावित होता है। इसलिए न्याय प्राप्ति के बाद विवाद का प्रभाव दोनों स्तर पर समाप्त हो सके, इसका लोक अदालत की कार्य पद्धति मे विशेष महत्त्व है। इन बातो को मूर्त रूप देने की न्याय प्रक्रिया की खोज करने का प्रयास लोक अदालत करती है।

विवाद होने के क्रम मे अनेक स्थितिया होती हैं। कोई भी विवाद यकायक नही होता बल्कि उसके पीछे लम्बे समय से चला आ रहा मतभेद होता है। हम आमतौर पर देखते हैं कि विवाद का प्रारम्भ छोटी छोटी बातो को लेकर होता है और समय आता है जब विवाद को न्यायालय मे प्रस्तुत करना पडता है। जैसे महाजन सम्बन्धी विवाद का प्रारम्भ गलत हिसाब या लेन देन मे फेर होने या इन्कार करने से होता है। पारिवारिक एव विवाह सम्बन्धी विवाद का प्रारम्भ तो अक्सर छोटी छोटी बातो को लेकर ही होता है। लोकअदालत के अवलोकन से इस बात की पुष्टि हुई कि पारिवारिक विवादो का प्रारम्भ पति पत्नी के बीच मारपीट, भोजन न देना, ससुराल न आ पाना, यौन सम्बन्ध मे विषमता आदि से होना पाया गया है और यह सब एकाएक न होकर धीरे धीरे होता है। पारिवारिक विवाद सामान्यतया दो से चार वर्षों मे इस स्थिति मे पहुचता पाया गया कि वह अदालत मे जाय। कौन सा विवाद कितने समय म अदालत म जाता है, यह पारिवारिक सम्बन्ध एव सहिष्णुता पर निर्भर करता है।[1]

लोकअदालत मे आने की प्रेरणा

किसी व्यक्ति को लोकअदालत मे आने की प्रेरणा क्यो होती है इस सम्बन्ध मे सर्वेक्षित गावा से आये विवादो के बारे म जानकारी प्राप्त करने लोगो से बातचीत एव लोकअदालत की बैठक का अवलोकन करने के बाद निम्न तथ्य सामने आये हैं

(क) स्वय की जानकारी—इस क्षेत्र के करीब एक सौ गावो मे लोक-अदालत का प्रभाव है। इन गावो के बहुसख्यक निवासियो को आमतौर पर यह जानकारी है कि लोकअदालत म विवादो को सुलझाया जाता है और यही जानकारी लोगो को लोकअदालत में आने की प्रेरणा देती है।

(ख) जानकारी के साथ विश्वास जुडने से लोकअदालत मे आने की प्रेरणा मजबूत होती है। जिन लोगो का लोकअदालत के नेतृत्व एव न्याय देने की क्षमता में विश्वास है, वे सहज ही विवादो को

सुलभान के लिय यहा आत है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी ह जिन्हे लोकअदालत की जानकारी तो है पर तु जा विश्वास की कमी के कारण यहा आन स कतरात हैं। ऐस उदाहरण भी देखने में आये कि लोगा न जानकारी हात हुए भी लोकअदालत म आने में देरी की और विवाद को बढात रहे। यह स्थिति विवाह एव पारिवारिक विवादा में अधिक पायी गई है। विश्वास का प्रश्न एक अय बात से भी जुडा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि एक पक्ष लोकअदालत म नही आना चाहता या आने म देर करता है। आमतौर पर लाग लोकअदालत म आने से इकार नही करत पर विलम्ब करत हैं। ऐसा करने के पीछे सत्य से बचने का प्रयास करने की भावना जुडी होती है। कुल मिलाकर जानकारी एव विश्वास के कारण लाग लोकअदालत मे विवाद लात हैं।

(ग) *किसी के द्वारा जानकारी दिया जाना*—जिन लोगा को लोकअदालत की जानकारी नही है व किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दने पर यहा आते हैं। इस प्रकार की जानकारी दने वालो मे मुख्य ये ह —

(i) नात रिश्त क लाग जिनका विवाद लोकअदालत न सुलझाया हो।

(ii) एसे लोग जि होने लोकअदालत की बैठका म भाग लिया हो या उसके अधिवेशन देखे हा।

(iii) लाकअदालत के कार्यकर्त्ताओ द्वारा जिनका क्षत्र की जनता से आर्थिक एव सामाजिक कायक्रमो के कारण निकट का सम्पक है।

(iv) कभी कभी महत्व के प्रश्न सुलझान से भी लोकअदालत सम्बधी जानकारी का विस्तार होता है, यथा—किसी गाव के भूमि सम्बधी मामलो के निपटारे म सरकारी अधिकारियो के पूव निणया को बदलने के प्रयास आदि।

सर्वेक्षण के दौरान एक से अधिक विवाद ऐसे भी देखने म आये जिनम विवाद प्रस्तुतकर्त्ताओ को लोकअदालत के बारे मे पहले से जानकारी नही थी और किसी अय की सलाह पर वे यहा आये। ऐसे लोग आमतौर पर दूर होत है। सर्वेक्षण के दौरान गुजरात एव मध्य प्रदेश की सीमा के ऐसे गावो से भी ऐसे लोग आते पाये गये जो लाकअदालत केन्द्र स करीब पचास

मील दूर पडते थे। एक पक्ष के ग्राने पर दूसरे पक्ष को बुलाने म थोडा ग्रधिक प्रयास तो करना ही पडता है। इस प्रकार लोकग्रदालत का काय क्षेत्र भी क्रमश व्यापक होता जाता है।

(घ) ग्रामसभा द्वारा भेजा जाना—लोकग्रदालत क सघन क्षेत्र मे ग्राम सभाग्रा द्वारा ग्रनिर्णीत विवाद लोकग्रदालत म भेजे जान की प्रवत्ति रही है। जिन गावा की ग्रामसभायें सक्रिय है वहा विवाद पहले ग्रामसभा के पास जाता है ग्रौर ग्रामसभा उसे सुलभाने का प्रयास करती है। लेकिन ग्रामसभा म विवाद न सुलभने पर या ग्रामसभा द्वारा यह महसूस किया जाने पर कि विवाद को केद्रीय लोकग्रदालत मे भेजना ठीक रहेगा उसे लोकग्रदालत के माध्यम से सुलभाने का प्रयास किया जाता है।

(ङ) ग्रामदानी गावो द्वारा गैर ग्रामदानी गावो की समस्या मे दिलचस्पी ली जाती है ग्रौर कई बार उन्होने गैर ग्रामदानी गावा के निवासिया को ग्रपनी समस्यायें लोकग्रदालत के समक्ष प्रस्तुत करने एव उसके माध्यम से उन्हे हल कराने की प्रेरणा दी।

निणय प्रक्रिया

लोकग्रदालत मे ग्राये विवादो की कार्यवाही एव निणय प्रक्रिया की ग्रनेक स्थितिया होती हैं। विवाद के लोकग्रदालत मे ग्राने एव निणय होने के बीच होने वाली प्रक्रिया को प्रो० उपेन्द्र बक्षी ने तीन मुख्य भागा म विभाजित किया है

(क) विवाद सुलभाने की दष्टि से की जाने वाली प्रारम्भिक कायवाही।

(ख) एसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से विवाद को ग्रच्छी तरह समभा जा सके ग्रौर उसकी गहराई मे जाया जा सके।

(ग) निर्णय प्रक्रिया जिसके द्वारा याय प्राप्त होता है।

चूकि लोकग्रदालत की काय पद्धति का विकास स्वाभाविक रूप से ग्रौर क्रमिक ढग से हुग्रा है, इसलिए इसमें तकनीकी कमिया हो सकती हैं। यह स्वीकार करना चाहिये कि यहा मौजूदा यायपद्धति की निर्णय प्रक्रिया का ग्रनुकरण नही किया जाता। यहा की निणय प्रक्रिया ग्रपने ढग की है ग्रौर इस ग्रपने ढग' का विकास स्वभावत ग्रनुभव तथा ग्रावश्यकता के ग्राधार पर हुग्रा है। इसमे कोई बने बनाये नियमो या सिद्धान्तो का उपयोग नही

किया गया है। लोकअदालत के अध्ययन के बाद हम यह कहना चाहेंगे कि निणय के समय मोटे तौर पर नीचे लिखी बातो का ध्यान म रखा जाता है और निणय की प्रक्रिया भी इन्ही बातो के आधार पर विकसित हुई है

(क) लोकअदालत म विवाद के प्रवश (रजिस्ट्रेशन) म सरलता रह और विवाद प्रस्तुतकर्त्ता का रजिस्ट्रेशन म कम स कम उलझाव हो।

(ख) विवाद निपटान मे स्थानीय लोगो का प्रमुख स्थान रहे।

(ग) निर्णय प्रक्रिया सरल हो।

(घ) किसी पक्ष का किसी प्रकार का भय न हो।

(ङ) विशेष आर्थिक बोझ विवादग्रस्त पक्षो पर न पडे।

(च) तथ्यो के आधार पर याय दिया जाय और निणय देने मे तत्परता बरती जाये।

लोकअदालत की बैठको का अवलोकन करन से इसकी निर्णय पद्धति की जानकारी मिलती है। लोकअदालत की प्रक्रिया को नीचे लिखी स्थितियो (stages) म दख सकते हैं।

(1) विवाद का प्रस्तुतीकरण एव पजीयन

सामा यतया विवाद प्रस्तुत करन वाला व्यक्ति लोकअदालत के मत्री (secretary) से विवाद के बारे मे चर्चा करता है लेकिन यदि अध्यक्ष उपस्थित होते हैं, तो वे स्वय विवाद को सुनते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे लोकअदालत का मत्री विवाद को सुनकर उसका रजिस्ट्रेशन कर लेता है। विवाद के रजिस्ट्रेशन मे नीचे लिखी जानकारी रजिस्टर मे नोट की जाती है

(अ) दिनाक।

(आ) वादी का नाम एव गाव।

(इ) प्रतिवादी का नाम एव गाव।

(ई) विवाद का प्रकार।

(उ) अन्य विशेष नोट।

प्रस्तुत विवाद का रजिस्टर मे नोट करने की व्यवस्था पहले नही थी। प्रारम्भिक जानकारी एक स्थान पर मिल जाय, इस दृष्टि से उपरोक्त जान

कारी 1970 स रखी जान लगी है लकिन अभी भी यह व्यवस्था व्यवस्थित नही मानी जा सकती। रजिस्ट्रेशन की कायवाही को देखत हुए यह कहना चाहगे कि काय नौकरशाही के ढग का न हो कर आपसी सदभाव के रूप म होता है। इस बात की पुष्टि यहा के काम का ढग देखकर की जा सकती है। उदाहरण के लिए विवाद कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है और कई बार रात्रि मे भी विवाद का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। जिस समय विवाद प्रस्तुत होता है, प्राय रजिस्ट्रेशन का काम भी उसी समय होता है।

विवाद का पजीयन (रजिस्ट्रेशन) सुनवाई के क्रम की प्रथम कायवाही है। इसके करीब 15 से 30 दिनो के बीच लोकग्रदालत की बठक म विवाद की सुनवाई प्राय हो जाती है। प्रथम सुनवाई म लगभग इतना समय तो लगता ही है। यदि एक पक्ष किन्ही कारणो से उपस्थित न हो सका तो उसके लिये दूसरी तारीख दी जाती है। यदि लोक अदालत की अगली बैठक की तारीख निश्चित नही होती तो विवाद प्रस्तुतकर्ता को तारीख लेने के लिए पुन बुला लिया जाता है और उसी तारीख पर उपस्थित होन के लिए प्रतिवादी को आमत्रण पत्र भेज दिया जाता है। इस बात की जानकारी भी प्राप्त की जाती है कि दूसरा पक्ष क्यो नही उपस्थित हुआ। यह प्रयास किया जाता है कि अगली बठक मे दोनो पक्ष उपस्थित हो। इस काय मे सम्बधित गाव के लोग मदद करत है।

(2) सुनवाई की सूचना

विवाद का पजीयन होने के बाद उसकी सुनवाई की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। यदि उस समय लोक अदालत की बठक की तारीख निश्चित हो गयी रहती है तो सुनवाई की तारीख निश्चित कर दी जाती है। विवाद प्रस्तुत करन वाले को नीचे लिखे नमूने का पजीयन पत्रक दिया जाता है

'लोकग्रदालत'

आनन्द निकेतन आश्रम,
पो० रगपुर (कवाट)
जिला वडोदा

तारीख

केस नम्बर

वादी

प्रतिवादी

सुनवाई की तारीख दिन

(3) सुनवाई की प्रक्रिया

विवाद की सुनवाई के समय काफी सख्या मे लोग उपस्थित होते है। सुनवाई के समय आमतौर पर आश्रम के सदस्य भी उपस्थित होते है। उपस्थिति कई बातो पर निर्भर रहती है। सामान्यतया नीचे लिखी बातो के अनुसार बैठक मे उपस्थिति की सख्या निभर करती है।

(क) उस दिन की बैठक मे सुनवाई होने वाले विवादो की सख्या। जिस दिन विवादो की अधिक सख्या होती है उस दिन उपस्थिति अधिक होना स्वाभाविक है।

(ख) विवाद का प्रकार—एक गाव के बीच, कई गावो से सम्बधित, पुलिस या अन्य कमचारियो से सम्बद्ध विवाद आदि होने पर अधिक उपस्थिति रहती है।

(ग) विवाद की प्रकृति—जमीन सम्बन्धी, कज के लन-देन, विवाह एव परिवार सम्बधी तलाक भूत प्रेत मारपीट आदि।

(घ) साक्षियो की सख्या।

(ङ) विवाद से सम्बद्ध पक्ष के लोगो का आश्रम से दूर या समीप होना।

(च) विवाद मे रुचि की स्थिति।

(छ) आश्रम मे उपस्थिति—देश के या विदेशी मित्रो का उपस्थित रहना।

विवादो के अध्ययन के दौरान विभिन्न विवादो के निणय के समय जो उपस्थित रही उसकी जानकारी नीचे की तालिका से प्राप्त हो सकती है।

तालिका सख्या–15

निणय के समय उपस्थिति

क्र०	निणय के समय उपस्थिति	विवाद सख्या	प्रतिशत
(1)	50 से 100	20	25
(2)	101 से 150	37	46—25
(3)	151 से 200	14	17—50
(4)	200 से अधिक	9	11—25
	योग	80	100—00

आमतौर पर सौ व्यक्तियो की उपस्थिति देखी जा सकती है।

सुनवाई की कार्यवाही आमतौर पर दोपहर में दो बजे प्रारम्भ होती है। पास के गावों के लोग भोजन करके आते हैं जबकि दूर गावों के लोग भोजन साथ में लाते हैं। सभी लोग आश्रम के मध्य स्थित महुआ के वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर बैठते हैं।

विवाद की सुनवाई की एक परम्परा यह भी देखने में आयी कि किसी भी बैठक में पहले उन विवादों को हाथ में लिया जाता है जो पिछली बैठक में अधूरे रह गये थे। सुनवाई के समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि दूर गाव से आने वाले विवादों पर पहले विचार हो जाय ताकि वहा के लोग आसानी से अपने गाव उसी दिन वापस जा सकें। इन सामान्य सुविधा का ध्यान रखा जाना वह सबक हैं।

वादी-प्रतिवादी का नाम पुकारने पर दोनों पक्ष आगे आकर आमने-सामने बैठते हैं। आमतौर पर अध्यक्ष विवाद के बारे में प्रश्न पूछना प्रारम्भ करता है। प्रश्नोत्तर काल में विवाद के सभी पक्षों पर खुलकर विचार विमर्श होता है। उपस्थित व्यक्तियों को भी प्रश्न पूछने का अधिकार है। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है, कि एक पक्ष अपनी पूरी बात कह ले, तभी दूसरा पक्ष अपनी बात कहे। बीच में दूसरे पक्ष का हस्तक्षेप टाला जाता है।

इस प्रकार के प्रश्नोत्तर में सभी प्रकार के तथ्य सामने आ जाते हैं। सुनवाई के दौरान नीचे लिखी बातें देखने में आयी।

(क) व्यापक प्रश्नोत्तर के दौरान उपस्थित लोगों को गलती का अन्दाज लग जाता है।

(ख) दोषी व्यक्ति अपना दोष जनसमूह के सामने नही छिपा पाता है।

(ग) विवाद के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है।

(घ) दोषी व्यक्ति द्वारा अपना दोष स्वीकार किये जाने की मन स्थिति का निर्माण हो जाता है।

इस प्रकार की सामूहिक सुनवाई की प्रक्रिया परम्परागत न्याय व्यवस्था में एक नया प्रयोग है। परम्परागत न्याय व्यवस्था में ग्राम मुखिया के स्थान एव महत्व को देखते हुए सामूहिक सुनवाई (collective hearing) का स्थान नाम मात्र का ही रहता था। डा० उपेन्द्र बक्शी[3] ने भी स्वीकार किया है कि लोक अदालत में तुलनात्मक दृष्टि से सामूहिक सुनवाई अधिक व्यवस्थित ढग से होती है।

(4) विवाद की चर्चा को समेटना

प्रस्तुत विवाद के सम्बन्घ मे दाना पक्षो का पूरी वात सुनने एव उपस्थित समुदाय की राय जानने के बाद लोक अदालत के अध्यक्ष प्रस्तुत विवाद का समेटत है। वे दोनो पक्षा की बातो को सक्षेप मे अभिव्यक्त करत हैं और उपस्थित लोगा का मन्तव्य भी जान लत है। अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य मात्र विवाद को स्पष्ट करना ही नही है बल्कि इसस विवाद को एक दिशा भी मिलती है। इस प्रक्रिया के अन्तगत अध्यक्ष विवाद के विभि न मुद्दा के सन्दभ म सामाजिक एव व्यक्तिगत व्यवहार की कमिया को दूर करने की बात भी वताते रहते हैं। जसे यदि तलाक का विवाद है ता उसकी सामाजिक अच्छाइयो और बुराइयो को स्पष्ट किया जाता है। साथ ही साथ उसके कानूनी पक्ष की भी जानकारी दे दी जाती है।

(5) पक्षकारो की नियुक्ति

इसके बाद अ यक्ष के निर्देश से विवाद के बारे म निणय देने के लिय दानो पक्षो की आर से दो दो प्रतिनिधिया के नाम सुझाये जाते हैं। प्रति-निधियो की नामजदगी म इस बात का ख्याल रखा जाता है कि (1) वे प्रत्यक्ष रूप से विवाद से सम्बद्ध न हा। (2) किसी पक्ष के रिश्तेदार न हो। उपस्थित व्यक्तियो मे से कोई भी पक्षकार जूरी के रूप मे चुना जा है। सामान्यतया आश्रम का कायकर्त्ता एव बाहर के दशक पक्षकार नही बनत हैं।

विवाद को सुलझान के लिये पक्षकारा की नियुक्ति परम्परागत न्याय व्यवस्था के स दभ म नयी चीज है। उपस्थित जन समुदाय म से कोई भी व्यक्ति (उपरोक्त बाता को ध्यान मे रखते हुए) पक्षकार बन सकता है यह इस न्याय व्यवस्था की मुख्य बात है। यह एक व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक न्याय पद्धति का स्वीकार करने की दिशा मे प्रयास है। श्री हरिवल्लभ परीख का यह मानना है कि लोक अदालत व्यक्तिपरक न रहे। इसी बात को ध्यान मे रखकर 1966 से पक्षकारो की नियुक्ति की जाने लगी। पक्षकारो की नियुक्ति म उन सामा य बातो का भी ख्याल रखा जाता है जो विवाद को समझने के लिये आवश्यक होती है जसे पक्षकार सामान्यतया बुद्धियुक्त हो, समझदार हो वयस्क हो आदि आदि।

(6) पक्षकारो को पच के रूप मे घोषित किया जाना

दोनो पक्षा के पक्षकार अध्यक्ष के सामने उपस्थित होते हैं। अध्यक्ष यह घोषणा करता है कि ये पक्षकार अब पच के रूप म विवाद के बारे म निर्णय

देंगे। उन्हें यह भी बताया जाता है कि अब वे (पक्षकार) किसी पक्ष से सम्बन्धित न होकर 'पंच परमेश्वर' की भूमिका में विवाद पर विचार करेंगे। अब वे लोक अदालत में सम्बद्ध हैं और अदालत उनसे यह अपेक्षा रखती है कि वे निष्पक्ष होकर न्याय करेंगे। इस प्रकार के निर्देश के साथ उन्हें पंच के रूप में न्याय करने को कहा जाता है। अब इन्हें (पक्षकारों को) पंच या जूरी के नाम से सम्बोधित किया जाता है। अलग अलग विवादों के लिये अलग-अलग पंच नियुक्त किये जाते हैं।

निर्णय की पंच प्रक्रिया लोक अदालत की निर्णय प्रक्रिया को आसान बनाती है। यहां एक बात यह सामने आती है कि दोनों पक्षों द्वारा पक्षकारों का चयन पंचों में नैतिकता की अपेक्षा को बढ़ा देता है। यह पक्षकार अपने पक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं, इस कारण पूर्ण तटस्थता की कठिनाई यदा कदा सामने आ सकती है। परन्तु यह बात दोनों पक्षों पर ही लागू होती है। सामान्यतः पंचगण विचार विमर्श से ऐसे निष्कर्ष पर ही पहुंचते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। यह सही है कि ऐसे अवसर भी आये हैं जब पंच अपनी उचित भूमिका नहीं निभा पाता और इससे निर्णय में कठिनाई आ जाती है। एक विवाद की सुनवाई के समय हमने स्वयं देखा कि एक पंच अपने को निष्पक्ष न रख सका और एकपक्षीय निर्णय लिये जाने के लिए अड़ने लग गया। इस स्थिति में पंचों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और विवाद पुनः अदालत के सम्मुख आ गया। पंचों कि बात अदालत ने सुनी। बातचीत के दौरान यह सिद्ध हो गया कि वह पंच एक पक्षीय बात कह रहा है। उस समय सभा में करीब 200 व्यक्ति उपस्थित थे। उस पंच की एक पक्षीय बात को सभा ने अस्वीकार किया और महत्त्वपूर्ण बात तो यह रही कि उक्त पंच ने भी अपनी भूल स्वीकार कर ली और कह दिया कि उसने पंच की भूमिका उचित ढंग से नहीं निभाई है और इसलिए उसे पंच के दायित्व से अलग कर दिया जाये। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में निष्पक्ष रह कर निर्णय देना लोक अदालत की एक विशेषता है।

(7) पंच निर्णय की घोषणा

पंचों द्वारा विचार विमर्श के बाद, उनके निर्णय की जानकारी सभा को दी जाती है। आमतौर पर पंच निर्णय सर्वानुमति से किया जाता है। यदि पंच किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते और मतभेद बना रहता है तो उस मतभेद की जानकारी सभा को दे दी जाती है। इस स्थिति में प्रायः तीन बातें होती पायी गयी (1) निर्णय को अगली बैठक के लिये रोक दिया गया। (2) सभा के साथ विचार विमर्श कर निर्णय पर पहुंचा गया।

(3) अध्यक्ष के ऊपर निर्णय का भार सौंपा गया।

जिस समय एक विवाद पर पच निर्णय की प्रक्रिया चलती है, उस समय दूसरे विवाद की अन्य प्रारम्भिक प्रक्रियायें भी चलती रहती है। इस प्रकार एक समय मे एक से अधिक विवादो की निणय प्रक्रिया चलती रहती है।

पच निणय मे कितना समय लगता है इसकी सही जानकारी देना सभव नही है। हमने यह पाया की एक विवाद पर विचार करने मे पचो को प्राय आधे घन्टे से लेकर 2 घन्टे तक का समय लग जाता है।

पच निणय मे मत स्वातत्र्य की बात साफतौर पर देखने मे आयी। हर व्यक्ति अपनी बात को खुलकर रखता है। सभी पच अपनी बात निर्भीकता से प्रस्तुत करत पाये गये। इस स्थिति मे निणय पर पहुचने के लिए यदाकदा पहल करन की भी आवश्यकता होती है। सामान्यतया ऐसे अवसरो पर भाई सभी की बातो को सुनत है एव निणय पर पहुचने म मदद करत है। इस परिस्थिति का देखत हुए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो प्रभावशाली हो और आवश्यकता पडने पर सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को सही दिशा प्रदान करता रहे।

किसी भी विवाद का समाधान खोजते समय पचो की दृष्टि तथ्यो एव मामले की वास्तविकता पर केन्द्रित रहती है सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया से स्वभावत ही विवाद की असलियत सामन आ जाती है और इसलिए विवाद का निणय तथ्यात्मक (rational) आधार पर किया जाता है किसी भावनात्मक आधार पर नही।

तथ्यो का पता लगाने मे निम्न प्रक्रियायें सहायक होती हैं

(क) सम्बन्धित पक्षो द्वारा अपने पक्ष समर्थन के लिये प्रस्तुत तथ्य।

(ख) प्रश्नोत्तर द्वारा तथ्यो की खोज का प्रयास।

(ग) सभा मे उपस्थित लोगो की निजी जानकारी।

(घ) वादी प्रतिवादी के समथको से प्राप्त जानकारी।

(ङ) यदा कदा तथ्य प्राप्त करने के लिय अपनाये गय भावनात्मक उपाय—यथा शपथ दिलाकर तथ्यो की जानकारी हासिल करना आदि।

लोक अदालत मे निणय मे निम्न मानदडो का ध्यान रखा जाता है

(अ) नैतिकता का रक्षण एव पोषण।

(आ) राज्य के कानूनो का अवलम्बन एव अनुपालन।

(इ) विवाद म सम्बन्धित पक्षो की सामाजिक एव ग्रार्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड या जुर्माने का निर्धारण ।

(8) निणय की पुष्टि

पच निणय के बाद सभा को निर्णय की जानकारी दी जाती है । विवाद के निणय की जानकारी सभा को देने के बाद सभा म इसकी पुष्टि भी करा ली जाती है । सभा से पूछा जाता है कि क्या पचो के निणय से ग्राप सब सतुष्ट है ? यदि ग्रावश्यकता होती है तो ग्रध्यक्ष द्वारा निणय का स्पष्टीकरण भी किया जाता है । जैसा कि ऊपर कहा गया है सभा से विचार विमर्श इस निर्णय प्रक्रिया का प्रमुख ग्रग है ।

निर्णय की स्वीकृति को ग्रतिम रूप देने के लिये महात्मा गाधी की जय' का उदघोष किया जाता है ।

(9) करारखत का लेखाबद्ध किया जाना एव उस पर हस्ताक्षर

निर्णय को लिखित रूप देने के लिये करारखत तैयार किया जाता है । करारखत मे निर्णय का लिखित रूप प्रदान करने के साथ जिस पक्ष को दोषी पाया जाता है उसका भी सक्षेप म उल्लेख किया जाता है । इसमे निणय दड, समझौते ग्रादि का उल्लेख भी होता है । कई विवादों म तो करारखत एक प्रकार के समझौता पत्र के रूप म रहता है । जैसे तलाक सम्बन्धी विवादो म यदि ग्रापसी मेलजोल हो गया या किसी प्रकार का दड नही दिया गया ग्रौर दोनो ने भविष्य म प्रम से रहने का निणय किया तो ऐसे विवाद म करारखत म समझौते की शर्तें भी लिखी जाती है ।

इस करारखत पर वादी प्रतिवादी दोनो के हस्ताक्षर या ग्रगूठा निशान होता है । इसके ग्रतिरिक्त पचो एव ग्रध्यक्ष के हस्ताक्षर भी होते है ।

(10) गुड-वितरण

करारखत लिखा जाने के बाद विवाद के निणय की ग्रतिम प्रक्रिया गुड वितरण की होती है । सभा म उपस्थित सभी व्यक्तियो को गुड वितरित किया जाता है । गुड वितरण से निर्णय की पुष्टि ग्रतिम रूप से होती है । गुड की रकम ग्रामतौर पर दोनो पक्षो द्वारा बराबर दी जाती है ।

गुड की रकम कितनी होगी, यह कई बातो पर निभर होता है जैसे व्यक्ति की सामर्थ्य विवाद की स्थिति दण्ड की मात्रा ग्रादि । गुड का वितरण कौन करेगा, इसका भी कोई निश्चित नियम नही है । ग्राश्रम का सदस्य या कोई भी ग्रन्य व्यक्ति गुड वितरण करता हुग्रा पाया गया ।

गुड वितरण प्रतीकात्मक क्रिया है। सामुदायिक व्यवस्था मे इस प्रकार की परम्परा का खास महत्त्व होता है। समस्या का समाधान होने पर पूरा समाज खुशी व्यक्त करता है और इस उपलक्ष म मुह मीठा करना एक अच्छी परम्परा है। परम्परागत आदिवासी समाज मे इसी परम्परा का एक रूप शराब पीना पाया जाता है। आदिवासी समाज म, खासकर भीलो म विवाद के निपटारे के बाद शराब पीने की परम्परा का जिक्र प्रो टी बी नायक ने भी किया है। उनके अनुसार भील समाज मे मुखिया द्वारा शराब पीने पिलाने के बाद यह घोषणा की जाती है कि अब किसी प्रकार का झगड़ा शेष नही रहा है और भविष्य मे आप झगडा नही करेंगे और मित्र के रूप म रहगे।[1] लोक अदालत ने गुड वितरण की परम्परा विकसित करके पुरानी परम्परा को शुद्ध बनाया है। इसम पुरानी परम्परा म शुद्धता आने के साथ साथ निर्णय की स्वीकृति की भावना कायम रहती है। गुड वितरण के प्रश्न पर किसी प्रकार का मतभेद देखने म नही आया। गुजरात मे पूर्ण शराब बदी होने तथा आश्रम द्वारा शराबबदी के पक्ष मे वातावरण बनाने के कारण शराब के स्थान पर गुड वितरण की परम्परा का स्वागत भी किया गया है।[5]

लोक अदालत तुलनात्मक दृष्टि से कम खर्चीली है। गुड वितरण का नाममात्र का खर्च प्राय सभी विवादो मे होता है। गुड के अतिरिक्त जो अन्य खर्च होता है उसका विवरण देना सभव नही है और एक दृष्टि से यह ठीक भी है क्योकि इसके अतिरिक्त विवाद पर प्राय अन्य प्रकार का नकद व्यय होता नही पाया गया। नजदीक के गावो के सभी लोग भोजन करके आते है या शाम का घर जाकर भोजन कर लेते है। पास पड़ोस के लोग पैदल ही आते जाते है। अत यहा के लोगो की दृष्टि मे लोक अदालत म कोई खर्च नही होता है।

कुछ विवादो मे दण्ड अवश्य दिया जाता है। दण्ड की मात्रा लोकअदालत के निर्णय के दौरान निश्चित की जाती है। विभिन्न प्रकार के विवादो मे दण्ड की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तलाक सम्बन्धी विवादो म आम तौर पर किसी एक पक्ष को ही दण्ड देते हुए पाया गया। इसी प्रकार मार-पीट, लेन देन सम्बन्धी विवादो म भी एक ही पक्ष को दण्ड देते हुए पाया गया।

विभिन्न विवादो म दिये गये दण्ड एव गुड वितरण म हुए खर्च के तथ्यात्मक आकडे निम्न प्रकार है

तालिका संख्या–16

लोकअदालत मे खर्च एवं दण्ड संख्या–80

क्र०	गुड पर खर्च (रुपये में)	संख्या	वादी प्रतिवादी दण्ड की मात्रा (रुपये म)					
			51 100	101 150	151 200	201 250	300 से अधिक	योग
(1)	1 स 10	48	1	3	00	2	6	12
(2)	11 से 20	13						
(3)	21 से 30	14						
(4)	31 स 40	00						
(5)	41 स 50	3						

कुल सर्वेक्षित 80 वादी प्रतिवादियों म से केवल 12 वादी प्रतिवादियो को ही दण्ड दिया गया है। तीन सौ से अधिक रुपये के दण्ड वाले विवादो की संख्या अधिक है। उक्त प्रका को देखने से यह बात स्पष्ट होती है कि उन विवादो की संख्या कम है जिनमे दण्ड दिया गया है। आमतौर पर समझौता किया जाता है। इसस यह भी साफ होता है कि लोकअदालत अधिक आर्थिक दण्ड दिये जाने के पक्ष मे भी नही है। ऐसा एक भी उदाहरण देखने म नही आया जिसमे शारीरिक दण्ड दिया गया हो। गुड वितरण पर हुआ खच भी कम है। सामान्यतया अधिकतर मामलो मे 5 से 15 रुपये तक का खर्च होता पाया गया। दो विवाद ऐसे भी पाये गय जिसम गुड वितरण नही किया गया। ये विवाद प्रारम्भिक वर्षों के थे।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोक अदालत की कार्य पद्धति वैधानिक न्यायालयो की काय पद्धति की तुलना म अपेक्षाकृत कम खर्चीली, सहज एव सरल प्रतीत होती है। यदि वैधानिक न्यायालयो की काय पद्धति म भी उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कुछ सुधार किये जा सकें तो जन साधारण को शीघ्र एव सस्ता न्याय प्राप्त करने म सहूलियत हो सकती है।

साराश

(1) न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया इस प्रकार की हो जिसमे विवाद से सम्बद्ध

पक्ष के समक्ष कम से कम कठिनाई आये, इसका प्रयास लोकअदालत में किया जाता है। मौजूदा न्यायालयों में कानूनी उलझनें एवं न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता के कारण सामान्य जन, खास कर गाव के लोग, काफी कठिनाई महसूस करते है। यही कारण है कि न्याय-काय में वकील की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गयी है। लोकअदालत विवाद को स्थानीय स्तर पर सामुदायिक प्रक्रिया के आधार पर सुलझाने का प्रयास करता है। प्रक्रिया में इस बात का प्रयास रहता है कि विवाद सुलझने एवं न्याय प्राप्ति के बाद व्यक्ति (self) एवं समाज (society) दोनो स्तर पर ही विवाद का तनावात्मक प्रभाव समाप्त हो और विवाद के पहले जैसा वातावरण एवं सम्बन्ध स्थापित था वैसा ही वातावरण एवं सम्बन्ध पुन कायम हो।

(2) लोक अदालत का काय पद्धति का विकास स्वाभाविक रूप से हुआ है, इस कारण इसका बना बनाया नियम नहीं है। सामान्यतौर पर इसकी काय पद्धति में नीचे लिखी बातो को ध्यान में रखा जाता है—

(1) विवाद के प्रवेश (रजिस्ट्रेशन) में सरलता और कम से कम उलझाव।

(2) विवाद का निणय तथ्यो के आधार पर विवादग्रस्त पक्षो की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय स्तर पर हो।

(3) निणय मे जन भागीदारी (सामुदायिक तत्व)।

(4) प्रक्रिया सरल हो।

(5) भय एवं दबाव न हो।

(6) आर्थिक बोझ न पड़े।

(7) सस्ता एवं शीघ्र न्याय मिले।

(8) पश्चाताप एवं हृदय परिवतन शारीरिक दण्ड का स्थान ग्रहण करे और दण्ड में मानवीय पहलुओं का प्रमुख स्थान रहे।

(3) उपरोक्त बातें लोकअदालत ने सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार कर रखी हैं। सिद्धान्त एवं व्यवहार की दूरी न रहे इस बात का प्रयास करने के बावजूद व्यवहार मे प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ कठिनाइया देखने

मे ग्रायीं। लाकग्रदालत का मस्थात्मक ढाचा मजबूत न होने के कारण दूर गाव के लोगा का विवाद सुलझाने के लिए केन्द्रीय लोक-ग्रदालत मे ग्राना पडता है क्याकि ग्राम स्तर पर इसका सगठन ग्रभी भी कमजोर है। यही कारण है कि कभी कभी लोकग्रदालत की बैठक की तारीख प्राप्त करने मे वादी प्रतिवादी को कठिनाई होती है। यह कठिनाई ग्रध्यक्ष की व्यस्तता के कारण भी हो सकती है। यह स्थिति एक व्यक्ति के लोकग्रदालत पर ग्रधिक प्रभाव के कारण भी उत्पन्न हुई मानी जा सकती है।

(4) लोकग्रदालत की प्रक्रिया म ग्रध्यक्ष, मत्री पच एव सभा का महत्त्व-पूर्ण स्थान होता है। उक्त सगठनात्मक इकाइयो द्वारा न्याय काय किया जाता है। ग्रध्यक्ष इस बात का प्रयास करता है कि निर्णय पच द्वारा सभा की सहमति से किया जाय। पचो को इस बात की छूट रहती है कि वे भी खुलकर ग्रपनी राय व्यक्त करें। ग्रभिव्यक्ति की इस स्वतत्रता का प्रभाव यह भी पडता देखा गया कि यदाकदा विवाद के निणय म कठिनाई हाती है ग्रौर मामले की सुनवाई ग्रगली बैठक के लिए स्थगित हो जाती है। यह भी देखने म ग्राया कि कई बार पचो की राय म काफी भिन्नता रही या कभी कभी पच तटस्थता की भूमिका का निर्वाह न कर सके।

(5) सामान्यतौर पर कार्य-पद्धति म दो प्रकार की कमियां ग्रौर देखन मे ग्रायी (1) सगठनात्मक, (2) प्रक्रियात्मक। सगठन मे ग्रध्यक्ष के प्रभाव एव महत्त्वपूण भूमिका के कारण इसकी ग्रन्य इकाइया (मत्री पच सभा) की भूमिका कभी-कभी गौण हो जाती है। यह प्रश्न लोक-ग्रदालत के मस्थात्मक स्वरूप से भी जुडा हुग्रा है जो इसके स्थायित्व के प्रति शका प्रकट करता है। प्रक्रिया सम्बन्धी कमियो म मुख्य बात सामुदायिक निर्णय की प्रक्रिया के स्पष्ट चित्र का ग्रभाव है। ग्रभी तक लोकग्रदालत वह स्वरूप विकसित नही कर पायी है जिसस सामुदायिक निणय की प्रक्रिया सहज म चल सके। पचो को एक राय होने की कठिनाई व्यक्तिगत स्वार्थ स मुक्ति सभा द्वारा विवाद के बारे म शीघ्र निणय पर पहुचने की कठिनाई ग्रादि भी यदा कदा सामने ग्राती रहती है।

सदभ

1 श्री हरिवल्लभ परीख के साथ चर्चा व आधार पर।

2 प्रो० उपेंद्र बक्षी एव डा० एल०एम० सिंघवी लोक अदालत एट रगपुर ए प्रीलिमिनरी स्टडी दिल्ली विश्वविद्याय दिल्ली 1974।

3 The element of public participation in the traditional system of informal dispute handling was thus comparatively minimal Dr Upendra Baxi (*ibid*) page 20, Delhi University, Delhi 1974

4 देखें टी०बी० नायक उपरोक्त पष्ठ 230।

5 The drinking ceremony follows the headman s address Now you need not quarrel any further You will now drink together and from now you are friends

7

निर्णय की पूर्ति

पूर्ति की समस्या

लोक अदालत की निणय प्रक्रिया पूरी होने के बाद निणय की पूर्ति का प्रश्न आता है। जैसा कि हमने देखा है लोकअदालत मे स्वेच्छा से निणय स्वीकार किया जाता है। इस कारण निणय की पूर्ति मे खास कठिनाई नही आती। सामान्यतया लोग निणय के बाद इस पर अमल करते ही है। हा, कई कारणो से एव मानवीय गुण-दोष सीमा को स्वीकार करते हुए निर्णय की पूर्ति म यदाकदा कठिनाइया भी आ जाती है।

साक्षात्कार के दौरान लोकअदालत के निणय के बाद उसकी पूर्ति की दृष्टि से कुछ बातें इस रूप म देखने मे आयी—

(1) किसी विवाद मे दोनो पक्षो की पूर्ण सतुष्टि न होने पर या किसी एक पक्ष के मन मे शका रहने पर निर्णय की पूर्ति मे कठिनाई आती है।

(2) कई ऐसे विवाद होते है जो व्यक्ति के स्वभाव, पारिवारिक राग द्वेष एव स्वाथ से प्रेरित होते हैं जसे, प्रेम सम्बध, तलाक की उलझी हुई परिस्थिति आदि। इस स्थिति मे निणय होने पर भी दोनो पक्षो का मन साफ नहीं हो पाता है।

(3) एक पक्ष का मन बदलने या किसी के बहकावे मे आकर सरकारी न्यायालय मे जाने के कारण भी निणय की पूर्ति नही हो पाती है।

(4) ऐसे मौके भी देखने मे आये जिनमे निणय की पूर्ति के लिये कुछ समय दिया जाता है। इस दौरान पैसा न जुटा पाने या मशा बदल जाने पर भी निणय पूर्ति मे बाधा आती है।

उपरोक्त परिस्थितियो मे लोकअदालत के सम्मुख निणय की पूर्ति की

समस्या ग्राती है। लोकग्रदालत के पास दण्ड शक्ति का ग्रभाव है। इस कारण उसका निणय पूर्ति का तरीका भिन्न है। सरकारी न्यायालयो के निर्णय की पूर्ति म पुलिस मददगार होनी है ग्रौर निर्णय पूर्ति (यदि ग्रागे ग्रपील नही की तो) मे कोट के ग्रादेश का प्रमुख स्थान हाता है। इस ग्रादेश के पालन मे पुलिस के सहयोग से न्यायाधीशगण स्वय भी निणय की पूर्ति के लिए निणय न मानने वाले को जेल भेज देत हैं ग्रथवा उसकी सम्पत्ति नीलाम करन की ग्राज्ञा जारी कर दत हैं जबकि लोकग्रदालत के पास एसी कोई शक्ति एव व्यवस्था नही है। साथ ही लोकग्रदालत इस प्रकार की व्यवस्था म विश्वास भी नही रखती।

लोकग्रदालत न विभिन्न प्रकार के विवादो म जा निणय दिय हैं उन्हें समेट कर देखें तो स्थिति ग्रधिक साफ होगी। विभिन्न विवादा म जिस प्रकार के निणय किये गय, उ हें सक्षेप मे नीचे लिखे रूप मे विभाजित कर सकते हैं

(क) नकद दण्ड दिया जाना।

(ख) लेन देन के मामला म हिसाब को समझ कर उसे स्पष्ट करना ग्रौर जो भी लेना देना हो, उसकी पूर्ति कराना।

(ग) जमीन के प्रश्न पर जमीन वापस दिलाना ग्रौर इस मद म यदि कोई लन देन जुडा हुग्रा हो तो उसकी पूर्ति करना।

(घ) तलाक सम्ब धी ऐसे विवादो म जिनम किसी के पूव सम्बन्ध पहल से कायम हुये पाय जायें, पुनर्विवाह की ग्रौपचारिक रस्म पूरी किये जाने की ग्रनुमति।

(ङ) तलाक सम्बन्धी विवाद मे तलाक दिलाना।

(च) पारिवारिक कलह म समझौता एव प्रेम का वातावरण कायम करने का प्रयास करना।

(छ) ऐसे निर्णय जिनमे स्थायी नुकसान की पूर्ति की व्यवस्था की गई हो। जैसे शारीरिक क्षति के एक विवाद म इस प्रकार निणय की पूर्ति होती पायी गयी कि दोषी व्यक्ति द्वारा उस समय तक पीडित परिवार की खेती की व्यवस्था की जायेगी जब तक कि पीडित व्यक्ति का लडका खेती करने लायक न हो जाय।

पूर्ति की प्रक्रिया

निणय के उपरोक्त प्रकारो की पूर्ति मामा यतया स्वेच्छा से होती पायी गयी। यह बात भी दखने मे ग्रायी कि वादी प्रतिवादी दाना ही प्राय निणय की पूर्ति क लिय तत्पर रहत हैं। विवाह तलाक पारिवारिक कलह ग्रादि के मामला म तो निर्णय की पूर्ति तुरत भी होती पायी गयी। प्रत्यक्ष ग्रवलोकन एव साक्षात्कार क दौरान प्राप्त जानकारी के ग्राधार पर निणय की पूर्ति की नीच लिखी स्थितिया देखन म ग्रायी

(1) नक्द दण्ड की स्थिति म दण्डित व्यक्ति उसी समय ग्रपन पास से दण्ड की रकम का भुगतान कर देता है।

(2) कुछ लोग उसी समय किसी ग्र य व्यक्ति से लेकर भी दण्ड की राशि का भुगतान कर दत है।

(3) कई निणयो म करारगत म दण्ड देने की तारीख नियत कर दी जाती है ग्रौर उस तारीख तक वह दण्ड की रकम दे देता है। नक्द दण्ड न दिय जान पर ग्र य जा भी निर्देश दिय गये हा उनकी पूर्ति कर देता है।

(4) करारवता म इस बात का उल्लेख भी पाया गया है कि निणय की पूर्ति न होने पर ग्रागे क्या कायवाई होगी या कितना ग्रतिरिक्त दण्ड दिया जायगा।

(5) एसे विवादो की सख्या ग्रधिक है जिनम समझौते के रूप म निणय दिया गया है। समझौता प्रदान विवादो म तलाक वैवाहिक उलझनें पारिवारिक कलह ग्रादि मुख्य हैं। व्यक्तिगत वाद विवाद या मामा य मारपीट सम्ब धी झगडे भी इसी श्रेणी मे ग्राते है। इस प्रकार के विवादो से सम्ब धित निर्णय की पूर्ति तत्काल होती पायी गयी यथा—

   (क) तलाक की घाषणा एव सम्ब ध विच्छेद की बात दोनो पक्षो द्वारा स्वीकार कर ग्रलग हा जाना। महिला ग्रामतौर पर ग्रपने परिवार द्वारा दिया गया कडा खोल कर पिता के घर चली जाती है।

   (ख) यदि किसी से प्रेम सम्ब ध है ग्रौर तैयारी है तो तलाक के साथ साथ विवाह की रकम भी पूरी कर दी जाती है।

   (ग) पारिवारिक कलह एव ग्र य विवादो मे इस घोषणा के साथ

निणय की पूर्ति मान ली जाती है कि "अब दोनो पक्ष प्रेम से रहगे।"

निणय से सन्तुष्टि

निणय की पूर्ति के साथ इस बात पर विचार करना भी उपयोगी होगा कि विवाद से सैकडो पक्षो को निणय से किस सीमा तक स तुष्टि हुई है। वादी प्रतिवादी से साक्षात्कार के दौरान जा तथ्य सामने आये हैं उसके आधार पर निणय से स तुष्टि एव विवाद की मौजूदा स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है —

तालिका सख्या–17

निणय से सन्तुष्टि एव विवादों की मौजूदा स्थिति

क्र०	विवाद की मौजूदा स्थिति	सतोष की स्थिति				योग
		पूर्ण सतोष	सामा य सतोष	कम सतोष	उत्तर न देने वाले	
1	विवा सुलझ गया	47	21	6	6	80
2	कुछ तनाव है	50	24	6	0	80
3	सामा य स्थिति	47	19	6	8	80

वादी प्रतिवादी से साक्षात्कार के आधार पर हम यह कहन की स्थिति म हैं कि 47 उत्तरदाताओ की राय म उहे लोकअदालत के निणय से पूण स तोष है और उनका विवाद सुलझ गया है एव आज भी सुलझा हुआ है। ऐसे उत्तरदाता जो यह जानत हैं कि विवाद सुलझ गया है उनमे से 21 की स तुष्टि की स्थिति सामा य है जबकि 6 लोग कम स तुष्ट रहे हैं पर तु वे भी यह स्वीकार करते हैं कि उनका विवाद सुलझा हुआ है। उत्तरदाताओ में स 50 ने माना है कि कुछ तनाव शेप रह गया है पर तु फिर भी वे निणय से स तुप्ट हैं। तनाव की बात कहने वालो म से 24 को सामा य स तोष है जबकि 5 को कम स तोप। विवाद की मौजूदा स्थिति म सामा य स्थिति प्रकट करने वाला मे 47 को निर्णय से पूण स तोप है 19 को सामा य स ताप और 6 को कम स तोप। निणय से सतुष्टि का स्तर

एव विवाद की मौजूदा स्थिति से लोकग्रदालत के निणय की पूर्ति का एक चित्र स्पष्ट होता है।

निणय से पूण सतोष एव सामा य सतोष व्यक्त करने वालो की सख्या ज्यादा है जबकि कम सतोष व्यक्त करने वालो की सख्या बहुत कम है। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि लोकग्रदालत के निणय से प्राय दोनों पक्षो को सतोष होता है। यदि किन्ही कारणो से ग्राज कुछ तनाव शेष है तो भी उससे लोकग्रदालत की न्यायप्रियता म कमी नहीं ग्राती है। लोक ग्रदालत न जो न्याय दिया वह ग्रपने स्थान पर ठीक है और उससे बहुसख्यक लोगो का पूण तथा सामान्य सतोष है। निर्णय के बाद नयी घटनाग्रो क कारण तनाव पुन पैदा हो सकता है। यह भी सभव नही है कि दोनो पक्षो को पूर्ण सतुष्टि मिले ही या भविष्य मे तनाव नही ग्रायेगा, इसकी गारन्टी लोकग्रदालत दे। यह तो व्यक्ति के भावी व्यवहार एव सदभाव पर भी निभर करता है।

जैसा कि हमने ऊपर देखा ग्रामतौर पर लोकग्रदालत के निर्णय की पूर्ति स्वेच्छा से होती है। इस बात की पुष्टि उक्त तालिका से भी होती है। यदि निणय से सतोष है तो उस पर ग्रमल करना ग्रासान हो जाता है। लेकिन इसका तात्पय यह नही कि सभी निणयो की पूर्ति सहज मे हो जाती है। कई ऐसे ग्रवसर भी देखने म ग्राय जिनमे निणय की पूर्ति म कठिनाई ग्राती है। जिन कारणो मे निणय की पूर्ति म कठिनाई ग्राती देखी गयी उन्हे इस रूप मे गिना सकते हैं

(क) एक पक्ष को ग्रसन्तोष होना।

(ख) दोनो पक्ष को पूर्ण सन्तोष नही होना।

(ग) निणय के समय कुछ बातो की ग्रस्पष्टता रह जाना या दोनो पक्षो का मन साफ न होना।

(घ) स्वार्थ।

(ङ) किसी के बहकावे मे ग्रा जाना।

लोकग्रदालत के निणय की पूर्ति न होने पर लोकग्रदालत क्या करती है? जसा कि ऊपर कहा गया है, लोकग्रदालत के निणय की पूर्ति विभिन्न प्रकार के विवादो म ग्रलग-ग्रलग ढग से होती है। यदि किसी विवाद म एक पक्ष निणय की पूर्ति नही करता है, तो सामान्यतया तीन स्थितिया होती है

(1) करारखत मे उल्लिखित दण्ड दिया जाता है। अधिकांश करारखतो म इस बात का उल्लेख होता है कि निर्णय की पूर्ति न होने पर क्या किया जाय ?

(2) निणय की पूर्ति न होन पर विवाद पुन लोकअदालत में आता है और उस पर विचार किया जाता है।

(3) निणय म शामिल पच (जूरी) निणय की पूर्ति के लिये प्रयास करते हैं।

साराश

(1) वादी-प्रतिवादी द्वारा लोकअदालत का निर्णय स्वेच्छा से स्वीकार किये जाने के कारण उस निणय की पूर्ति में विशेष कठिनाई देखने में नही आयी। फिर भी मानवीय स्वभाव की भिन्नता एव खास परिस्थितिवश यदाकदा निणय की पूर्ति मे कठिनाई आती है। विवाद के निणय में जो दण्ड का प्रावधान रहता है उसे मूतरूप देने की प्रक्रिया में ही निणय की पूर्ति न होने पर की जाने वाली कायवाही का उल्लेख करारखत में रहता है। अत यदि किसी निणय की पूर्ति नही होती है तो करारखत में उल्लिखित कार्यवाही की जाती है या विवाद पुन लोकअदालत में लाया जाता है।

(2) यह बात साफतौर पर देखने में आयी कि निणय की पूर्ति कराने के लिए पचगण भी सक्रिय रहते है। पच इस बात का प्रयास करते पाय गये कि जो निणय हुआ है उसका पालन हो। यह भी देखन में आया कि विवाद से सम्बद्ध पक्ष स्वय भी विवाद सुलझान को उत्सुक रहत है इस कारण एक बार निणय स्वीकार करन के बाद उसे क्रियान्वित करने का ध्यान रखत हैं।

(3) स्वैच्छिक स्वीकृति के कारण आमतौर पर निणय के प्रति वादी-प्रतिवादी को सामान्यत सन्तोष रहता है। लोकअदालत म जिस प्रक्रिया से निर्णय होता है उसम अधिकतम सन्तुष्टि की गुजाइश रहती है। फिर भी यह सभव नही कि सभी विवादो म दोनो पक्षो को समान या पूर्ण सतुष्टि प्राप्त हो। सतुष्टि की तीन स्थितिया देखने म आयीं (क) पूर्ण सन्तोष (ख) सामान्य सन्तोष और (ग) कम सन्तोष। इसके साथ साथ विवाद सुलझने की स्थिति भी सभी विवादो म एक सी नही पायी गयी। विवाद के निणय के बाद उसकी मौजूदा स्थिति (सुलझाव की स्थिति) के तीन स्वरूप सामने आये—(अ) कुछ लोगो का विवाद पूर्णतया सुलझ

जाता है। (पा) कुछ लोग निणय के बाद भी आपसी सम्बधों म तनाव महसूस करते हैं और इस प्रकार उनके मन म गाठ बनी रहती है। (ग) ऐसे लाग भी हैं जो यह मानते हैं कि सामान्य स्थिति कायम तो हो गई है फिर भी कतिपय कारणा से कुछ उलझनें बनी हुई हैं। पर साथ ही व यह विचार भी व्यक्त करते हैं कि फिलहाल कोई समस्या नही है।

(4) निणय की पूर्ति न हाने की स्थिति म लाकग्रदालत के पास ऐसी एजेन्सी नही है जिसस निणय पूर्ति म आने वाली कठिनाई को दूर किया जाय। पच एक सीमा तक यह प्रयास करते है कि निणय की पूर्ति हो लेकिन निर्णय की पूर्ति करना काफी हद तक दोना पक्षा की इच्छा पर ही निभर करता है। ऐसी व्यवस्था विकसित किय जाने की आवश्यकता है जो निर्णय की पूर्ति की स्थिति को देखे और निर्णय पूर्ति न होने पर पूर्ति हेतु आगे कायवाही करे। ऐसे मामले भी देखने म आये जिनम करारखत पर हस्ताक्षर के बावजूद एक पक्ष के मन बदलने या अन्य कारणा से उसकी पूर्ति नही हो पाती है। ऐसी स्थिति म विवाद उस समय तक उलझा रह जाता है जब तक कि वह पुन लाकग्रदालत म नही आये और पुन निर्णय होकर उसकी पूर्ति न हो जाय।

४

निर्णय की प्रतिक्रिया और आस्था

लोकअदालत के निर्णय का समाज के जिन वर्गों पर प्रभाव पडता है, उनकी प्रतिक्रिया जानने पर जो तथ्य सामने आये, उन पर इस अध्याय म विचार किया गया है। यहा लोकअदालत से प्रभावित नीचे लिखे पक्षो की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया है

1 वादी एव प्रतिवादी की प्रतिक्रिया।

2 विवाद से अप्रत्यक्ष रूप से जुडे हुए लोगो यथा वादी प्रतिवादी के निकटस्थ मित्रो एव सम्बन्धियो की प्रतिक्रिया।

3 सामान्य लोगो की प्रतिक्रिया।

जो लोग लोकअदालत म आकर अपना विवाद सुलझाने का प्रयास करते हैं, लोकअदालत के निर्णय के बारे म उनकी प्रतिक्रिया का एक चित्र पिछले अध्याय म भी देखने को मिल सकता है। बातचीत के दौरान प्राय सभी लोगो ने यह राय व्यक्त की कि लोकअदालत म न्याय मिलता है इस कारण वहा विवाद ले जाते हैं। यह आवश्यक नही कि विवाद का निर्णय हमारे पक्ष म ही आये। तथ्यो के आधार पर न्याय देने की दिशा म प्रयत्नशील लोकअदालत यहा के लोगो को सस्ता, सरल एव सुलभ न्याय प्रस्तुत करती है और दोनो पक्षो की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा समाधान खोजती है जिससे दोनो पक्षो को अधिकाधिक सन्तोष हो और जनसाधारण के हृदय म नैतिकता सच्चाई एव मानवीयता और सहृदयता के गुणो का सचार हो।

विवाद लाने म आने वाली कठिनाइया जानने का भी प्रयास किया गया।

जो बातें सामने आयी वे कठिनाइया को स्पष्ट करने म मददगार हो सकती हैं। उत्तरदाताओ से तीन प्रश्न किये गय थे

(1) क्या लोकअदालत म काय पद्धति की कठिनाई महसूस होती है ?

(2) क्या लोकअदालत म आने या निणय लन म आर्थिक कठिनाई सामने आती है ?

(3) क्या एक व्यक्ति के नतृत्व के कारण कोई कठिनाई दृष्टिगोचर होती है ?

उक्त प्रश्नो के उत्तर म वादी प्रतिवादियो ने जो बात कही उसे इस तालिका मे देख सकत है

तालिका सख्या–18

विवाद से सम्बन्धित पक्षो की कठिनाइया

सख्या–80

क्र०	क्या नीचे लिखी कठिनाइया हैं ?		उत्तरदाता सख्या	प्रतिशत
1	काय पद्धति का	) हा	2	2—50
		) नहा	78	97—50
2	आर्थिक	) हा	00	0—00
		) नहा	80	100—00
3	एक व्यक्ति के नेतत्व	) हा	1	1—25
		) नहीं	79	98—75

इससे स्पष्ट हो जाता है कि कठिनाइयो से सहमति व्यक्त करने वालो की सख्या प्राय नगण्य है और जहा तक आर्थिक कठिनाई का ताल्लुक है लोक-अदालत म आने वालों के समक्ष कोई आर्थिक कठिनाई नहीं आती। इस बात की पुष्टि लोकअदालत के निर्णयो मे हुए व्यय की जानकारी से भी मिलती है। यहा की कायपद्धति सरल एव सबके समझने लायक है। निर्णय की स्वीकृति के पक्ष मे एक कारण यह भी रहा है कि अधिकाश लोगो का लोकअदालत के अध्यक्ष के नेतृत्व मे विश्वास है और प्राय सभी उत्तर-

दाताग्रो ने उनके प्रति ग्रास्था व्यक्त की है। ग्रध्यक्ष विवाद को सुलझाने मे भेद भाव नही करता ग्रौर दोनो पक्षो को सही राय देता है, यह बात भी प्राय सभी ने स्वीकार की है। केवल एक उत्तरदाता ने ही उनके नेतत्व मे शका व्यक्त की है लेकिन वह भी लोकग्रदालत की उपादयता के प्रति शकालु नही है।

लोकग्रदालत के निर्णय की प्रतिक्रिया जानने के लिये सामान्य साक्षात्कार वाले उत्तरदाताग्रो के माध्यम से जो तथ्य सामने ग्राये हैं, उनसे इस बारे म यथाथ जानकारी प्राप्त होती है। लोकग्रदालत की बैठक मे गाव का सामान्य व्यक्ति शामिल होता है ग्रौर जिस व्यक्ति का विवाद होता है उसके नात रिश्तेदार एव मित्रगण भी बठक म शामिल होत हैं।[1] लोकग्रदालत की बैठक मे भाग लने वालो को चार श्रेणियो मे विभाजित किया है (I) दशक (II) वादी प्रतिवादी (III) पक्ष-विपक्ष मे गवाही देने वाले ग्रौर (IV) जूरी (पच)। उत्तरदाताग्रा मे से कितने व्यक्तियो ने किस रूप म भाग लिया इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद निर्णय की प्रतिक्रिया के बारे म इन उत्तरदाताग्रा की राय जानना ग्रधिक उपयुक्त रहेगा। (तालिका सख्या 19 पष्ठ 95)।

लोकग्रदालत से प्रभावित गावो मे किये गये साक्षात्कार (सामान्य साक्षात्कार) म यह पाया गया कि ग्रधिकाश उत्तरदाताग्रो ने किसी न किसी रूप मे लोकग्रदालत की कार्यवाही मे भाग लिया है। जबकि ऐसे गाव या कस्बो के लोगा ने (विशेष साक्षात्कार) जहा लोकग्रदालत का प्रभाव कम है लोकग्रदालत की कार्यवाही मे बहुत कम भाग लिया है। कायवाही म भाग लने वालो ग्रौर भाग न लेने वालो की प्रतिक्रिया भिन भिन है। सामान्य साक्षात्कार वाले 99 54 प्रतिशत उत्तरदाताग्रो ने स्वीकार किया कि उन्होन दशक के रूप म भाग लिया है लेकिन विशेष साक्षात्कारियो म से एक भी उत्तरदाता न वाद विवाद, पक्ष-विपक्ष या जूरी के रूप मे भाग नही लिया। इससे यह कह सकते हैं कि विशेष साक्षात्कारियो का (जो कि सामान्यतया बुद्धिजीवी एव बाजार, कस्बों के निवासी हैं) लोकग्रदालत स निकट का सम्बन्ध नही है ये लोग लाक ग्रदालत के निणयों एव कार्यों से भी विशेष परिचित नही हैं ग्रौर इसी लिए इनकी प्रतिक्रिया भी स्पष्ट रूप से सामने नही ग्रायी है।

लोकग्रदालत के बारे म प्रतिक्रिया जानने की दष्टि से पूछे गय प्रश्नो के उत्तर म जो बातें सामने ग्रायीं, उसे लोकग्रदालत म ग्रास्था के कारणो के रूप म तालिका सख्या-20, पष्ठ 97 मे देख सकत हैं।

सामान्य ग्रौर विशेष साक्षात्कार के उत्तरदाताग्रों की प्रतिक्रिया में

भिन्नता साफतौर पर देखी जा सकती है। विषय में बारे में अपनी राय जाहिर करते हुए सामान्य उत्तरदाताओं में से 91 25 प्रतिशत ने यह मत व्यक्त किया कि लोकअदालत में विषय में न्याय मिलता है और न्याय मिलने के कारण ही उन्हें लोकअदालत के प्रति आस्था भी है। विषय उत्तरदाताओं में से 64 52 प्रतिशत ने न्याय मिलने की बात स्वीकार की और 6 45 प्रतिशत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके मन्तव्य में यह जाहिर होता है कि विशेष उत्तरदाताओं का लोकअदालत से सीधा सम्बन्ध एवं अनुभव नहीं होने पर भी उनका यह मानना है कि वहां न्याय मिलता है। लेकिन इनमें से कुछ (29 03) ने यह बात स्वीकार नहीं की कि वहां न्याय मिलता है। विशेष साक्षात्कार के उत्तरदाताओं ने अन्य प्रश्नों के संदर्भ में भी अपनी असहमति व्यक्त की है। कार्य पद्धति की सरलता, आश्रम का कार्य और ग्रामदान-विचार का प्रभाव आदि प्रश्नों के उत्तर में इन्होंने सामान्य साक्षात्कार के उत्तरदाताओं से भिन्न मत व्यक्त किया है। कुछ लोगों ने समान मत भी व्यक्त किया है। भिन्न मत व्यक्त करने वालों से प्रतिप्रश्न करने पर स्पष्ट उत्तर नहीं प्राप्त हो सके। यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि ये विशेष उत्तरदाता ऐसे हैं जिनका लोकअदालत से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। इनमें से कुछ लोग स्थानीय पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी हो सकते हैं यथा वकील सरकारी कर्मचारी आदि। ये लोकअदालत के बारे में स्पष्ट राय नहीं रखते। इन लोगों से असहमति के कारण जानने का भी प्रयास किया गया लेकिन खास जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। बातचीत के दौरान जो बातें सामने आयी उस पर से कुछ बातें इस रूप में क्रमबद्ध की जा सकती हैं

(1) विशेष उत्तरदाताओं की राय में लोकअदालत आदिवासी, अशिक्षित एवं पिछड़े क्षेत्र में ही एक हद तक सफल हो सकती है। उनकी धारणा है कि ऐसी संस्था विकसित समाज की गुत्थियां एवं मानसिक उलझाव को हल करने में सक्षम नहीं हो सकती।

(2) इनमें से कुछ लोग किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से भी लोकअदालत के बारे में अनुकूल राय नहीं रखते।

(3) लोकअदालत की सरल व्यवस्था मौजूदा पेचीदा कानूनी मुद्दों के साथ कैसे मेल खा सकती है, यह उनके मन में स्पष्ट नहीं है।

(4) लोकअदालत की सरल सीधी सुलभ एवं खुली न्याय पद्धति का कोर्ट के नियमों, कानूनों एवं वकील आदि व्यवस्था आदि के साथ कैसे मेल बैठे, यह उनके दिमाग में साफ नहीं है और कानून

तालिका सख्या–20

लोक अदालत मे आस्था के कारण

क्र०	आस्था के कारण	सामान्य साक्षात्कार सख्या 435				विशेष साक्षात्कार सख्या 31					
		सहमति		असहमति		सहमति		असहमति		उत्तर नही दिया	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	न्याय मिलना	400	91 15	35	8 05	20	64 52	9	29 03	2	6 45
2	कार्य पद्धति की सरलता	339	77 93	96	22 07	8	25 81	21	67 74	2	6 45
3	आश्रम का कार्य	16	3 68	419	96 32	16	51 61	13	41 94	2	6 45
4	ग्रामदान विचार	225	51 72	210	48 28	1	3 22	28	90 33	2	6 45
5	जाति सगठन	6	1 38	429	98 62	2	6 45	27	87 10	2	6 45

एव व्यवस्था का प्रश्न सामने आने पर लोकअदालत जैसी व्यवस्था मे अधिकार एव कार्य क्षेत्र जसे प्रश्न भी इनके दिमाग को उलझन म डाल देते है।

उक्त कारणो से बुद्धि एव कानून की उलझनो मे उलझा व्यक्ति लोक-अदालत के बारे मे स्पष्ट राय रखने मे कठिनाई महसूस करता हुआ ही पाया जाता है। फिर भी विशेष उत्तरदाताओ ने जो उत्तर दिये हैं उनमे लोक अदालत के अस्तित्व एव उपादेयता को एक सीमा तक तो स्वीकार किया ही है।

सक्षेप म, उत्तरदाताओ द्वारा व्यक्त भाव निम्न प्रकार क्रम बद्ध किये जा सकते है—

(1) निर्णय के बारे मे वादी प्रतिवादी की सामान्य प्रतिक्रिया यह देखने मे आयी कि दोना पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि यहा न्याय मिलता है। न्याय भल ही उनके पक्ष म नही जाये पर न्याय मिलता है यह विश्वास मौजूद है।

(2) वादी प्रतिवादी क निकटस्थ लाग, नाते रिश्तेदार भी यह स्वीकार करत हैं कि लोकअदालत के निणय म सही न्याय निहित रहता है। यद्यपि कई ऐसे उदाहरण भी देखते मे आये है जिसम कोई पक्ष जूरी की नियुक्ति म इस बात का ध्यान रखता है कि वह उसका पक्ष ले। परन्तु खुली निणय प्रक्रिया के कारण इस प्रकार की स्वार्थ वत्ति चलने की गुजाइश बहुत कम रहती है।

(3) सामान्य उत्तरदाताओ ने स्वीकार किया की लोकअदालत की निर्णय प्रक्रिया का देखते हुए तथ्यो के आधार पर सही न्याय मिलने का विश्वास मजबूत होता है। इन लोगो (सामान्य साक्षात्कार) मे से अधिकाश न लोकअदालत की कार्यवाही म किसी न किसी रूप म भाग लिया है।

(4) विशेष साक्षात्कार वाल उत्तरदाताओ ने लोकअदालत के निर्णय के प्रति एक सीमा तक शका व्यक्त की है। उनका लोकअदालत के साथ प्रत्यक्ष या निकट का सम्बन्ध न होने के कारण उसके निणय के बारे म शकायें है। उन शकाओ के होत हुए भी उनक द्वारा लोक-अदालत की स्वीकृति एव उसकी उपादेयता को स्वीकार किया गया है।

(5) लोकअदालत का कार्य क्षेत्र आदिवासी समाज तक सीमित होने के कारण गर आदिवासी क्षेत्र के लागो के मन मे इसकी सफलता के प्रति शका है। उनके मन मे यह बात भी है कि शायद गर आदिवासी समाज मे ऐसी व्यवस्था उतनी सफल न हो सके जितनी आदिवासी समाज मे हो रही है। गैर आदिवासी समाज मे वह कितनी सफल होगी उसकी क्या प्रक्रिया होगी यह प्रश्न अभी अनुत्तरित है।

(6) लोकअदालत द्वारा दिय गये निणया के बारे म वादी प्रतिवादी किस सीमा तक स तुष्ट होत हैं, उसका एक प्रमाण यह है कि हमने जिन विवादों एव उन पर लोकअदालत द्वारा दिय गये निणयो का अध्ययन किया है, उनमे एक भी ऐसा निणय सामने नही आया जिसको उ होने अगीकार नही किया हो और जिससे अस तुष्ट होकर निणय के विरुद्ध सरकारी यायालय की शरण ली हो। उसका दूसरा प्रमाण यह है कि हमने जिन 80 वादी प्रतिवादिया के मामलो का (67 विवादा का) बारीकी से अध्ययन किया है उनम 9 एसे विवाद भी सामने आये हैं जो पहले वैधानिक यायालयो के समक्ष याय-प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किये गये थे और जिन पर वादी प्रतिवादी का काफी रुपया और साल-दो साल का समय बरबाद हो गया था कि तु फिर भी जिन पर वैधानिक यायालया स निणय नही मिल सका और जिनका लाकअदालत न एक दो पेशियो के बाद ही दोनो पक्षा का स तोषप्रद निर्णय देकर समाधान कर दिया और पारस्परिक कटुता एव तनाव से मुक्ति दिलाकर दोनो पक्षा को एक दूसरे का शुभेच्छु और हितचि तक बना दिया लेकिन लोकअदालत के निणय के विरुद्ध सरकारी अदालत का द्वार खटखटाये जाने से सम्ब धित विवाद इनम से एक भी देखने म नही आया।

सदर्भ

1 अध्याय सात भी देखें।

9

लोक अदालत और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन

सामाजिक परिस्थिति

जसा कि प्रारम्भ म कहा गया है लोकअदालत मात्र यायिक सस्था नही है बल्कि यह याय के साथ साथ-साथ समाज के अय अवयवको को प्रभावित करने वाली समाजसेवी सस्था भी है। समाज रचना मे आयी गलत रूढियो, परम्पराओ और असामाजिक व्यवहार को परिष्कृत करने का प्रयास करना भी लोकअदालत का एक प्रमुख कार्य है। विवाद के निणय की प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष द्वारा किया गया मार्ग दर्शन इसमे महत्त्वपूण भूमिका अदा करता है। विभि न चर्चाओ के दौरान एव लोकअदालत की कायवाही देखने से जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर कहना चाहेगे कि लोक-अदालत सामाजिक परिवतन म मददगार है और इससे समाज को एक नयी दिशा मिली है एव नये मूल्य प्रतिष्ठापित हुए है। सामाजिक परिवतन की जो प्रक्रिया पिछले कई दशको से सम्पूण समाज मे चल रही है, उसका प्रभाव इस क्षेत्र म भी पडा है। इस परिवतन मे शहरीकरण, यातायात की सुविधा, सचार साधनो का विकास चल-चित्र, शिक्षा आदि सामाजिक परिवर्तन से प्रभावी तत्व इस क्षेत्र म भी समान रूप से प्रभावी हैं। लेकिन लोकअदालत एव आश्रम की प्रवृत्तियो म परिवतन की प्रक्रिया को अधिक सजीव एव गतिशील पाया गया। प्रस्तुत अध्याय मे यह विचार करने का प्रयास किया गया है है कि लोकअदालत याय काय के अलावा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक जीवन को किस सीमा तक प्रभावित करती है। साथ ही साथ यह देखन का

प्रयास भी किया गया है कि इस क्षेत्र के लोग इस बात को किस सीमा तक स्वीकार करते है कि लाकअदालत सस्ता एव सरल याय उपलब्ध करने के साथ साथ उनके जीवन के सामाजिक-आर्थिक पक्ष को भी प्रभावित करती है।

आदिवासी समाज मे परम्परागत रूढिया अन्य समाज से अधिक पायी जाती है।[1] इनके सामाजिक जीवन का बडा भाग जातीय धर्म पर आधारित होता है। रोज के जीवन म इसका प्रभाव सहज म देख सकत हैं। विभिन्न आदिवासी समाजो म एक सी रूढिया एव परम्परा न होते हुए भी सामाजिक जीवन म इनकी जकडन प्राय समान रूप से देख सकते है। भूत-प्रेत डायन गात का मेला विवाह मत्यु की परम्पराये इनके जीवन को कठारता से प्रभावित किया करती हे।

आदिवासी-प्रधान क्षेत्र को, अनेक अच्छी सास्कृतिक परम्पराओ के बावजूद एक सीमा तक कई गलत एव अमानुषिक परम्पराओ एव आर्थिक पिछडेपन का शिकार मान सकते है। जैसे भूत प्रेत की मा यता यहा इतनी गहरी जडें जमाये हुये है कि कठिन से कठिन बीमारी मे भी ओझा एव भगत को बुलाकर उसे ठीक कराने का असफल प्रयास करत हुए बहु-सख्यक आदिवासियो को देखा जा सकता है। अध विश्वास इस सीमा तक पाया गया है कि किसी महिला को डायन करार देने पर गाव के लोगो ने बिना सोचे समझे अमानुषिक अत्याचार करके उनका जीना दूभर कर दिया और कुछ मामलो म तो गाव के लोगो ने उस महिला की इस सीमा तक पीटाई की कि वह एक प्रकार स मत्यु की स्थिति तक ही पहुच गयी। ओझा के कहन पर गाव के लोगा ने यह मान लिया था कि उक्त महिला डायन हो गयी है और गाव के लोगो को खा जाती है। इसी प्रकार के अनेक अन्य प्रकार के अन्ध विश्वास भी देखे जा सकते है।

विवाह एव परिवार की अस्थिरता इस क्षेत्र म आम बात है। अन्य आदिवासी क्षेत्रो की भाति यहा भी विवाह एव तलाक म सहजता पायी जाती है। इससे महिलाओ की सुदढ स्थिति का भी अदाज लगता है।[3] कई स्थितियो म तलाक व्यक्ति की गलत आदता एव गैर व्यक्ति के साथ सम्बन्ध के कारण भी होते पाये गये है। गरासिया आदिवासी समाज म तो तलाक इतना आसान पाया गया कि नाम मात्र की रकम देखकर तलाक स्वीकार कर लिया जाता है।[4] लोकअदालत म आये विवादो की सख्या से भी इस बात की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र मे तलाक एव विवाह सम्बन्धी विवादो की सख्या सबसे अधिक है। भील राठवा तथा नायका मे तलाक सम्बन्धी परम्परायें प्राय एक-सी पायी गयी हैं। लोकअदालत के अध्यक्ष एव अन्य लोगा ने स्वीकार

किया कि करीब दो दशक पूर्व इस क्षेत्र मे तलाक की जो स्थिति थी और पारिवारिक ढाचा जितना अस्थिर था, उतना अब नही है। अब तलाको की सख्या कम हुई है और पारिवारिक स्थिरता आयी है। पहले तलाक की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढी हुई थी छोटे छोटे प्रश्नो पर विवाह विच्छेद हो जाया करता था। लोकअदालत की मा यता है कि पारिवारिक अस्थिरता श्रेयस्कर नही है और जहा तक सम्भव हो, इसे रोका जाना चाहिये। लकिन इसका यह अथ भी नही है कि वह तलाक को ब द करन की नीति की पोषक है। वह सामा यतया ठोस कारण होने पर ही तलाक स्वीकार करती है। आदिवासी समाज की सामाजिक एव आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए पारिवारिक अस्थिरता के कारण कई कठिनाइया होती पायी गयी जैस (1) बच्चो की देख भाल की (2) तलाक होने पर लेन देन के कारण पडने वाला आर्थिक भार और (3) सम्पत्ति का बटवारा आदि।

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के क्षेत्र म लोकअदालत ने जीवन के कई पक्षो को प्रभावित किया है। परिवतन के इन पक्षो को इस रूप मे विभाजित करना चाहगे—

(1) सस्थात्मक—विवाह जाति, परिवार आदि सस्थाओ के बारे म विचार परिवतन।

(2) मूल्यात्मक—स्त्रियों एव सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वग के सम्ब ध मे नय मूल्यो की स्थापना अपराध की स्वैच्छिक स्वीकृति प्रायश्चित, हृदय परिवतन आदि भावनात्मक मूल्यो का विकास और नैतिकता सम्ब धी मूल्या की प्रतिष्ठा।

(3) आचरणात्मक—स्त्रियो के प्रति व्यवहार मे सुधार, आदिवासी एव गर आदिवासी के आपसी व्यवहार के नये मानदड और महाजन के साथ व्यवहार आदि मे परिवतन।

(5) सास्कृतिक—परम्परागत सास्कृतिक मूल्यो मे जैसे भूत प्रेत डायन, भगत आदि सम्ब धी धारणाओ म परिवतन।

(4) आर्थिक परिवर्तन—उ नत कृषि तरीको का प्रचलन, सिचाई-साधनो का विस्तार आर्थिक विवादा का निपटारा और आर्थिक शोषण की समाप्ति।

सामाजिक प्रभाव

लोकअदालत से प्रभावित गावो के उत्तरदाताओ म से शत प्रतिशत की

राय है कि तलाक सम्ब धी विवादो की जो स्थिति पहल थी, उसमे परिवतन आया है और विवादा की सख्या कम हुई है । यह भी स्वीकार किया गया कि लोकअदालत से सम्पक बढने के साथ साथ यह धारणा भी मजबूत हुई है कि क्षणिक आवेश म आकर बिना किसी खास कारण के तलाक देना ठीक नही है और स्थायी पारिवारिक जीवन बिताने का प्रयास किया जाना चाहिये ।

आर्थिक परिस्थितियो मे परिवर्तन का भी सामाजिक जीवन पर प्रभाव पडता पाया गया । खेती म रोजगार का क्षेत्र बढने और अधिक मात्रा मे काम मिलने आदि के कारण पारिवारिक स्थायित्व मे बढात्तरी हुई है । यहा यह भी स्वीकार करना चाहिये कि गैर आदिवासी हिदू समाज म पारिवारिक स्थायित्व सम्ब धी जो स्थिति है, उसका प्रभाव भी इन पर पडा है और गैर आदिवासी समाज से सम्पर्क बढने से उनकी व्यवस्था को अच्छा मानने की भावना भी मजबूत हुई है । विशेष साक्षात्कार वाले उत्तरदाताओ मे से भी 83 87 प्रतिशत यह मानत हैं कि तलाक एव विवाह सम्ब धी विवादा म कमी लाने म लोकअदालत मददगार हुयी है ।

पारिवारिक तनाव सम्ब धी विवादो मे भी कमी होने म लाकअदालत का प्रभाव एक कारण है । उसका यह अनवरत प्रयास रहा है कि विवादा की सख्या घट और विवाद उठें भी तो उ्ह स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया जाय । पारिवारिक तनाव की कमी के बारे मे भी सामा य एव विशेष दोना प्रकार के उत्तरदाता प्राय वही राय रखत हैं जो तलाक एव विवाह के सम्ब ध म है ।

जैसा कि ऊपर कहा गया है पहल आदिवासी समाज मे हर सकट भगत ओझा को याद करना आम बात थी लेकिन लाकअदालत से सम्पक के बाद के समय म इसमे अ य प्रभावो का भी कुछ कारण हो सकता है । अनेक गलत मा यताओ पर से उनका विश्वास हटा है । ऐसा तो नही कह सकते कि यहा के लोगा ने भूत प्रेत पर विश्वास करना छोड दिया है पर हा विश्वास पहले से कम अवश्य हुआ है । भूत प्रेत मे विश्वास का प्रश्न व्यक्ति की भावना के साथ जुडा होने के कारण इस बारे मे निश्चित आकड प्रस्तुत करना सभव नही । इतना ही कहना उचित हागा कि भगत एव ओझा आदि का जा प्रभाव पहले था, वह अब नही रहा है ।

इसी से जुडा हुआ प्रश्न अ य अ ध विश्वासा का भी है । अ ध विश्वास काफी कम हुय है यह सहज मे देखा जा सकता है । अध्ययन क दौरान एक विवाद ऐसा भी आया जिसम एक महिला को डायन करार दिया गया था ।

तालिका सख्या—21

उत्तरदाताओ की राय मे लोकअदालत का सामाजिक प्रभाव

क्र०	प्रभाव का प्रकार	सामान्य साक्षात्कार सख्या 435				विशेष साक्षात्कार सख्या 31			
		सहमति		असहमति		सहमति		असहमति	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	विवाह एव तनाव सम्बन्धी विवाद मे कमी	435	100—00	00	00—00	26	83—87	5	16—13
2	पारिवारिक तनाव मे कमी	435	100—00	00	00—00	25	80—65	6	19—35
3	भूत प्रत मे विश्वास मे कमी	398	91—49	37	8—51	15	48—39	16	51—61
4	अन्ध विश्वास में कमी	433	99—34	2	0—66	31	100—00	0	0—00
5	जातिगत एकता आयी है	74	17—01	361	82—99	29	93—55	2	6—45
6	छुआछूत मे कमी आयी है	434	99—77	1	0—33	31	100—00	0	0—00

डायन करार दने वाले व्यक्ति का कहना था कि उक्त महिला न उसके पिता को खा लिया अथात मार दिया है। उस व्यक्ति के साथ कुछ अन्य लोगो न भी उसे डायन बनाया। महिला न ग्राम सभा म शिकायत की। ग्राम सभा ने निणय दिया कि डायन कहने वाला पुरुष दोषी है और डायन कहना ठीक नही है क्योकि कोई महिला किसी को कस खा सकती है? कुछ दिन चुप रहने के बाद उस व्यक्ति ने उस महिला का पुन डायन कहना प्रारम्भ कर दिया। विवाद फिर लोकअदालत म आया। इस पर विचार किया गया और सबने उस व्यक्ति का दोषी करार दिया एव उसे अपनी मान्यताये बदलने की सलाह दी। उस व्यक्ति न भी अपनी गलती स्वीकार करली। शायद उसके मन मे भी यह बात बैठ गयी कि कोई महिला डायन नही हो सकती।[5] ऊपर दी गई तालिका से भी यह तथ्य सामने आता है कि अन्ध विश्वासो म कमी आयी है।

आपसी सदभाव बढान के लिये आवश्यक है कि गाव म रहने वाली विविध जातियो के बीच जाति-भेद के कारण भेद भाव न हो। विविध जातीय ग्राम मे राजनतिक चेतना म वृद्धि होने के कारण जाति स्तर पर पारस्परिक सम्बन्धो म अक्सर कटुता पायी जाती है। यह क्षेत्र भी इसका अपवाद नही है। आदिवासी प्रधान गावो मे भी गैर आदिवासी पाये जाते हैं और यदि केवल आदिवासी भी हैं तो भी आदिवासी उपजातियां पायी जाती हैं। उत्तरदाताओ का मानना है कि गाव की विभिन्न जातियो म एकता का भाव बढाने मे लोकअदालत मददगार हुई है। लोकअदालत का काय एव प्रभावक्षेत्र दो प्रकार का देखने मे आया। एक तो ऐसे ग्रामदानी गाव हैं जहा ग्राम सभा है और जहा के लोग लोकअदालत के काय एव आश्रम के साथ सक्रिय रूप से जुडे हैं। इस प्रकार के गावो म आश्रम की ओर से आर्थिक कार्यक्रम भी चलते पाये गये। इन गावो के लोगो ने स्वीकार किया कि लोकअदालत एव आश्रम के कारण जातीय सद्भाव बढा है। दूर के गावो या कम प्रभावित गावो का लोकअदालत या आश्रम से इतना सम्पर्क नही जुड सका है कि वह विभिन्न जातियो के बीच एकता लाने म मददगार हो सके। इन गावो के विवाद लोकअदालत म कम जाते हैं फिर भी जो विवाद आते हैं, उन्हें सुलझाने का काम लोकअदालत करती है और उन गावो म भी जाति गत एकता के दर्शन होने लगे हैं। विशेष साक्षात्कार वाले उत्तरदाताओ का भी विश्वास है कि लोकअदालत के कारण जातीय एकता बढी है।

छुआछूत के सम्बन्ध म सामान्य एव विशेष दोनो प्रकार के उत्तरदाताओ की राय प्राय एकसी है कि लोकअदालत के कारण छुआछूत म कमी आयी

आश्रम म चल रह उन्नत कृषि क प्रयासा को देखने का मौका मिला। उसस उनको कई प्रकार स आर्थिक लाभ उठान क लिए प्रोत्साहन मिला जस भूमि सुधार द्वारा, कृषि की सुधरी पद्धति क प्रयोग द्वारा और नयी तकनीक अपनान क द्वारा। रोजगार म वृद्धि को दो सन्दर्भो म देखा जा सकता है। एक तो गाव म ही सिचाई की सुविधा बढा आधुनिक कृषि पद्धति अपनान एव भूमि-सुधार क कारण पहल स अधिक लोगा को रोजगार मिला। दूसरे आश्रम स सम्पक बढन क कारण गाव म या गाव स बाहर भी काम का क्षत्र बढा। जीवनशाला क जरिय आश्रम म सिख जान वाल तकनीकी ज्ञान क कारण भी इस क्षत्र म रोजगार बढा है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप स इस लोकअदालत का आर्थिक प्रभाव माना जा सकता है। यहा यह स्वीकार करना चाहिय कि चूकि आश्रम और इस प्रकार लोकअदालत का भी गहन कायक्षत्र आदिवासी प्रधान गावा तक ही फैला हुआ है इसलिए गैर आदिवासी गावा म अपक्षाकृत कम काम हुआ है। यही कारण है कि लोकअदालत का आर्थिक प्रभाव उन गावा के निवासियो पर उस सीमा तक नहीं पडा है। इसे आश्रम एव लोकअदालत के कार्य की सीमा भी मान सकत हैं।

आर्थिक प्रभाव क्षेत्र को थोडा गहराई स देखने पर जो तथ्य सामने आय हैं उन पर स यह कहा जा सकता है कि लोकअदालत का तीन अन्य रूपा मे भी आर्थिक प्रभाव पडा है—यथा (1) महाजन के शोषण म कमी। (2) महाजन द्वारा पहल स अधिक सही हिसाब रखा जाना। (3) जगल के अधिकारियो द्वारा शोषण म कमी।

यहा भी सामान्य एव विशेष उत्तरदाताओ के उत्तर म भिन्नता है। भिन्नता का एक बडा कारण सभवत यह है कि विशेष उत्तरदाता इस प्रकार के शोषण के स्वय भुक्तभोगी नही रह हैं। शायद इसी कारण उन्हें यह प्रभाव सामान्य उत्तरदाताओ (जो प्रत्यक्ष रूप से जुडे हुये है) से कम स्पष्ट दिखलाई देता है। लकिन फिर भी वह तो किसी भी हद तक नही कह सकते कि विशेष उत्तरदाताओ ने इन प्रभावो को अस्वीकार किया है।

आदिवासी समाज महाजन क शोषण से बुरी तरह पीडित था। एक सीमा तक वह आज भी इस शोषण से पीडित है। लेकिन लोकअदालत एव आश्रम के कार्यो न इस पीडा को कम किया है और ऐसा वातावरण बनाया है जिससे एक ओर तो महाजनो क साथ उनका सदभाव बढा है और महाजनो ने पहले स अधिक सही हिसाब रखना शुरू कर दिया है और दूसरी ओर लेन देन सम्बन्धी विवादो का फैसला लोकअदालत मे होने के कारण महाजन

वर्ग के मन म भय कायम हुआ है। भय इस बात का कि गलत काम करने गलत हिसाब रखने और परेशान करने पर उह लोकअदालत म जाना पडेगा और वहा उनके विपक्ष मे निणय होगा। सदभाव इस कारण बढा कि लोकअदालत एव आश्रम दोनो ही सम्पूण समाज म सदभाव कायम करने के लिए प्रयत्नशील हैं और दोना ही महाजन एव आदिवासी सभी को मेहनत की कमाई एव इज्जत की रोटी खान की प्रेरणा देत रहते है। लोकअदालत मे आन-जाने और अध्यक्ष की शिक्षा प्रधान बातें सुन सुन कर महाजन वर्ग भी प्रभावित हुआ है। यही कारण है कि अनक महाजनो ने लोकअदालत के समक्ष अपनी गलती स्वीकार की है और सही हिसाब रखने एव आदिवासिया को परेशान न करन का निणय भी किया है। कवाट, नसवाडी, कोसिन्द्रा आदि बाजारो के अनेक महाजनो ने अपना व्यवहार एक सीमा तक बदला है और विशेष उत्तरदाताओ तक के बडे भाग ने यह बात स्वीकार की है।

इस क्षेत्र म सरकारी कर्मचारियो खासकर जगल के कमचारियो के दुर्व्यवहार की शिकायतें बराबर देखने म आयी। जगल मे रहना वाला का जीवन जगल मे प्राप्त होने वाली वस्तुओ पर काफी हद तक निभर रहता है। लोगा से बातचीत के दौरान सुनने मे आया कि आश्रम की स्थापना के पूर्व इस क्षेत्र मे या जिन क्षेत्रो मे आश्रम का प्रभाव नहीं है, वहा जगल के कर्मचारियों द्वारा आदिवासियो को परशान किये जाने की घटनायें अधिक होती थी लेकिन अब जागति एव आत्मविश्वास बढन के कारण यहा के लोगा मे हिम्मत आयी है और सरकारी कमचारिया द्वारा परेशान किय जाने की प्रवृत्ति भी कम हुई है इसमे लोकअदालत का महत्त्वपूण योगदान है। लोकअदालत ने ऐसे कई विवादो को सुलझाया है जिसमे जगल के अधिकारिया द्वारा आदिवासियो के साथ अत्याचार किय जाने की शिकायत थी।[6] इन विवादो मे कर्मचारियो ने अपनी गलती स्वीकार करली और एक विवाद मे तो ली गयी रकम भी वापस करदी। यही स्थिति पुलिस के साथ क्षेत्र के लोगो के आपसी सम्बन्ध के बारे मे भी है। पुलिस द्वारा परेशान किये जान की घटनाये पहल यहा आम बात थी लेकिन लोकअदालत के कारण अब उस स्थिति मे सुधार हुआ है एव कर्मचारियो का अत्याचार कम हान के साथ साथ आपसी सदभाव भी बढा है।

कमजोर वग और लोकअदालत

यह प्रश्न सहज म सामने आता है कि समाज के कमजार वर्ग को लोकअदालत किस सीमा तक प्रभावित करती है? इस प्रश्न के उत्तर म यही

कहा जाना चाहिये कि लोकअदालत की पूरी कार्य प्रक्रिया ही ऐसी है जिससे समाज का कमजोर वग प्रभावित होता है। यायिक या अन्य कार्यों का प्रभाव समाज के कमजोर वर्ग पर ही अधिक देखन मे आया। इस क्षेत्र मे कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति के लोगो का आधिक्य होने के कारण यह स्वाभाविक भी है। आश्रम एव लोकअदालत के काय की दृष्टि भी यही रही है कि समाज के कमजोर वग को मदद मिल।

क्या तलाक एव विवाह सम्बन्धी विवादो का अधिक सख्या मे आना समाज मे स्त्रियो के स्थान का दिग्दशक है? और क्या भूमि या लेन-देन सम्बन्धी विवादो की सख्या भूमि व्यवस्था की खामियो का परिणाम है? इन प्रश्नो का उत्तर एक अश म ऊपर के अध्ययन स प्राप्त होता है। इस क्षत्र म समाज मे स्त्रियो का स्थान महत्त्वपूर्ण है। तलाक, पुनर्विवाह आदि के विवादों का अधिक सख्या म आना स्त्रियो की मजबूत स्थिति का परिचायक है। यह देखन म आया है कि स्त्रिया लोकअदालत की बठको म खुलकर भाग लेती हैं और अपनी बात नि सकोच भाव से सभा के सामन रखती है। ऐसा भी देखने म आया जब स्त्रिया स्वय पुरजोर शब्दो म तलाक की माग करती है। पारिवारिक तनाव की स्थिति मे स्त्री अपने पिता के घर जाती है और स्वय माता पिता या अन्य किसी नाते रिश्तेदार के साथ लोकअदालत मे आकर अपनी बात कहती है और न्याय प्राप्त करती है। ये बातें समाज म स्त्रिया की सुदढ स्थिति को व्यक्त करती है। लेकिन कई परिस्थितियो मे स्त्रिया कमजोर भी पायी गयीं यथा अनेक घटनाओ मे स्त्रियो को सताय जाने और मारे-पीटे जाने के तथ्य सामने आये है। अध विश्वासो के कारण किसी स्त्री को डायन घोषित करना, उसको हीन समझे जाने का मजबूत प्रमाण है। अनेक परिस्थितियो म स्त्रियो को परिवार एव समाज मे अपमान सहना पडता है। इन सारी बातो को देखते हुए कहना चाहगे कि आदिवासी समाज म भी स्त्रियो की एक सीमा तक ही सुदढ स्थिति है और वे एक सीमा तक ही पुरुष की बराबरी करती है। लेकिन कई प्रकार के व्यवहारो मे उन्हे भी उपेक्षित रहना पडता है। कुल मिलाकर स्त्रियो को कमजोर वग मे शामिल करना उचित है। लोकअदालत उनकी स्थिति मजबूत करने एव उन्हे समान दर्जा देने के प्रयास मे विश्वास करता है। यह प्रयास लोकअदालत की कायवाही के दौरान देखा जा सकता है। हम देख सकते है कि लोकअदालत की कायवाही के समय स्त्रियो को समान स्तर पर रखा जाता है। उन्हे अपनी बात कहने की पूरी छूट होती है और पूरी बात कहन की प्रेरणा दी जाती है। इसके साथ साथ पर्दा प्रथा समाप्त करने और शिक्षा म

रुचि लेने की प्रेरणा भी उन्हे दी जाती है ।

जमीन एव लेन-देन सम्बन्धी विवादो का अधिक सख्या मे आना यहा की परम्परागत व्यवस्था म आयी शिथिलता एव बाहरी हस्तक्षप का परिणाम है । जैसा कि पहले कहा गया है गैर आदिवासी समाज यहा के मूल निवासियो की जमीन हथियाने एव उनका शोषण करने का भरसक प्रयास करता रहा है । लोकअदालत इस प्रयास को रोकने का प्रयत्न कर रही है । अत यह स्वाभाविक है कि लोकअदालत म इस प्रकार के विवाद जाये । जमीन सम्बन्धी विवाद दो प्रकार के आते हैं—(1) आदिवासी एव गैर आदिवासी के बीच का विवाद (2) आदिवासियों व आपसी विवाद । सरकार ने आदिवासियो की जमीन की सुरक्षा के लिय जो कानून बनाय ह उससे गैर आदिवासियो से सम्बन्धित विवादो की सख्या म कमी आई है । परन्तु आदिवासियो म आपसी विवाद तो आज भी होते ही है । गाव म भूमि ही मुख्य सम्पत्ति होने के कारण इससे सम्बद्ध विवादो की सख्या अधिक होना स्वाभाविक है । यहा हम स्वीकार करना चाहिय कि लोकअदालत समाज के सामाजिक एव आर्थिक दृष्टि से कमजोर वग के हितो की रक्षा करके उसे न्याय दने का प्रयास करती है ।

साराश

(1) सामाजिक परिवतन की प्रक्रिया सतत चलती रहती है । किसी विशेष क्षेत्रीय समाज पर सम्पूर्ण समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रभाव पडता है । आधुनिक युग म शहरीकरण यातायात के साधनो का विकास सचार साधनो का विकास शिक्षा का प्रसार आदि सामाजिक परिवतन क एसे कारक हैं जिन्हे सब जगह देखा जा सकता है । इस आदिवासी क्षत्र म जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसम इन कारणो का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है पर इतना अवश्य है कि लोकअदालत ने इन कारणो के प्रभाव को अधिक तीव्र किया है ।

(2) आदिवासी समाज म रूढियो एव अन्ध विश्वासो का अधिक प्रभाव है । भूत प्रत डायन भगत ओझा आदि म विश्वास के कारण यहा के लोगो को अनक प्रकार के कष्ट सहते देखा जा सकता है । लोकअदालत के माध्यम से इन अन्धविश्वासो म कमी आयी है । वस इस कमी मे अन्य कारणो का योगदान भी स्वीकार किया जाना चाहिए । पारिवारिक अस्थिरता, तलाक एव पुनर्विवाह इस क्षेत्र म

आम बात है। लोकअदालत ने पारिवारिक स्थिरता लाने में मदद पहुचायी है।

(3) सर्वेक्षण में प्राप्त तथ्यो पर से यह कहने की स्थिति है कि लोक-अदालत ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में नये विचार एव नये मूल्यो का स्वीकार करने के अनुकूल वातावरण बनाया है एव शिक्षा में रुचि पैदा करने में भी लोकअदालत का योगदान रहा है। सास्कृतिक परम्पराओ एव गलत मान्यताओ के स्थान पर नई मान्यताये स्थापित करने की दिशा में भी प्रगति हुई है। एक सीमा तक जाति, परम्परा विवाह आदि क्षेत्रो में नये मूल्यो का स्वीकार किया जा रहा है।

(4) समाज परिवर्तन की इस प्रक्रिया पर अन्य सामाजिक आर्थिक कारको का प्रभाव भी पड़ता देखा जा सकता है। लोकअदालत सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के अनेक कारणो में एक कारक है। लेकिन यह कारक अन्य कारको से अधिक प्रभावी है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज परिवर्तन की प्रक्रिया मे लोकअदालत द्वारा स्थापित स्वशासन के मूल्यो को अधिक व्यापक स्वीकृति दी जाय।

(5) लोकअदालत की कार्यवाही के अवलोकन, ग्रामदानी गावो की प्रगति की स्थिति एव लोकअदालत और समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया सम्बन्धी बातो पर विचार करने पर यह देखने में आया कि लोक-अदालत की प्रक्रिया एव न्याय पद्धति में समाज-परिवर्तन के तत्वो पर अधिक बल दिया जाता है।

सदर्भ

1 देखें हरिश्चन्द्र उप्रती उपरोक्त।

2 देख मकन है स्पष्ट पृष्ठ पूर्व उल्लिखित पुस्तक।

3 देखें, हरिश्चन्द्र उप्रती उपरोक्त।

4 देखें हरिश्चन्द्र उप्रती उपरोक्त।

5 देखें श्री हरिवल्लभ परीख शान्ति का प्रयोगोन्य, एव प्रो० उपेन्द्र बक्षी, पूर्व उल्लिखित।

6 देखें श्री हरिवल्लभ परीख, शान्ति का प्रयोगोन्य।

10

न्यायालय और लोक अदालत

लोकअदालत मे निर्णित विवादो के अध्ययन के दौरान जिन 67 विवादो का गहराई से अध्ययन किया गया, उनम 9 विवाद ऐसे थे जो लोकअदालत म लाये जाने के पूर्व निणयार्थ सरकारी न्यायालयो म प्रस्तुत किय जा चुके थ और काफी पसा और समय बरबाद हो जाने के पश्चात भी जिन पर निणय नही मिल पाया था। इन 9 पक्षकारो स लोकअदालत के निर्णय स सम्बन्धित जो उत्तर प्राप्त हुए है उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनम से एक भी पक्षकार एसा नही था जिसे लोकअदालत के निणय से असन्तोष रहा हो। पाच पक्षकारो ने अपनी सम्पूर्ण तुष्टि व्यक्त की और बाकी चार ने सामा य सतुष्टि।

ऐसे 23 विवादो का अध्ययन भी किया गया जो लोकअदालत म निणयार्थ नही आये और जिनका निपटारा केवल सरकारी न्यायालयो म ही हुआ। विवाद प्रस्तुत कर्ता सभी आदिवासी है और उनम भी अधिकाश अशिक्षित ह। इसके लिए तालिका 23 इनकी जाति एव शैक्षणिक स्तर की जानकारी की दृष्टि से प्रस्तुत की जा रही है।

समय एव खच

तालिका 24 सर्वेक्षित मुकदमो म हुए व्यय एव समय के बारे म हमारा मार्गदर्शन कर सकती है।

तालिका सख्या 23

सरकारी न्यायालय मे जाने वालो की जाति एव शैक्षणिक स्तर

क्र०	जाति		शैक्षणिक स्तर			
			अक्षरज्ञान	कक्षा 1 स 14	प्रशिक्षित	कुल स०
1	राठवा	सख्या)	4	1	10	15
		प्रतिशत)	(17 39)	(4 35)	(43 48)	(65 22)
2	भील	सख्या)	1	00	3	4
		प्रतिशत)	(4 35)	(0 0)	(13 04)	(17 39)
3	नायका	सख्या)	00	00	4	4
		प्रतिशत)	(0 0)	(0 0)	(17 31)	(17 39)
	योग	सख्या	5	1	17	23
		प्रतिशत	21 74	4 35	73 91	100

तालिका सख्या–24

सरकारी न्यायालय मे लगा समय एव खच

क्र०	कुल व्यय (रुपये मे)	निणय मे लगने वाला समय (माह) 1 6	7 12	13 18	19 24	25 30	31 से अधिक	योग
1	100/—से 200/	1	00	00	00	00	00	1
2	201/—से 400/	1	1	00	1	00	00	3
3	401/—से 600/	00	2	1	1	00	1	5
4	601/—से 800/	00	00	00	00	1	00	1
5	801/—स 1000/	00	1	00	00	00	1	2
6	1001/—से 1200/	00	1	00	00	00	1	2
7	1201 से अधिक	00	2	00	00	1	6	9
	योग	2	7	1	2	2	9	23

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 23 म से 9 अर्थात 39 12 प्रतिशत विवादो म 1200 रुपये स अधिक पसा और 31 महीन स अधिक समय लगा

जबकि लोकअदालत म इस प्रकार के विवादो के निपटारे मे किसी भी परिस्थिति म दो महीन से अधिक समय नही लगता । इसी प्रकार केवल 1 अर्थात 4 35 प्रतिशत विवाद ही ऐसा है जिसमे 6 महीने से कम समय और 200 रुपय तक धन व्यय हुआ जबकि लोकअदालत मे वादी प्रतिवादी के रूप मे विवाद ले जाने वाल 80 उत्तरदाताओ मे से 60 को लोक अदालत म केवल 10 रुपये तक का गुड वितरण का खर्चा हुआ है और केवल मात्र 12 उत्तर दाताओ से ही दण्ड वसूल किया है ।

लोक अदालत मे दिये गये दण्ड की स्थिति इस प्रकार है

तालिका सख्या–25

लोकअदालत द्वारा दिया गया दण्ड

क्र०	दण्ड की मात्रा (रुपये म)	सख्या	प्रतिशत
1	दण्ड नही	68	85 00
2	51/—से 100/—	1	1 25
3	101/—से 150/%	3	3 75
4	201/—से 250/—	2	2 50
5	301/—से अधिक	6	7 50
	योग	80	100 00

जिन 12 वादी प्रतिवादियो को प्रस्तुत विवादो के सदभ म लोक-अदालत द्वारा दण्ड दिया गया है वे विवाद, तलाक भरण-पोषण एव सम्पत्ति विषयक एसे विवाद थे जो सरकारी न्यायालयो म प्रस्तुत होत तो हजारो रुपये खच हान पर भी कई वर्षो तक नही सुलझ पात और न्यायालयो के चक्कर काटने रहन म वादी प्रतिवादीगण एव उनके गवाहो पक्षकारो एव मित्रो सम्बधियो का धन एव समय बरबाद होता वह अलग स ।

उपयुक्त तालिका से हम इस निष्कप पर पहुचत ह कि लोकअदालत न जिन 60 विवादो म 10 रुपये तक के गुड वितरण का खर्चा कराया है, उनम कवल 6 ही ऐसे विवाद थे जिनम 300 रुपये स अधिक दण्ड दिया गया है । शेष लोगो म 1 को 51 रु० से 100 रुपये तक 3 व्यक्तियो को 100 रुपये स 250 रुपये तक और 2 का 200 स 250 रुपये तक दण्ड दने का निर्णय लिया गया है और 20 वादी प्रतिवादियो पर अर्थात 25 प्रतिशत लोगो पर कुछ भी

दण्ड नही लगाया है। मात्र गुड वितरण का ही खर्च कराकर उनके विवाद निपटा दिये गये है।

सुविधा असुविधा

जहा तक लोकअदालत मे विवाद प्रस्तुत करने वालो की सुविधा असुविधा का ताल्लुक है उत्तरदाताओ की यह राय रही कि लोकअदालत के समक्ष निर्णयार्थ विवाद प्रस्तुत करने मे उन्हे अधिक सुविधा रहती है।

लोकअदालत मे विवाद प्रस्तुत करने वाले 80 वादी प्रतिवादी उत्तरदाताओ ने इस प्रश्न के उत्तर मे लोकअदालत के समक्ष विवाद प्रस्तुत करने वालो के समक्ष कि कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी अथवा अन्य प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं आती जो उत्तर दिये उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी न्यायालयो की तुलना मे उनके लिये लोकअदालत अधिक अनुकूल एव सुविधाजनक न्यायालय सिद्ध हुआ है।

80 मे से केवल 2 उत्तरदाताओ (1 5 प्रतिशत) ने लोक अदालत मे प्रयुक्त कार्य पद्धति के प्रति असन्तोष व्यक्त किया है जबकि 78 (97 5 प्रतिशत) को लोक अदालत द्वारा अपनायी गयी कार्य प्रक्रिया से पूर्ण सन्तोष है। इसी प्रकार शत प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि लोकअदालत मे बहुत कम खर्च मे न्याय मिल जाता है जबकि सरकारी न्यायालयो मे जाने वाले अधिकाश वादी प्रतिवादी खर्च की अधिकता से पीडित व परेशान रहते हैं। केन्द्र एव राज्य सरकारो द्वारा नियुक्त समितिया ही नही स्वय न्यायाधीशगण एव विद्वान वकील भी इस सत्य को महसूस करते हैं और इस सम्बन्ध मे अपनी अन्तर्वेदना व्यक्त करते हैं।[1]

80 उत्तरदाताओ मे 79 अर्थात 98 75 प्रतिशत ने यह स्वीकार किया है कि लोकअदालत की न्याय प्रक्रिया लोकतन्त्रवादी व्यवस्था है जबकि सरकारी न्यायालयो मे न्यायाधीशो की निजी मान्यतायें ही एक सीमा तक उनके द्वारा दिये गये निर्णयो मे प्रभावशाली ढग से कार्य करती रहती है।

लोकअदालत द्वारा दिये गये निर्णयो के सम्बन्ध मे उत्तरदाताओ की जिसमे 44 वादी और 36 प्रतिवादी शामिल है, जब राय मागी गयी तो उनमे 90 प्रतिशत का उत्तर एक ही था और वह यह कि विवाद सन्तोषजनक ढग से सुलझ गया और सामान्य स्थिति कायम हो गयी। किसी भी उत्तरदाता ने यह नही बताया कि लोकअदालत के निर्णय के बाद किसी प्रकार का तनाव का वातावरण शेष रहा है अथवा निर्णय से किसी प्रकार का तनाव पूर्ण वातावरण बन गया है।

लोकअदालत के कार्यक्षेत्र में स्थित जिन गांवों की लोकअदालत द्वारा दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षण किया है उन निर्णयों के विरुद्ध किसी भी प्रभावित वादी प्रतिवादी ने सरकारी न्यायालयों का द्वार नहीं खटखटाया। हां, ऐसे विवाद जरूर हमारी जानकारी में लाये गये जिनमें लोक-अदालत के कार्यकर्त्ता कतिपय विवादास्पद मामले स्वयं ही सरकारी न्यायालयों के समक्ष ले गये और सरकारी न्यायालयों ने लोकअदालत के कार्यकर्त्ताओं के तत्विषयक निर्णयों के प्रति सहमति व्यक्त करते हुए लोकअदालत विरोधी पक्षों को सलाह दी कि वे लोकअदालत के निर्णयों को स्वीकार करके विवाद का निपटारें।

न्यायालय और सामाजिक परिवर्तन

वैधानिक न्यायालयों की कार्यशैली एवं व्यवस्था का आदिवासी समाज का विकासोन्मुख करने की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी भी आदिवासियों में जाति पंचों की व्यवस्था कायम है और बहुसंख्यक आदिवासी अपने सामाजिक विवाद उन्हीं के माध्यम से हल करते हैं। जाति पंच उनके सामाजिक व्यवहारों का निपटारा करते हैं। हर गांव में नायक, तड़वी, भगत, ओझा, कारभारी और प्रत्येक फलिया पंच के सदस्यों से बना हुआ जाति पंच होता है। नायक को मान दिया जाता है परन्तु अधिकतर झगड़े सामाजिक प्रसंगों पर इकट्ठी हुई समस्त जाति के सामने रखे जाते हैं और वह उनका निपटारा करती है।[3] हिन्दू वैवाहिक अधिनियम 1955 के प्रावधान भी आदिवासियों पर लागू नहीं है। वैधानिक न्यायालयों के समक्ष उनके अधिकांश मामले मुकदमे पेश नहीं होते और वे एक हद तक उनके व्यापक प्रभाव से अलग रहते हैं।

हां, पिछले कुछ दशकों से कतिपय दिवानी और फौजदारी विवादों के निपटारे के लिये आदिवासियों में भी वैधानिक न्यायालयों का आश्रय लेने की प्रवत्ति बढ़ी है। लेकिन जो भी आदिवासी न्यायालयों में अपने विवाद ले गये हैं वे उनकी लम्बी कार्यविधि, खर्चीली व्यवस्था और दीर्घ सूत्रता के कारण परेशान रहे हैं और यह महसूस करने लगे हैं कि यदि कोई वैकल्पिक न्याय व्यवस्था उपलब्ध हो जाय जो उनके विवादों का सही ढंग से शीघ्र निपटारा कर दे तो वे अपनी पुरानी सामाजिक व्यवस्था अक्षुण्ण रखते हुए नयी समाज व्यवस्था से लाभ उठाने में समर्थ हो सकते है।

यह सही है कि वैधानिक न्यायालयों के सम्पर्क में आने से उनकी निष्कपटता, सरलता एवं सत्यप्रियता पर आंच आने लग गई है और छल कपट,

तिकडम एव मिथ्यात्व का सहारा लेकर अपने पक्ष म फैसला प्राप्त करने की वत्ति उनम भी बढी है। फिर भी समाज के अन्य वर्गों की तुलना म वे न्यायालयो की मौजूदा काय शैली स होने वाले दुष्परिणामो से अधिक प्रभावित नही हो पाय है।

तुलनात्मक पक्ष

लोकअदालत के अस्तित्व का आधार इसका नतिक धरातल एव सच्चाई खोजने और जनता की कठिनाइयो का सरलता से समाधान करने की क्षमता ही है जबकि सरकारी न्यायालयो का आधार विधान कानूनी व्यवस्था और शासन सत्ता का बल है। लोकअदालत प्रतिवादी को जो आमन्त्रण भेजती है, उसे स्वीकार करने के लिये वह बाध्य नही है और यदि बाध्य है तो केवल अपनी नीति निष्ठा या क्षेत्र अथवा गाव के निवासियो के नतिक दबाव के कारण ही है लेकिन हर प्रतिवादी को अदालत के सम्मन को कानूनन मानना पडता है और न माने तो उसे कानून द्वारा निर्दिष्ट दण्ड भुगतने के लिय तैयार रहना पडता है।

लोकअदालत के निर्णय की अपील नही होती जबकि सरकारी न्यायालयो के निर्णय के विरुद्ध क्रमश उच्च न्यायालयो म अपील करने का नागरिको को अधिकार प्राप्त है। न्यायालयो की अंतिम सीढी सर्वोच्च न्यायालय है और मत्युदण्ड प्राप्त व्यक्ति को रहम के लिये राष्ट्रपति के समक्ष दया-याचिका पेश करने का भी अधिकार है। जबकि लोक अदालत के निणय के विरुद्ध किसी को शिकायत हो तो वह अपना मामला साधारण न्यायालय मे नये सिरे से ले जा सकता है। लोक अदालत के निर्णय को सरकारी न्यायालय किसी प्रकार का महत्त्व दे तो वह उनकी स्वेच्छा पर निभर करता है उसका वैधानिक आधार नही है। हा लोक-अदालत की निर्णय प्रक्रिया मे यह व्यवस्था शामिल है कि वह अपनी नीचे की इकाई, जो धीरे धीरे विकसित हो रही है—ग्राम-सभा द्वारा किय गये निणयो पर विचार कर लेते है लेकिन ऐसा मामला भी लोकअदालत म अपने ढग से नये सिरे से ही पेश होता है अपील के रूप म नही।

न्यायालयो के अधिकार क्षेत्र और सुनवाई की शक्तिया विधान द्वारा प्रतिबंधित व सीमित हैं जबकि लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र के बारे म ऐसी कोई व्यवस्था नही है। उसको कानून से कोई अधिकार प्राप्त नही है जिसके अन्तगत वह किसी क्षेत्र विशेष के लोगो के एक अमुक सीमा तक की धन राशि या दण्ड जुर्माना अथवा सजा के प्रावधान युक्तविवाद सुन सके। उसकी अधिकार-सीमा दोनो पक्षो की सहमति एव सदभावना म और क्षेत्र के

निवासियों द्वारा लोकअदालत को प्राप्त प्रतिष्ठा में निहित है जिसमें फौजदारी मामलों में हत्या का प्रयास करने तक के मामलों से लेकर दीवानी मामलों में किसी भी मूल्य की विवादग्रस्त सम्पत्ति तक के मामले शामिल हैं। लोक अदालत द्वारा दिये गये दण्ड में ऐसा दण्ड भी शामिल है जिसमें एक परिवार के मुखिया को शारीरिक क्षति पहुंचाने के आरोप में गुनहगार को 20 साल तक अथवा उसके लड़के के बालिग होने तक की अवधि के लिये पीड़ित परिवार का खेत जोतने और उसका भरण पोषण करने का दण्ड दिया गया और इस दण्ड को सम्बन्धित व्यक्ति ने अपने प्रायश्चित के रूप में ईमानदारी से स्वीकार किया। फलस्वरूप दोनों परिवारों के सम्बन्ध सदभावनापूर्ण बने और वह सदभावना आज तक कायम है। निणय देने का उसका ढंग और उस निणय को क्रियान्वित करने के लिये खोजे गये उपाय न्यायालयों की प्रचलित आचार एवं दण्ड संहिता से किसी भी प्रकार मेल नहीं खाते।

लोकअदालत एवं न्यायालयों में आने वाले कुछ विवादों में एक सीमा तक ही साम्य है लेकिन न्यायालयों के समक्ष जहां सब तरह के विवाद कानूनी तौर पर निर्णयार्थ प्रस्तुत होते हैं वहां लोकअदालत के कार्य क्षेत्र के निवासियों की अपने ढंग की अलग अलग समस्यायें होने के कारण लोकअदालत के समक्ष सभी प्रकार के विवाद आते हैं। मोटे तौर पर लोक अदालत के समक्ष निम्नलिखित प्रकार के विवाद निर्णयार्थ प्रस्तुत हुए हैं

1 हत्या का इरादा।

2 पति पत्नी सम्बन्धी—जिनमें तलाक भरण पोषण, सहवास का अधिकार, दहेज आदि के विवाद शामिल है।

3 भूमि सम्बन्धी—जिनमें भूमि की सीमा बंदी सम्पत्ति के बटवारे और पूरा का पूरा खेत लौटाये जाने के विवाद भी शामिल हैं।

4 लेन देन सम्बन्धी—जिन में खेत या सम्पत्ति रहन रखने से सम्बन्धित विवाद भी शामिल है।

5 मारपीट।

6 चोरी आदि।

उक्त प्रकार के सभी विवाद एक ही प्रकार के सरकारी न्यायालय में निणयार्थ प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। वहां दीवानी एवं फौजदारी विवादों की सुनवाई मुंसिफ मजिस्ट्रेट करते है तो राजस्व सम्बन्धी विवादों की सुनवाई राजस्व अधिकारियों द्वारा की जाती है। दीवानी एवं फौजदारी

के द्वारा दिये गये निर्णय एवं न्यायाधीशों द्वारा सुने जाने वाले मामलों की कानूनी प्रावधान भी कुछ शर्तों से बाध्य है तथा निर्धारित विवाद का प्रकार एवं मूल्यानुसार अथवा सजा की मात्रानुसार सुनवाई की शक्ति मर्यादित है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के राजस्व अधिकारियों के सुनवाई सम्बन्धी अधिकार एवं कार्यक्षेत्र भी मर्यादित एवं सीमित है। सरकारी न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों में केवल मात्र कानून के रक्षण की प्रवृत्ति अधिक रहती है। सच्चाई की खोज का प्रयास कम और पारस्परिक तनाव दूर करने की दृष्टि तो और भी कम रहती है। अपनी बुद्धि एवं ज्ञान के अनुसार निर्णय देने की प्रवृत्ति अधिक। समाज पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों को दृष्टिगत रखने की या समाज में प्रगतिशीलता लाने की प्रवृत्ति कम होती है, तात्कालिक प्रभाव या दृष्टिकोण अधिक। जबकि लोकअदालत के निर्णय इस उद्देश्य से किये जाते हैं कि उभय पक्ष उस निर्णय की गंभीरता को महसूस करके पारस्परिक कटुता एवं तनाव के वातावरण से मुक्त होकर अपने घर जायें, क्षेत्र में आपसी लड़ाई झगड़े एवं विवाद न हों और लोग अधिक अच्छे पड़ोसी एवं रिश्तेदार बनकर अपना जीवन व्यतीत करें। यही कारण है कि लोकअदालत क्षेत्र में झगड़ों एवं विवादों की संख्या घटी है जबकि सरकारी न्यायालयों की कार्य प्रणाली से विवादों एवं झगड़ों की संख्या में कमी का कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले विवादों एवं मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है।

सरकारी न्यायालयों में विवाद से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में न्यायाधीशों को कई साल लग जाते हैं और अधिकांश विवादों में फैसला होने तक प्रायः एक से अधिक बार न्यायाधीश बदल जाते हैं। विवाद की सुनवाई का सिलसिला अबाध गति से नहीं चल पाता। उसकी एकसूत्रता टूटती रहती है और न्यायालय प्रस्तुत गवाही एवं तथ्यों के आधार पर निर्णय दे देता है। जरूरी नहीं कि जिस न्यायाधीश के सम्मुख वादी प्रतिवादी ने अपने विवाद सम्बन्धी तथ्य गवाह के रूप में पेश किये हों और वकीलों ने जिरह करके ऐसे गवाहों से कोई तथ्य प्राप्त करने का प्रयास किया हो वही न्यायाधीश उस विवाद के बारे में निर्णय भी दे। इस प्रक्रिया में हर न्यायाधीश के लिये वादी प्रतिवादी के मुँह से विवाद सम्बन्धी तथ्य सुनना आवश्यक नहीं है।

सरकारी न्यायालयों में प्रस्तुत अधिकांश विवादों की सुनवाई जूरियों के सहयोग के बिना ही किये जाने की व्यवस्था है। जूरी की नियुक्ति बहुत कम मामलों में होती है जबकि लोकअदालत का कोई भी निर्णय एक व्यक्ति द्वारा

न्याय दिलाना भी उसके कार्यक्रम का अनिवार्य अंग है। इसीलिए उसने न्याय दिलाने के लिये सरकारी अधिकारियों से संघर्ष किया है, सत्याग्रह का सहारा लिया है गिरफ्तारियां दी हैं, जमानतें करवाई हैं पुलिस थाने में यातनायें सही हैं और समाचार पत्रों राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं एवं सार्वजनिक नेताओं का सहारा लेकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा है। लोक जागृति द्वारा जनसाधारण को अन्याय के विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा उसकी अपनी विशेषता है जबकि सरकारी न्यायालय इस प्रकार के किसी भी उपाय का अवलम्बन नहीं कर सकते चाहे अपराधी को दण्ड मिले या न मिले।

लोक अदालत एवं ग्रामदानी गांवों की ग्राम सभायें

अब लोक अदालत एवं ग्रामसभाओं के पारस्परिक सम्बन्धों को लें। ग्रामदानी गांव लोक अदालत के संस्थापकों एवं उसके संचालकों की कृति है और इसलिए ग्रामदानी गांवों के समस्त बालिग लोगों से निर्मित ग्रामसभा लोक अदालत का अपना अभिन्न अंग है। अपने क्षेत्र के विवादों का तो वे निपटाने का प्रयास करती ही है लेकिन पड़ौस के गैर ग्रामदानी गांवों के लोगों के साथ भी यदि कोई अन्याय हो रहा लगता है तो उसके प्रतिकार के लिये भी वे प्रयत्नशील रहती हैं।

ग्रामसभाओं के निर्णय को स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में ग्रामसभाएं एक पक्षकार बन कर स्वयं भी ऐसे विवाद लोक अदालत के समक्ष ले जाती हैं और लोक अदालत के निर्णय को शिरोधार्य करती हैं। कई मामले देखने में आये हैं जिसमें लोक अदालत ने न्याय के लिये सामूहिक नेतृत्व प्रदान करके ग्रामसभा या उस क्षेत्र के शोषण एवं अत्याचार के शिकार निवासियों को न्याय दिलाने का प्रयास किया है। इस प्रकार वह केवल स्वयं ही क्षेत्र की जनता को सही न्याय उपलब्ध नहीं कराती अपितु सही न्याय प्राप्त कराने में उनकी मददगार भी बनती है।

लोक अदालत एवं न्याय पंचायत

लोक अदालत का न्याय पंचायतों से भी वैधानिक सम्बन्ध नहीं है। प्रकारान्तर से सम्बन्ध बनता भी है तो केवल यही कि न्याय पंचायत अपने क्षेत्र में कानून के जरिये सौंपे गये अधिकारियों के भीतर छोटे छोटे दीवानी व फौजदारी मामलों का निपटारा करती हैं जबकि लोक अदालत अधिक विस्तृत क्षेत्र में और अधिक पेचीदा एवं गम्भीर प्रकार के दीवानी फौजदारी विवादों का निपटारा करती है। न्याय पंचायत में सर्वानुमति की जगह निर्णय प्रक्रिया में बहुमत का आधार रहता है, जबकि लोक अदालत में यथा

शक्ति विवादा का निपटारा सर्वानुमति से किया जाता है। लोकग्रदालत मे वादी-प्रतिवादी दोना की भावनाग्रा की रक्षा करते हुए उन्हे म तुष्ट रखने का भरसक प्रयास भी किया जाता है ताकि उभय पक्षो मे पारस्परिक कटुता समाप्त हो और तनाव की स्थिति दूर हो।

लोक ग्रदालत—विवादो की सुनवाई सम्बन्धी स्थिति

जहा तक सुनवाई के ग्रधिकार क्षेत्र का सम्बन्ध है सरकारी न्यायालयो को मूल्यानुसार विवाद सुनने का अधिकार है यथा मु सिफ 5 हजार रुपय मूल्य तक की सम्पत्ति या लन दन क दावे सुन सकते ह और सिविल जज 5 से 10 हजार रुपये मूल्य तक के लेन देन ग्रथवा सम्पत्ति के दावे सुन सकत है पर लोकग्रदालत किसी भी मूल्य के दावे सुन सकती है। इसी प्रकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का तीन साल तक की ग्रवधि की जेल ग्रौर 5 हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा देने का ग्रौर द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को 1 साल तक की कैद ग्रौर 1 हजार रुपये तक के जुर्माने की ग्रधिकतम सजा देन का ग्रधिकार है जबकि लोकग्रदालत किसी का सजा देना ही नही चाहती है। लेकिन यह सही है कि वह कैद से कही ग्रधिक ग्रसरकारी ढग की सजा भले ही द दें जिसम जीवन पर्यन्त या बीस साल की ग्रवधि तक ग्रपराधी को पीडित परिवार की स्वैच्छिक ग्राधार पर मदद देने का प्रावधान रहा है। इसी प्रकार वह किसी भी सीमा तक जुर्माने की सजा द सकती है। लेकिन उस सजा को भोगने की जवाबदेही दोषी व्यक्ति स्वय ग्रपने सिर पर लेता है उस पर किसी प्रकार का कानूनी बधन नही रहता। इस प्रकार लोक ग्रदालत एक से ग्रधिक मजिस्ट्रेट की कोर्टों के कार्यक्षेत्र के उपयुक्त विवादा का निपटा सकती है जबकि सरकारी न्यायालयो के मजिस्ट्रेट ग्रपनी सीमा रेखा मे आगे नही बढ सकते।

जहा तक न्यायपचायतो का सम्बन्ध है उनकी कार्य सीमा तो ग्रत्यन्त सकुचित एव मर्यादित है। दीवानी मामलो म वे ग्रधिक से ग्रधिक 250रुपये तक के मूल्य के विवादो की सुनवाई कर सकती हैं। फौजदारी मामलो म वे जिन मामलो की सुनवाई कर सकती है उनम 50 रुपये से ग्रधिक दण्ड दोषी व्यक्ति को नही दे सकती। उन पर यह भी प्रतिबन्ध है कि व ऐसे मामलो म विचार ही नही कर सकती जिनमे ग्रपराधी को पहले किसी मामले मे तीन साल या ग्रधिक का कारावास का दण्ड दिया जा चुका हो ग्रथवा दोषी व्यक्ति ग्रभ्यस्त ग्रपराधी हो ग्रथवा दोषी व्यक्ति का पहले भी चोरी करने ग्रथवा चोरी के माल का जानबूझकर रखने के ग्रपराध म

पंचायत या न्याय पंचायत द्वारा दण्ड दिया जा चुका हो अथवा उस दोषी व्यक्ति से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 और 110 के अधीन नेकचलनी का मुचलका लिया जा चुका हो।

लोकअदालत तथा सरकारी न्यायालय में विवाद ले जाने पर उनकी निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त अन्तर है और यही अन्तर इस क्षेत्र के ग्रामीणजन को विवाद सुलझाने के लिए लोकअदालत में आने की प्रेरणा प्रदान करता है। सरकारी न्यायालय की कानूनी उलझनें अधिक व्यय एवं अधिक समय लगने वाली प्रक्रिया गांव के लोगों के कष्ट को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त लोक-अदालत में समाज परिवर्तन लोकान्वित और नैतिक मूल्यों की स्थापना का जो प्रयास रहता है वह सरकारी न्यायालय में देखने को नहीं मिलता है। तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह कहने की स्थिति है कि लोक अदालत की समग्रता ग्रामीण न्यायव्यवस्था को नयी दिशा प्रदान कर सकती है और मौजूदा न्यायव्यवस्था की कठिनाइयों को कम करने में मददगार हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि लोकअदालत को अधिक व्यवस्थित किया जाए एवं उसे राज्य के कानून के साथ संबद्ध करने के साथ साथ उन कमियों को दूर किया जाय जिनके बारे में अंतिम अध्याय में उल्लेख किया गया है।

संदर्भ

1 भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने जो अपने जमाने के चोटी के वकील थे, यंग इंडिया के 6 अक्टूबर 1920 के अंक में लिखा था भारत में मुकदमेबाजी बहुत महंगा मामला है। न्यायालयों की सम्पूर्ण व्यवस्था और न्याय प्रदान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया बहुत खर्चीली एवं व्ययसाध्य है। न्यायप्राप्ति और निर्णय की पूर्ति होने तक कभी कभी वादी को विवादग्रस्त सम्पत्ति के मूल्य से भी अधिक धन राशि खर्च करनी पड़ जाती है।

दूसरे चोटी के वकील श्री मोतीलाल नेहरू ने लिखा था न्याय प्रक्रिया में लगे हुए लोगों के नैतिक धरातल में ऊपर से नीचे तक गिरावट आती जा रही है। देश में चल रही मुकदमेबाजी की कार्यशैली ही उन अधिकांश पापों के लिये जवाबदेह है जिनसे हम पीड़ित हैं—यंग इंडिया 13 अक्टूबर 1920।

भारत सरकार द्वारा न्याय पंचायतों के लिये गठित अध्ययन दल की रिपोर्ट में जो अप्रैल 1962 में प्रकाशित हुई थी पृष्ठ 35 पर उल्लिखित वाक्य का अवलोकन कीजिये—एक गांव में उत्पन्न छोटे से विवाद के निपटारे के लिये सम्बन्धित तहसील जिला हेडक्वार्टर अथवा अन्य किसी दूरस्थ स्थान की अदालत में अपने प्रमाण में

कागजात, गवाहो और कानूनी सलाहकारो के साथ अनिवाय उपस्थिति और कई कई दिन तक तारीख पेशिया बदलने क कारण वहा ठहरने की मजबूरी जितने मूल्य की धनराशि का विवाद वहा उसके अनुपात म कही अधिक खर्चा ("याय की यह व्यवस्था नि सन्देह आदश नही कही जा सकती) हमारी अदालतें सस्ती नही हैं।

2 उदाहरण के लिए दखें परिशिष्ट ग ।

3 गुजरात के आदिवासी प्रकाशक गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद पष्ठ 28 ।

4 देखें सम्बधित तालिका ।

5 देखें श्री हरिवल्लभ परीख क्रान्ति का अरुणोदय पष्ठ 1 सवसेवा सघ प्रकाशन, 1973 ।

6 दखें सलग्न सारणी ।

11

लोक जागृति और न्याय मे लोकतांत्रिक मूल्यो को स्थापना

लोक अदालत लोक जागृति

प्रस्तुत अध्याय म हम निम्न बातो पर विचार करने का प्रयास करेंगे (क) लोकअदालत क कारण लोक जागृति की स्थिति (ग) लोकअदालत म लोकतान्त्रिक मूल्यो का स्थान।

लोकअदालत क कार्यों और उसकी न्याय प्रक्रिया के सामाजिक प्रभाव की जो स्थिति है उसे देखते हुए यह कहना चाहेंगे कि लोकअदालत ने निश्चित तौर पर समाज म जागृति लाने म मदद की है। परम्परागत आदिवासी समाज म अत्याचार सहन की जो प्रवृत्ति रही है, उसम ये लोग स्वभावत ही कष्टो को झेलने के आदी बन गये[2]। यहा के लोगो म जो जडता थी उस कम करने का प्रयास लोकअदालत ने किया है। साक्षात्कार क दौरान जो तथ्य सामने आय है, उसके आधार पर इस बारे म कुछ निश्चित बातें कही जा सकती है।

इस सदभ म तीन बातें उत्तरदाताओ न स्वीकार की है—[1]

1 *सगठित होकर अन्याय का विरोध करते हैं।*

2 दोषी को दण्ड देने का प्रयास करते हैं।

3 लोक अदालत म विवाद ले जाते हैं।

यदि गाव मे किसी प्रकार का अन्याय होता है तो इसका विरोध किया जाना चाहिये, यह विचार मजबूत हुआ है और उस अन्याय का विरोध करने की

क्षमता भी पदा हुई है। अन्याय कई प्रकार के हो सकते है जैस सरकारी कर्मचारियो का अन्याय पुलिस का अत्याचार, महाजना, किसानो या अ य जर आदिवासिया द्वारा शाषण आदि। अन्याय की दो श्रेणिया और भी मान सक्त है यथा—

1 उस प्रकार का अ याय जिसका प्रभाव केवल यक्ति या परिवार पर पडे, और

2 ऐसा अ याय जिसका प्रभाव कई लोगा पर या पूरे ग्रामसमाज पर पडे। सम्पूण प्रभाव क्षेत्र म दाना प्रकार क अन्याय का विरोध करा की क्षमता विकसित हुई है। व्यक्तिगत स्तर पर आमतौर पर विवाद को ग्रामसभा या लाकअदालत मे ले जाया जाता पाया गया और ऐस विवाद या अन्याय का जिसका सम्ब ध पूरे ग्रामसमाज स होता है या जिस व्यक्तिगत प्रश्न को पूरे ग्राम का प्रश्न मान लिया जाता है, पूरा ग्राम विरोध करता पाया गया। इस प्रकार के अ याय का विराध पुलिस जगल के कमचारी आदि के सदभ म भी दष्टिगोचर हुआ है। जहा सामा य उत्तरदाताओ मे स अधिकाश (97 24 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि अ याय का विरोध करन की क्षमता आयी है, वही विशेष उत्तरदाताओ न इस बारे म कम सहमति (29 03 प्रतिशत) प्रदान की है।

यह बात भी सामने आयी कि गाव क लोग दोषी व्यक्ति को दण्ड देने दिलान का पूरा प्रयास करते हैं। सहमति-असहमति की दष्टि से यहा भी सामान्य एव विशेष उत्तरदाताओ की स्थिति पूर्वोक्त जैसी हो है। जहा सामा य उत्तरदाताओ मे से अधिकाश न इस बात म सहमति प्रकट की है कि दोषी यक्ति को दण्ड देने का प्रयास पहले स अधिक किया जाता है वहा विशेष उत्तरदाताओ ने उस सीमा तक इस तथ्य का स्वीकार नहो किया है, यद्यपि इस बात की पुष्टि लाकअदालत मे होने वाली उपस्थिति कायवाही म भाग लेने की अभिरुचि एव उसके निणय की स्वीकृति के बारे म प्राप्त तथ्यात्मक आकडो से होती है। इस प्रकार इस बारे म भी आम सहमति दखने मे आयी कि अन्याय का विरोध करने म लोकअदालत की प्रमुख भूमिका रही है।

जिस गाव क लाग अधिक जागरूक ह (जसे गजलावार), वहा ग्रामस्तर पर भी इस प्रकार क विवादा को सुलझान का प्रयास किया जाता है। यह भी देखन म आया है कि पडोसी गाव क लोगा न पास के गाव म हुए

तालिका संख्या–26

लोकअदालत और अन्याय के विरोध की शक्ति

क्र.	[illegible]	सामान्य साक्षात्कार संख्या 435				विशेष साक्षात्कार—संख्या 31			
		सहमति		असहमति		सहमति		असहमति	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	[illegible]	423	97 24	12	2 76	9	29 03	22	70 97
2	[illegible]	421	96 78	14	3 22	9	29 03	22	70 97
3	[illegible]	429	98 62	6	1 38	24	77 42	7	22 58

अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाइ एव दोषी व्यक्ति को दण्ड देने का प्रयास किया।[3] सामान्यत अन्याय के विरुद्ध उठाय गय प्रत्येक मामले मे लोक अदालत एव आश्रम का सहयोग लिया गया।

अन्याय का विरोध किए जाने के कारण अन्याय मे किस सीमा तक कमी हुई है इसकी माप अको म करना सभव नही है। फिर भी जो प्रश्न पूछे गये, उनके उत्तर से यह स्पष्ट है कि पुलिस क हस्तक्षेप मे कमी कोर्ट म जाने की प्रवत्ति म कमी जगल के अधिकारिया द्वारा परेशान किये जान की घटनाओ मे कमी—इनके सबध मे राय की अभिव्यक्ति यह सिद्ध करती है कि उनकी परेशानी कम हुई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अब यहा के लोग अत्याचार करने वाले सरकारी कमचारियो से पहले जितने भयभीत नही हैं।

नीचे लिखी चार बातो के बारे म सहमति या असहमति चाही गई थी—[4]

1 पुलिस के हस्तक्षेप म कमी आयी है।

2 कार्ट जाने की प्रवृत्ति म कमी आयी है।

3 जगल के कमचारियो की परेशानी पहले से कम हुई है।

4 सरकारी अधिकारियों के सहयोग मे वद्धि हुई है।

सबधित तालिका (सख्या 27) से जो तथ्य सामने आये हैं, उस पर से यह स्पष्ट चित्र उभरता है कि वहा के लोगा पर बाहरी दबाव कम हुआ है। सामान्य उत्तरदाताओ म मे सभी न उक्त चारो बातो से अपनी सहमति व्यक्त की है लकिन विशेष उत्तरदाताआ की स्थिति थाडी भिन्न है। उनम म आमतौर पर 74 स 77 प्रतिशत द्वारा ही इन तथ्या से सहमति व्यक्त की गयी है। कुछ लागा—19 35 प्रतिशत—ने इस बार म किसी भी प्रकार की राय जाहिर नही की है पर केवल गिने-चुने लोगो ने इस बात म असहमति व्यक्त की है कि गावा म पहले की स्थिति म परिवतन आया है। लकिन असहमति व्यक्त करन वाला न भी अपन मत के बार म किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नही दिया है। ऐसा मान सकत है कि अधिक निकट सम्पर्क न होने के कारण उन्हे परिवतन नही दिखाई दिया है। पूरी तालिका क विश्लेषण पर स यह कहन की स्थिति है कि ऊपर बताइ चार बाता को यहा के उत्तरदाताआ न स्वीकार किया है। यह स्थिति दो बाता को और जाहिर करती है

तालिका सख्या–27

लोकश्रदालत श्रौर श्रन्याय मुक्ति की दिशा

क्र॰	प्रभाव	सामान्य साक्षात्कार सख्या—435				विशेष साक्षात्कार सख्या 31					
		सहमति		असहमति		सहमति		असहमति		उत्तर नही देने वाले	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	पुलिस हस्तक्षेप म कमी	435	100 00	00	0 00	24	77 43	1	3 22	6	19 35
2	कोट जाने की प्रवत्ति मे कमी	435	100 00	00	0 00	24	77 43	1	3 22	6	19 35
3	जगलात के अधिकारियो की पहले से कम परेशानी	435	100 00	00	0 00	24	77 43	1	3 22	6	19 35
4	सरकारी अधिकारियो के सहयोग म वद्धि	435	100 00	00	0 00	23	74 20	2	6 45	6	19 35

1 लोकश्रदालत क कारण जिस प्रकार की जागृति एव श्र याय का प्रतिकार करने की क्षमता का विकास हुश्रा है, वह लोकशक्ति के विकास एव जन जागति का प्रतीक है श्रौर इससे यहा के लोगा म 'स्व शक्ति का भी विकास हुश्रा है।

2 गाव स सम्ब ध र वने वाले कर्मचारियो एव गैर श्रादिवासियो के द्वारा शोपण एव श्र याय कम हुश्रा है। इसे श्र याय मुक्ति का एक सफल प्रयास कह सकत हैं।

न्याय मे भागीदारी

लाकश्रदालत की काय पद्धति से सम्बधित श्रध्याय म हमने देखा कि लाक श्रदालत की बठका म काफी सख्या म लोग उपस्थित होत है श्रौर किसी न किसी रूप म भाग भी लेत है। इसलिए याय व्यवस्था का लोकतान्त्रिक दिशा प्रदान करन का इसे एक सफल प्रयास कह सकते है। याय काय म लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापित करन का जो प्रयास लोक श्रदालत म किया जाता है, उनम मुख्य प्रभावी तत्व निम्न है—

1 वादी-प्रतिवादी द्वारा नि सकोच होकर निणय प्रक्रिया म भाग लेना।

2 दोनो पक्षो के गवाहो द्वारा लोक श्रदालत के सम्मुख तथ्यात्मक जानकारी स्वय रखना।

3 उपस्थित लोगा को श्रपना मत व्यक्त करने की छूट होना।

4 मध्यस्थ (वकील) का श्रभाव।

5 जूरी द्वारा निणय।

6 स्वेच्छा से निणय की पुष्टि एव स्वीकृति।

7 निणय की पूर्ति मे जनमत का दबाव।

उक्त बातो के कारण लोकश्रदालत की न्याय प्रक्रिया म जिस प्रकार के लोकतान्त्रिक मूल्यो का समावेश हो गया है वसे मूल्य सरकारी यायालयो म प्रतिष्ठापित नहीं हो पाय है। वहा दोनो पक्षा के गवाह के श्रतिरिक्त श्र य लोकतान्त्रिक प्रक्रियायें नही चलती श्रौर न इस प्रकार का खुलापन एव नि सकोच होकर बात कहने की स्थिति रहती है। सरकारी यायालयो म प्राय सभी काय वकील द्वारा किए जाते है। यह सही है कि पचायतीराज व्यवस्था के श्र तगत गठित याय पचायतो म एक सीमा तक लोकतान्त्रिक मूल्यो का

स्वीकार किया गया है लेकिन न्याय पंचायत का अधिकार क्षेत्र सीमित होने के कारण उसकी व्यापक स्वीकृति नही पायी जाती। सर्वेक्षित क्षेत्र मे न्याय पंचायतों द्वारा एक सीमा तक ही लोकतान्त्रिक मूल्यों को स्वीकार किया गया है।

लोक-अदालत का स्थायित्व

सवाल उठता है कि ऐसे कौन से प्रभावी तत्व दृष्टिगोचर हुए है जिनके कारण यह समझा जाए कि लोकअदालत को स्थायित्व प्राप्त होगा ? इस सम्बन्ध मे सामान्य एव विशेष दोनो प्रकार के उत्तरदाताओं से जो प्रश्न पूछे गये थे, उनसे लोकअदालत के स्थायित्व के सम्बन्ध मे निम्न तथ्य सामने आये है–

1 इसमे यहा लोगो का विश्वास है।

2 सही एव सस्ता न्याय प्राप्त होता है।

3 शीघ्र न्याय मिलता है।

4 लोकअदालत के न्याय एव प्रक्रिया को ग्राम सभाओ ने अपना लिया है।

5 इसमे कानूनी मान्यता एव दबाव का अभाव है।

6 इसे एक सेवाभावी व्यक्ति का नेतृत्व तो प्राप्त है लेकिन इसमे निरकुशता नही है।

7 लोकअदालत की ठोस व्यवस्था का धीरे धीरे विकास होता जा रहा है।

ऊपर दी गई तालिका से उक्त बातो के बारे मे सहमति या असहमति की स्थिति की जानकारी मिलती है। लोकअदालत से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सामान्य उत्तरदाता उपरोक्त तथ्यो से सहमत हैं और इस कारण यह आशा व्यक्त की जानी चाहिए कि लोकअदालत को स्थायित्व प्राप्त हो सकेगा।

लोकअदालत मे श्री हरिवल्लभ परीख के प्रभावशाली नेतृत्व के होते हुए भी यहा के लोगो का विश्वास है कि यह कार्य उनकी अनुपस्थिति मे भी चल सकता है। हालाकि लोकअदालत की अधिकाश बैठको मे वह स्वय उपस्थित रहते है और सक्रिय भाग लेते है फिर भी लोगो मे यह आत्मविश्वास जागृत हो रहा है कि वे उनकी अनुपस्थिति मे भी लोकअदालत के काय का

तालिका संख्या–29

लोकअदालत के स्थायित्व के बारे मे उत्तरदाताओं की राय

क्र०	स्थायित्व के कारण	सामान्य साक्षात्कार संख्या—435				विशेष साक्षात्कार संख्या 31					
		सम्मति		असहमति		सहमति		असहमति		उत्तर नहीं दिया	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	विश्वास है	435	100 00	00	0 00	11	35 49	2	6 65	18	58 06
2	सही एव सस्ता न्याय	435	100 00	00	0 00	10	32 26	4	12 90	17	55 84
3	शीघ्र न्याय	435	100 00	00	0 00	10	32 26	3	9 68	18	58 06
4	ग्रामसभा द्वारा इस अपना लेना	407	93 56	28	6 44	00	0 00	4	12 90	27	87 10
5	कानूनी मान्यता एव दबाव का अभाव	434	99 77	1	0 23	18	58 06	2	6 45	11	35 49
6	निरकुशता का अभाव	70	16 09	365	83 91	11	35 48	9	29 03	11	35 49
7	लोकअदालत की ठोस व्यवस्था का विकास	426	97 93	9	2 07	1	3 23	1	3 22	29	93 55

सफलतापूर्वक संचालन कर सकते हैं। लोकअदालत में किस सीमा तक स्थायित्व आया है, यह कहना अभी संभव नहीं है क्योंकि अभी तो अध्यक्ष की उपस्थिति का सर्वत्र पूरा प्रभाव पड़ता दिखाई देता है और केवल उत्तर दाताओं के आत्मविश्वास में ही भविष्य की स्थिति का सही अंदाज नहीं लगा सकते। वैसे तालिका में उल्लिखित कारण संख्या 1 2 3 तो वास्तव में लोकअदालत के प्रति लोगों की आस्था के प्रमाण हैं। स्थायित्व के प्रमुख कारण तो संख्या 4 5 और 7 को मानना चाहिए। यदि ग्रामसभायें इस काम को अपना लेती हैं तो स्थायित्व की आशा की जानी चाहिए। परन्तु प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दिशा में अभी तक आशाजनक सफलता नहीं मिल सकी है। सामान्यतया लोग केन्द्रीय लोकअदालत में विवाद सुलझाने के लिए आते दिखाई दिए। यदि ग्रामस्तर पर लोकअदालत को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा सके तो यह इसके स्थायित्व की दिशा में निश्चय ही एक मजबूत कदम होगा।

उत्तरदाताओं ने इसके स्थायित्व के बारे में एक बात यह भी बतायी है कि इसमें कानून का दबाव नहीं है और इसीलिए इसके स्थायित्व प्राप्त करने की अधिक संभावनायें हैं। उनका तात्पर्य यह है कि इसे जनस्वीकृति प्राप्त है और यह स्वेच्छा पर आधारित है और यदि यहां के लोगों को इसमें विश्वास है तो इसके स्थायित्व के बारे में आशा की जा सकती है। कानून एवं दण्ड शक्ति के स्थान पर स्वेच्छा निर्णय स्वीकार किये जाने की प्रवृत्ति भी इसका संकेत है। यदि लोकअदालत में कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी ठोस व्यवस्था का विकास हो सके तो इससे भी इसके स्थायित्व में मदद मिलेगी। यदि विविध प्रकार के विवादों में निर्णय के मुद्दे, निर्णय प्रक्रिया, निर्णय की पूर्ति की व्यवस्था आदि के संबंध में मजबूत ढांचा बन सके तो लोकअदालत अधिक कारगर ढंग से काम कर सकेगी। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि पिछले एक दशक से लोकअदालत के कार्य को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें निर्णय की प्रक्रिया का विकास हुआ है साथ ही साथ न्याय एवं पूर्ति का भी स्वरूप निखर रहा है। यहां यह भी स्वीकार करना चाहिए कि विशेष उत्तरदाताओं ने लोकअदालत की स्थायित्व की संभावना अपेक्षाकृत कम स्वीकार की है जबकि सामान्य उत्तर दाताओं का विश्वास है कि यह संस्था स्थायित्व प्राप्त करेगी।

सारांश

लोकअदालत ने न्याय कार्य के साथ साथ इस क्षेत्र के लोगों में आत्मविश्वास को बढ़ाया है जिससे उनमें शोषण एवं अन्याय का प्रतिकार

स्वीकार किया कि अध्यक्ष (श्री हरिवल्लभ परीख) की अनुपस्थिति में लोक अदालत चलती रहेगी। लेकिन प्रत्यक्ष अवलोकन एवं बातचीत के आधार पर हम इस निष्कर्ष पहुंचे हैं कि स्थायित्व का जो स्वरूप विकसित होना चाहिए था, उसका अभी अभाव दिखाई देता है। एक व्यक्ति के नेतृत्व की स्थिति एवं ग्राम स्तर पर इसके विस्तार की कमी के कारण इसके स्थायित्व के लिए अधिक प्रयत्नशील एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है।

सदभ

1 देखें सम्बंधित तालिका।

2 देखें श्री हरिवल्लभ परीख क्रांति का अरुणोदय पृष्ठ 1, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, 1973।

3 देखें श्री हरिवल्लभ परीख क्रांति का अरुणोदय।

4 देखें संलग्न तालिका।

12

उपसंहार

मानव समाज क विकास के साथ साथ उसके सामाजिक जीवन को सगठित एव नियमित करने वाली अनेक सस्थाओ एव व्यवस्थाओ का भी विकास हुआ। इन सस्थाओ मे मुख्य है—विवाह, परिवार धम राज्य, आदि। ये सस्थायें सावभौमिक रही है चाहे देश एव काल के अनुसार उनके स्वरूप मे न्यूनाधिक भिन्नतायें दष्टिगोचर होती हैं। सामुदायिक जीवन म व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धो में आचरणो को नियमबद्ध करने वाली व्यवस्थाओ म न्यायिक सस्था का मुख्य स्थान रहा है और इसकी सावभौमिकता भी सवविदित है। न्याय व्यवस्था क सचालन के लिए आदिकाल स ही मानव समाज ने न्याय के कुछ नियमो का सहारा लिया है। विभिन्न देशो की भौगोलिक परिस्थितियो और उनके फलस्वरूप विकसित सामाजिक एव सास्कृतिक जीवन की भिन्नताओ के कारण नियमो म अन्तर भले ही रहा हो लकिन आधारभूत नियमो का सभी जगह सादश्य पाया जा सकता है। इन आधारभूत नियमो म मुख्य य माने जा सकते है। जैसे—(क) अपराधी को दण्ड मिले, (ख) ऐसे व्यक्ति को दण्ड न मिले जो निर्दोष हो (ग) न्यायालय के सम्मुख सब समान है आदि। कानून एव न्याय सामाजिक जीवन क अभिन्न अग है। समाज म कानून का निर्माण नतिकता क पोषण के लिए होता है और इस प्रकार दोनो का निकट का सम्बन्ध है। जिस समाज मे जितनी अधिक नतिकता होगी वहा कानून का पालन उतना ही अधिक होगा। यह देखने मे आया है कि सामान्यतया परम्परागत नियम नतिकता की भित्ति पर आधारित रहे हैं।

किसी भी देश की न्यायिक सस्था के विकास को सामाजिक एव सास्कृतिक परिप्रेक्ष्य म देखा जाना चाहिए क्योकि उसका विकास उसी परिप्रेक्ष्य म होता है। न्यायिक सस्था की सरचना न्याय प्रक्रिया न्यायिक मूल्य एव दण्ड

आदि म सामाजिक एव सास्कृतिक भिन्नता के कारण अ तर पाया जाता है।

स्वतत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय परम्परा एव सामाजिक सरचना का ध्यान म रखत हुए ग्राम एव याय पचायतो का कानूनी रूप दन का भी प्रयास किया गया है। गाधीजी न भारतीय समाज सस्कृति एव जन स्वभाव का ध्यान म रखत हुए पचायतीराज का एक विचार रखा था। कुछ समाज सेवको ने जिनके ऊपर गाधी विचार का प्रभाव था, ग्रामसवा का कार्य प्रारम्भ किया। पर तु यह काय पूणतया समाज सवा से सम्बधित था और इसम राज्य या कानून के हस्तक्षेप का अभाव जनसहयोग विश्वास एव जन स्वीकृति की भावना विद्यमान थी। समाज सेवा के इस प्रयास मे कुछ लोगो न याय पक्ष को भी स्पश किया और मोजूदा यायपद्धति की कठिनाइया को ध्यान म रखकर गाधी विचार के अनुरूप यायपद्धति विकसित करने का प्रयास प्रारम्भ किया। इस प्रयास म यह ध्यान रखा गया कि यह भारतीय समाज क अनुकूल हो, समाज की समस्याओ को सुलझाने मे मददगार हो और ग्राम्य समाज को मौजूदा याय यवस्थाकी कठिनाइयो से मुक्ति दिला सक। इसी परिप्रेक्ष्य मे गाधीजी से प्रभावित होकर गाधी विचार के प्रति निष्ठा रखन वाल युवक श्री हरिवल्लभ परीख सन 1949 50 म समाज सेवा क काम म अग्रस हुए और उ होने वडोदा जिला (गुजरात) स्थित छोटा उदयपुर तहसील के रगपुर गाव म ग्राम सेवा का काय प्रारम्भ किया। ग्रामीण समस्याओ का सुलझाने एव ग्रामस्वराज्य की स्थापना के प्रयास क दौरान वहा लोकअदालत सस्था का स्वत विकास होता गया। इस लोकअदालत ने अब तक हजारो छोटे-बडे विवादो को सुलझाया है। इसका सघन कार्य क्षेत्र वडोदा जिले की दो तहसीलो मे है—(1) छोटा उदयपुर और (2) नसवाडी। लोकअदालत एक ऐसी सस्था है जहा विभिन्न विवादो एव समस्याओ का लोकतान्त्रिक मूल्यो के अनुसार स्वेच्छा एव पच निर्णय स सुलझाया जाता है। लोकअदालत राज्य के कानून से प्रतिबधित नही है।

लोकअदालत के दो उद्देश्य दिखाई देत है

1 गाव के लोगो म स्वशासन की भावना का विकास एव उसका अभ्यास कराना।

2 समाज के सभी वर्गों के लिए ऐसी सव सुलभ एव सरल यायव्यवस्था का विकास करना जिसस उ ह सस्ता एव शीघ्र याय मिले।

लोकअदालत की नीचे लिखी विशेषतायें मान सकत हैं—

(क) इसकी सभी कायवाई खुले रूप म हाती है। इसीलिए इसे ओपन

बाट (open court) भी कहा गया है।

(ग) विकेन्द्रित स्वरूप—यह ग्रामस्तर पर फल रहा है यद्यपि मौजूदा व्यवस्था में मुख्य केन्द्र एक स्थान पर है।

(ग) न्याय प्रक्रिया में लोकतान्त्रिकता।

(घ) निर्णय को स्वेच्छा से स्वीकार करना।

(ङ) राज्य के कानूनी बंधन का अभाव।

(च) शीघ्र एवं सस्ता न्याय।

(छ) स्वशासन का अभ्यास।

(ज) न्याय प्रक्रिया की सरलता एवं सहजता।

(झ) सत्य की खोज की पूरी गुंजाइश।

(ञ) समानता एवं सामाजिक न्याय।

2 लोकअदालत के कार्य का फैलाव जिस क्षेत्र में है वह आदिवासी-प्रधान है इसलिए आदिवासी संस्कृति की विशेषताओं ने भी लोकअदालत को प्रभावित किया है। इस क्षेत्र की गिरी हुई आर्थिक स्थिति सामाजिक उपेक्षा एवं शोषण यहां के जन जीवन को दूभर बनाते हैं। न्याय के लिए आदिवासी पंचायत इन्हें विरासत में मिली है जिसमें लोकअदालत के लिए स्वतः ही अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। सामाजिक जीवन की विकट समस्याओं, आदिवासी समाज में व्याप्त अंधविश्वास और गलत एवं अमानवीय परम्पराओं ने जहां लोकअदालत के कार्य क्षेत्र की आवश्यकता को बढ़ाया है वहां यहां की आदिवासी संस्कृति ने इसकी मान्यता एवं प्रतिष्ठापन के अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। क्षेत्र की भौगोलिक संरचना, आदिवासी समाज की सामाजिक व्यवस्था और परम्परायें लोकअदालत के विकास में मददगार हुई हैं।

3 लोकअदालत के संगठन का किसी प्रकार का बना बनाया ढांचा नहीं है। आवश्यकतानुसार प्राप्त अनुभवों के आधार पर संगठन का विकास क्रमशः स्वतः ही हुआ है। इसके संगठन को काल क्रम के अनुसार तीन वर्गों में बांट सकते हैं

(क) चल लोकअदालत का संगठन।

(ख) केन्द्रीय लोकअदालत का विकास एवं संगठन।

(9) जूरी व निणय पर सभा द्वारा विचार और समाधान की घोषणा।

(10) करारखत का लिखा जाना।

(11) करारखत पर वादी प्रतिवादी, जूरी एव अध्यक्ष के हस्ताक्षर।

(12) गुड वितरण।

5 लोकग्रदालत के निणय को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है। यही कारण है कि निणय की पूर्ति म ज्यादा कठिनाई नही होती। ग्रामतौर पर लोकग्रदालत के निणय को तुरन्त ही क्रियान्वित कर दिया जाता है। फिर भी कभी-कभी निणय की पूर्ति मे कठिनाई ग्रा जाती है। यह कठिनाई एक पक्ष के ग्रसताप, निणय के समय कुछ मुद्दो के छूट जान, व्यक्तिगत राग-द्वेष, किसी के वहकाने मे ग्रा जान ग्रादि कारणो से होती है। इस कठिनाई को दूर करन म पचो की प्रमुख भूमिका होती है। पच इस बात का प्रयास करते हैं कि निणय की धाराग्रो की पूर्ति हो। करारखत मे निणय की पूर्ति न की जान पर की जाने वाली कार्यवाही का भी उल्लेख होता है। यदि निणय की पूर्ति नही होती तो वह विवाद दुबारा भी लोकग्रदालत मे ग्रा जाता है। लोक-ग्रदालत की कोई उच्च इकाई न होन के कारण उसके निणय के विरुद्ध ग्रपील नही होती। हा, ग्रामसभा के निणय के विरुद्ध केन्द्रीय लोकग्रदालत मे सुनवाई ग्रवश्य होती है। निणय की पूर्ति की दृष्टि से लोकग्रदालत के प्रति विश्वास ग्रौर सामाजिक दबाव का विशेष महत्त्व होता है। यह प्रश्न निणय के फलस्वरूप प्रतिवादी को प्राप्त सन्तोष की स्थिति से भी जुडा हुग्रा है। निणय के प्रति व्यापक सन्तुष्टि देखने को मिली है। इस कारण उसकी पूर्ति सम्बन्धी समस्या नही देखी गयी।

6 लोकग्रदालत के निणय की विभिन्न लोगो पर होन वाली प्रतिक्रिया के विषय मे दो स्थितिया देखने मे ग्रायी। जो लोग लोकग्रदालत के साथ निकट सम्पर्क म हैं ग्रौर विवाद एव होन वाले निणयो स सबद्ध है उनकी प्रतिक्रिया एक प्रकार की है—ये लोग लोकग्रदालत की सफलता का तुलनात्मक दृष्टि म ग्रधिक मूल्याकन करते हैं जबकि जिनेर उत्तरदाता जिनका लोकग्रदालत से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है, इसकी सफलता एव उपयोगिता को उतना महत्त्व नही देते।

मोटे तौर पर लोकग्रदालत के निर्णय के प्रति विभिन्न प्रकार के लोगो की प्रतिक्रिया के बारे मे ये बातें कही जा सकती है

(क) निर्णय के बारे में वादी-प्रतिवादी की सामान्य प्रतिक्रिया यह देखने में आयी कि लोकअदालत में न्याय मिलता है। संभव है फैसला उनके पक्ष में नहीं हुआ हो परन्तु न्याय मिलता है उनके मन में भी यह विश्वास है।

(ख) वादी प्रतिवादी के निकटवर्ती नाते रिश्ते के लोग भी यह स्वीकार करते हैं कि यहां न्याय मिलता है और खुली अदालत के कारण जूरी पक्षपात नहीं कर पाता—हां जूरीगण की राय में यदाकदा मतभेद होता है लेकिन उस स्थिति में अन्तिम निर्णय सभा या अध्यक्ष करता है और विवाद का समाधान हो जाता है।

(ग) सामान्य उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि लोकअदालत की निर्णय प्रक्रिया को देखते हुए न्याय मिलने का विश्वास मजबूत होता है।

(घ) विशेष साक्षात्कार वाले उत्तरदाताओं ने लोकअदालत के निर्णय के प्रति एक सीमा तक शंका व्यक्त की है। लेकिन शंका के बावजूद लोकअदालत की उपादेयता उसके महत्त्व एवं उसको प्राप्त सम्मान एवं मान्यता का उल्लेख भी स्वीकार किया है।

7 लोकअदालत के कार्य का एक मुख्य पक्ष सामाजिक परिवर्तन की धारा को सही दिशा देना भी रहा है। लोकअदालत का सामाजिक प्रभाव उसकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। आदिवासी समाज के सामाजिक पिछड़ेपन, उसमें व्याप्त अशिक्षा और प्रचलित गलत परम्पराओं एवं अन्धविश्वास आदि को सही दिशा देने एवं समाप्त करने की दिशा में लोकअदालत की प्रमुख भूमिका है। लोकअदालत की कार्य प्रक्रिया के दौरान भी लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिलता है। इस प्रकार शिक्षण का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में देखने को मिलता है। शिक्षा एवं आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां देखी गयी हैं। अन्धविश्वासों में कमी आई है यह सभी ने स्वीकार किया है। इसके साथ-साथ आदिवासी न्याय व्यवस्था में जनभागीदारी की भूमिका भी बनी है।

8 विवादों की संख्या में कमी

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर हम यह कहने की स्थिति में भी हैं कि लोक-अदालत के कारण विवादों की संख्या में कमी की प्रवृत्ति है। तालिका संख्या 29 से इस निष्कर्ष की पुष्टि हो सकती है।

तालिका संख्या–30

विवादों की संख्या में कमी

वर्ष	पंजीकृत विवाद संख्या
1972	577
1973	574
1974	340
1975 (नवम्बर तक)	324

उपरोक्त दोनों तालिकाओं के आधार पर हम यह कहने की स्थिति में है कि लोकअदालत में आने वाले विवादों की संख्या तो कम हुई ही है, साथ ही साथ लोकअदालत में आने वाले कुल विवादों की संख्या में भी पिछले चार वर्षों में कमी हुई है। वैसे उक्त आंकडों के आधार पर यह तो नहीं कहना चाहेंगे कि यह संख्या बहुत उत्साहवर्धक है लेकिन विवादों की संख्या में कमी की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर अवश्य होती है। विवादों की संख्या में कमी के निम्न मुख्य कारण देखने में आये

(क) आर्थिक विकास खासकर कृषि के विस्तार के कारण रोज के जीवन में व्यस्तता बढी है।

(ख) विवाह में स्थायित्व के कारण तलाक सम्बन्धी विवादों में कमी आयी है।

(ग) भूत प्रेत डायन तथा अन्य अन्ध विश्वासों में कमी जातीय सद्भाव में वृद्धि शिक्षा में विकास एवं सामाजिक जागृति के कारण भी इस प्रकार के विवादों में कमी आयी है।

(घ) ग्राम स्तर पर विवादों का सुलझाने की प्रवृत्ति बढने के कारण भी विवादों की संख्या में कमी आई है।

केन्द्रीय लोकअदालत में कम विवादों के आने का एक सूक्ष्म कारण यह भी देखने में आया कि अध्यक्ष श्री हरिवल्लभ परीख के व्यस्त रहने के कारण लोकअदालत की बैठकें कम हो पाती है और कभी कभी दो बैठकों के बीच

(3) सामाजिक परिवतन और लोक शिक्षण

समाज मे परिवर्तन की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। सामाजिक सस्थाओ म परिवर्तन की इस प्रक्रिया को सही दिशा देन का प्रयास लोक शिक्षण के माध्यम स लोकअदालत करती रही है। न्याय ऐसी सस्था है जहा सामाजिक व्याधियो से सम्बद्ध समस्यायें विवाद के रूप मे आती है। मौजूदा व्यवस्था म न्यायालय इन विवादो को मात्र कानूनी एव तकनीकी दृष्टि से सुलझाता है। लेकिन लोकअदालत विवाद के निणय म इस बात का ध्यान रखती है कि सामाजिक व्याधि समाप्त हो और सामाजिक परिवतन को सही दिशा मिले। जैसे पारिवारिक विघटन समाज म महिलाओ का स्थान, अ ध विश्वास शिक्षा आदि का सही दिशा देन का प्रयास।

(4) जनशक्ति का विकास

स्थानीय स्तर पर जनता की शक्ति का विकास हो, इसका प्रयास लोकअदालत द्वारा बराबर किया जाता रहा है। समाज म व्याप्त शोषण एव गलत परम्पराओ का दूर करने के लिए जनशक्ति का विकास न्याय यवस्था मे लोकअदालत का महत्त्वपूर्ण योगदान है। न्यायालय नागरिक चेतना की प्रक्रिया मजबूत करने म मददगार हो सकता है यह लोकअदालत न सत्याग्रही एव धरनो क माध्यम स प्रमाणित करन का प्रयास किया है। इस सम्ब ध म अधिक अध्ययन एव अनुसधान किये जान की आवश्यकता है।

(5) शारीरिक दण्ड से मुक्ति

अपराधी को दण्ड मिले, इस बात का स्वीकार करत हुए भी लोक अदालत शारीरिक दण्ड म आस्था नही रखती। वस सैद्धा तिक रूप स भी दण्डशास्त्री शारीरिक दण्ड के बारे म एक मत नही हैं। लोक अदालत अपराधी को शारीरिक दण्ड न देने के साथ साथ इस प्रकार का वातावरण निर्माण करती है जिसम अपराधी अपना अपराध स्वेच्छा स स्वीकार कर और अपनी भूल के लिए पश्चाताप अनुभव कर। पश्चाताप की इस उदात्त भावना स अपराधी का सुधार होता ही है यह लोकअदालत की मान्यता है। यह दण्डशास्त्र क क्षेत्र म लोकअदालत का महत्त्वपूण योगदान माना जा सकता है।

लोकग्रदालत की सीमा

(1) लोकग्रदालत याय के क्षेत्र म एक प्रयोग है इस बात को स्वीकार करते हुए भी इसकी कुछ सीमाए है। इन सीमाग्रो को दूर करने का प्रयास करन की ग्रावश्यकता है ताकि उसका क्षेत्र ग्रौर व्यापक हो सके। लोकग्रदालत की जो सीमाए देखने म ग्राइ, उ हे दूर करने पर उसे ग्र य क्षेत्रो म भी विकसित किया जा सकता है ग्रौर यह मौजूदा सरकारी न्यायव्यवस्था की कठिनाईया का दूर करने मे बडी सीमा तक मददगार हो सकती है।

(2) इस क्षेत्र की सास्कृतिक विशेषता लोकग्रदालत के काय की एक सीमा निर्धारित करती पायी गयी। लोकग्रदालत का सघन कायक्षेत्र ग्रब तक ग्रादिवासी सस्कृति तक ही विशेष रूप स सीमित रहा है। गैर ग्रादिवासी समाज एव सस्कृति म इसका फैलाव कम रहा है। ग्रत गरग्रादिवासी समाज एव सस्कृति वाले क्षेत्र मे भी इस प्रकार के परीक्षण की ग्रावश्यकता है। गरग्रादिवासी समाज एव सस्कृति ग्रादिवासी समाज एव सस्कृति स काफी हद तक भिन्न है इस कारण वहा लोकग्रदालत का स्वरूप कुछ भि न भी हो सकता है।

(3) परिस्थिति शास्त्रीय (Ecological) दृष्टि से भी यह क्षेत्र सामान्य से भिन्न है। यहा की भौगोलिक परिस्थितिया जिस प्रकार की है उसम ग्रार्थिक शोषण गरीबी एव पाश्चात्य सभ्यता स ग्रप्रभावित जीवन पद्धति दखने को मिलती है जबकि गैरग्रादिवासी एव शहरी जीवन से प्रभावित क्षेत्र का जीवन भि न प्रकार है। एसे क्षेत्रो की सामाजिक, ग्रार्थिक नतिक एव राजनतिक समस्यायें भी भि न है। इस परिस्थिति भिन्नता स लोकग्रदालत की एक सीमा बनती है ग्रौर भिन्न परिस्थितियो म इसके प्रयोग को ग्राग बढाय जान की ग्रावश्यकता भी सामने ग्राती है।

(4) जीवन की उलझनो की भिन्नता भी इसकी सीमा निर्धारित करती है। जीवन की जिस प्रकार की उलझनें सर्वेक्षित क्षेत्र म पायी जाती है वे ग्र य क्षेत्रो खास कर गरग्रादिवासी क्षेत्र म, नहीं है। यहा का खुला जीवन तलाक पुनर्विवाह स्त्रियो का स्थान, सहज एव सरल मानवीय स्वभाव इ हे ग्रन्य समाजा स भिन्न करता है।

(5) ऐसा समाज जहा बहुत ग्रधिक कानूनी उलझनें है ग्रौर जीवन ग्रत्य त गतिशील है एव जहा व्यक्तिगत स्वाथ का बोलबाला रहता है यहा

लोकअदालत किस सीमा तक सफल होगी, यह प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। यहा शिक्षा की कमी के कारण कानून की कम जानकारी है इसलिए अधिकाश लोग परम्परागत जीवन को स्वीकार करते हैं। शिक्षा के प्रसार से यह परिस्थिति बदल सकती है। शहर, औद्योगिक सस्कृतिक एव गैर आदिवासी क्षेत्र की जीवन की उलझनों एव कानूनी दाव पेचो को ध्यान मे रखकर भी काय किये जाने की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक इस दिशा मे कोई खास प्रयास नही किया गया है। यही कारण है कि कस्बा, शहर एव कानूनदा लोगो के मन मे इस बारे मे स्पष्टता नही है। यह स्पष्टता प्रयोग अभ्यास एव क्षेत्र के विस्तार से आ सकेगी।

(6) लोकअदालत की मौजूदा व्यवस्था भी इसकी सीमा दर्शाती है। इस समय लोकअदालत को विशेष व्यक्तित्व का नेतृत्व प्राप्त है जिसके काय के प्रति क्षेत्र के लोगो का विश्वास है और उसके प्रति भक्ति भी है। ऐसा विश्वास एव भक्ति लोकअदालत के कार्य की एक सीमा मानी जा सकती है। हा वैसे यह प्रयास अवश्य चला है कि एक व्यक्ति के प्रति भक्ति लोकअदालत का आधार न बने और इसको एक न्यायव्यवस्था के रूप मे स्वीकार किया जाय लेकिन हम स्वीकार करना चाहिये कि अभी एक व्यक्ति के नेतृत्व का पूरा प्रभाव लोक अदालत पर दृष्टिगोचर होता है। एक व्यक्ति के नेतृत्व के प्रभाव के कारण इसके सस्थात्मक विकास की कमी देखने मे आयी। इस कमी को दूर किये बिना लोकअदालत स्थायित्व नही प्राप्त कर सकेगा साथ ही साथ इसका सस्थात्मक ढाचा भी मजबूत नहीं हो सकेगा।

सुझाव

(1) प्रस्तुत अध्ययन मे जो बातें सामने आयी है, उसके आधार पर कुछ सुझाव दिये जा सकते है जो (क) लोकअदालत और (ख) सरकारी न्याय पद्धति दोनो के लिये उपयोगी हैं। हमारा यह मानना है कि *लोकअदालत के व्यापक प्रसार के लिये इसके प्रयोग क्षेत्र को विस्तृत* किया जाय। लोकअदालत जैसी व्यवस्था के लिये आवश्यक है कि अन्य क्षेत्रो मे काम कर रहे अन्य निष्ठावान समाज सवक भी अपने अपने क्षेत्रो मे इस प्रकार के प्रयोग मे लगें।

(2) लोकअदालत की न्याय-पद्धति को अधिक विकसित एव व्यवस्थित किय जाने की जरूरत है। इस दिशा मे एक प्रयास तो यह किया जा

सकता है कि निणय प्रक्रिया म सामूहिक निणय को और बढावा दिया जाय। इस काय म मदद के लिये यदि सभव हो तो, एक निणय सहिता का भी निमाण किया जाय जिसको आधार मानकर ग्राम सभाओ द्वारा अपने अपने क्षेत्र मे विविध प्रकार के विवादो का निणय दिया जा सके। इससे स्थानीय नेतृत्व की मदद मिलने के साथ साथ जूरीगण को भी निणय लेने म मदद मिलेगी। यह निणय सहिता स्थानीय समाज व्यवस्था परम्परा, कानून एव नैतिकता के आधार पर बनाई जा सकती है और इसम कानूनविद एव समाजशास्त्रियो की भी मदद ली जा सकती है।

(3) लोकअदालत के केन्द्रीय एव ग्रामस्तरीय दोनो कार्यालयो को अधिक व्यवस्थित किया जाय ताकि विवादो और उनके निणयो के बारे म और अधिक जानकारी रखी जा सके। अभी जो रकार्ड रखे जाते हैं वे भी पूरे तौर पर नही रखे जाते, ऐसा हम महसूस हुआ है।

(4) लोकअदालत की व्यवस्था को स्थायित्व देने की दृष्टि से आवश्यक है कि इसे ग्रामस्तर पर विकेन्द्रित किया जाय और यह एक न्याय व्यवस्था के रूप म ग्रामस्तर पर स्वीकृति कर ली जाय। इस दिशा मे अभी काफी प्रयास की आवश्यकता है ताकि इसका सस्थात्मक ढाचा मजबूत हो सके।

(5) इस दृष्टि से लोकअदालत के काय एव प्रक्रिया के अनुकूल सबल स्थानीय नेतृत्व विकसित किये जाने की भी आवश्यकता है। वैसे तो इस बात को सब स्वीकार करते है कि स्थानीय नेतृत्व विकसित हुआ है फिर भी गाव गाव म इस कार्य के अनुरूप नेतृत्व विकसित करने की आवश्यकता कम प्रतीत नही होती। लोकअदालत की बैठक के दौरान स्वाभाविक रूप से इसकी काय प्रक्रिया सम्बन्धी प्रशिक्षण तो मिलता है लेकिन यदि समय-समय पर स्थानीय नेतृत्व को इस काम मे प्रशिक्षित करने के लिये शिविरो का आयोजन किया जाय तो वह और भी अधिक उपयोगी हो सकता है।

(6) लोकअदालत की व्यापक स्वीकृति की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक लगता है कि इस काम म ऐसे लोगो का भी सहयोग लेना चाहिये जो न केवल कानून के जानकार हो बल्कि जो लोकअदालत की भावना को भी भली भाति समझते हो। इससे इसका क्षेत्र विस्तृत

किय जाने म मदद मिलेगी ।

(7) लोकअदालत ने दण्ड का जिस ढग से मानवीयकरण किया है वह अपराध एव दण्ड शास्त्र म महत्त्वपूण यागदान है । इसका लाभ मौजूदा यायव्यवस्था को भी मिलना चाहिये । यह दो प्रकार से हो सकता है —

(क) याय एव व्यवस्था म लग लोगो को लोकअदालत की याय प्रक्रिया एव व्यवस्था समझने के लिय यहा आना चाहिय । इस दष्टि से याय यवस्था म लगे लोगो के लिए यहा शिविर एव सेमिनार भी आयोजित किय जा सकते ह और उनम वकील यायाधीश जेल के अधिकारी कमचारी एव पुलिस अधिकारियो को आमन्त्रित किया जा सकता है ।

(ख) लोकअदालत क्षत्र को जेल की सजा भुगत रह लोगो के लिये प्रशिक्षण के द्र बनाया जा सकता है । जिन कैदियो के लिए खुली जेल की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया है, उन्ह यहा भेजा जाना चाहिये और खुली जेल का एक प्रयोगात्मक क द्र यहा चलाया जाना चाहिये, ताकि लोकअदालत द्वारा जिस ढग से विवादग्रस्त पक्षो के मानस को बदल कर आपसी तनाव घटाने एव पारस्परिक सौहादभाव बढाने के प्रयास किय गये है, उनकी जानकारी उन कैदियो को भी मिल सके और वे अपना भावी जीवन अधिक मधुरता एव स्नह भाव स बिताना सीख सकें ।

(8) लोकअदालत द्वारा दिये गये दण्ड दोषी व्यक्ति के साथ किया जाने वाला व्यवहार याय म मानवीय एव सामाजिक मूल्यो का स्थान आदि बातो को सरकारी याय एव दण्ड व्यवस्था किस रूप में और किस सीमा तक स्वीकार कर सकती है, यह भी एक विचारणीय विषय होना चाहिये । सरकारी यायालय विवाद के सामाजिक पक्ष को किस रूप म स्वीकार करें यह भी विचारणीय विषय है ।

(9) सरकारी यायालयो की मुख्य कठिनाई याय काय म देरी एव अधिक खर्चा है । लोकअदालत इन दोनो कठिनाईयो स मुक्त है । यही लोकअदालत का मुख्य आकर्षण भी है । सरकारी यायालय इन दोनो कठिनाइयो से मुक्त हो इस दिशा म प्रयास किय जाने जरूरी

है। लोकप्रदालत इसम कई दष्टियो से सहयोगी बन सकती है। जैस —

(क) अधिक मे अधिक विवाद स्थानीय स्तर पर सुलझाय जायें, ताकि सरकारी न्यायालयो मे ले जाये जाने वाल विवादा की सख्या घट।

(ख) स्थानीय न्याय सस्थाग्रा को अधिक स अधिक न्यायिक अधिकार दिये जायें ओर लोकप्रदालत की विशेषताओ को ग्रहण करके चलने वाली स्थानीय न्यायव्यवस्था सुदढ एव विकसित की जाये। इससे मौजूदा न्यायालयो म विवादा की सख्या कम होन के साथ-साथ जन साधारण म स्वशासन की भावना भी विकसित हो सकगी।

(10) स्थानीय स्तर पर स्वशासन मजबूत बनाया जाना चाहिये इस बात का स्वीकार किया जाना चाहिय। गाधीजी क ग्रामस्वराज्य की कल्पना को नीचे की इकाइ म स्वशासन हो ओर ऊपर की इकाई का विकास समुद्र की लहरा की भांति हो," मूत रूप दने का प्रयास किया जाना चाहिय।

(11) स्थानीय नतृत्व के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिय जिसस उनम स्वशासन की योग्यता आय। पचायतीराज के अ तर्गत न्याय पचायत की व्यवस्था है। प्रयोगात्मक रूप म बडोदा जिल की न्याय पचायता का लोकप्रदालत के साथ जोडना चाहिय ओर इस न्यायिक दष्टि स प्रयाग क्षेत्र बनाना चाहिय।

(12) सरकारी न्यायालय की कठिनाइया एव समस्यायें कम हा इसके लिय प्रयागात्मक प्रयास किया जाय। इस प्रयाग के प्रथम चरण के रूप म ऊपर के सुझाव (स० 11) के अनुसार लोकग्रदालत न्याय पचायत एव अ य सरकारी न्यायालया म तालमेल बढाकर विवादा क शीघ्र निपटार क लिए जिला स्तर पर एक प्रयोगात्मक याजना बनाइ जानी चाहिय। प्रयोगात्मक योजना को न्याय का विविध समस्याओ के साथ जोडा जाना चाहिय। हमारी राय म लोकग्रदालत के प्रध्यक्ष एव इस काम म लगे लोगा का इसम पूरा सहयाग लेना चाहिय। इससे लोकग्रदालत न्याय पचायत एव सरकारी न्याय व्यवस्था तीना को नयी दिशा मिलेगी।

(13) इस प्रयोग पर विचार करने के लिए सरकारी न्यायालयों न्याय पंचायतों (पंचायती राज) लोकअदालत के प्रतिनिधियों समाज शास्त्रियों एवं उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों की बैठक बुलायी जानी चाहिए।

(14) लोकअदालत का जो स्वरूप विकसित हुआ है वह समाज सेवा कार्य में लगे लोगों के कार्यारम्भ के लिए उपयोगी है। देश भर में अनेक लोग ग्रामसेवा कार्य में लगे हैं और सुदूर गांवों में समस्याओं के समाधान का प्रयास भी कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में विवाद सुलझाने का काम भी छोटे मोटे पैमाने पर चलता है। लेकिन यह कार्य लोक-अदालत की भांति व्यवस्थित नहीं है। अन्य प्रदेशों में भी ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों का स्थानीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाता है। वहां के कार्यकर्त्ता यहां के प्रयोग एवं अनुभव का लाभ ले सकते हैं और अपने क्षेत्र में इस प्रकार की न्याय पद्धति को विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं।

(15) लोकअदालत की व्यवस्था आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र में विशेष रूप में उपयोगी हो सकती है। इससे शोषण एवं सामाजिक अन्धविश्वास में कमी आने के साथ साथ उनमें स्वशासन की क्षमता का विकास भी होगा और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। जिन आदिवासी क्षेत्रों में समाज सेवा में लगे हुए निष्ठावान कार्यकर्त्ता हैं, वहां इसका विकास सहज हो सकता है। निस्वार्थ सेवा की भावना, प्रभावशाली नेतृत्व एवं ठोस कार्य में विश्वास इस प्रकार के कार्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट म लोकअदालत के निणय समस्याओ के समाधान के लिये किय गये प्रयास एव करार खत के नमूने नीचे लिखे क्रम मे दिये गये हैं

परिशिष्ट (क)

इसम अध्ययन दल की मौजूदगी म लोकअदालत म जो विविध प्रकार के विवाद आय उनके नमूने दिये गय हैं। साथ ही कुछ अन्य विवादो की स्थिति एव लोकअदालत द्वारा दिये गये निणय सम्ब धी जानकारी भी सक्षेप मे दी गई है।

परिशिष्ट (ख)

इसम सरकारी यायालय मे गय कुछ विवादो के सक्षिप्त नमूने दिये गये है।

परिशिष्ट (ग)

लोकअदालत द्वारा किये गय सामाजिक याय, क्षेत्र मे अयाय के अहिंसा त्मक प्रतिकार सम्ब धी समस्याए एव उसके समाधान के लिय किये गये प्रयास एव सत्याग्रह के कुछ नमून दिय गये हैं।

परिशिष्ट (घ)

इसम लोकअदालत के निणय (करार खत) के कुछ नमून दिय गये है।

परिशिष्ट 'क'

लोकअदालत मे निर्णित विवादो के नमूने

1 क' ने शिकायत पश की कि उसका पति 'ख' उसे खाना नही देता उसके साथ मारपीट करता है और बातचीत भी नही करता। लडकी पति के पास रहना चाहती है। उसके तीन साल का एक बच्चा भी है। 'ख' चुप रहता है। सभी उपस्थित लोग उसे समझाते हैं। समाधान सुझात है कि तलाक की स्थिति मे 'ख' क' को पैसा देगा लेकिन बच्चा 'ख' के पास रहेगा। 'क' के दिमाग पर बच्चे के बिछुडने का डर है। आखिरकार लोकअदालत ने सारे विवाद पर विचार करके उसी दिन निर्णय दिया कि ख' पत्नी का माथ रखे। उसे खाना द झगडा न करे और उससे बोल चाल। करार-खत लिखा गया जिस पर दोनो पक्षो के हस्ताक्षर हुए।

इस पूरी कायवाही से हम निम्न निष्कष पर पहुचे —

(क) क और ख दोना की बात बडी शाति से सुनी गयी और दोना न निडर होकर अपने विवाद की मुख्य बातें लोकअदालत के समक्ष पश कर दी।

(ख) दोना के माता पिता का विवाद के बारे म अपनी अपनी बातें कहने का पूरा मौका मिला।

(ग उपस्थित लागो न जिनम अधिकाश पडोसी एव नात रिश्तदार थ, ख को समझाया।

(घ) दोनो पक्षो की ओर से नियुक्त चारा जूरिया न सवसम्मत निणय दिया कि ख क को तलाक देना ही जरूरी माने तो उसे 'क को रकम देनी पडेगी लकिन सर्वोत्तम बात यह ह कि ग क का अपने प्रेम से रग।

इस निणय म कही भी आपसी तनाव बढन की स्थिति नही दिखाई दी। निणय देने मे उनकी दष्टि इस तथ्य की ओर केद्रित रही कि क और

ख' दोना छोटी सी बात को लकर सम्बन्ध विच्छेद न करे अपितु एक दूसरे की कठिनाई को समझें और आपसी तारतम्य बठाकर सुख के साथ जीवन बिताना सीखें।

इस सुनवाई की दूसरी विशेषता यह थी कि क और 'ख' दोना ने अपनी गलती स्वीकार की। क ने कहा कि उसने पति द्वारा धक्का मारे जाने की बात गलत रिपाट की थी ता 'ख न पत्नी के साथ किय गये दुव्यवहार के लिय क्षमा मागी। अध्यक्ष ने निणय सुनाने के बाद उपसहार म प्रेरणादायी भाषण दकर महिला जाति का सम्मान करने की और पारिवारिक जीवन को तनाव रहित व प्रम पूण बनाय रखन की अपील की और बताया कि जरा-जरा सी बात पर तनाव लकर जीवन बिगाडना उचित नही है।

इस विवाद का एक और पहलू भी था। वह यह कि विवाद दा ग्रामदानी गावो से सम्बधित था — क' और ख दोना के परिवारजन अलग अलग गावा के थ लेकिन ग्रामदानी गावो की ग्रामसभाग्रा न मामल पर स्वय निणय न दकर लोकग्रदालत के समक्ष इस विवाद को निणयाथ प्रस्तुत किया था।

(2)

दूसरे विवाद का निर्णय लोकअदालत उसी दिन नही कर पायी। विवाद यह था कि 'क' को अपनी पत्नी क आचरण के बारे म ठोस एव प्रामाणिक शका थी और एक बार उसकी पत्नी अपने जेठ क साथ दुष्कम म लीन पकडी भी गई थी और ग्रामसभा ने बडे भाई पर 400 रुपय दड निर्धारित करक वह धनराशि क को दिलवाई थी। क को शिकायत थी कि इस घटना के बाद भी पत्नी का आचरण ठीक नही रहा है और उसके विवाह को पाच वष बीत जाने के बाद भी बाल बच्चे नही हुए हैं। पत्नी न शिकायत की कि पति ने दवा खिलाकर दो तीन बार गभपात कराया था। उसन यह भी कहा कि वह पति के पास रहना चाहती है लेकिन पति नही रखता है।

लोकग्रदालत की बैठक मे उपस्थित लोगो ने पत्नी की गलती मानी लेकिन साथ ही 'क को भी समझाया कि वह पत्नी को सुधार का एक मौका और दे।

जूरी की नियुक्ति की गई। जूरी ने दवा खिलाकर गर्भपात करान की पत्नी की शिकायत गलत मानी लेकिन फिर भी जूरी दोना पक्षो म पारस्परिक समाधान कराने म असफल रह। क' के मन म पत्नी के आचार के प्रति अविश्वास बना ही रहा और पत्नी का मानस भी जूरीगण को साफ नजर नही आया। जूरी भी एकमत नही हो सके। एक जूरी न क का पक्ष

ग्रौर 40—50 रुपये पत्नी को देकर उस तलाक देने का आग्रह रखा। ग्रन्य तीन जूरियों की राय उससे भिन्न थी। बाद में उस जूरी ने स्वीकार किया कि वह एक पक्षीय भूमिका निभा रहा है जो जूरी के सिद्धान्त एव व्यवहार के विरुद्ध है इसलिये उसे जूरी से ग्रलग किया जाय ग्रौर भूल के लिये उसे क्षमा किया जाये। लेकिन फिर भी विवाद नही निपट पाया क्योंकि क' ने लोकग्रदालत से कुछ समय दिये जाने की माग की। उधर पत्नी तात्कालिक निर्णय किये जाने पर जोर देती रही। ग्रध्यक्ष ने समाधान खोजने के लिये ग्रगली तारीख दे दी।

(3)

दो पक्षो मे इजिन की खरीद-बिक्री की रकम के लेन-देन के प्रश्न पर विवाद उठ खडा हुग्रा। लोकग्रदालत ने हिसाब किताब का निरीक्षण किया ग्रौर इजिन खरीदने वाले को बाकी रकम किश्तो में भुगतान करने का निर्णय देकर विवाद का निपटारा कर दिया।

(4)

क ने ग्राम सभा में शिकायत की कि ख ने उसे डायन कहा है। ग्रामसभा ने ख पर 80 रुपये का जुर्माना किया ग्रौर भविष्य मे क को डायन न कहने का निर्देश दिया। लेकिन ख ने क को न केवल डायन कहकर परेशान करना जारी रखा बल्कि उसे मारा पीटा भी ग्रौर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कर दी। क ने लोकग्रदालत के समक्ष ग्रपनी शिकायत रखी। लोकग्रदालत ने पुलिस को पत्र भेजा कि वह क' को इस सम्बन्ध में परेशान न करे ग्रौर लोकग्रदालत को इस विवाद के निपटारे में सहयोग दे। उस बैठक में मामला ग्रनिर्णित रहा। ग्रगली बैठक में समझौता हो गया ग्रौर ख' ने ग्रपनी गलती स्वीकार कर ग्रागे से ऐसा न करने की प्रतिज्ञा ली।

(5)

क की शादी 'ख' के साथ 1970 में हुई थी। *पत्नी को शिकायत* थी कि पति की सूरत शक्ल एव व्यवहार उसे पसन्द नही है इसलिये वह तलाक चाहती है। फलत ग्रामसभा ने तलाक स्वीकार कर दिया, लेकिन पति को सतोष नही हुग्रा। इसलिये क' ने लोकग्रदालत के समक्ष मामला प्रस्तुत किया। लोकग्रदालत दोनो पक्षो की बातें सुनकर समाधान किया कि क ग्राज से 15 दिन के भीतर भीतर ख' को 525 रुपये दे ग्रौर

ख' उसको तलाक दे दे। 'ख' ने भा इस निणय को स्वीकार कर लिया। क' ने उसी दिन ग' को दण्ड की रकम द दी और पडोसी गाव के एक युवक से शादी करके उसके साथ चली गई।

(6)

क' अपनी पत्नी ख के साथ दुव्यवहार करता था इसलिय ख' अवसर अपने पीहर चली जाया करती थी। पारस्परिक तनाव बढ रहा था और लोकअदालत क समक्ष मामला पश हुआ तो पचो ने निणय दिया क 'ख' को परेशान करना ब द करे और अच्छी तरह रखे। यदि वह एसा नहीं करेगा ता 'ख' की तलाक की प्रार्थना स्वीकार कर ली जायगी। पचो के निणयानुसार ख' ने भी यह इकरार किया कि वह भविष्य म अपने पति स बिना अनुमति पाप्त किये पीहर नही जायेगी और अगर गई तो दण्ड दने की जिम्मेदार होगी।

(7)

क (पति) और 'ख' (पत्नी) में अक्सर मारपीट होती रहती थी। लोकअदालत ने निर्णय दिया कि क' भविष्य म 'ख' के साथ मारपीट नही करे और उसे परेशान करना बन्द करे। यदि वह एसा न करेगा तो उसे दण्ड देना होगा। ख न निर्णय स्वीकार करके करारखत पर यह लिख दिया कि आज के बाद वह क को दवा खाकर मर जान को नही कहगी और यदि वह ऐसा कहेगी तो पचा द्वारा दिया गया दण्ड उस स्वीकार होगा।

(8)

रगपुर गाव की एक महिला ने पिता की जमीन म हिस्सा प्राप्त करन के लिये सरकारी न्यायालय मे आवेदन किया। 18 महीने का लम्बा अर्सा बीत जाने पर भी उसे सरकारी न्यायालय से किसी प्रकार का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ तो उसने लोकअदालत की शरण ली। लोकअदालत न उसक भाई का, जो दूसरा पक्ष था, बुलाकर सवसम्मत निणय दिया कि महिला को पिता की जमीन म हिस्सा दिया जाय। उस महिला के ससुराल म उसके पति की भी जमीन है। अब वह दाना जगह खेती करती है और पीहर वाल गाव रगपुर म स्थायी तौर पर रहती है। लोकअदालत का निर्णय शीघ्र ता हुआ ही लेकिन सरकारी न्यायालय म जान के फलस्वरूप बहिन एव भाई म जा कटुता एव तनाव का वातावरण पैदा हो गया था लोकअदालत न स्थान पर दोनों पक्षा मे सौहार्द एव स्नेह का भाव भी सुदृढ कर दिया।

(9)

एक व्यक्ति 'क' ने अपना खेत ख के पास रहन रख दिया। चार साल बाद उसने ख को रहन की रकम देकर अपना खेत वापस लेना चाहा तो 'ख ने इंकार कर दिया। क ने सरकारी न्यायालय की शरण ली। काफी समय बीत जाने के बाद भी सरकारी न्यायालय से न्याय नहीं मिला तो वह लोकअदालत में आया। लोकअदालत ने निर्णय दिया कि ख' क से रहन की रकम लेकर उसका खेत वापस कर दे। 'ख' ने खेत वापस कर दिया। अब 'क' उस खेत में आराम से खेती कर रहा है। लोकअदालत के नैतिक प्रभाव और सामाजिक न्याय-भावना के कारण ही ख ने क की जमीन आसानी से वापस कर दी अन्यथा सरकारी न्यायालय के माध्यम से क को जमीन वापस पाने में पता नहीं कितना धन एवं समय बरबाद करना पड़ता और फिर भी निर्णय उसके पक्ष में होना या विरुद्ध में इसकी कोई गारण्टी नहीं थी।

(10)

रंगपुर ग्राम में जमीन के मामले को लेकर क की ख से मारपीट हो गई। मारपीट की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अत मामला लोकअदालत के समक्ष प्रस्तुत हुआ। 150 व्यक्ति उपस्थित थे। अदालत ने निर्णय दिया कि वादी जमीन प्रतिवादी के सुपुर्द कर दे क्योंकि उसका हक है और प्रतिवादी वादी को 120 रुपया भरे।

(11)

रंगपुर के क' का जमीन के मामले को लेकर ख' से विवाद हो गया। एक साल तक न्यायालय में विवाद चला लेकिन फैसला नहीं हो सका। लोक अदालत ने एक ही पेशी में निर्णय दे दिया जिसके अनुसार वादी को उसकी जमीन वापस मिल गयी एवं प्रतिवादी को 2850 रुपये मिल गये।

(12)

मोटावाटा के 'क' का जमीन के मामले में ख' से विवाद हो गया। मामला सरकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया लेकिन निर्णय नहीं मिल सका। लोकअदालत ने दो पेशियों में मामले की सुनवाई करके जमीन प्रतिवादी को दिलवा दी और वादी को उसका पैसा मिल गया।

(13)

मोटावाटा के 'क' ने अपनी जमीन 'ख' के पास गिरवी रखी थी लेकिन

उसने 'ग' को उस खेत में बुवाई नहीं करने दी। लोकअदालत ने निर्णय दिया कि 'क' 'ग' को 2029 रुपये देगा तब जमीन उसे वापस मिल जायगी।

(14)

मेरवा की 'क' ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसकी जमीन पर अपना हक प्रस्तुत किया। दो चार तारीखें पड़ी। पति के भाई व रिश्तेदारों के मुकाबले में पत्नी का जमीन सम्बन्धी हक स्वीकार किया गया। 150 व्यक्तियों की उपस्थिति में लोकअदालत ने जमीन मृतक की पत्नी को दिलवा दी।

(15)

जाम्बा के दो भाइयों—'क' और 'ग' में जमीन के बटवारे व मकान को लेकर विवाद उपस्थित हो गया। लोकअदालत ने 150 व्यक्तियों की उपस्थिति में दोनों भाइयों में विवादग्रस्त जमीन का बराबर बराबर बटवारा करा दिया।

(16)

जाम्बा का 'क' सरकारी खेत की जमीन लेना चाहता था। उसी भूमि को भूमिहीन किसान भी लेना चाहते थे। इन्हीं के हक की जमीन थी। 150 व्यक्तियों की उपस्थिति में लोकअदालत ने निर्णय दिया कि 'क' सरकारी जमीन न ले। करार पत्र पर 'क' ने हस्ताक्षर कर दिये और भूमिहीनों के पक्ष में अपना हक छोड़ दिया।

(17)

'क' अपनी पत्नी को शराब पीकर पीटता था। लोकअदालत के समक्ष मामला प्रस्तुत हुआ तो उसने निर्णय दिया कि 'क' अपनी पत्नी को नहीं पीटेगा और यदि पीटेगा तो उसकी पत्नी को उसका घर छोड़कर दूसरा घर बसाने का अधिकार मिल जायगा। उसने लोकअदालत के समक्ष करार-खत पर हस्ताक्षर कर दिये लेकिन बाद में पत्नी के साथ पुनः मारपीट की। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और दूसरा विवाह कर लिया।

(18)

'क' ने अपनी पुत्रवधू के साथ शारीरिक सम्पर्क स्थापित कर लिया। मामला लोकअदालत के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उस स्त्री का तलाक हो गया।

बाद में 'क' ने उस पुत्रवधू से विवाह कर लिया और उसे दूसरी पत्नी बना लिया।

लोकअदालत के निर्णय की उपेक्षा करने के कारण आज समाज उस गिरी हुई नजर से देखता है और उनका जनसाधारण में कोई मान नहीं है। उनके साथ सम्पर्क करते हुए पड़ोसियों एवं ग्रामवासियों को शर्म आती है और संकोच होता है। दोनों ही 'क' एवं उसकी दूसरी पत्नी समाज में उपेक्षा एवं अपमानता का जीवन बिता रहे हैं।

(19)

'क' गांव की एक लड़की का विवाह 'ख' गांव के एक लड़के के साथ हुआ था। दोनों परिवारों में गहने एवं दहेज को लेकर 3 4 साल तक अनबन एवं विवाद चलता रहा। लड़की के पिता ने विवाद हल किए जाने का काफी प्रयास लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार मामला लोकअदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रतिवादी को लोकअदालत द्वारा पेशी के दिन उपस्थित होने के लिये आमन्त्रण भेजा गया लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ पुनः आमन्त्रण भेजा गया। लड़की का श्वसुर उपस्थित हुआ लेकिन बहू को घर ले जाने के लिये सहमति व्यक्त नहीं की। इस पर लोकअदालत ने निर्णय दिया कि लड़की का पिता लड़की के श्वसुर को शादी के सावर्ते आने वाली फसल के पहले लौटा देगा। श्वसुर बहू को घर लिवा ले गया। बरसों का विवाद महीने भर के भीतर निपटा दिया गया।

(20)

'क' पारिवारिक कलह के कारण अपने पति 'ख' के साथ नहीं रहना चाहती थी। मामला सरकारी न्यायालय में 1½ साल तक चला लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। हार कर लड़की वालों ने लोकअदालत के समक्ष मामला प्रस्तुत किया। दूसरी पेशी पर ही जो विवाद प्रस्तुत किए जाने के 15 दिन के भीतर ही रखी गई थी, लड़की को तलाक मिल गया और दोनों परिवारों का पारस्परिक तनाव समाप्त हो गया।

(21)

'क' को उसके पति ने पारस्परिक तनाव की वजह से घर से निकाल दिया यद्यपि 'क' से उसको नौ बच्चे हो चुके थे। लोकअदालत के समक्ष मामला निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। लोकअदालत ने निर्णय दिया कि पति पत्नी को

900 रुपये जुर्माना अदा करे। क को तलाक मिल गया और उसने दूसरा विवाह कर लिया।

(22)

क' ने पुलिस थाने म अपने पति 'ख के विरुद्ध मारपीट का मामला दज कर दिया था लकिन नतीजा नही निकला ता लाकअदालत के समक्ष वह विवाद निणयाथ आया। लोकअदालत ने निणय दिया कि पति पत्नी को तलाक दे द। इस प्रकार शीघ्र ही निणय हो गया और तलाव भी समाप्त हो गया।

(23)

क न पत्नी को पीटा इसलिय पत्नी अपने पीहर चली गयी। सरकारी न्यायालय म विवाद चला लकिन एक वर्ष बीत जान पर भी निणय नही हा सका। काफी खचा भी हा गया था। आखिर मामला लोकअदालन के समक्ष पेश हुआ और 'क' की पत्नी का तलाक स्वीकार हो गया।

(24)

'क' को उसके देवर न पीटा। उसके सिर म ऐसी चोट लगी कि खून बहने लग गया। वह पीहर चली गयी। बाप न क' के दवर के विरुद्ध सरकारी न्यायालय म फरयाद की लेकिन नतीजा नही निकला। आखिरकार उसने लोकअदालत की शरण ली। देवर ने पचो के सामने माफी मागी। लोकअदालत ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी भविष्य म एसा नही करेगा और करेगा तो लाकअदालत 500 रुपये तक जुर्माना ले सकती है।

(25)

गोयावाट गाव की एक लडकी 'क का विवाह सात साल पहले हरिपुरा गाव के एक लडक ख के साथ सम्पन्न हुआ था लेकिन क' लम्बे अर्से से ख' से अलग रह रही थी।

लोकअदालन के समक्ष विवाद प्रस्तुत हुआ। क' ने बताया कि 'ख के साथ उसका कोई झगडा नही है लेकिन ख का पिता (श्वसुर) उसे बुरी नजर से दखता है। दूसरे लोगो की उपस्थिति म वह उस साडी स मुह ढका हुआ रखने क लिये कहता है और मुह न ढकने पर भत्सना भी करता है। लेकिन जब वह अकेली होती है तो वह मुह ढका रखने पर उसे डाटता रहता है इसी कारण वह पति के साथ नही रहती क्योकि पति अपने पिता के साथ

है। यदि उसका पति अलग रहने लग जाये तो वह उसके साथ खुशी से रह सकती है।

'ख' के पिता ने लोकअदालत द्वारा सुझाया गया समाधान स्वीकार कर लिया। समाधान के करारनामे में लिखा गया कि यदि श्वसुर भविष्य में बहू पर कुदृष्टि रखता हुआ पाया गया और लोकअदालत के समक्ष इसका प्रमाण प्रस्तुत हो गया तो उसे 500 रुपये का दण्ड भरना पड़ेगा और अपनी पुत्रवधू पर उसके समस्त अधिकार खत्म हो जायेंगे।

'क' 'ख' के साथ श्वसुर से अलग मकान में रहने के लिये चली गयी।

(26)

'क' अधेड़ उम्र की महिला थी जिसके पांच बच्चे थे। वह बीमार पड़ी तो उसके पति 'ख' ने उसके इलाज के लिये एक साधू 'ग' की सेवायें प्राप्त की और 'ग' द्वारा दी गई जड़ी बूटियों के इलाज से वह कुछ अर्से बाद ठीक हो गयी। इलाज के दौरान 'ग' के मकान में रही और इस अर्से में 'क' और 'ग' में पारस्परिक प्रेम सम्बन्ध कायम हो गया। 'क' स्वस्थ होते ही अपने कपड़े लत्ते लेकर 'ग' के साथ रहने के लिये चली गयी। कुछ दिन बाद किसी ने 'ग' की पिटाई कर दी तो 'क' ने लोकअदालत के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की।

लोकअदालत की बैठक में 'क' ने बताया कि जब 'ग' उसका इलाज करने के लिये उनके घर पर ठहरा हुआ था तो 'ख' की सहमति से उसके भक्तों द्वारा भेंट किये गये अनाज और पैसे से उनका घर का खर्च चलता था। 'ख' स्वयं भी अक्सर 'ग' से रुपये उधार ले लिया करता था। एक दिन 'ख' ने 'क' से कहा कि वह जहां चाहे चली जाये लेकिन घर में कोई कार्य नहीं कर सकती। 'क' ने 'ख' से क्षमा भी मांगी लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना और घर से धक्का देकर निकाल दिया। निकालने के साथ साथ यह भी कह दिया कि वह अपने पीहर नहीं जाये। उस स्थिति में 'क' के पास 'ग' के घर चली जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। वह 'ग' का कार्य करती थी और 'ग' उसका भरण पोषण करता था। इस बीच 'ख' दो चार बार 'ग' के घर पर भी आया और 'ग' से कुछ रुपया उधार लेकर चला गया। इस पर 'क' ने 'ग' से कहा भी कि वह 'ख' को पैसा उधार न दे क्योंकि पैसा उधार ले लेकर खाने से वह सुस्त हो जायेगा। 'ग' ने 'ख' से यह भी कहा कि तुम 'क' को क्यों पीटा करते हो? उसे ले जाओ और प्रेम से रखो लेकिन 'ख' ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बीच 'क' की बहन विधवा हो गयी। उसके तीन चार

बच्चे भी थे। ख' उसे अपने घर ले आया और अब वह उसके साथ रह रहा है। इसके बावजूद उसने 'ग' की पिटाई करवाई है और अब उससे दवाई के और उसके बदले म रुपये माग रहा है।

ख ने बताया कि उसन क' को नही निकाला। वह तो स्वय ग' के पास चली गयी थी। यह सही है कि 'क की विधवा बहन उसके साथ रह रही है और उसक और अपन बच्चो की दखभाल कर रही है और वह अब क को साथ भी रखना नही चाहता। लेकिन उसने 'क के पिता को दी गयी दहज की धनराशि 'ग से उसे दिलाये जाने की माग की।

'ग' ने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है। वह कबीरपथी साधू है और क को अपनी स्वय की मरजी से नही रखना चाहता है। क' स्वयं उसके पास आई है। 'क ने भी इस बात का समथन किया लकिन बठक म उपस्थित एक दो कबीरपथी 'ग' का मारने के लिये उद्यत हो गये। बडी मुश्किल से स्थिति शात हुई।

जूरी की नियुक्ति की गई। सर्वसम्मत निर्णय हुआ कि 'ग' को 250 रुपया दण्ड राशि 'ख' को दनी पडेगी। 'क' चाहे तो 'ग के साथ रह सकती है। 'ख को क' की विधवा बहन के साथ रहने की अनुमति मिल गयी।

अध्यक्ष के अनुरोध पर दण्ड राशि 250 रुपय स घटाकर 200 रुपये कर दी गयी। क' की इस प्रार्थना पर कि जब वह अपने बच्चा को दखने 'ख' के घर आय तो वह उसे नही पीटे ख ने उत्तेजित होकर कहा कि वह उसे गाव म पैर नही रखने देगा।

इस पर लोकअदालत न 'ख' को समझाया कि अब 'क' पर उसका कोई अधिकार नही रहा है। इसलिये अब यदि वह बच्चो का देखने के लिये घर पर आय ता 'ख' उसक साथ अतिथि जैसा व्यवहार करे।

हसी के ठहाका के बीच लोकअदालत का समाधान स्वीकार कर लिया गया।

(27)

'क ने अपन पति 'ग के साथ रहना अस्वीकार कर दिया। उस कई बार समझाया गया लेकिन वह पति के पास नही गयी। लोकअदालत म मामला पश हुआ ता 'क न बताया कि ख' के बडे भाई की पत्नी ने उसके खाने म बाल डाल दिये थे और उस आशका है कि वह किसी रोज उसको जहर भी दे सकती है। इसलिय वह इस घर म कभी नही जायेगी।

लोकअदालत न महसूस किया कि गलती क की है। पचों की राय रही कि 'क का पिता 350 रुपये धनराशि दे जिसम से 'ख' को 325 रुपये दिये

जायें और 25 रुपये का गुड वितरण किया जाये।

अन्ततोगत्वा 300 रुपया 'ख' को दहेज के वापस लौटाये गये और 50 रुपये जुर्माने के रूप मे लिये गये। 'क' ने अपने पैर मे से 'ख' द्वारा दिया गया कड़ा निकाल दिया और तलाक सम्पन्न हो गया।

परिशिष्ट 'ख'

सरकारी न्यायालयो मे प्रस्तुत विवादो के नमूने

(1) क का 'ख से झगडा हो गया। गाव वालो ने क' को मामला लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की राय दी। 'क नहीं माना। मामला सरकारी न्यायालय मे गया। मामले का फैसला होने मे तीन साल निकल गये। 1100 रुपये से अधिक खर्च हो गये और दोनो ही पक्षो को अन्य असुविधायें भी भोगनी पडी। फैसला हो जाने पर भी आपसी कटुता एव तनाव कायम है।

(2) क' की पत्नी ने विवाह के पाच महीने बाद ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। क ने अपनी पत्नी के साथ डाट-डपट की और कहा कि यह बच्चा किसी और मर्द से हुआ है। पत्नी ताने सुनते सुनते परेशान हो गयी। उसने बच्चे को नाले मे फेंक दिया। सुबह चरवाहो ने बच्चे का शव देखा और गाव वालो को बताया तो गाव वालो ने पुलिस मे खबर कर दी। पुलिस ने क' की पत्नी को गिरफ्तार करके उसका चालान न्यायालय मे कर दिया। मुकदमें मे 1000 रुपये खर्च हो गये लेकिन मामले का समाधान नही हुआ है।

(3) 22 साल के एक नौजवान ने दो भाइयो के खेत मे धान की चोरी करली। दोनो भाइयो ने गुस्से मे आकर चोरी करने वाले लडके को मार डाला। सरकारी न्यायालय मे मुकदमा चला। दोनो भाई न्यायालय मे बिना दण्ड पाये बरी हो गये। खर्चा जरूर 6200 रुपया हो गया। मृत लडके के बाप ने अपराधियो को सजा दिलाने के लिए 250 रुपये खर्च किये लेकिन रुपये के बल पर आठ महीने के भीतर ही अपराधी बरी हो गये। गाव के लोग सच्चाई जानते है लेकिन अदालत के निर्णय के कारण चुप रहने के लिए बाध्य हैं।

(4) क ने ख' के खेत से लकडी चुराली। सरकारी न्यायालय मे मामला गया। 2 महीने तक केस चला। 'क' को 25 दिन की जेल

भुगतनी पडी और 200 रुपये खच हो गये।

(5) दो भाइयो की जमीन गाव के दो व्यक्तियो न बनिय की मदद से अपने कब्जे मे कर ली। मामला तीन साल से सरकारी न्यायालय म चल रहा है। 2000 रुपये खच हो चुके है लकिन अभी तक दोना भाइया को अपनी जमीन नही मिल पायी है।

परिशिष्ट 'ग'

लोकअदालत और समस्याओ के समाधान का प्रयास

(1)

सामाजिक मान्यताओ मे परिवतन

रतनपुर गाव की एक बहन नन्दा के पति मगाभाई गौहाई तीन वष पहल चल बस। नन्दा और तीन लडकिया रह गयी। लडका नही था। मगा भाई की 9 एकड जमीन थी जो परिवार के गुजारे भर के लिये काफी थी। मगाभाई के कोई भाइ नही था, कवल एक बहन थी जिसकी बहुत पहले शादी हो चुकी थी। इस इलाके के आदिवासियो म अब तक एसी प्रथा रही है कि विधवा औरत अपने देवर या पति के छोटे भाई के साथ जीवन बिता सकती है। छोटा भाई न हो तो वडे भाई के साथ दूसरी पत्नी के रूप म रह सकती है। इस रिवाज का उद्देश्य यह है कि परिवार की जमीन परिवार मे ही रहे। अगर मत भाई की पत्नी इस प्रकार का व्यवहार पसन्द नही कर ता उस परिवार स निकाल दिया जाता था।

नन्दा के पति की बहन शाति और बहनोई की नीयत नन्दा बहन की जमीन पर गई। उन्होने नन्दा के घर मे रहना शुरू कर दिया और खेत मे भी काम करने लगे। उसके साथ लडाई-झगडा किया और पटवारी से मिलकर शाति के पति न मगाभाई की जमीन पर अपना नाम दज करवा दिया। मामला ग्रामसभा के सामने आया लेकिन ग्रामसभा इस प्रश्न पर बटी हुई थी। एक दल परिवार की जमीन परिवार म हो रहने के नाम पर शाति को जमीन का मालिक स्वीकार करने के पक्ष म था तो दूसरा इसे सामाजिक अन्याय मानकर यह चाहता था कि मतक की पत्नी, चाहे उसके बच्चे हों या न हो अपने पति की जायदाद की मालिक बनी रहनी चाहिये।

अन्त म गारदीया भाई ने बीच का माग सुझाया 'मृतक की पत्नी चाहे तो अपने बच्चो के साथ जमीन पर रहे चाहे तो किसी से शादी करले, शर्त इतनी ही रहे कि वह शादी करके नये पति के घर

या गाव न जाये किन्तु पति इसके घर पर रह कर खतीवाडो कर। जमीन पत्नी के नाम पर ही रहे। अगर बच्चे हो तो वे उस जमीन क उत्तराधिकारी माने जायें, पति उस परिवार का पालक जरूर रहे कितु मालिक नही रहगा। गाधीवादी परिभाषा म वह उस परिवार की सम्पत्ति का ट्रस्टी बनकर उपयोग करे।"

प्रस्ताव सर्वानुमति मे स्वीकार हो गया। ग्रामसभा ने प्रस्ताव कर पटवारी से जो कच्ची एन्ट्री उसने शाति क पति के नाम दर्ज की थी, उसे रद्द कराया।

इस प्रकार लोकप्रदालत के माध्यम स नयी सामाजिक मा यता स्थापित हुई और वर्षो से चली ग्रा रही सामाजिक दूषण की एक प्रथा का अ त हुमा।

(2)

अ धविश्वास से मुक्ति

वाटडा गाव की रावली बहन के बारे म मुग्रा (ग्रोझा) ने यह फतवा दे दिया कि वह डाकिन है और वही गाव के पशु और मनुष्यो को खा रही है। मुग्रा का बोल उनके लिये भगवान का बोल था। मुग्रा के इस कथन स उत्तेजित होकर गाव के लोगो ने रावली पर हथियारो से हमला बोल दिया और उसके परिवारजनो की उपस्थिति म ही जो मुग्रा के हुक्म और पूर गाव म उसके कथन को मिलन वाले समथन से भयाक्रात होकर चुपचाप खडे रहे उसकी खूब मार पिटाई कर दी। उसके शरीर पर घाव ही घाव हो गये और वह बेहोश होकर गिर पडी। मारन वाले यह सोच कर चले गय कि वह मर चुकी है लेकिन उसक परिवारजनो को उसकी सास चलती हुई दिखाई थी। वे उसे खाट पर लिटाकर अस्पताल ले गये और उसका इलाज कराया। डाक्टर के बुलाने पर पुलिस आई। पहल तो उसने रावली के परिवारजनो के प्रति सहानुभूति प्रकट की कि तु दूसरे दिन गाव के पटल और अ य कुछ लोग थाने पर गये और पुलिस का व्यवहार बदल गया। उसके पति का गाव जाना मुश्किल हो गया। उसकी खेती बाडी खराब हो गयी। वह किसी तरह लुक छिपकर रात को गाव आता था लेकिन सवेरा होत ही गाव छोड देता था।

इस परिस्थिति म मामला लोकअदालत के समक्ष पेश हुआ। गाव वाला को निमत्रण भेजा गया। पुलिस को भी नोटिस दिया गया। रावली और उसका पति दिया लोकअदालत का नोटिस और उनको नय सिर पर दी गयी निकायत लेकर पुलिस थाने पहुचा। पहने तो पुलिस अधिकारी काफी

क्षुब्ध हुये लेकिन बाद मे उ होने कहा कि तुम लाग इस प्रकार की फरियाद देना चाहत हो तो मैं ले लूगा कि तु याद रखो, पुलिस काई 24 घण्टे आपके साथ नही रहेगी। पूरा गाव एक तरफ है। मुग्रा का उनका आदेश है। अत वे तुम्हें छाडेंग नही। तुम जान बचाना चाहते हा तो गाव छाडकर कही भाग जाओ। वे हतोत्साह हाकर थाने स वापस लौट आये।

उधर पुलिस का भेजी गयी लाकअदालत की सूचना पूरी तफ्सील के साथ अखबारा म छपी। इसका पुलिस पर भी असर पडा। लोकअदालत की बठक म अच्छी उपस्थिति थी। सारा गाव आया था। पहले तो गाव के अगुआओ ने इस बात को माना ही नही कि उन्होने रावली को पीटा है। लेकिन बाद म उ हान सच सच बयान कर दिया।

लोकअदालत के अध्यक्ष न मिथ्या बहसो और झूठी मा यताओ के बारे म अपने विचार व्यक्त करत हुए लाकअदालत के सदस्या स पूछा, 'आप म कितने ऐसे लोग है जो अब भी यह मानत है कि डाइन बन कर कोई औरत किसी को खा सकती है?" जवाब म एक भी हाथ नही उठा। लेकिन बाटडा के लोगो ने कहा 'मुग्रा के आदश को हमने देवी का आदेश माना है।

मुग्रा को बुलाया गया। लाकअदालत की ओर स मुग्रा स सवाल किया गया 'आपके शरीर म जब देवी आती है तब सब कुछ वह देत है और जो चाह सो कर लत है। हम आपके सामन एक पानी का गिलास भरकर रख रह है। आप इसको खून म बदल दे। अगर आप पानी को खून म न बदल सके तो हम एक प्याले म कोइ भी चीज भरकर रख देंगे। आप बताइये इसम क्या है? अगर आप किसी के शरीर म घुस कर यह बता सकते हैं कि उसने क्या खाया है ता यह बताना आपके लिय बहुत ही मामूली बात हानी चाहिये। गाव के लोग लाकअदालत क इस तकयुक्त सवाल म प्रभावित हुए और उ होंने भी लोकअदालत के सवाल का समथन कर दिया। मुग्रा बगलें झाकने लग गया। लागो की मौजूदगी म उसके ज्ञान और देवीपन का दिवाला निकल गया।

तुरत गाव के कुछ लोग बोल पडे— हमन इस मुग्रा के चक्कर म आकर बहुत बडा पाप किया है। लोकअदालत हम चाह जो सजा दे।'

लोकअदालत न दानो पक्षा स दो-दो जूरी नियुक्त करन का कहा। करीब घण्टे भर बाद जूरी न अपना सवसम्मत फैसला सुनाया हमन इस मामले पर काफी सोचा, गुनाह बहुत गभीर प्रकार का है। एक तरह से लोगा ने रावली बहन का कत्ल ही कर दिया था। सयोग की बात है कि वह किसी तरह बच गयी। लोगा न यह काय अज्ञानतावश किया है। जाच

से पता चला है कि गाव वाले अब तक पुलिस को 700 रुपये और वकील को 500 रुपये दे चुके है। अत इन लोगो पर ज्यादा दण्ड डालना मुनासिब नही। रावली बहन की दवा आदि पर जो खर्च हुआ है, उसके लिये गाव के लोगो से 125 रुपये दिलाये जाय।"

उपस्थित लोगो ने इस फैसले को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। रावली बहन ने 25 रुपये का गुड मगवाकर लोकअदालत की बैठक मे उपस्थित लोगो को बाटा। स्नेह व सदभाव के वातावरण मे लोकअदालत उठ गई। अज्ञान का अधकार साफ जो हो चुका था!

(3)

आर्थिक शोषण की समाप्ति

खायरिया गाव की ग्रामसभा ने प्रस्ताव करके तणखला कस्बे के साहूकारो को नोटिस दिया कि वे अपना हिसाब करके ग्रामवासियो की जमीनें वापस करदें। कुछ व्यापारियो ने ग्रामसभा के समक्ष उपस्थित होकर हिसाब कर दिया और जमीन भी लौटा गये लकिन कुछ व्यापारियो ने सगठन करके ग्रामसभा के प्रस्ताव का बहिष्कार किया।

ग्रामसभा ने इन व्यापारियो का बहिष्कार करने और उनकी दूकानो व मकानो पर धरना देने का कार्यक्रम बनाया। व्यापारी आ दोलनकारियो के प्रदर्शन के सामने स्वत झुक गये। उसी दिन शाम को उन्होंने समझौता कर लिया।

यहा यह उल्लेख करना अप्रासागिक नही होगा कि जैसे ही इस ग्राम ने ग्रामदान का सकल्प पत्र भरा था पुलिस कर्मचारी गाव म पहुच गये थे और लोगो को दानपत्र वापस लौटाने के लिये न केवल डराया धमकाया बल्कि गाव के 8 अगुआओ को पकडकर पुलिस थाने मे ब द कर दिया। गाव वालो न मुकाबला किया। गाव म सभा हुई और कई गाव के लोग एकत्रित होकर पुलिस थाने पहुचे। उनके द्वारा उद्घोषित नारो से पुलिस वाले घबरा उठे। उधर कुछ लाग खायरिया और जीतनगर के अगुआओ को लेकर राजपीपला स्थित डिप्टी इसपेक्टर पुलिस के कार्यालय तक गये और उनसे पूछा कि ग्रामदान करना किस धारा के अ तगत जुर्म बनता है और आठ लोगो को क्या हिरासत म रखा है? डिप्टी साहब यह सुनकर शर्मिंदा हुये। थाने के पुलिस कर्मचारी को ग्रामवासियो की उपस्थिति मे डाटा फटकारा, चाय पिलाई और क्षमा मागते हुए विदा किया।

लोकअदालत द्वारा जागत अहिंसात्मक प्रतिकार एव निर्भयता की भावना

न सदियों से चली आ रही आर्थिक शोषण की भीषण प्रक्रिया पर तीव्र प्रहार किया।

(4)

चोरी की कपास की खरीददारी बन्द

नलवाट (ग्रामदानी) गाव की ग्रामसभा ने गाव के उन व्यापारियों को, जो चोरी की कपास खरीद कर गाव को बुरी तरह लूटते थे, नोटिस दिया कि वे अगर चीजो का ठीक ठीक मूल्य नही लेंगे और खेतो की चोरी का माल—कपास इत्यादि खरीदेंगे तो गाव उनका बहिष्कार करेगा। ग्रामसभा के नोटिस का कुछ असर तो हुआ—चीजो के दाम कुछ सुधरे और मापतौल भी ठीक होने लगी लेकिन चोरी का माल छोडना मुश्किल था क्योकि चोरी का माल इन्हे आधे से भी कम कीमत मे मिल जाता था और व्यापारी इतना बडा लालच आसानी से कैसे छोड सकते थे !

ग्रामसभा को दुबारा नोटिस देना पडा। ग्रामसभा ने चोरी का माल खरीदने वाले दूकानदारो की दूकानो के सामने 24 घण्ट की पिकेटिंग शुरू कर दी। नतीजा अच्छा निकला। चोरी का माल लेना बन्द हुआ, लेकिन व्यापारियो ने ग्रामसभा के लोगो से बदला लेने का पक्का निश्चय कर लिया।

एक दिन नजदीक के गाव के एक धनी किसान के पम्प इजन के कुछ पुर्जों की चोरी हो गई। व्यापारियो ने पुलिस वालो को बताया कि आस-पास मे केवल गजलावाट के ग्रामदानी गाव मे ही इजन पम्प है। हो न हो, यह चोरी का काम गजलावाट के किसानो ने ही किया होगा।

पुलिस अधिकारी गजलावाट गाव के मुखिया श्री छोटाभाई के घर पहुच गये। जब छोटाभाई ने तलाशी लिये जाने का विरोध किया तो पुलिस अफसर काफी नाराज हुआ और बोला 'कौन होती है तुम्हारी ग्रामसभा हमारे काम को रोकने वाली।' वे छोटाभाई को पकडकर नलवाट के एक धनी किसान के घर ले गये। गाव के दूसरे लोगो को इसका पता चला तो वे सब तुरन्त वहा पहुच गये और पुलिस अफसर को बताया कि 'जिस किसान के इजन के पुर्जों की चोरी हुई है, वह इजन 5 हार्स पावर का है जबकि हमारा इजन 20 हार्स पावर का है, आप ही बताइये, क्या इनके पुर्जे अदल बदल किये जा सकते हैं ?"

छोटाभाई के लडके मोती ने कहा, 'चोरी का माल खरीदने वाले चोर व्यापारियो ने हमारे खिलाफ कोई षड्यन्त्र रचकर आपको झूठे चक्कर मे

खरीद लिया जाये और दूसरी जमीनों की तरह यह खेत इस आधार पर वेहलाभाई को सुपुर्द कर दिया जाये कि व कर्ज की रकम चुकाने तक इस खेत के उत्पादन म से 50 प्रतिशत अन्न हर साल ग्रामसभा को देते रहेंगे।

ग्रामसभा के इस प्रस्ताव के कुछ दिन बाद वेहलाभाई ने ग्रामसभा के समक्ष निवेदन किया कि ग्रामसभा से कर्जा लेने की बजाय वे अपने श्वसुर नक्लाभाई से बिना ब्याज के कर्जा ले लेंगे और यह जमीन श्री चिमनभाई से खरीद लेंगे लेकिन खरीददारी सीधी ग्रामस्वराज्य समिति के नाम से ही की जायेगी ताकि अन्य लोगो के खेतो की तरह जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत मालिकी ग्रामस्वराज्य समिति के नाम कर दी है यह खेत भी ग्रामस्वराज्य समिति की मालिकी का अंग बन जाये।

ग्रामसभा ने कहा कि चूंकि वेहलाभाई के श्वसुर नकलाभाई ग्रामदान में काय मे शरीक नही हुए है और एक धनी किसान होने के नाते वे पहले भी कुछ लोगो की जमीनें हड़प चुके है इसलिये ग्रामसभा वेहलाभाई के प्रस्ताव को इसी शर्त पर स्वीकार कर सकती है कि व ग्रामसभा को इस बात का लिखित वचन दें कि वे किसी भी सूरत म यह खेत अपने श्वसुर को नही सौंपेंगे। वेहलाभाई ने ग्रामसभा को लिखित वचन दे दिया और उनके श्वसुर ने भी लिखित निवेदन कर दिया कि वे यह जमीन वेहलाभाई के पास ही रहने देंगे और अपना रुपया उत्पादन म से आहिस्ता आहिस्ता वसूल करेंगे।

जमीन खरीद ली गयी और वेहलाभाई ने भी एक साल तक इस जमीन को जोता भी लेकिन दूसरे वर्ष उनके श्वसुर नक्लाभाई ने इस जमीन को जोता। ग्रामसभा ने बराबर वेहलाभाई को इस प्रकार वचन भंग न करने के लिए समझाया लेकिन वेहलाभाई ने ग्रामसभा के निर्णय की अवहेलना की। इस पर ग्रामसभा ने उसको ऐसा न करने के लिये नोटिस दिया और बाद म पूरी ग्रामसभा ने मिलकर खेत जोत लिया और कपास बो दी।

वेहलाभाई ने अपने श्वसुर के दबाव म आकर पूरी ग्रामसभा के विरुद्ध इंडियन पेनल कोड की दफा 420 416 और 438 के अन्तगत विश्वासघात का केस दाखिल कर दिया। ग्रामसभा की बैठक हुई और इस षडयंत्र के मुकाबले के लिये ग्रामसभा ने लोकअदालत के अध्यक्ष को ही मुखिया नामजद कर दिया।

पुलिस की चार्ज लिस्ट मे केस इस प्रकार दर्ज था 'वेहलाभाई ने ग्रामसभा को अपने स्वयं के लिये साहूकार से जमीन खरीदने के उद्देश्य से रुपया दिया था और ग्रामसभा ने विश्वासघात करके जमीन उसके नाम खरीदने की बजाय अपने (ग्रामसभा के) नाम म खरीदली। ग्रामसभा के सदस्यों ने

पुलिस के सामने बयान दिये और ग्रामसभा के प्रस्ताव एवं बहुलाभाई व नवलाभाई के अपने हाथों से दिये गये निवेदन एवं वचन भंग प्राप्ति की बातें पुलिस के समक्ष पेश की। लेकिन पुलिस ने लोकअदालत के अध्यक्ष को ग्राम-सभा के मुखिया की हैसियत से एवं ग्रामसभा के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में तत्काल सबको जमानत पर रिहा कर दिया। ग्रामदान के गावों वाले इस मामले से काफी दुखी हुये। उन्होंने बहुलाभाई और नवलाभाई को समझाने और पुलिस की मिलीभगत से उन्हें अलग कराने की कोशिशें भी की लेकिन मामले का तुरन्त निपटारा नहीं हो सका।

छ महीने तक ग्रामसभा को और लोकअदालत के अध्यक्ष को अपनी निजी हैसियत में अदालत जाना पड़ा। लेकिन हर बार पुलिस ने बहाना बनाकर तारीखें बदलवाने का तरीका अपनाया। मजिस्ट्रेट के ध्यान में यह बात आ गई इसलिये उसने आखिरकार पुलिस को चेतावनी दे दी कि अगली तारीख के पहले पुलिस सारे कागजात पेश कर दे। उस दिन सुनवाई अवश्य होगी। इस पर इंसपेक्टर कुछ घबराये। उधर बेहुलाभाई व नवलाभाई भी पूरे समाज से अलग हो गये थे। वे भी किसी तरह अपनी गलती सुधारना चाहते थे। अतः मजिस्ट्रेट के चेम्बर में सब इकट्ठे हुए। ग्राम सभा की ओर से यह मांग पुनः दोहराई गयी कि जमीन बहुलाभाई को मिलनी चाहिये। ग्रामसभा जमीन बेहुलाभाई को जोतने के लिये देने को तैयार है किन्तु उसके श्वसुर नवलाभाई को इस जमीन पर आना नहीं लगानी चाहिये। अगर वे (बेहुलाभाई) जमीन जोतना न चाहें तो ग्रामसभा उसको 3600 रुपये मय ब्याज लौटाने को तैयार है। प्रारम्भ में पुलिस वालों ने कई चालें चली ताकि मुकदमा जल्दी न उठे लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने ग्राम-सभा द्वारा सुझाया गया समाधान स्वीकार कर लिया। उसी दिन मजिस्ट्रेट साहब के चैम्बर में ही छोटा उदयपुर के लोगों ने लाकर रुपया जमा करा दिया। मजिस्ट्रेट साहब इससे बहुत प्रभावित हुये।

विवाद तो समाप्त हो गया लेकिन बाद में मालूम हुआ कि पुलिस ने इसमें काफी रुपया ले लिया था। बेहुलाभाई बहुत परेशान थे। श्वसुर और दामाद दोनों में रुपये के प्रश्न पर मनमुटाव हो गया था।

लोकअदालत ने दोनों को अपनी गलती पर पश्चाताप करने की सलाह दी और दोनों में पुनः मेलमिलाप करवा दिया।

(6)

न्याय प्राप्ति के लिये सफल संघर्ष

अक्तेश्वर गांव की लगभग 300 एकड़ जमीन तसवला और तिलकवाड़ा

(1) रेवेन्यू ट्रिब्यूनल ने पुन जाच का जो आदेश दिया था, उसपर आठ साल तक कोई अमल नही किया।

(2) सन् 1962 म जो जमीनें बिक चुकी थी और जिसके रुपये मेजर वीरेन्द्र सिंह ले चुके थे तथा जिन जमीनो के खाते खमरे किसानो के नाम चढ चुके थे वह जमीनें 1966 म बने डिफेंस एक्ट के द्वारा बेचने वाले को कैसे लौटायी जा सकती थी ?

सामाजिक एव मानवीय दृष्टि से किये जा रहे इस अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह किये जाने का सकल्प किया गया। इधर किसानो को सरकारी नोटिस मिले कि वे उस जमीन का कब्जा मेजर वीरेन्द्र सिंह को सौंप दें और उधर अक्तेश्वर की ग्रामसभा ने मिलकर तय किया कि किसान स्वय अपनी ओर से जमीन का कब्जा नही छोडेंगे। फैनाई प्रदेश ग्रामस्वराज्य मडल ने अक्तेश्वर ग्रामसभा के प्रस्ताव का समर्थन किया और गुजरात सर्वोदय मडल ने भी इस मामले पर विचार किया लेकिन इसी दौरान रेवेन्यू विभाग के अधिकारी पुलिस दल के साथ अक्तेश्वर पहुच गये और गाव वालो को डाटना शुरू कर दिया। ग्रामसभा के मुखिया ने कहा कि ऐसी डाट फटकार की कोई आवश्यकता नही है। हम सरकार के इस हुक्म के खिलाफ है। हम अपने हाथो अपनी जमीन नहीं सौपेंगे। इस पर गाव के 48 लोगो को, जिनमे दो दो बच्चो वाली बहन भी शामिल थीं, गिरफ्तार कर लिया गया और तहसीलदार के सम्मुख राजपीपला ले जाया गया। यहा सरकारी कर्मचारियो ने एक साजिश की। तहसीलदार ने लोगो के सामने तो पुलिस को डाटा कि इतने सारे लोगो को क्या गिरफ्तार किया गया और ग्रामजनो से कहा 'मैं आप सब लोगो को व्यक्तिगत जमानत पर छोड देता हू" फिर तथाकथित जमानत के कागजो पर किसानो के हस्ताक्षर लिये गये। लेकिन असल मे वे कागज जमानत के कागज नही थे वे कोरे कागज थे। उनमे अपनी खुशी से जमीनो के कब्जे मेजर वीरेन्द्रसिंह के सुपुर्द करने की बात बाद म लिख दी गयी थी। इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों ने लोगो के साथ धोखा किया और पुलिस की मदद म वीरेन्द्रसिंह की पत्नी ने खेतो म बुवाई करवादी।

ग्रामसभा ने मुख्यमत्री तक सारी जानकारी भिजवाई लेकिन कोई नतीजा नही निकला। इस पर 18 अप्रैल यानी भूमि क्रान्ति दिवस पर अक्तेश्वर म एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसम सवश्री इन्दुलाल याज्ञिक श्री सनत मेहता (जो बाद म गुजरात के श्रम एव पुनर्वास मत्री बने) और गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष श्री चन्दूलाल पटेल

भी उपस्थित थे। श्री याज्ञिक ने कहा कि 200 ग्रामजनो के साथ किये गये इस अन्याय के प्रतिकार के लिये सरकार से मुकाबला करना होगा। श्री सनत मेहता ने जोरदार शब्दो मे सत्याग्रह का समर्थन करने की घोषणा की और श्री चद्रभाई पटेल ने कहा कि सरकार गाव के गरीबो के मुह से रोटी का कौर छीनने को सहायता दे रही है। इसका मुकाबला उग्र आदोलन के जरिये किया जाना चाहिये।

लोकअदालत के नेतृत्व म समस्या के समाधान के लिये सघर्ष करने का निश्चय किया गया और एक ऐक्शन कमेटी की स्थापना की गयी जिसमे अक्लेश्वर के आसपास क गावो के लोगो को भी लिया गया।

सभा द्वारा लिये निर्णय की सूचना सरकार को दे दी गयी। अखबारो ने भी इस समस्या के सम्बन्ध म अच्छा प्रकाशन किया। अतिम प्रयत्न के रूप म लोग राज्यपाल श्री श्रीमन्नारायण से भी मिले लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम न उठा। 22 मई को अक्लेश्वर मे बडी सभा हुई। 250 से ज्यादा व्यक्तियो ने सत्याग्रह मे भाग लेने के लिये इस सकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किये। 'सरकार या किसी और की तरफ से हिंसक प्रहार हो, फिर भी हम अहिंसक रहेगे। कष्ट खुद सहन करेंगे किन्तु अन्यायपूर्ण कानून को तोडकर छीनी गयी जमीन को वापस प्राप्त होने तक, हर तरह की कुर्बानी क लिये तैयार रहगे।" सभा जलूस के रूप म बदल गयी। जलूस के आगे ढोल वगैरह बज रह थे। बिल्ल लगाये हुए सत्याग्रही भाई बहन सबस आगे चल रह थे। अगल बगल पुलिस चल रही थी—खेतो के किनारे पुलिस कतार बाधकर मोर्चा लेने को तयार खडी थी। लेकिन पाच सत्याग्रहियो की टोली ने खेत म प्रवेश किया नारियल फोडा और खेत की मिट्टी सिर पर चढायी। पुलिस सत्याग्रहियो को लेकर चली गयी। उस दिन पाच खेतो पर इस प्रकार सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रहियो की प्रथम टोली को दो सप्ताह जेल म रहना पडा। गुजरात के तथा देश के अन्य अखबारो ने आदिवासियो द्वारा किये गये इस अनुशासन बद्ध सत्याग्रह की काफी सराहना की।

तीन सप्ताह के बाद फिर सत्याग्रह हुआ। 58 सत्याग्रही कानून भग करके गिरफ्तार हुए। विधान सभा मे भी मामला उठाया गया। समस्या ने राज्य सरकार को काफी आडे हाथो लिया।

तीसरी टोली मे 122 भाई बहन गिरफ्तार हुए। सत्याग्रहियो को उसी दिन शाम को छोड दिया गया।

सत्याग्रह का चौथा चरण अगस्त 70 म शुरू हुआ। बहुत बडी तादा॰

म जलूस खेता म प्रविष्ट हुग्रा। पुलिस दो मोटर वाहन भरकर सत्याग्रहियो को थाने पर ले गयी। पुलिस की एक पूरी गाडी बच्चो वाली बहनो से भी भरी थी। जब पुलिस ने बहनो को मोटर से उतारना चाहा तो व नहीं उतरी। उन्होने कहा "पुलिस न हम गिरफ्तार किया है तो किसी न किसी गुनाह के आरोप म ही किया होगा। अब हम क्यो छोड रह हैं। हम तो उन खेतो म जरूर जायेंगी और खेती करेंगी।"

अन्याय के प्रतिकार की हवा यहा तक फैली कि पुलिस अफसरो को कहना पडा, 'पहले पुलिस के नाम से यहा के आदिवासी लोग डरते थ, थाने और जेल की बात सुनत ही घबरा जात थे। लेकिन इस सत्याग्रह ने आदिवासी पुरुषो के ही दिल से नही, स्त्रियो के दिल से भी थाने और जेल का डर निकाल दिया है।"

अवतेश्वर के इस बार के सत्याग्रह न पूरे गुजरात का ध्यान आकर्षित कर लिया था। अप्रैल 71 म फिर सत्याग्रह शुरू करने की स्थिति आयी। सत्याग्रह क सचालको—लोकअदालत के कार्यकर्त्ताओ न सरकार को स्पष्ट तौर पर बता दिया कि अब सत्याग्रह सिर्फ खेतो तक ही सीमित नही रहगा बल्कि सरकारी थानो और सरकार के उस इलाके के समस्त विभागो क सामने होगा" अर्थात इस क्षेत्र म सारा सरकारी काम ठप्प कर दिया जायगा।

ऐक्शन कमेटी के सदस्य राज्यपाल से भी मिले। उन्होने सब कागजात देखे। उन्ह लगा कि कानूनी दृष्टि से सरकार द्वारा की गयी गलती क विरुद्ध कुछ कार्यवाही हाईकोर्ट म ही की जा सकती थी लेकिन गरीबो के लिये अदालत से शीघ्र न्याय प्राप्त करना न तो आसान था और न सभव। इसलिये उन्होने वीरेन्द्र सिंह को बुलाकर आपसी बातचीत द्वारा ही समाधान खोजने का प्रयास किया। गामसभा के सदस्यो और मेजर साहब म बातचीत शुरू हुई लेकिन मेजर साहब की पत्नी ने तुरन्त समाधान नहीं होने दिया। उन्होंने एक महीने के समय की माग की। समय दे दिया गया, लेकिन दो महीने बीत जाने पर भी मागे कार्यवाही नही हुई। इस पर लोकअदालत के अध्यक्ष ने 'अवतेश्वर का प्रश्न—मेरी अन्तर्वेदना' शीर्षक से एक खुलापत्र गुजरात के सब राजनैतिक एव सामाजिक कार्यकर्त्ताओ के पास भेजा जिसमे सम्पूर्ण परिस्थिति की जानकारी देते हुए तीन माग बताये गये

1 बडे पैमाने पर सामूहिक सत्याग्रह करके सरकारी तत्र को रोक देना।

2 लोकअदालत के कार्यकर्त्तागण एव अवतेश्वर के ग्रामजन सामूहिक आमरण अनशन करें।

3 हाथ में हाथ धर कर बैठे रहें और नक्सलवादी तूफान जैसे हिंसात्मक आन्दोलन के आने का इन्तजार करें।

अन्त में इस पत्र में लिखा गया कि यदि 11 सितम्बर 71 तक गुजरात सरकार ने समस्या का समाधान नहीं किया तो कार्यकर्त्ता अपने बलिदान की शुरुआत कर देंगे।

उन्होंने सर्वसेवा संघ के मंत्री के साथ राज्यपाल से पुनः भेंट की। उनके अनुरोध पर वीरेन्द्रसिंह के साथ 8 सितम्बर को ऐक्शन कमेटी के सदस्यों की तीन घण्टे बातचीत चली, जिसमें निम्न समाधान खोजा गया —

1 सरकार ने मेजर वीरेन्द्रसिंह को जो जमीन किसान से छुड़वाकर दिलाई है उसमें से आधी जमीन वे सरकार को लौटा दें।

2 किसानों ने और मेजर ने जो आधी आधी जमीनें छोड़ी हैं उन दोनों की सरकार अपनी ओर से सरकारी जमीन देकर पूर्ति कर दे ताकि किसानों को और मेजर को पूरी मात्रा में जमीन मिल जाय।

3 दोनों पक्ष कोर्ट में चल रहे केस वापस ले लेंगे और इस वर्ष की फसल निकलते ही इस समस्या का समाधान होगा।

4 गाँव के लोगों की जो आधी जमीन छूटेगी उन्हें उतनी ही जमीन सरकार कहीं भी दूसरी जगह देगी किन्तु किसी किसान को बेदखल करके नहीं।

5 जिन किसानों को काफी समय तक तकलीफें उठानी पड़ी और जिन्हें नयी जमीन को तोड़ने के लिए भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें सरकार अपनी ओर से कम ब्याज पर या बिना ब्याज के ऋण देगी।

इस प्रकार इस समाधान के जरिये सरकार ने अपनी गलती को दुरुस्त कर दिया और उसने ही इस गलती की कीमत भी चुका दी। आदिवासियों के अहिंसक सत्याग्रह ने पहली बार ही सरकार को अपनी भूल सुधारने को बाध्य किया। सत्याग्रह की इस विजय ने लोकअदालत के कार्यकर्त्ताओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ाई ही साथ ही आदिवासियों में आशा एवं साहस का संचार करके उनमें नई जान भी फूंक दी।

(8)

अत्याचार का प्रतिकार

जैसा कि अध्ययन में बताया गया है लोकअदालत ने न केवल दोनों पक्षों के आपसी विवाद का शीघ्र एवं सस्ता समाधान खोज कर न्याय की प्रक्रिया में मदद दी है बल्कि जन-साधारण को सरकार की गलत नीतियों एवं

सरकारी कर्मचारियो के अत्याचार और उत्पीडन एव व्यापारियो के शोषण से मुक्ति मिल अर्थात जन साधारण को व्यापक रूप से विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक एव सामाजिक मामलो म सत्तारूढ लोगो स न्याय प्राप्त हो सक, इसके लिय भी उसन प्रयास किया और एसे प्रयासो म एक प्रकार स स्वय पक्षधर बन कर अहिंसात्मक सघष एव प्रतिकार के द्वारा सरकार एव जन साधारण को न्याय की सही दिशा बतायी है और लोक जागरण का सफल प्रयास किया है। नीचे दी जा रही घटनायें एव लोकअदालत द्वारा तद्विषयक अपनायी गई कार्य प्रक्रिया उक्त कथन की पुष्टि के लिय यथेष्ट सामग्री प्रदान करती हैं।

ताडकाछना गाव मे जगलात के कमचारियो ने गाव के लोगो पर अत्याचार किया। वे न केवल रोज किसी न किसी ग्रामवासी को पीटत थ और उनसे मुर्गियाँ एव दूध मागत रहते थे, बल्कि एक दिन तो उन्होने वहा क लोगो के जो उनके लिये दूध घी नही ला सके उन गावो की 22 के करीब जवान लडकियो को एक कतार म चौपायो की तरह दो टागो और दो हाथो क बल मुर्गी बना दिया और जगलात विभाग के एक बीट गार्ड भीखाभाई को जो बहुत भारी वजन का है उन लडकियो की पीठ पर चढाया और उस उनकी पीठ पर चलने का आदेश दिया। मानो वह जिन्दा लडकियो की बनायी गयी पुलिया हो। उनके पीछे फारेस्टर हटर लेकर चल रहा था और जो लडकी बोझ के कारण जरा सी झुकती उसके परो पर हटर मारता जाता था। जब एक ग्रामवासी इस दयनीय दृश्य को बर्दाश्त नही कर सका और उसने फारेस्टर स नोकझोंक की तो उसकी बुरी तरह पिटाई की गयी और जगलात के तीन अधिकारियो ने ग्रामवासियो की तरफ बदूकें तान ली। गाव वाल डर के मारे भाग गय। जब ग्रामस्वराज्य समिति गजलावाट के मत्री तजलाभाई और ग्राम सभा के मुखिया श्री भगत ने ताडकाछना गाव के लोगो पर किये गये इस अत्याचार का विस्तृत विवरण सुना तो उन्होने एक जाच समिति नियुक्त की। जाच समिति एव ग्राम सभा के सदस्य जगलात के कमचारियो से मिलने क लिये घटना स्थल पर पहुचे लकिन जगलात क कमचारियो ने उनकी कोई परवाह नही की—उनकी आपस म नोकझोंक भी हो गया। उन्होने गाव वालो स भेंट करके उनके ऊपर किय गये अत्याचार एव अमानवीय जगली कृत्यो की जानकारी प्राप्त की और इस अत्याचार का मुकाबला करने के लिये लोकअदालत के सस्थापक के नेतृत्व म समस्त ग्राम दानी गावो के लोगो का आवाहन किया। सभा बुलाई गयी और उसम निम्न प्रस्ताव पारित करके इन कृत्यो की भर्त्सना करते हुए सरकार से माग

घास कटाई के लिए दूसरे दिन से जाने का यह निर्णय ग्रामसभा व मुखिया की सहमति से हुआ था। जब जांच अधिकारी श्री कारेजा ने कहा कि "अगर कल से आपके लोग काम पर लगने को तैयार हैं तो मैं नये आदमी ताडकाछला भेजने का हुक्म देता हू" तो अगले दिन दीपावली का त्यौहार होने के बावजूद ग्राम मुखियाओं ने उनकी चुनौती स्वीकार करली। और रातों रात एक गांव से दूसरे गांव तक इस चुनौती की जानकारी घास कटाई पर आने वाले मजदूरों तक पहुचा दी। गांव गांव में यह आवाज गूंज उठी—"सरकार ने हमारी बात मानली है। अन्यायी अधिकारियों के बजाय नये अधिकारियों को नियुक्त किया है। यद्यपि आज दीपावली का त्योहार है, फिर भी हम अपना वायदा पूरा करने के लिये घास काटने ताडकाछला चलना होगा। चलो जल्दी ही तैयार होकर ताडकाछला चलें।"

लोक-शक्ति के जागरण की इस महान प्रक्रिया को देखकर जांच अधिकारी श्री कारेजा को कहना पडा —

"मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हू। आप लोगों के प्रति हमारे कर्मचारियों ने जो दुर्व्यवहार किया उसके लिये मैं शर्मिन्दा हू, उन सब अधिकारियों को आज से ही नौकरी पर से हटा देने का मैं एलान करता हू। आप लोगों ने दीपावली जैसे बडे त्योहार के अवसर पर भी काम पर लगने का जो सकल्प साकार किया है, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हू और अपनी ओर से आप लोगों को त्योहार मनाने की दो दिन की छुट्टियां देता हू। आप लोग दो दिन के बाद काम पर आ जाइये। नये अधिकारी आप की सेवा में उपस्थित रहेंगे। मैं वायदा करता हू कि अब ऐसी कोई वारदात नही होगी जिससे आपको कोई कष्ट हो। एक बार फिर से मैं आपसे क्षमा मांगता हू।"

यह थी सत्याग्रह की अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिकार करने की विजय कहानी। आदिवासियों ने ऐसे बडे अधिकारी के मुंह से क्षमा याचना के बोल अपने जीवन में पहली ही दफा सुने थे। यह पहला ही अवसर था, जब अत्याचारी अधिकारियों को मुंह की खानी पडी—उन्हें नौकरी से हटने को मजबूर होना पडा और जनसाधारण के मन में हिम्मत एवं आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ एवं अन्याय और अत्याचार का मुकाबला करने के लिये लोकअदालत से उन्हें नयी दिशा मिली।

(9)

शोषण का मुकाबला

चलामली गाव के एक धनी जमीदार श्री चुनीलाल भाई पटल का गाव की लगभग आधी जमीन पर कब्जा था। भारत भाई कँसलाभाई की 9 एकड जमीन उन्होने सिर्फ 300 रुपये मे ले ली थी। यह जमीन इतनी उपजाऊ है कि एक एकड मे बिना सिचाई के भी 400 रुपये की उपज हो जाती है। इस प्रकार करीब 4 हजार रुपये सालाना की उपज पाच साल तक तो उन्होने ले ही ली। लेकिन साथ ही साथ 300 रुपये के कर्ज की रकम को 900 रुपये भी बना दिया।

जब ग्रामसभा ने उन्हे रुपया वापस देकर जमीन प्राप्त करनी चाही तो उन्होने ग्रामसभा के आमन्त्रणो की कोई परवाह नही की। आखिर मामला लोकअदालत मे प्रस्तुत किया गया। श्री चुनीलाल की रजामदी से ही सुनवाई की तारीख भी तय की गई लेकिन तारीख के दिन 'हम बीमार है' ऐसा कहकर श्री चुनीलाल ने अपने लडके कालीदास को लोक अदालत की बैठक मे भेज दिया और स्वय नही पहुचे। हिसाब किताब की जाच पडताल हुई और कालीदास की सहमति से ही लोकअदालत ने यह निर्णय दिया कि 'भारत भाई ने अपनी पुत्री की शादी के लिये इस खेत पर जो 951 रुपये श्री चुनीलाल भाई से कर्ज लिया है, वह कर्जा श्री चुनीलाल भाई को बिना सूद के लौटाने का दायित्व ग्रामसभा ले ले और चुनीलाल भाई इस वर्ष खेत छोड दें। चुनीलाल का शेष दावा (जो 300 रुपये की रकम चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर उन्होने 900 रुपये कर दी थी) इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि गत पाच साल मे खर्च वगैरह काटकर उस खेत से चुनीलाल जी ने 8000 रुपये का मुनाफा कमाया है इसलिये अब उस कर्जे की राशि वापस मागना उचित नही है। लेकिन इस करारखत पर कालीदास ने यह कहकर दस्तखत करने से इन्कार कर दिया पिताजी ही उस पर हस्ताक्षर कर सकते है।'

जब लोकअदालत मे यह कार्यवाही चल रही थी तब चलामली मे चुनीलाल भाई अपना अलग षडयन्त्र रच रहे थे। गाव वालो की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उन्होने दस जोडी हल बैल लिये और बुवाई करने के लिये खडा किया जहा खेत स्थित है पहुच गये। लेकिन जीजीबाई के नेतृत्व मे गाव की महिलाओ ने चुनीलाल जी के इस षडयन्त्र और जोर जबरदस्ती का मुकाबला किया और वे हल बैलो के सामने एककतार मे हाथ मे हाथ डालकर

किल बन्दी करके खड़ी हो गयी। चुन्नीलाल जी ने गाली गलौज किया और लोगों से भी कहा इन रांडों पर बैल चला दो।' लेकिन नौकरों की हिम्मत नहीं हुई तब तक स्वयं चुन्नीलाल जी ने एक महिला का हाथ पकड़ कर दूसरी महिला से उसे अलग करना चाहा। इस पर उस बहिन ने फटकारा देकर चुन्नीलाल जी से अपना हाथ छुड़ा लिया और सारी बहिनें चुन्नीलाल जी पर टूट पड़ी। नौकर हल बैल छोड़कर भाग गये और चुन्नीलाल जी भी अपने घर लौट गये।

कुछ दिन बाद बोरियाद के पुलिस अधिकारी को रिश्वत देकर उन्होंने गांव के आठ दस व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने ग्रामसभा के मुखिया ने पुलिस का भंडा फोड़ किया तब मजिस्ट्रेट ने पुलिस को उलाहना देकर गांव के सब लोगों को बिना जमानत बरी कर दिया।

उधर लोकअदालत की अवहेलना और गलत कृत्य करने के कारण चुन्नीलाल जी के प्रति क्षेत्र के लोगों में जो प्रतिकूल भावनायें फैली, उससे वे शर्मिंदा हुए और पछताये, ग्रामसभा से आकर मिले और लोकअदालत के फैसले को कबूल करने का संदेश भिजवाया। निश्चित तारीख को समाधान के मसविदे पर चुन्नीलाल जी ने हस्ताक्षर कर दिये और गांव के साथ उन्होंने जो धोखा किया था और बहनों के साथ जो ज्यादती की थी, उसके प्रायश्चित स्वरूप 151 रुपये का दण्ड भी स्वीकार किया।

इस प्रकार शोषण के मुकाबले के लिये किए गये इस अहिंसात्मक प्रतिकार से भारतभाई की जमीन मुक्त हुई और ग्रामसभा को विजय प्राप्त हुई। लोक-अदालत के कार्यकर्त्ताओं की सच्चाई से प्रभावित होकर मजिस्ट्रेट ने पुलिस वालों द्वारा लगाये गये झूठे आरोपों को अस्वीकार किया और उनको झूठे पक्ष का समर्थन लिए उन्हें उलाहना दिया। चुन्नीलाल भाई भी समझ गये कि गांव वालों की संगठित शक्ति के मुकाबले वे अधिक दिन टिक नहीं सकते और इसलिये उनके लिये यही श्रेयस्कर मार्ग है कि वे लोकअदालत का निर्णय स्वीकार करके क्षेत्र में हो रही अपनी अप्रतिष्ठा को रोकें।

(10)

संगठन एवं बहिष्कार के बल पर न्याय-प्राप्ति

मातोरा के किसानों पर सखेडा के साहूकार जमनादास का कुछ ऋण था। ग्रामसभा ने साहूकार को अपना हिसाब लेकर ग्रामसभा के समक्ष उपस्थित

हाने के लिये कई बार नाटिम भेजे लेकिन वे हिसाब किताब साफ करके अपना वाजिब बकाया रकम लेने के लिये ग्राम सभा के समक्ष नही आय और मखेडा की अदालत म मुकदमा दायर करके अदालत के जरिये रुपया जमा करान या नाटिम ग्रामजनो के पास भिजवा दिया ताकि ग्रामवासी घबरा जायें और साहूकार को मनचाही धनराशि मिल जाये। इस ग्रामदानी गाव के ग्रामजनो ने सखेडा की अदालत के अमीन की धमकी की परवाह नही की और अमीन को सारी स्थिति से अवगत कराया और कहा कि साहूकार पैसे के बल पर हम काट की धमकिया द रह हैं लेकिन अब हमने अपने गाव मे ग्रामस्वराज्य स्थापित कर लिया है। इसलिए किसी से डरत, घबराते नही और अगर उनका रुपया हक का और सच्चा है तो वे आयें और हमारी ग्राम सभा के सामन अपना हिसाब रखें और अपना पैसा ले जायें। अमीन उनकी बाता से प्रभावित हुआ। वह वापस चला गया लकिन महीन भर बाद फिर वह गाव मे पहुच गया और लोगा से कोट का हुक्म लेने का आग्रह किया। लेकिन लोगो ने फिर भी नोटिस लेने स इनकार कर दिया। अमीन घर घर घूमकर घरो पर यह नोटिस चिपकाता रहा कि "5 मई' 62 के दिन 12 परिवारा की जमीन नीलाम होगी।'

ग्रामवालो न ग्रामसभा की एक तात्कालिक बैठक बुलायी और यह तय किया कि गाव का कोई भी परिवार नीलामी म बोली नही लगायेगा। ग्राम सभा ने अडोस-पडौस के 10-15 गावो के लोगो के पास भी निम्न मजमून का पर्चा लिखकर भिजवाया—

"आपसे न्याय चाहते हे"

हमारे प्यारे ग्रामीण भाई-बहन,

हम मातोरा गाव के लोग आप ही की तरह किसान परिवार हैं। आप सब भली भाति जानते है और अनुभव कर चुके है कि हमारे इलाके के साहूकारो ने लेन देन मे हम गरीबो की सैकडा एकड कीमती जमीन हडपली है। सेठ साहूकार अफसरो को रिश्वत देकर मनमानी करवा लेते है। शायद ही कोई गाव बचा हो जहा उन्हाने अपना हाथ न दिखाया हो। गाव गाव म साहूकारो की जमीनें हैं। मेहनत हमारी और उत्पादन उनका। मौज मजा वे लूटें और हमारे बाल बच्चे भूखे मरें। ठीक ऐसी ही एक आफत हमारे मातोरा गाव पर आयी है। 5 मई को हमारे 12 परिवारो की जमीन नीलाम होनें वाली है। अगर यह जमीन उन परिवारो के हाथ से चली गयी तो 12 परिवारो के करीब 100 लोग भूखो मरेंगें। मजदूरी तो

राज नहीं मिलती नहीं। सिवा चोरी के और कोई चारा नहीं रह जायगा।

आप जानते हैं कि हमारे गाव ने और आस पास के कुछ गावों ने ग्राम स्वराज्य का सकल्प किया है। अभी एक सगठन खडा हुआ है जिसके बल पर हम ऐसे अन्याय का मुकाबला करने की हिम्मत कर सकें हैं। आप सबका सहयोग हम इस काम में चाहते हैं। चाहे आपने ग्रामस्वराज्य का सकल्प न किया हो, पर तु आप नीलामी के रोज हाजिर न रहें और अगर हाजिर रहें भी तो बोली न बोलें। आपका इतना सहयोग अन्याय करने वालों की हिम्मत तोड देगा और हमारे जसे अनेक गरीबों को अपनी भूमि माता से बिछुडने से रोकने में मदद करेगा। हम सब आपके सहयोग की प्रार्थना करते हैं।

'हम नेक बनें एक बनें।"
'गाव की धरती गाव का राज"
'हर गाव में हो ग्रामस्वराज्य।

विनीत

ग्रामस्वराज्य सभा मातारा के
सब भाइयो के राम राम
द दलाभाई जीता भाई भील,
मुखिया, ग्रामसभा, मातोरा

लोकअदालत के कार्यकर्ताओ के सहयोग से यह पत्रक साइकलोस्टाइल करवा कर पचास गावों में पहुचा दी गयी। उधर निश्चित दिन अमीन, सेठ जमनादास और पुलिस कर्मचारियों के साथ मातोरा पहुच गया। गाव वालो ने इनका बहिष्कार किया। वे लोग दिन भर बैठे रहे। न कोई उस गाव का आदमी उनके पास फटका न कोई दूसरे गाव का बोली बोलने वाला ही आया। हा, मुखिया के निर्देश पर उनके बैठने के लिये खाट जरूर बिछा दी गयी थी और पीने के लिये पानी के घडे रखवा दिये गये थे। दो बार गाव की लडकिया उन्हें चाय भी पिला आयी थी। यह नाटक तीन बार चला। आखिरकार श्री जमनादास समझ गये कि गाव के सगठन को छिन्न भिन्न करके अपना उल्लू सीधा करना उनके लिये किसी भी प्रकार सभव नहीं है। उन्होंने ग्रामसभा की शरण ली। अदालत ने 15000 रुपये जमा कराने का जो निर्णय दे रखा था, उसके मुकाबले केवल 1500 रुपये में ही मामला निपटा और वह रुपया अगले मास में लौटाने का ग्रामसभा ने लिखित

वादा किया। गुड बाटा गया। बल्ले म सेठ ने उन्ह यह लिख दिया कि पूरा रुपया लोगों से मिल गया है, अत उनके सारे केस कोर्ट से उठा लिये जाय। लिखित निवेदन पर सेठ ने अपने दस्तखत कर दिये और वह निवेदन कोर्ट मे भेज दिया गया।

इस प्रकार 'सगठन एव अनुचित कार्यवाही का बहिष्कार' की नीति के बल पर ग्रामवालो न अपनी समस्या के समाधान का अचूक रास्ता खोज निकाला। गाववालो की इस विजय से ग्रासपास के अनेक गावो का ग्राम स्वराज्य का सकल्प लेने की प्रेरणा मिली। व्यापक पैमाने पर हुई लोक जागृति ग्रौर उसके फलस्वरूप लोकग्रदालत को मिली मान्यता एव प्रतिष्ठा इसका ज्वलन्त प्रमाण है।

(11)

लोकग्रदालत के सस्थापको के प्रयास से ग्रामदान की जो लहर चली, उससे व्यापक पैमाने पर लोकजागरण तो हुआ ही साथ ही उन क्षेत्रो म अफसरो ग्रौर साहूकारों का प्रभाव भी क्षीण हुआ ग्रौर भूतपूर्व राजाग्रो के जो पुराने कानून चलते थे, वे भी समाप्त हो गये ग्रौर ग्रामदानी गावो ने नाजायज कर देने से इनकार भी कर दिया।

ग्रामदानी गाव गुटिया ग्राम्बा के फत्तुभाई न इस दिशा म नेतृत्व किया। ठाकुर वोरियाद ने गुटिया ग्राम्बा के लोगो को डराना धमकाना चाहा लेकिन उनकी कोशिशें नाकामयाब रही। अन्त मे ठाकुर ने एक दफा फत्तुभाई को दूसरे गाव बुलाया ग्रौर वहा उसकी काफी पिटाई की। उस समय पुलिस के दो कर्मचारी भी वहा मौजूद थे लेकिन ठाकुर से मिलीभगत होने के कारण वे कुछ नहीं बोले। पिटाई बिना वजह की गयी थी ग्रौर सम्पूर्णतया गैर कानूनी थी।

ठाकुर भय के जोर पर टक्स वसूल करना चाहते थे। गाव के लोगो को पता चला तो पूरा गाव ठाकुर से लोहा लेने के लिय तैयार हो गया। ठाकुर जीप लकर भाग गया। ग्रासपास की ग्रामसभाग्रो ने मिलकर जलूस निकाला ग्रौर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। तब से ठाकुर न किसी ग्रामदानी गाव से पैसा वसूल नहीं किया है।

इसी प्रकार साहूकारो द्वारा 'झडप' के नाम पर की जाने वाली स्वच्छाचारिता का भी अन्त हुग्रा है। लेन देन की प्रथा का नाम 'झडप' है। इस प्रथा के अनुसार जो किसान साहूकारो से खाने व बोने के लिये ग्रनाज लाते थे वह उनके खाते मे ग्रनाज की जगह रुपया लिखता था ग्रौर जनवरी

फरवरी म कपास निकलने पर सबसे पहले कपास पर हक उस ऋडप वाले साहूकार का होता था। इस प्रकार वह ऋडप की प्रथा के द्वारा अनाज की अपेक्षा दुगुने मूल्य का माल (कपास) प्राप्त कर लेता था और ब्याज अलग से ले लेता था। लोकअदालत के प्रयासों से स्थापित ग्राम स्वराज्य सगठनों ने किसानों को ऋडप से मुक्ति दिला दी है क्योंकि ग्रामदानी गाव सगठन के बल पर साहूकारों के चुगल से मुक्त हो गये है और उनकी जरूरत का कर्जा ग्राम स्वराज्य सहकारी समिति के माध्यम से उन्हें सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाता है।

(12)

अफसरो की अनुचित हरकतो का पर्दाफाश

ग्रामस्वराज्य म शामिल होने वाले ग्रामीणो ने लोकअदालत के सस्थापक के नेतृत्व मे अफसरों द्वारा की जाने वाली धाधली एव साजिशो का भी सफलतापूर्वक प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करली है। इसका नमूना है वसुन्दर के ठाकुर वाला मामला। उक्त ठाकुर ने स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात अपना शासनाधिकार सरकार को सभालाते समय राजस्व रेकार्डों म फेरबदल करवा दिया और अम्बालिया गाव के 16 किसानों की 180 एकड जमीन अपनी खुदकाश्त म बतादी। यह जमीन वह थी जो पीढियो से किसानो के अधिकार म थी और जिस पर वे बराबर काश्त करते आ रहे थे लेकिन ठाकुर इस बढिया जमीन को सरकारी कानून की मदद मे किसानो से ले लेना चाहते थे। वर्षों तक तहसीलदार के यहा मामले की पैरवी चलती रही लेकिन फसला नही हो पाया। सयोग के ठाकुर के सम्बधी गुजरात सरकार के डिप्टी रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गये। उनके द्वारा भडोच के कलक्टर डिप्टी कलक्टर और राजपीपला के तहसीलदार पर प्रभाव डलवाया गया। किसानो की जमीन ठाकुर को सौप जाने के आदेश भी हो गये। लेकिन ग्राम सभा इस अन्याय को, चाहे वह कानून के द्वारा समर्थित ही क्यों न रहा हो सहन नही कर पायी। उसने दो साल तक सरकार के हुक्म का पालन नही होने दिया लेकिन 1966 मे पुलिस अधिकारियो के सहयोग से ठाकुर ने जमीन पर कब्जा कर लिया।

ग्रामसभा ने फसला किया कि चाहे जो नतीजा निकले वे अन्याय के खिलाफ सघर्ष करेंगे।' सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। रोज आठ दस किसानो की टोली प्रतिबधित खेतो मे जुताई के लिये जाती और पुलिस को गिरफ्तारी देती। सत्याग्रह म दूसरे गाव के लोग भी हिस्सा लेते थे। 12 दिन के

सत्याग्रह में अम्बालिया गाव के सब बालिग जेल चले गये। तब बहिनो ने सत्याग्रह म सहयोग देना शुरू कर दिया और वे भी जेल जाने लग गयी।

इधर सत्याग्रह चलता रहा, उधर लोकअदालत के कायकत्ता न केवल सत्याग्रह की सम्पूर्ण जानकारी इलाके के अन्य गावो तक पहुचात रह बल्कि राजपीपना भडोच और अहमदाबाद जा जाकर अधिकारियो स भेंट कर के अम्बालिया गाव के नय पुराने समस्त रेकार्ड भी इकट्ठा करत रहे और उ ह सही तथ्यो की जानकारी कराने का प्रयास भी करते रहे। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने भूल महसूस करली। पुराना हुक्म बदल दिया गया और दूसरा हुक्म किसानो के हक मे जारी किया गया। 12 दिन के बाद सत्याग्रही जेल से रिहा किय गय। सत्याग्रहिया का लौटने पर शानदार स्वागत किया गया।

सगठित होकर अन्याय का मुकाबला करने के इस प्रयास ने क्षेत्र की जनता म जान फूक दी।

जब कलक्टर के खास प्रतिनिधि यह जमीन फिर से किसाना को लौटानें के लिये पहुचे तो सत्याग्रहियो न उन्ह बताया कि किस प्रकार बच्चा को भूखा रखकर किसानो ने बीज बचाकर बोया था और किस प्रकार चार बार ठाकुर नें उगें हुए बीज को हल चला कर नष्ट कर दिया था। फलस्वरूप कई घरो मे आज बोनें के लिये दाना भी नही बचा है।

उसी समय पडौसी गाव के एक भाई ने उठकर अम्बालिया ग्रामवासिया को विश्वास दिलाया कि उसका गाव न केवल उनके लिये बीज की व्यवस्था करेगा बल्कि पूरे गाव के लोग हल बल लेकर वहा पहुचेंगें और खेतो की बोआई जुताई म मदद करेंगें।

कलक्टर के प्रतिनिधि इस भावना से बडे प्रभावित हुए। उ होने सुझाव दिया कि सब लोग अपन अपने गाव या परिवार की ओर से सहायता का अनाज लिख दें और आज या कल तक सकलित अनाज अम्बालिया पहुचा दिया जाय। रात भर म अनाज अम्बालिया पहुच गया और दूसरे दिन ठाकुर वालें खेता को 150 हल बैला की सहायता स जोत कर किसाना न चिर प्रतिक्षित सही याय प्राप्त कर लिया।

(13)

सरकारी कमचारियो ने रिश्वत लौटायी

इस क्षेत्र म लावराचिमनी और बाडवा नामक गैर ग्रामदानी गाव है। कुछ समय पहले जगल विभाग के अधिकारियो न इन गाव स सरकारी जुरमान

की वसूली की भी, किन्तु जितना रुपया लिया, उससे आधे की भी रसीदें नहीं दी। उदाहरण के लिए जिससे 300 रुपये वसूल किये, उसे 125 रुपये की रसीद दी और जिस पर 500 रुपये जुर्माना किया, उसे 200 रुपये की रसीद दी। कुल मिलाकर 3900 रुपये कम की रसीदें काटी।

ग्रामसभा के समक्ष शिकायत आयी तो उसने जाच कराई। शिकायत सही निकली। मामला लोकअदालत के समक्ष पेश किया गया। लोकअदालत के कार्यकर्त्ता द्वारा भी पुन जाच करके सही तथ्यो का पता लगाया गया। लोकअदालत की ओर से सम्बन्धित अधिकारियो को भी स्पष्टीकरण हेतु पत्र लिखे गये। उन्हे लिखा गया कि वे लोकअदालत मे आकर अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं अन्यथा दूसरे कदम उठाने पडेंगे। एक अधिकारी ने आकर अपनी भूल स्वीकार करली, रुपया वापस लौटा दिया और भविष्य म ऐसी भूल न करने का लिखित आश्वासन दे दिया, लेकिन दूसरे दो अधिकारियों ने लोकअदालत के निर्देश की अवहेलना की। ऊपर के अधिकारियो को भी मामले से अवगत कराया गया लेकिन उनकी ओर से निश्चित कदम नही उठाया गया।

अन्त मे लोकअदालत को अखबारो का सहारा लेना पडा। सारी जानकारी प्रकाशित कराई गयी और सम्बन्धित अधिकारियो के दफ्तर पर सत्याग्रह करने की घोषणा की गयी। तब उच्चाधिकारियो की आखें खुली। वे दल बल सहित लोकअदालत के सामने पहुचे। उनके आने की सूचना मिलते ही आसपास के गावो के करीब 2000 लोग जमा हो गये। अधिकारियो ने लोकअदालत के चबूतरे पर जाने से पहले सारी जानकारी प्राप्त करली। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार करते रहे कि रुपया उनके लोगो ने लिया होगा। वे यही कहते रहे कि हमारे किसी कर्मचारी से किसी प्रसग मे गलती हो गयी होगी किन्तु इतने मामलो मे तथा इतनी बडी रकम की गलती होना सभव नही है।

जब लोकअदालत के मन्त्री ने माफी मागने वाले जगलात अधिकारी का दस्तखती करारखत मुख्य वन-सरक्षक के हाथो मे रख दिया तो वे बगलें झाकने लग गये। उन्होने सबधित अधिकारी को बुलाकर वह करारखत उसके समक्ष रख दिया। उसने हाथ जोडकर निवेदन किया कि 'मैंने ही यह माफीनामा लिखा है। मैं इस गलती के लिए शर्मिन्दा हू। आप चाहे मुझे नौकरी मे रखें या निकाल दें मेरी गलती हुई है। मैं भविष्य म ऐसी भूल नहीं करूगा।'

वन सरक्षक उसके पश्चाताप भाव से गद्गद हो गये और उन्हे लोकअदालत

के अध्यक्ष के समक्ष यह हार्दिक उद्गार प्रकट करना पड़ा "कि आपकी लोक अदालत ने हमारे एक कर्मचारी का जीवन बदल दिया है। मैं आपका बड़ा आभारी हूं।"

मुख्य वन सरक्षक ने बाकी दोनों अधिकारियों को भी बुलाया। किसानों ने हिम्मत और विश्वास के साथ, जितने रुपये अधिकारियों को दिये थे सब ठीक-ठीक बता दिये। वन सरक्षक ने अपने अधिकारियों को धमकाया। फलस्वरूप एक ने अपनी भूल स्वीकार करली और लिखित रूप मे माफी मागी, एव रुपया भी लौटा दिया, लेकिन तीसरा अधिकारी अपनी गलती फिर भी स्वीकार नहीं कर रहा था इसलिए मुख्य वन सरक्षक को उसके विरुद्ध कार्यवाही करना पड़ी।

लोकअदालत की खुली बैठक म मुख्य वन सरक्षक ने अपने अधिकारियों के आचरण के लिये क्षमा मागी, भविष्य मे ऐसा न होगा, इस बात का विश्वास दिलाया और अपने सब कर्मचारियों को ,जाहिरा तौर पर चेतावनी दी कि आय दा वे ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे।

उन्होने गाव की जागत ग्रामसभा की भी तारीफ की और अ य ग्राम वासियों से अनुरोध किया कि वे भी ऐसा ही सगठन बनायें।

(14)

लोक शक्ति से अत्याचार का मुकाबला लोकअदालत और लोक कूच

नवालजा गाव के एक युवक का खून हो गया था और उसकी लाश रणधी गाव के एक खेत मे मिली। पुलिस कर्मचारियों ने अकारण ही ग्रामवासियों के साथ मारपीट की। गाव भर के पुरुषो को तीन दिन तक पशु की तरह हाथो पैरो पर उलटा किया गया और उनको इसी तरह खड़ा रखा गया। रात को वही लिटा दिया जाता था। तीसरे दिन गाव की एक कुवारी लडकी रेमती को इस शक म कि उसकी मरने वाले युवक से मुहब्बत थी बुलाया और एक कमरे म ले जाकर पीटना शुरु कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने रेमती के वक्षस्थल पर हाथ डाला और बुरी गाली देकर उसको नीचे गिराना चाहा तो उसकी बुआ दशरी बहिन, जो गाव की उप मुखिया भी थी और दरवाजे से मार पिटाई का दृश्य देख रही थी पुलिस के सिपाहियों पर शेरनी की तरह कूद पडी और पुलिस वालो के आचरण की तीव्र शब्दो म भर्त्सना करते हुए चेतावनी दी 'यदि तुम एक भी कदम आगे बढे और लडकी को हाथ लगाया तो मैं जान दे दूगी।"

दशरी बहिन की दहाड ने पुलिस कर्मचारियो के हौसले पस्त कर दिये। कुछ घंटो बाद पुलिस के बडे अधिकारी आये। उन्होंने रेमती को अपने डेरे पर ले जाकर उसके साथ डांट डपट की और गालियां देकर छोड दिया। फिर रात्रि में पुलिस वाले रेमती को उसकी इच्छा के विरुद्ध घर से खीच कर बाहर ले गये और उसके मुंह मे रुमाल ठूस कर उसके साथ बलात्कार किया एव उसके सारे शरीर को क्षतविक्षित कर दिया एव उसके गुह्या मे लकडी डालकर उसे रोता-चीखता छोडकर गायब हो गये। नजदीक के घर वाली औरतो ने हो हल्ला मचाकर गाव की औरतो को इकट्ठा किया। अंधेरी रात मे रेमती की बुआ दशरी बहिन पहले क्वाट (कांग्रेसी विधायक के घर) और बाद मे छोटा उदयपुर (विरोधी पक्ष के विधायक के घर) गई और उन्हे सारी घटना बताई।

विधायक श्री भटट (छोटा उदयपुर) ने अपनी गाडी से रेमती को छोटा उदयपुर अस्पताल पहुचाया। पुलिस वाले भी वहा पहुच गये और उस लडकी को यह कह कर अपने कब्जे मे ले लिया कि वे बडौदा के अस्पताल मे उसे ले जायेंगे। वहा उन्होने बास का डठल लगने की मनगढत बात कह कर उसका उपचार कराया और उसे रिहा कर दिया।

इधर यह बात लोकअदालत मे पहुची। तत्काल बैठक बुलाई गयी। दशरी बहिन ने अत्याचार का लोमहर्षक विवरण प्रस्तुत किया। रेमती तो अदालत के पूछने पर रो ही पडी मुश्किल से संभल पाई। वातावरण बडा तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोगो ने जोश मे आकर यहा तक कह डाला क्वाट थाने को जला देंगे और इस पाप की सजा हम पुलिस वालो को पूरी तरह देंगे।"

लोकअदालत ने पुलिस वालो के अत्याचार की कडी आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकार किया। पाच आदमियो की जाच कमेटी बनी जिसने मेहनत करके 68 प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियो के बयान लिये। बाद मे लोकअदालत के कार्यकर्त्ता क्वाट पुलिस थाने के सब इंसपेक्टर से मिले। उन्होने स्वीकार किया कि डिप्टी पुलिस इंसपेक्टर के ड्राइवर और थाने के दो अन्य कर्मचारियो ने बलात्कार का पाप किया है लेकिन इस सम्बन्ध मे कार्यवाही बडे अधिकारी ही कर सकते है। मैं तीनो कर्मचारियो के खिलाफ अपनी रिपोट बडे साहब को अवश्य भेज दूगा।' दूसरे दिन सब इंसपेक्टर पुलिस कांग्रेसी विधायक के साथ लोकअदालत मे आये लेकिन इस उद्देश्य से कि लोकअदालत सरकार और अखबारो के पास कोई जानकारी न भेजे और न सब इंसपेक्टर द्वारा दी गयी रिपोट की नकल मागने का आग्रह करें। लेकिन

लोकअदालत उनका यह अनुरोध स्वीकार नही कर सकती थी। अखबारो को सारे घटनाक्रम की जानकारी भेज दी गयी और सरकार से अनुरोध किया गया कि वह इस मामले म तुरत कायवाही करे। अन्यथा अन्याय के प्रतिकार के लिये जनता को सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पडेगा क्योकि पुलिस द्वारा जिस तरह पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया गया है वह बरदाश्त के बाहर है और इस मामले को 12 दिन बीत चुके है लेकिन अभी तक सरकार के पट का पानी भी नही हिला है।

अखबारो ने इस घटनाक्रम पर गहरा रोष व्यक्त किया और गुजरात के और भी कई नेताओ ने आदिवासियो पर हुए इस अत्याचार के सम्बन्ध म लोकअदालत की बात मानने का सरकार से अनुरोध किया।

लोकअदालत के नोटिस का सरकार पर काफी प्रभाव पडा। तीनो छोटे पुलिस कमचारियो को तुरत हटा देने का हुक्म हुआ लेकिन तीनो जिम्मेदार पुलिस अधिकारियो के विरुद्ध—जिनकी मौजूदगी मे तीन दिन तक लोगो की पिटाई हुई थी तथा उनके साथ पशु से भी बदतर व्यवहार और यह बलात्कार हुआ था—कार्यवाही नही की गयी।

15 दिन बाद लोकअदालत फिर बैठी। तय किया गया कि सरकार पर प्रभाव डालने के लिये तीन दिन बाद एक 'लोक कूच' का आयोजन किया जाये। इस 41 मील लम्बे लोक कूच मे भाग लेने के लिये लगभग 1500 स्त्री पुरुष निर्धारित तिथि और समय पर एकत्रित हो गये। धूप की परवाह न करके लोक कूच मे भाग लेने वाले स्त्री पुरुष छोटा उदयपुर पहुचे और निभय होकर किसी बात की परवाह किये बगर अहिंसक लोकशक्ति का प्रचण्ड प्रदशन किया। छोटा उदयपुर के इतिहास मे आदिवासियो की सगठित शक्ति का इस प्रकार का यह पहला प्रदशन था जिसे देखने के लिये छोटा उदयपुर के लोग उमड पडे। कचहरी के लोग भी सारा कामकाज छोडकर अहाते से इसे देखने लगे।

उसी दिन लोक कूच छोटा उदयपुर से रवाना होकर पुलिस सब इसपेक्टर के कार्यालय कवाट पहुचा। इस प्रदशन का तात्कालिक फल निकला। समाचार पत्रो ने बडी बडी सुर्खिया देकर इस प्रदर्शन का प्रकाशन किया। रेडियो ने स्थानीय समाचार बुलेटिन मे इसे प्रसारित किया। आखिरकार सरकार न कवाट के सब इसपेक्टर को हटाने और उसको निलबित करने की घोषणा का। दूसरे दो उच्च पुलिस अधिकारियो के भी तबादले कर दिये गये।

परिशिष्ट 'घ'

करारखत के नमूने

लोकग्रदालत द्वारा दिये गये निणयो को करारखत के रूप म लिपिबद्ध किया जाता है। फाइल ग्रध्ययन स यह बात सामने ग्रायी कि प्रारम्भिक वर्षों मे करारखत की सम्यक् व्यवस्था नही थी। लाकग्रदालत के करारखतो का नमूना इस परिशिष्ट म दिया गया है। इन करारखतो को देखने से ऐसा लगता है कि उनके लिखन म मुख्य दृष्टि समझाने की रही है। करारखत सामायत ग्रध्यक्ष द्वारा लिखा जाता है। करारखतो की भाषा म एक-रूपता का ग्रभाव खटकना है। करारखत पचो को साक्षी मानकर वादी-प्रतिवादी की ग्रोर से लिखा जाता है। इसकी व्यवस्था, नियम ग्रादि भी ग्रत्य त सरल हैं।

करारखतो के विकास के क्रम को देखते हुए उसे मुख्यत दो वर्गों मे बाट सकते हैं (1) प्रारम्भिक करारखत इसे समयानुसार सन् 1965 तक मान सकते हैं। (2) करारखत का मौजूदा ढाचा, उक्त वष के बाद करारखत के रूप का निखार हो रहा है।

विवादो के प्रकार के ग्रनुसार करारखतो का नमूना इस प्रकार है

1961 से 1965 तक लिखे जाने वाले करारखतो का नमूना

(1) पति-पत्नी का झगडा

लडकी तेरसिंह डूमडा ग्राम चिपानी ने पचो के सामने स्वीकार किया। तुम्हारी लडकी को नही मारूगा। ग्रगर मारूगा तो पच 151 रुपये तक मुझ पर दण्ड कर सकते है। प्रतिवादी बाबा नाना ग्राम घोडा न पचो की जामनी (जमानत) पर लडकी को पति के सुपुर्द कर दिया।

(2) लडकी से छेडछाड

राजरसिंह कानजी भाई, ग्राम घोडा ने डेवडा भाई थापडा भाई की लडकी वेचली को, जिसका गाव खाटियावाटा था छेडा। खुली ग्रदालत मे क्षमा मागी। 45 रुपये लडकी के बाप को जुर्माना भरा।

(3) गुजर बसर

देवदना के मूलजी जालमा ने भ्रपनी काकी बाई भूरी बुटिया से करार किया कि मैं तुम्हें गुजर बसर के लिये निर्धारित भ्रनाज भ्रौर नकद सुकाल भ्रौर दुष्काल दोनो म दूगा क्योकि मूलजी जालमा भ्रपन काका की जमीन जोतता है।

(4) दहेज सम्बन्धी झगडा

लडकी के पिता मथुर छाडिया कोली, ग्राम मकोडी ने खरमडा ने नानजी सुमरा (लडकी के पति) को स्वीकार किया कि मैं 215 रुपये दहेज के लडक को दूगा। पचो के सामने स्वीकार करता हू।

(5) मारपीट

प्रतिवादी कालिया लालिया ग्राम गलेथा न स्वीकार किया कि गाव म झगडा मारपीट नही करू गा। करू तो मेरे पर पच 500 रुपये तक दण्ड कर सकते हैं। वादी था गलेछा गाव का रगन थावरिया।

(6) जमीन का झगडा

मैं हरिया जानिया (ग्राम जाम्बा) तुम लोगो, गनिया जानिया, को लिख देता हू कि मेरे पास 6 एकड जमीन है उसम से भ्राधा भाग तुमको देता हू। इसके सिवाय भ्रनाज की पैदावार म मेरे दो भाग भ्रौर तुम्हारा एक भाग होगा।

(7) जमीन का झगडा

मैं नाना भाई जायया कोली (मोटावाटा) तुम नारायण सीतू रगपुर को लिख देता हू कि पचो के सामने तुम्हारा खेत 4 एकड जो मेरे पास था, तुमको निम्न शर्त पर देता हू कि तुमको एक एकड के 600 रुपये के हिसाब से कुल 2450 रुपये देना पडेगा। ये सब रुपये इसी साल दे दोगे तो मैं जमीन का कब्जा इसी वर्ष छोड दूगा।

(ख) 1966 से 1975 तक

तलाक

(1) मैं सुन्दरिया राम रगपुर का तुम रणछोड तुलसी ग्राम भ्रम्बालग को लिख देता हू कि भ्राज से हमारे बीच तकरार नहीं है भ्रौर तुम्हारी पुत्री को

मैंन त्याग दिया है। उसको कही भी शादी कर सक्ते हो। उसम हमको कोई एतराज नहीं है और वह जहा कहीं भी शादी करेगी वहा से हम 251 रुपय लेंगे।

(2) मैं केवजी घुघिया (ग्राम आघा डूगरी), तुम बजली मगलिया ग्राम सामला को लिख देता हू कि आज के बाद मर और तुम्हारे बीच किसी प्रकार का सम्ब घ नही है। तुम कही भी विवाह कर सक्ती हो। तुम्हारे पास जो बच्चा है, उस पर मेरा अधिकार नही है। कारण कि वह मेरा नही है। मैं बजली केवजी लिखती हू कि मैंन राजी स तुम से तलाक लिया है। तुम कही भी विवाह कर सक्त हो लिखावट हमने पढ लिखकर स्वीकार की है।

(3) मैं मानसिह मालूतुम नायकडा वाबला को लिख दिया कि मैंने तुम्हारी पत्नी बाई जुवली को अपन घर मे रखा है। इसके बदल म मैं 700 रुपया तुमको दूगा और आज से हमारे बीच कोई झगडा नही है। मैं नायकडा तुम मानसिह को लिख दिया कि हमार तुम्हारे बीच कोई झगडा नही है। तुम बाई जुवली को घर मे रख सक्त हो या छोड सक्त हो। उस पर अब मेरा कोई अधिकार नही है। मैं जुवली नायकडा को छोडकर इसकी (मानसिह की) पत्नी बन कर गई हू। यह मेरे लिये सब कुछ है। यह लिखावट हमन पढ सुनकर स्वीकार की है।

पारिवारिक झगडा

(1) मैं मथुरा डूमका तुम पचो के सामने मगिया भूरी नूरिया ग्राम कान खेडा को आज लिख देता हू कि आज के बाद तुम्हारी लडकी घनकी को मेरी मा नहीं सतायेगी और किसी प्रकार की हानी नही पहुचायेगी। मगर करेगी तो तुम तुम्हारी लडकी घनकी को अपने घर ले जा सकते हो और इस पर मेरा कोई अधिकार नही रहेगा। आज से हम मा से अलग रहेंगे और उससे मा का काम नही कराऊ गा और घनकी बिना पति से पूछे पिता के घर नही जावेगी।

(2) मैं नागजी बुधिया तुम मथुर भगडा का पचो के सामने लिख देता हू कि आज के बाद तुम्हारी लडकी जस्सू को परेशान नहीं करू गा, मारू गा नहा। अगर सताऊ तो पच 501 रुपये तक मेरे पर जुर्माना कर सकते हैं और मेरा जस्सू पर कोई अधिकार नही रहेगा। मैं मथुर तुम नागजी को लिख दता हू कि आज के बाद मेरी लडकी जस्सू तुम्हारी आज्ञा के बिना मेरे

घर चली आई तो 501 रुपये देऊंगा। यह लिखावट पढ़ सुनकर स्वीकार की है।

(3) मैं गनिया वचना पंचो के सामने लिख देता हूं कि मैंने भूल से मेरी साली मगली को झूठी रीति से अपने घर में रखा और दो साल तक हमारे बीच सम्बन्ध रहे और मुझसे मगली को एक लड़की है जिसकी आयु 15 दिन है। इस लिखित से स्वीकार करता हूं कि मेरी गलती के कारण मगली मेरे पास थी। मगली और बच्ची पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। गलती के जुर्माने का 150 रुपये देने को तैयार हूं। ऊपर की लिखावट पढ़ सुनकर स्वीकार की।

(4) मैं शांतिलाल हिरवत ग्राम जामली पंचो के सामने लिख दिया कि झरोकी बाई टूटी के घर 11 वर्ष से घर जवाई हूं और मुझसे बाई टूटी को चार बच्चे हुए। मुझसे गलती से अपनी पड़ोस की दो लड़कियों के साथ गैर कानूनी सम्बन्ध हुए। इसके लिये क्षमा चाहता हूं और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने के वचन से बंधा हूं। ऐसा करूं तो बाई टूटी पर मेरा पति का अधिकार समाप्त हो जावेगा और पंच 51 रुपया जुर्माना ले सकते हैं। अब घर में मैं अच्छी तरह से रहूंगा। यह लिखावट मैंने पढ़ सुनकर स्वीकार की है।

जमीन सम्बन्धी झगड़ा

(1) मैं सुन्दरियाराय (रंगपुर) पंचो के सामने लिख देता हूं कि मैं मेरी जमीन का बटवारा करने को तैयार हूं। एक भाग मेरे पास रहेगा। दूसरा भाग रंगली सुन्दरिया को मिलेगा। एक एक भाग जमू भाई, करनन भाई और गमलभाई को मिलेगा। पंच बटवारा करेंगे और उस पर भागीदार का कब्जा रहेगा। पर यह जमीन सरकारी कागजों, ग्राम-सुधार संस्था में सम्मिलित करनी पड़ेगी। ऊपर लिखा हमने पढ़ाकर सुन लिया है और मेरे वारिसों को भी स्वीकार है।

(बाद में अगले वर्ष कार्यवाही निम्न प्रकार लिखित में दर्ज हुई)।

इस लेख द्वारा हम रंगपुर के निवासी पक्षकार पंचो के सामने लिखते हैं कि हमारी जायदाद का बटवारा निम्न प्रकार होगा

मैं सुन्दरियाराम जो मेरी पूरी जमीन को 5 भागों में बांटता हूं। पांचो भाग बराबर रहेंगे जो निम्न व्यक्तियों को मिलेंगे

प्रथम	सुन्दरियाराम जी
द्वितीय	रगली बहन सुन्दरिया
तीसरा	जमू भाई सु दरिया
चौथा	करसनभाई सुन्दरिया
पाचवा	नटूभाइ सु दरिया

मै सुन्दरियाराम जी ने परिवार के निर्वाह के लिये तीन हजार का कर्जा लिया है जा प्रत्यक भागीदार (हिस्सेदार) को भरना पडेगा। लकिन जमू सुन्दरिया गत दा वर्ष का कर्जा नही देगा। कारण वह स्वय दो वप से अलग रहकर कमा रहा है। दो कमरे का मकान जमू, करसन, नट और उनकी या रगली के हिस्से म जावेगा और पुराना मकान सु दरिया भाई के हिस्से म जावेगा और सु दरिया भाई जब मकान को पक्का करेंगे तो सब भागीदारो को हिस्से म रुपयो का भाग देना। यह लिखावट हमने पढकर-सुनकर स्वीकार की है।

(2) मै कानजी धानका, ग्राम मिहादा मेरी भाभी बाई सादी को आज दिन पचो के सामने लिख देता हू कि मेरे जो भाई मर गये हैं उनकी पूरी जमीन और जायदाद भाभी सादी को दूगा। इस समय हम सम्मिलित रहत है लेकिन जब भी भाभी अलग होगी, और वह लडकी के पति को घर जवाई रखेगी तब उनकी जमीन छाड दूगा। साथ ह तब तक उसक और उसके बच्चो की सम्भाल करूगा। लिखावट पढकर सुनकर स्वीकार की।

(3) मैं छाटा भाई बापू भाई (ग्राम गजलावाट) तुम रामा भाई हरियाभाई छगनभाई मोहन भाई मनसुख भाई कालू भाई रावला भाई, ग्राम वाटा का लिख दिया कि मेरे पास जो 3 एकड 5 गु जमीन है इसकी एवज म मैं आपको 2027 रुपय देता हू और इस जमीन मे आप लोगा को 5 साल तक खेती करने का अधिकार देता हू यह अवधि खतम हान पर यह जमीन मुझे सौंपनी पडेगी। बीच म मैं किसी प्रकार तुम लोगा को परेशान नही करूगा। अगर इस दौरान आखा तीज के पहले पैसा लौटा दू तो यह जमान मुझे सौंपनी पडेगी। यह लिखावट मैंन पढ सुन कर स्वीकार की है।

(4) हमारे पिता लालसिह जानमा के नाम पर जमीन सर्वे न 100 एक एकड और 38 गुठा है वो हमारे पिता लालसिह, होरी, और झुमली के मध्य बराबर भागो म बटेगा। बाकी रकबा की पूरी जमीन हम साना भाईया को बराबर बटवारे के लिय पचा को सौपत है। ढापन का नंबर

लालसिंह न जो खर्चा किया है, वो कुल 500 रुपये है वो हमको स्वीकार है। इस रकम म स सात भाग होंगे। इनमे से चार भाईयो कलसिंह, धनजी, मानसिंह और नरसिंह इन चारो को दकर व 300 रुपय दना है। यह हम चारो को मजूर है। इस आधार पर हमारे बीच जो झगडा है और जो मुकदमा कोट कचहरी म गया है वो वापस लेत हैं और भविष्य में नही झगडेंगे।

लेन देन सम्बन्धी

मैं बाई बीतली होदर की बहू तुम हरिजन पूनिया जीता पानवड को लिख दती हू कि मेरे पति ने तुम्हारे से जो बैल लिया था, उसके 600 रुपय बाकी थे। उसके बदले म मैं एक बछडा और बैल देती हू। आगे आपसे मेरी लन देन सम्बन्धी तकरार नही रहेगी। मैं पूनिया जीता बाई बीतली को लिख देता हू कि मुझे एक बैल और बछडा मिल गया है। अब हमारे बीच कोई झगडा नही है।

मारपीट

मैं भूरा भाई छदिया भाई कोली, गाव वक्वा का रहने वाला हू। मरी गलती के लिय क्षमा चाहता हू। पचा द्वारा दिया दण्ड खुशी से स्वीकार करता हू और पुलिस की रिपोर्ट वापिस ले लता हू। पचो का फैसला स्वीकार है। यह लिखावट पढ़ सुनकर स्वीकार की है।

चोरी

(1) मैं मग्गा जादवा, ग्राम मोटावाटा पचा के सामन लिख देता हू कि आज मैंने चोरी का 217 रुपया का कपास मोल लिया था। उसके जुर्माने के रूप मे 50 रु देता हू। अगर फिर से चोरी का कपास लेते हुए पकडा जाऊ तो पच 1000 रुपये जुर्माना कर सकते हैं।

(2) मैं नायका रणछोड कोली (ग्राम आवालग) तुम पचो को लिख देता हू कि मैंने गलती से रगपुर के वेलिया छगन के बल को चुराया था। वो बैल मैं कवाट बेचने गया तब पकडा गया था। अब मैं पचो से क्षमा चाहता हू। भविष्य म ऐसा खराब काय नही करूगा। मेरी गलती पर पच जो सजा देंगे, स्वीकार करूगा। इस गलती के लिये 150 रुपया जुर्माना पचो को दे रहा हू। यह लिखावट पढ सुनकर स्वीकार की है।

(3) मैं रडतिया भील, ग्राम समिति को लिख देता हू कि सर्वे न 36,

57 की जमीन कुल 8089 रुपये 21 पैसे म मोल ली है । उसम से 4000 रुपया मेरे को अप्रैल 71 के पहले देने है । इसके पश्चात अप्रैल 1972 मे रुपये 2000 देने है और अप्रैल 1973 म रुपये 2089 तथा 21 पैस तुमको देने है । इस प्रकार यह रकम भरू गा । अगर मेरा प्रथम भाग 4000 रुपये इस वप न भर सकू तो प्रति एकड 100 रुपया जुर्माना दूगा । इस प्रकार 5-5 एकड का 550 रुपया दूगा और जमीन पर से अधिकार उठाना पडेगा और ग्राम समिति इस जमीन को किसी को भी दे सकती है ।

साक्षात्कार अनुसूची-1

कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान, जयपुर

लोकअदालत सगठन और काय पद्धति का अध्ययन

दिनाक — साक्षात्कार सख्या
नाम — आयु
ग्राम — शिक्षा
जाति
सयुक्त या एकाकी परिवार

सर्वेक्षण कर्त्ता

(1)

विवाद के वादी एव प्रतिवादी से सम्बन्धित प्रश्न (दानो पक्षो से)

(1) परिवार तालिका

क्रम	मुखिया स सम्बन्ध	शिक्षा	उम्र	धधा	आय (मासिक/वार्षिक)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

कौनसा विवाद लोकअदालत मे गया

(2) विवाद कब और कैसे प्रारम्भ हुआ ?

(3) लोकअदालत म आन से पूव

(क) पचायत म गये हा तो वहा क्या हुआ ?

(ख) जाति पचायत म गये हा ता वहा क्या हुआ ?

(ग) आपसी बातचीत से क्या कुछ तय हुआ ?

(घ) लाकअदालत म क्या ल गये ?

(4) विवाद का स्वरूप (आवश्यकता हो तो अलग नाट करे)

(5) लोकअदालत म जान की तारीख –कितनी बार तारीखें लगी और प्रत्येक तारीख मे क्या क्या हुआ ?

(6) फैसले की तारीख ।

(7) लाकअदालत की बैठक म कितन लोग उपस्थित थ ?

(8) क्या निर्णय हुआ ? विवरण दें।

(9) क्या निणय आपके पक्ष म हुआ ? हा/नही ।

(10) क्या निर्णय से आप सन्तुष्ट हैं ? पूण सन्तुष्ट/सामान्य सतुष्ट कम सन्तुष्ट/असतुष्ट ।

(11) निणय के बार मे आपकी क्या राय है ?

(क) न्याय मिला? यदि हा तो आपकी क्या कसौटी है ?

(ख) न्याय नही मिला इसकी कसौटी क्या है ?

(ग) विवाद बढा, यदि हा ता किस प्रकार स ?

(घ) विवाद कम हुआ—यदि हा ता किस प्रकार स ?

(ड) तनाव कम हुआ—यदि हा ता किस प्रकार मे ?

(12) क्या लोकअदालत के निर्णय के बाद अन्य न्यायालय म अपील की है ? हा/नही । यदि हा ता कहा और क्या हुआ। (विवरण नाट करें) ।

(13) लोकअदालत मे क्या परेशानी होती है ?

(अ) कार्य प्रक्रिया की

(आ) आर्थिक

(इ) एक व्यक्ति के नेतृत्व की ।

(14) आज क्या स्थिति है ? विवाद सुलझ गया/कुछ तनाव है/सामान्य स्थिति ।

(15) लोकअदालत मे निर्णय होने तक कुल कितना खर्च हुआ ? विवरण दें ।

(II)

(गाव के मुखिया, सामान्य जन, अधिकारी, जूरी, वकील आदि से सम्बन्धित प्रश्न)

नाम	उम्र
गाव	आय मासिक
शिक्षा	जाति
धधा	

(1) क्या आपने लोकअदालत की कार्यवाही मे भाग लिया है ? हा/नही ।

(2) लोकअदालत मे किस रूप मे भाग लिया ?

(1) दर्शक

(2) सामान्य—वादी/प्रतिवादी

(3) गवाह पक्ष मे/विपक्ष मे

(4) जूरी

(5) अन्य

(3) आपकी राय मे लोकअदालत से—

(अ) क्या विवाद का हल आसानी से निकलता है ?

(आ) क्या आपसी तनाव कम होता है ?

(इ) क्या खर्च की बचत होती है ?

(ई) क्या न्याय शीघ्र मिलता है ?

(उ) यदि अन्य कोई लाभ है तो क्या ?

(4) क्या लोकअदालत से सामाजिक आर्थिक क्षेत्र मे स्थायित्व आया है ? जसे—

(क) विवाह सम्बन्धी विवादो मे कमी हुई है।

(ख) पारिवारिक तनाव मे कमी हुई है।

(ग) भूमि सम्बन्धी विवादो म कमी आई है।

(घ) भूत प्रेत म विश्वास कम हुआ है।

(ङ) खेती म रोजगार का क्षेत्र बढा है।

(5) क्या लोकअदालत के कारण समाज मे जागृति आयी है ? जैसे—

(अ) क्या क्षेत्र के लोग विवादो को स्वय सुलझाने का प्रयास करत है ? यदि हा तो कैसे ?

(आ) क्या महाजन का शोषण कम हुआ है ? हा/नही। हा तो किस प्रकार—

(क) क्या महाजन कम ब्याज लेने लगा है ?

(ख) क्या महाजन सही हिसाब रखता है ?

(ग) क्या महाजन पहल से अधिक सही हिसाब रखता है ?

(घ) अन्य ?

(इ) क्या जगल के अधिकारियो के द्वारा की जान वाली परेशानी कम हुई है ? हा/नही/यदि हा तो किस रूप म।

(क) लकडी काटने से सम्बधित प्रश्नो पर अब परेशान नही करते/कम करत हैं।

(ख) पशु चराने के प्रश्न पर परेशान नही करत या कम करते है।

(ग) अन्य।

(6) क्या अ याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत आयी है ? हा/नही। यदि हा, तो किस रूप मे ?

(अ) सगठित होकर अन्याय का विरोध करत है।

(आ) लोकअदालत मे जात हैं।

(इ) अन्यायी को समाज (ग्राम) दंड देता है।

(ई) भय।

(7) लोकअदालत से क्या लाभ है ?

अ–(क) न्याय शीघ्र मिलता है।

(ख) न्याय पर होने वाले व्यय में बचत होती है।

(ग) न्याय कार्य में दोनों पक्ष खुल कर भाग लेते हैं।

(घ) निष्पक्ष न्याय मिलता है।

(ङ) लोकतान्त्रिक है।

आ–लोकअदालत मे आस्था के क्या कारण हैं ?

(क) अच्छा नेतृत्व।

(ख) कार्य पद्धति।

(ग) आनन्द निकेतन आश्रम का काम।

(घ) ग्रामदान विचार का प्रसार।

(ङ) जाति संगठन।

(8) क्षेत्र में लोकअदालत के क्या प्रभाव पड़े है ?

(अ) राजनीतिक प्रभाव

(क) लोकअदालत के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं ?

(ख) उसका मार्ग दर्शन मानते है ?

(ग) राजनीतिक दलों की अपेक्षा लोकअदालत के नेता की बात को अधिक मानते हैं ?

(घ) लोकअदालत के कारण गांव में गुटबन्दी है/नहीं है। है तो क्यों ?

(ङ) लोकअदालत के कारण एकता है ?

(आ) सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

(क) अन्धविश्वास कम हुआ/वैसा ही है/समाप्त हुआ।

(ग) जातिगत एकता आयी है/बढ़ी है/वैसी ही है।

(ग) छूआ छूत कम हुई है/समाप्त हुई है/पहले जैसी है।

(3) समग्र दृष्टि से लोकग्रदालत का काय कैसा है ?

(क) ग्रच्छा है।

(ख) बहुत उपयोगी है।

(ग) सामान्यतया ठीक है।

(घ) ग्रच्छा प्रभाव नही पडता।

(9) लोकग्रदालत के ग्रन्य प्रभाव

(क) पुलिस का हस्तक्षेप कम हुग्रा।

(ख) कोट म जाने से मुक्ति मिली।

(ग) जगल के ग्रधिकारियो से परेशानी कम हुई है।

(घ) सरकारी ग्रधिकारियो का सहयोग बढा है।

(10) सामान्य न्यायालय ग्रौर लोकग्रदालत म क्या फक है ?

(11) ग्रापके साथ ग्राश्रम मे कैसा व्यवहार होता हे ?

(क) हमारी बात सुनी जाती है।

(ख) कम रुचि लेते है।

(ग) निवास की समस्या रहती है।

(घ) भोजन की समस्या रहती है।

(12) लोकग्रदालत के स्थायित्व के बारे मे ग्रापकी क्या राय है ?

(क) इसम विश्वास है।

(ख) ठीक एव सस्ता न्याय मिलता है।

(ग) शीघ्र न्याय मिलता है।

(घ) ग्रामदानी ग्रामसभायें ग्रामस्तर पर
इस काम को स्थायी रूप मे करने लगी हैं।

(ङ) ठोस व्यवस्था का विकास हो रहा है। लोकग्रदालत की/ग्रामसभा की।

(च) कानूनी मान्यता का ग्रभाव।

(छ) एक व्यक्ति का नेतृत्व है।

(ज) विश्वास पर ग्राधारित है।

(13) निणय प्रक्रिया मे कौन कौन से तत्व प्रभावकारी होते हैं ?

(क) सही न्याय की खोज ।
(ख) व्यक्ति का नेतृत्व ।
(ग) जाति का हित ।
(घ) पैसा
(ङ) नेताओं का प्रभाव ।
(च) व्यक्ति का हित ।

(14) क्या वादी-प्रतिवादी पक्ष मे निणय के लिये विशेष प्रयास भी करते हैं ? जैसे —

(क) लोकअदालत म प्रभावी लोगो से बातचीत ।
(ख) जूरी पर प्रभाव डालना ।
(ग) पैसा देना ।
(घ) अन्य ।

(15) क्या लोकअदालत के साथ किसी का टकराव है ? यदि हां, तो किस प्रकार का ?

(क) न्यायालय के साथ ।
(ख) पुलिस के साथ ।
(ग) महाजन वग के साथ ।
(घ) गाव के किसी विशिष्ट वग के साथ—कौन सा वर्ग ?
(ङ) पढे लिखे लोगो के साथ ।

(16) यदि टकराव है, तो उसका लोकअदालत पर क्या प्रभाव पडा है ?

(क) प्रतिष्ठा कम हुई ?
(ख) विवाद ले जाने मे रुचि कम हुई ?
(ग) विरोध मे वातावरण बना ?

(17) लोकअदालत की प्रतिष्ठा कैसी है ?

(क) इसे सभी स्वीकारते हैं ।

(ख) खास वग कम स्वीकारता/नही स्वीकारता—कौन सा वग ?

(ग) प्रतिष्ठा का क्या कारण है ? सही न्याय/भाई (श्री हरिवल्लभ परीख) का व्यक्तित्व/कल्याणकारी काय ?

(घ) क्या लोकग्रदालत के लोगो का अपना स्वाथ है ? हो तो क्या और क्यो ?

कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान

लोकग्रदालत सगठन और काय पद्धति का ग्रध्ययन
साक्षात्कार ग्रनुसूची-2

परम्परागत कार्ट म विवाद ले जाने वालो से साक्षात्कार

दिनाक सख्या
नाम ग्राम
ग्रायु जाति
शिक्षा

(1) किस प्रकार के यायालय म विवाद ले गये ? पचायत/स्थानीय कोट म/ग्रन्य कोट म।

(2) लोकग्रदालत म विवाद क्यो नही ल जाते है ?

(क) दूर पडता है।
(ख) जानकारी नही है।
(ग) वहा याय नही मिलता। यदि हा तो क्या नही मिलता ?
(घ) ज्यादा समय लगता है।
(ड) लोकग्रदालत मे विवाद ले जाने से मना करते हैं—गाव के नेता/जाति के नेता/राजनीतिक नेता।

(3) परम्परागत कोट मे क्या सुविधायें या ग्रसुविधायें है ?

सुविधायें ग्रसुविधायें

(क)
(ख)
(ग)

(4) लोकग्रदालत के साथ किसी प्रकार का तनाव है ?

(क) स्थानीय राजनीति की दृष्टि से वहा (लोकग्रदालत) जाना ठीक नहीं मानत।

(ख) जाति सगठन मना करता है।

लोकप्रदालत या ग्रान द–निकेतन ग्राश्रम से ठीक सम्बन्ध नही है। यदि हा, तो ऐसा क्या ?

(5) ग्रापकी लोकग्रदालत के बारे मे क्या राय है ?

(6) परम्परागत कोट मे याय प्राप्ति मे कितना समय लगा ?

(7) परम्परागत कोट मे याय म कितना खर्च हुग्रा ? विवरण दें

(क) वकील पर

(ख) गवाहो पर

(ग) कोट फीस

(घ) ग्रय

कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान

लोकग्रदालत सगठन एव काय पद्धति का ग्रध्ययन
ग्राम-ग्रनुसूची

सर्वेक्षण वष 1975 नाम गाव गांव स दूरी (किलोमीटर मे)

(1) गाव

(2) पचायत

(3) पुलिस स्टेशन

(4) तालुका

(5) जिना

(6) गाव का क्षेत्रफल (एकड)

(7) कुल परिवार सख्या।

(क) 1971 की जनगणना क ग्रनुसार—

(ख) वतमान समय म—

(8) सुविधायें—

(i)	स्कूल	प्राथमिक	मिडिल	माध्यमिक
(ii)	विद्यार्थियो की सख्या			
(iii)	बिजली	गाव म/गाव स		किनोमीटर दूर
(iv)	सडक	गाव म/गाव से		किलोमीटर दूर
(v)	रेलव स्टेशन	गाव स		किनोमीटर दूर
(vi)	बस स्टैंण्ड	गाव म/गाव से		किलोमीटर दूर
(vii)	डाकघर	गाय म/गाव से		किलोमीटर दूर

(viii) तार घर — गाव म गाव से — किलोमीटर दूर

(ix) कुए — कच्चे पक्के (गाव म सख्या)

(x) तालाब (गाव म सख्या)

(xi) बाजार — गाव म गाव से — किलोमीटर दूर

(xii) चिकित्सालय — गाव म/गाव से — किलोमीटर दूर

(xiii) परिवार नियोजन केन्द्र गाव म/गाव से — किलोमीटर दूर

(xiv) रगपुर आश्रम की दूरी

तारीख — सर्वेक्षक

(नोट यह जानकारी सरकारी कार्यालय ग्राम पचायत या ग्रामसभा से प्राप्त की जायगी)।

(1) जाति विभाजन — कुल सख्या — परिवार सख्या

(i) अनुसूचित जातिया

(क) (ख) (ग)

(ii) आदिवासी जातिया

(क) (ख) (ग)

(iii) सामान्य हिन्दू जातिया

(क) (ख) (ग)

(iv) अन्य

(2) कुल जमीन — एकड म

(3) भूमि की किस्म

(क) कृषि होती है

(ख) कृषि हो सकती है

(ग) मकान

(घ) बजर

(ङ) पहाड

(4) फसल एव साधन

(अ) फसल की किस्म

(आ) आधुनिक साधन

(क) ट्रैक्टर (ख) थ्रेसर (ग) पम्पिग सेट
(घ) अन्य

(5) भूमि का बटवारा—श्रेणी और परिवार सख्या

(अ) भूमिहीन

(आ) पाच एकड तक

(इ) दस एकड तक

(ई) बीस एकड तक

(उ) बीस एकड से अधिक

(6) रोजगार की स्थिति परिवार सख्या जाति

(अ) मुख्यत खेती पर निर्भर परिवार

(आ) मुख्यत उद्योग पर निभर परिवार

(इ) मुख्यत व्यापार पर निभर परिवार

(ई) मुख्यत नौकरी पर निर्भर परिवार

(उ) गाव म नौकरी करने वाल लोग (सख्या)।

(7) शिक्षित व्यक्ति (सख्या)

(क) एम ए (ख) बी ए (ग) टैक्नीकल

परीक्षा उत्तीण (घ) हाईस्कूल (ङ) उससे नीचे
(च) अन्य

(8) क्या गाव ग्रामदानी है ? यदि हा, तो निम्नलिखित जानकारी—(केवल ग्रामदानी एव सक्रिय गावो के लिए)

(क) ग्रामदान की घोषणा का वर्ष

(ख) ग्रामसभा की स्थापना

(ग) ग्रामसभा के कार्यों का विवरण
(ग्रलग कागज पर)

(घ) ग्राममभा द्वारा लोकग्रदालत (न्याय) का काय ग्रपनाया गया है। (ग्रलग विवरण)।

(ङ) किस किस प्रकार कितने विवादा को सुलझाया है? (पाच वर्षों मे)

विवाद का प्रकार	ग्रामसभा ने सुलझाया	लोकग्रदालत म गया	कोर्ट म गया
(क)			
(ख)			
(ग)			

विवाद का प्रकार	ग्रामसभा ने सुलझाया	लोकग्रदालत मे गया	कोट म गया
(घ)			
(ङ)			

(च) ग्रामस्तरीय लोकग्रदालत की व्यवस्था का विवरण

(1) स्थान

(11) काय पद्धति

(111) ग्रन्य जानकारी जो उपलब्ध हो।

(9) गाव मे ग्रार्थिक विकास का काय

काय का प्रकार	सख्या	(1) ग्राश्रम के सहयोग से	(11) सरकार के सहयोग से
क	ख	ग	

(10) गाव मे ग्रन्य कार्य जैसे—

(क) नई परम्पराग्रो का विकास

(ख) समाज सुधार के काय

(ग) सगठनो एव सस्थाग्रों का विकास—इसका विवरण

सन्दर्भ ग्रन्थ

डा उपेन्द्र बक्षी	लोकग्रदालत एट रगपुर—ए प्रोलिमिनरी स्टडी दिल्ली विश्वविद्यालय, 1974।
हरिवल्लभ परीख	क्रान्ति का अरुणोदय, सर्वसेवा सघ प्रकाशन, वाराणसी, 1971।
हरिवल्लभ परीख	स्वप्न हुए साकार, सोसाइटी फॉर डेवलपिंग ग्रामदान, 1972।
गाधीजी	हमारे गावो का पुन निर्माण, नवजीवन प्रकाशन, ग्रहमदाबाद।
गाधीजी	ग्राम स्वराज्य, नवजीवन प्रकाशन, ग्रहमदावाद।
	जनगणना रिपोट बडौदा जिला 1961।
एल एम श्रीकात	ट्राइबल सोविनियर, भारतीय ग्रादिम जाति सेवक सघ नई दिल्ली।
ए ग्रार देसाई	रूरल इन्डिया इन ट्राजिशन।
विमलशाह	गुजरात के ग्रादिवासी गुजरात विद्यापीठ, ग्रहमदावाद, 1968।
हरिशचन्द्र उप्रेती	भारतीय जनजातियां राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 1970।
स्टेफन फुच	द एवग्रोरिजनल ट्राइब्स ग्राफ इडिया मैकमिलन 1973।
बी एन श्रीवास्तव	एक्सप्लायटेशन इन ट्राइबल एरिया भा ग्रा जा सेवक सघ, नई दिल्ली, 1961।
ब्रानिस्लाव मेलिनाव्स्की	वन्य समाज मे ग्रपराध ग्रौर प्रथा (क्राइम एण्ड कस्टम इन सेवेज सासाइटी) म प्र हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी, भोपाल,
पी सी विश्वास	सथाल्स ग्रॉफ द सथाल परगना 1956।

वाल्टर जी ग्रीफिथ्स	द कोल ट्राइवल ग्रॉफ सेन्ट्रल इडिया द रायल एसियाटिक सासाइटी ग्राफ बगाल (कलकत्ता) 1946।
ग्रनिल कुमार दास	द ग्ररन्स ग्रॉफ सुन्दरवन 1963।
टी बी नायक	बारह भाई विंभवार म प्र हिन्दी ग्रथ ग्रकादमी 1971।
टी बी नायक	द भिल्स एक स्टडी भारतीय ग्रादिम जाति सवक सघ 1956।
जी एस घुरिय	द शिडियूल ट्राइब्स।
ई डी रायन	एन्थ्रोपलाजी खण्ड 2 विक्रम लाइब्रेरी वाटस एण्ड क लन्दन 1946।
पी जी शाह	द दुबला ग्रॉफ गुजरात भा ग्रा जा सवक सघ 1958।
मैक्स ग्लुकमैन	ग्राडर एण्ड रिवेलियन इन ट्राइबल्स
वी रघुवैया	ट्राइब्स ग्रॉफ इडिया भारतीय ग्रा जा सेवक सघ, 1971।
जे सी माइकेल	ग्राडर एण्ड रिवेलियन इन ट्राइबल ग्रफ्रिका यूयाक।
परिपूर्णानन्द	प्राचीन भारत की शासन प्रणाली श्री राम मेहरा एण्ड कम्पनी, ग्रागरा
प्रो एन वी पराजन	ग्रपराध शास्त्र एव ग्रापराधिक न्याय प्रशासन म प्र हिन्दी ग्रथ ग्रकादमी।
मैकम मेरिमट	ग्रामीण भारत राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी, 1973।
राबर्ट रेडफील्ड	कृषक समाज तथा कृषक सस्कृति राजस्थान हिन्दी ग्रथ ग्रकादमी, 1973।
हृदयदव मालवीय	विलेज पचायत इन इन्डिया ग्र भा का कमेटी नई दिल्ली 1956।

इन्डियन पैनल कोड भारत सरकार
सिविल प्रोमीजर कोड, भारत सरकार
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भारत सरकार
इन्डियन एविडेन्स एक्ट भारत सरकार
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, भारत सरकार।

विषयानुक्रमणिका

डा. अवधप्रसाद (1944) एम ए., पी एच डी (अर्थशास्त्र)। प्रारम्भिक शिक्षा बुनियादी तालीम के वातावरण—श्रम भारती खादीग्राम बिहार—में हुई। माध्यमिक शिक्षा नवभारती नवापुरी, वाराणसी में और उच्च शिक्षा काशी विद्यापीठ वाराणसी में प्राप्त की। ग्रामीण समाज की समस्याओं, तथा विकास की प्रक्रिया को समझने तथा उनके अध्ययन अनुसंधान में विशेष रुचि। काशी विद्यापीठ के अर्थशास्त्र विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फेलोशिप में नक्सलवादी क्षेत्र मुसहरी (बिहार) का अध्ययन। 'ग्रामीण हिंसा' और 'गांधीजी और औद्योगीकरण" पुस्तक के लेखक। वर्तमान में कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान, जयपुर से संबद्ध। संस्थान की ओर से स्वयंसेवी संस्थाओं (वालन्टरी एजेंसीज) द्वारा किये जा रहे सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रयासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन किये जिनमें से करीब एक दर्जन अध्ययन प्रति-वेदन प्रकाशित हो चुके हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) की सहायता से दो अनु-संधान परियोजनायें पूरी कीं। गांधी विचार, ग्रामीण समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र पर कई शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं।